सत्यमेव जयते

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

वार्षिक रिपोर्ट
2023-24

वार्षिक रिपोर्ट
2023-24

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

विवरण

1. विहंगावलोकन
2. कार्यकलाप एवं संगठनात्मक ढांचा
3. कार्यक्रम संबंधी कार्यकलाप
4. प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी)
5. राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर)
6. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)
7. राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)
8. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना
9. राजभाषा का कार्यान्वयन
10. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
11. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
12. विभाग के अन्य कार्यकलाप
13. अनुलग्नक

विस्तार विवरण

1. विहंगावलोकन 1

1.1 औषध उद्योग

1.2 चिकित्सा उपकरण उद्योग

1.3 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

2. कार्यकलाप एवं संगठनात्मक ढांचा 7

2.1. औषध विभाग का अधिदेश

2.2. विजन

2.3. मिशन

2.4. संगठनात्मक ढांचा

2.5. संबद्ध कार्यालय

2.6. पंजीकृत सोसायटी

2.7. स्वायत्त संस्थान

2.8. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

3. कार्यक्रम संबंधी कार्यकलाप 15

3.1 उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं

3.2 औषध उद्योग के विकास के लिए एकछत्र योजना

3.3 चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के संवर्धन के लिए योजनाबद्ध और गैर-योजनाबद्ध कार्यकलाप

3.4 फार्मा ब्यूरो

4. प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) 35

4.1 योजना की पृष्ठभूमि

4.2 योजना की प्रगति

4.3 वर्ष 2023-24 के दौरान उपलब्धियां

4.4 जन औषधि दिवस समारोह

4.5 स्वच्छता विशेष अभियान 3.0

4.6 एचएलएल के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार की पीएमबीआई खोज

4.7 भारतीय औषध एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिड्बी) के बीच समझौता ज्ञापन

5. राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर) 47

5.1 पृष्ठभूमि

5.2 नाईपर एस.ए.एस. नगर (मोहाली)

5.3 नाईपर कोलकाता

5.4 नाईपर रायबरेली

5.5 नाईपर हैदराबाद

5.6 नाईपर हाजीपुर

5.7 नाईपर गुवाहाटी

5.8 नाईपर अहमदाबाद

6. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) 103

6.1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

6.2 इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल)

6.3 बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल)

6.4 हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल)

6.5 कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल)

6.6 राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल)

7. राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) 123

7.1 राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)

7.2 मूल्य निर्धारण

7.3 चिकित्सा उपकरणों के व्यापार मार्जिन को युक्तिसंगत बनाना

7.4 पुनरीक्षण आदेश

7.5 डीपीसीओ, 2013 के पैरा 32 के अंतर्गत दी गई छूट

7.6 व्यापार मार्जिन युक्तिकरण के आधार पर कैंसर रोधी दवाओं का मूल्य संशोधन

7.7 उपभोक्ताओं को बचत

7.8 पांच वर्षों में उपचारात्मक क्षेत्रों में वृद्धि

7.9 साप्ताहिक सर्वेक्षण के माध्यम से औषधियों की उपलब्धता की निगरानी

7.10 मूल्य निगरानी एवं प्रवर्तन गतिविधियां

7.11 अधिप्रभारित राशि की वसूली

7.12 ई-पहल

7.13 उपभोक्ता जागरूकता, प्रचार और मूल्य निगरानी (सीएपीपीएम) का कार्यान्वयन

7.14 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के अंतर्गत की गई गतिविधियां

7.15 राजभाषा कार्यान्वयन

7.16 राजभाषा प्रोत्साहन पखवाड़ा, 2023

7.17 सतर्कता जागरूकता सप्ताह

7.18 राष्ट्रीय एकता दिवस

7.19 स्वच्छता पखवाड़ा, स्वच्छता ही सेवा एवं विशेष अभियान 3.0

7.20 एनपीपीए का ई-समाचार पत्र: औषध संदेश

7.21 डीपीसीओ,2013 एवं एनपीपीपी, 2012 के कामकाज की समीक्षा पर कार्यशाला

8. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना 145

8.1 संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूज़ी) की बैठकें

8.2 औषध विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर कार्यशालाएं/सम्मेलन/गोलमेज सम्मेलन का आयोजन

8.3 औषध विभाग के प्रतिनिधिमंडल की अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों/बैठकों में भागीदारी

8.4 औषध विभाग द्वारा आयोजित विदेशी प्रतिनिधिमंडलों का भारत दौरा / औषध विभाग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बैठकें

8.5 वाणिज्य विभाग के नेतृत्व में व्यापार समझौतों की वार्ता में भागीदारी

8.6 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नेतृत्व में विश्व स्वास्थ्य संगठन की वार्ता में भागीदारी

8.7 औषध (फार्मास्यूटिकल) सहयोग के क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए वाणिज्य विभाग/उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग/स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के नेतृत्व में संयुक्त कार्य समूह/व्यापार समितियों की बैठकों में विभाग की भागीदारी

8.8 विभाग के जी20 कार्यक्रम

8.9 औषध विभाग द्वारा जी-20 प्रेसीडेंसी 2023 के आयोजनों/बैठकों में द्विपक्षीय बैठकें

9. राजभाषा का कार्यान्वयन 165

9.1 सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग

9.2 राजभाषा कार्यान्वयन समिति

9.3 हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन पखवाड़ा, 2023

9.4 विभाग के अधीन कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग की समीक्षा

9.5 हिंदी सलाहकार समिति

10. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 169

10.1 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

11. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी 173

11.1 लोकल एरिया नेटवर्क (लैन)

11.2 वेबसाइट और सोशल मीडिया

11.3 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

11.4 वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) सुविधा

11.5 कार्यप्रवाह स्वचालन

11.6 ई-गवर्नेंस

11.7 विभाग में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता पहल

12. विभाग के अन्य कार्यकलाप 179

12.1 लंबित मामलों के निपटान पर विशेष अभियान (एससीडीपीएम) और स्वच्छता पखवाड़ा

12.2 आजादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) का समापन

12.3 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह

12.4 आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्षमता विनिर्माण

12.5 राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह

12.6 संविधान दिवस समारोह

13. अनुलग्नक 187

अनुलग्नक – I नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा टिप्पणियां

अनुलग्नक – II [क] पीएसयू की सूची

अनुलग्नक – II [ख] पीएसयू के अध्यक्षों का पता और नाम

अनुलग्नक – II [ग] दायित्व केंद्रों और अधीनस्थ संगठनों की सूची

अनुलग्नक – III एनपीपीए का संगठनात्मक चार्ट

अध्याय 1

विहंगावलोकन

1.1 औषध उद्योग

1.2 चिकित्सा उपकरण उद्योग

1.3 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

अध्याय 1

विहंगावलोकन

1.1 औषध उद्योग

भारतीय औषध उद्योग उत्पादन की मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है और विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत डीपीटी, बीसीजी और खसरे के टीकों की आपूर्ति में एक वैश्विक अग्रणी है और दुनिया में कम लागत वाले टीकों के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। यूनिसेफ को टीके की आपूर्ति का 60 प्रतिशत हिस्सा भारतीय विनिर्माताओं का है, जो डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टुसिस (डीपीटी) और बैसिलस कैलमेट-गुएरिन (बीसीजी) टीकों की डब्ल्यूएचओ की मांग का 40 से 70 प्रतिशत और खसरे के टीके की डब्ल्यूएचओ की मांग का 90 प्रतिशत योगदान देता है।

भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (यूएसएफडीए) के अनुरूप फार्मा संयंत्रों की संख्या संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर सबसे अधिक है। वैश्विक एपीआई उद्योग में लगभग 8% योगदान देने वाले 500 एपीआई विनिर्माता हैं। भारत जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, जिसकी 60 चिकित्सीय श्रेणियों में 60,000 विभिन्न जेनेरिक ब्रांडों का विनिर्माण करके वैश्विक आपूर्ति में 20% हिस्सेदारी है।

भारत में वहनीय एचआईवी उपचार तक पहुंच चिकित्सा में सबसे बड़ी सफलता की कहानियों में से एक है। कम मूल्य और उच्च गुणवत्ता के कारण, भारतीय दवाओं को दुनिया भर में वरियता दी जाती है, जो इस देश को दुनिया की 'फार्मेसी' बनाती है।

यह क्षेत्र अच्छी दर से वृद्धि कर रहा है। वर्ष 2023-24 में औषध का कुल वार्षिक कारोबार 4,17,345 करोड़ रुपये था, जिसमें वर्ष 2022-23 की तुलना में 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले पांच वर्षों में इस क्षेत्र में वार्षिक कारोबार (टर्नओवर) की प्रवृत्ति तालिका-1क में देखी जा सकती है

तालिका 1क

(वर्तमान मूल्यों पर फार्मा क्षेत्र की वृद्धि)

वित्तीय वर्ष	कारोबार (करोड़ रुपए में)	वृद्धि दर %
2019-2020	2,89,998	12
2020-2021	3,28,054	13
2021-2022	3,44,125	5
2022-2023	3,79,450	10
2023-2024	4,17,345	10

स्रोत: फार्माट्रैक/एनपीपीए/डीजीसीआईएस, कोलकाता

यह क्षेत्र निर्यात के मामले में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है और वर्ष 2023-24 में औषध का कुल निर्यात 2,19,438.60 करोड़ रुपये था, जबकि औषध का कुल आयात 58,440.37 करोड़ रुपये था।

ग्राफ 1क

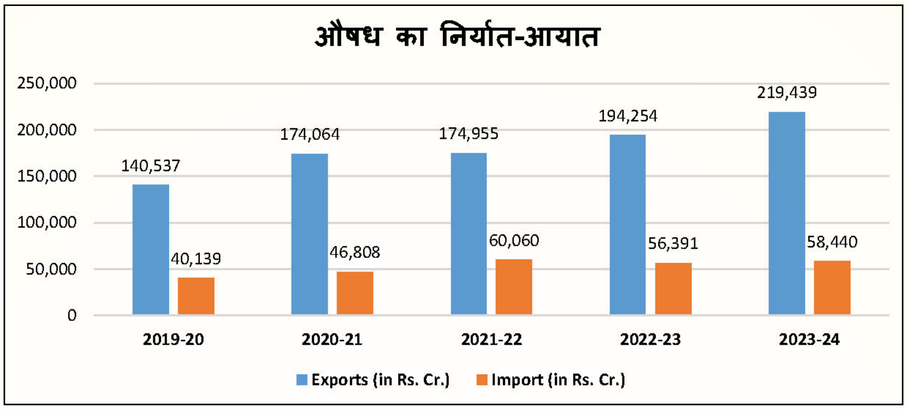

(डीजीसीआई एवं एस, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय)
(आंकड़ों में बल्क औषधि, औषध मध्यवर्ती सामग्री, औषधि फॉर्मूलेशन, बायोलॉजिकल शामिल हैं)

1.2 चिकित्सा उपकरण उद्योग

1.2.1 चिकित्सा उपकरण:

भारत में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र का एक अनिवार्य और अभिन्न घटक है, विशेष रूप से सभी चिकित्सीय स्थितियों और अक्षमताओं की रोकथाम, निदान, उपचार और प्रबंधन के लिए। यह स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, औषध और स्वास्थ्य बीमा उद्योग के साथ स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली में एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनाता है, जिससे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी), 2017 के प्रमुख उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। चिकित्सा उपकरण निम्नलिखित व्यापक वर्गीकरण के साथ एक बहु-विशिष्ट क्षेत्र का गठन करता है: (क) इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (ख) प्रत्यारोपण (ग) उपभोग्य सामग्रियां और डिस्पोजेबल (घ) सर्जिकल उपकरण और (ङ) इन-विट्रो डायग्नोस्टिक अभिकर्मक।

चिकित्सा उपकरण उद्योग में कई खंड, लंबी उत्पादन अवधि के साथ, अत्यधिक पूंजी गहन हैं जिनमें नई प्रौद्योगिकियों के निरंतर प्रेरण, नई प्रौद्योगिकियों के अनुकूल होने के लिए स्वास्थ्य व्यवसायियों के निरंतर प्रशिक्षण और तेजी से नवाचार को शामिल करने की आवश्यकता है। चिकित्सा उपकरणों को बिक्री के लिए बाजार में रखे जाने से पहले विनियामक द्वारा परिभाषित प्रक्रियाओं के माध्यम से अपनी सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रभावकारिता को प्रदर्शित करना होता है।

1.2.2 भारतीय चिकित्सा उपकरण बाजार:

भारत वैश्विक चिकित्सा उपकरणों के उद्योग में सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है, जिसके 15 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ने की उम्मीद है। वैश्विक बाजार में मौजूदा बाजार हिस्सेदारी 1.5% होने का अनुमान है।जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बाद भारत चिकित्सा उपकरणों का चौथा सबसे बड़ा एशियाई बाजार है और दुनिया के शीर्ष 20 वैश्विक चिकित्सा उपकरणों के बाजारों में से एक है। पिछले पांच वित्तीय वर्षों में चिकित्सा उपकरणों का निर्यात और आयात क्रमशः तालिका 1ख एवं 1ग में दिया गया है।

(क) निर्यात आंकड़े - श्रेणीवार

तालिका 1ख

(श्रेणीवार निर्यात डाटा)

(मिलियन अमरीकी डालर)

क्र.सं.	खण्ड	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24
1	उपभोग्य और डिस्पोजेबल	1083	1290	1378	1605	1752
2	सर्जिकल उपकरण	50	54	71	72	79
3	इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण	999	985	1163	1335	1472
4	प्रत्यारोपण	94	99	135	188	266
5	आईवीडी अभिकर्मक	68	104	176	191	216
	कुल	2293	2532	2923	3391	3785

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(ख) आयात आंकड़े - श्रेणीवार

तालिका 1ग

(श्रेणीवार आयात डाटा)

(मिलियन अमरीकी डालर)

क्र.सं.	खण्ड	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24
1	उपभोग्य और डिस्पोजेबल	1076	1471	1624	1091	1185
2	सर्जिकल उपकरण	180	104	169	210	205
3	इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण	3647	3569	5441	4884	5408
4	प्रत्यारोपण	415	226	423	540	586
5	आईवीडी अभिकर्मक	527	872	883	767	804
	कुल	5845	6241	8540	7492	8188

डीजीसीआई एवं एस, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

ग्राफ़ 1ख

ईएक्सआईएम डाटा

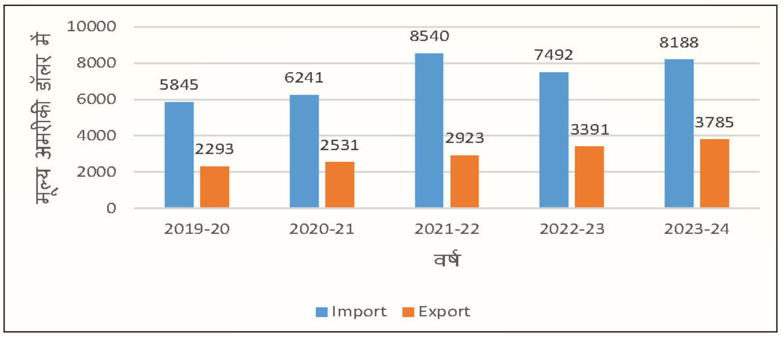

1.3 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

औषधीय क्षेत्र विदेशी निवेशकों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरा है और यह भारत में विदेशी निवेश के लिए शीर्ष दस आकर्षक क्षेत्रों में से एक है। सरकार ने इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए निवेशक अनुकूल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति लागू की है। चिकित्सा उपकरणों में स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% विदेशी निवेश की अनुमति है। औषध में, ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में 100% तक एफडीआई और ब्राउनफील्ड परियोजनाओं में 74% तक एफडीआई को स्वचालित मार्ग के अंतर्गत अनुमति दी गई है। ब्राउनफील्ड परियोजनाओं में 74% से अधिक विदेशी निवेश के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होती है। मई, 2017 में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के समाप्त होने के बाद, औषध विभाग को सरकारी अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत विदेशी निवेश प्रस्तावों पर विचार करने की भूमिका सौंपी गई है। इसके अतिरिक्त, यह विभाग प्रेस नोट 3 दिनांक 17.04.2020 से उत्पन्न औषध क्षेत्र और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के सभी एफडीआई प्रस्तावों पर विचार करता है, जिसमें निवेश प्रस्तावों में निवेशक/अंतिम लाभार्थी भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से हैं।

यह क्षेत्र विभिन्न क्षेत्रों में देश में कुल एफडीआई अंतर्वाह का लगभग 3.80% योगदान देता है। फार्मा और मेडिटेक क्षेत्रों में अप्रैल 2000 से मार्च 2024 तक कुल एफडीआई अंतर्वाह ₹1,57,087 करोड़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, औषध विभाग ने 14 एफडीआई प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसके परिणामस्वरूप औषध क्षेत्र की ब्राउनफील्ड परियोजनाओं में 11,858 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश अंतर्वाह होगा।

विभाग इस क्षेत्र में भारतीय कंपनियों द्वारा प्राप्त एफडीआई अंतर्वाहों की प्रगति के साथ-साथ एक ऑनलाइन पोर्टल अर्थात "एफडीआई लिंक्ड अनुपालन प्रबोधन पोर्टल" के माध्यम से वर्तमान एफडीआई नीति के अंतर्गत अपेक्षित एफडीआई से जुड़ी कार्यनिष्पादन शर्तों के अनुपालन की निगरानी करता है। पोर्टल का वेब-लिंक http://**fdi.pharmaceuticals.gov.in** है। एफडीआई अंतर्वाह का कार्यकलाप-वार विवरण अर्थात औषधीय और मेडिटेक कार्यकलापों में, पृथक रूप से तालिका 1घ में देखा जा सकता है।

तालिका 1घ

(दवा एवं औषध और मेडिटेक कार्यकलापों में एफडीआई अंतर्वाह)

वित्तीय वर्ष	एफडीआई अंतर्वाह दवा एवं औषध (राशि ₹ करोड़ में)	एफडीआई अंतर्वाह मेडिटेक क्षेत्र (राशि ₹ करोड़ में)
2019-20	3,650	2,196
2020-21	11,015	511
2021-22	10,552	1,545
2022-23	16,654	3,123
2023-24	8,844	3,978

अध्याय 2

कार्यकलाप एवं संगठनात्मक ढांचा

2.1. औषध विभाग का अधिदेश
2.2. विजन
2.3. मिशन
2.4. संगठनात्मक ढांचा
2.5. संबद्ध कार्यालय
2.6. पंजीकृत सोसायटी
2.7. स्वायत्त संस्थान
2.8. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

अध्याय 2

कार्यकलाप एवं संगठनात्मक ढांचा

2.1 औषध विभाग का अधिदेश

औषध विभाग को रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत 1 जुलाई, 2008 में सृजित किया गया था, जिसका उद्देश्य देश में औषध क्षेत्र के विकास पर और अधिक ध्यान और जोर देना तथा दवाओं के मूल्य निर्धारण और वहनीय मूल्यों पर इसकी उपलब्धता, अनुसंधान एवं विकास, बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा और औषध क्षेत्र से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं से जुड़े विभिन्न जटिल मुद्दों को विनियमित करना था जिसके लिए अन्य मंत्रालयों के साथ समन्वय करना अपेक्षित था।

औषध विभाग को निम्नलिखित कार्य आबंटित किए गए हैं:

(i) औषधि और औषध, अन्य विभागों को विशेष रूप से आबंटित मदों के अतिरिक्त।

(ii) चिकित्सा उपकरण - संवर्धन, उत्पादन और विनिर्माण से संबंधित उद्योग मुद्दों के अलावा अन्य विभागों को विशिष्ट रूप से आबंटित मुद्दे।

(iii) औषध क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रों में बुनियादी, अनुप्रयुक्त और अन्य अनुसंधानों का संवर्धन और समन्वय।

(iv) औषध क्षेत्र के लिए अवसंरचना, जन शक्ति और कौशल विकास तथा संबंधित सूचना का प्रबंधन।

(v) औषध क्षेत्र से संबंधित सभी मामलों में शिक्षा और प्रशिक्षण, जिसमें भारत तथा विदेश में उच्च अनुसंधान और अध्येतावृत्तियां प्रदान करना और सूचना तथा तकनीकी मार्गदर्शन का आदान-प्रदान शामिल है।

(vi) औषध से संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना।

(vii) औषध अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जिसमें भारत और विदेश से संबंधित क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से संबंधित कार्य शामिल हैं।

(viii) विभाग को सौंपे गए विषयों से संबंधित क्षेत्रों में अंतर्क्षेत्रीय समन्वय जिसमें केंद्रीय और राज्य सरकारों के अधीन आने वाले संगठनों और संस्थानों के बीच समन्वय शामिल है।

(ix) औषध क्षेत्र में राष्ट्रीय आपदा से निपटने हेतु तकनीकी सहायता।

(x) राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण से संबंधित सभी मामले, जिनमें मूल्य नियंत्रण/ मॉनीटरिंग से संबंधित कार्य शामिल हैं।

(xi) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों (नाईपरों) से संबंधित सभी मामले।

(xii) विभाग से संबंधित सभी उद्योगों की योजना, विकास और नियंत्रण तथा उनकी सहायता।

(xiii) बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड।

(xiv) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड।

(xv) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड।

2.2. विजन

गुणवत्तायुक्त दवाइयों के लिए वैश्विक लीडर के रूप में भारतीय फार्मा का संवर्धन करना तथा देश में औषधियों

तथा चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता, सुगमयता तथा वहनीयता सुनिश्चित करना।

2.3. मिशन

- औषध क्षेत्र में मेक इन इंडिया के लिए निवेश
- महत्वपूर्ण एपीआई एवं चिकित्सा उपकरणों में मेक इन इंडिया बनाना
- उद्योग का विस्तार, कुशलता विकास, अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार
- स्थिर एवं प्रभावी मूल्य विनियमन और
- जन औषधि योजना का विस्तार करते हुए जेनेरिक दवाइयां

2.4. संगठनात्मक ढांचा

औषध विभाग, औषध और मेडटेक उद्योगों के नीति विनिर्माण, क्षेत्रीय नियोजन, संवर्धन और विकास के लिए नोडल विभाग है। विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) और भारतीय औषध एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई) का प्रशासनिक नियंत्रण भी विभाग के पास है।

विभाग की अध्यक्षता भारत सरकार के सचिव द्वारा की जाती है जिसकी सहायता एक वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, दो संयुक्त सचिवों एवं एक आर्थिक सलाहकार द्वारा की जाती है।

(इस विभाग का प्रभार दिनांक 01.11.2023 से डॉ. अरुणीश चावला के पास है)

इस विभाग के पास विभिन्न अधिदेशित कार्यकलापों एवं उत्तरदायित्वों को संभालने के लिए 15 प्रभाग हैं। इन 15 प्रभागों के मुख्य कार्यकरण का सारांश नीचे दिया गया है:

(i) **एकीकृत वित्तीय प्रभाग(आईएफडी)**-व्यय नियंत्रण और प्रबंधन करना, व्यय का युक्तीकरण सुनिश्चित करना और मासिक/तिमाही समीक्षाओं के माध्यम से व्यय की नियमित निगरानी सहित व्यय विभाग के अनुदेशों के अनुसार आर्थिक उपायों का अनुपालन तथा संबंधितों को रिपोर्ट प्रस्तुत करना। आईएफडी प्रभाग विभिन्न प्रभागों और व्यय विभाग के परामर्श से इस विभाग का बजट तैयार करता है।

(ii) **मूल्य निर्धारण प्रभाग**-प्रशासनिक/स्थापना बजटीय मामले/निधि जारी करने आदि सहित राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) से संबंधित सभी मामले; एनपीपीए आदेशों के विरूद्ध समीक्षा मामले; डीपीईए निधियों का प्रशासन; औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश (डीपीसीओ) का प्रशासन और औषध मूल्य निर्धारण नीति एवं औषध मूल्य निर्धारण से संबंधित सभी मुद्दे।

(iii) **नीति प्रभाग**-औषध उद्योग के संवर्धन से संबंधित सभी नीतिगत मामले; अन्य विभागों/मंत्रालयों से प्राप्त औषध उद्योग के सभी मामले; औषध उद्योग से प्राप्त सभी संदर्भ; वार्षिक बजट के लिए औषधों के सभी कर संबंधी प्रस्ताव; परियोजना विकास प्रकोष्ठ; फार्मा ब्यूरो से संबंधित मामले; औषधों संबंधी पीएलआई योजना का कार्यान्वयन; बल्क औषधि पार्कों के संवर्धन संबंधी योजना का कार्यान्वयन; औषध विपणन कार्यकलाप एकरूप संहिता (यूसीपीएमपी) से संबंधित सभी मामले।

(iv) **सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम(पीएसयू)**-औषध विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले पांच केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसई) से संबंधित सभी मामले।

(v) **नाईपर प्रभाग-**औषध विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय औषध शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान से संबंधित सभी मामले, नाईपर अधिनियम का प्रशासन, औषध और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र से संबंधित बुनियादी, संबद्ध और अन्य अनुसंधानों के आर एंड डी मामले-संवर्धन एवं समन्वय।

(vi) **योजना प्रभाग-** एपीआई/केएसएम और डीआई संबंधी पीएलआई योजना का कार्यान्वयन; चिकित्सा उपकरणों संबंधी पीएलआई योजना का कार्यान्वयन; औषध उद्योग योजना को सुदृढ़ बनाने का कार्यान्वयन; औषध और चिकित्सा उपकरण संवर्धन और विकास (पीएमपीडीएस) योजना का कार्यान्वयन; और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) का कार्यान्वयन।

(vii) **चिकित्सा उपकरण प्रभाग**-चिकित्सा उपकरण उद्योग के संवर्धन से संबंधित सभी नीतिगत मामले; अन्य विभागों/मंत्रालयों से प्राप्त चिकित्सा उपकरण उद्योग के सभी मामले; चिकित्सा उपकरण उद्योग से प्राप्त सभी संदर्भ; वार्षिक बजट के लिए चिकित्सा उपकरण के कर संबंधी सभी प्रस्ताव; सार्वजनिक खरीद आदेश (मेक इन इंडिया), 2017 का कार्यान्वयन; चिकित्सा उपकरण पार्कों के संवर्धन संबंधी योजना का कार्यान्वयन; चिकित्सा उपकरण विपणन कार्यकलापों संबंधी एकरूप संहिता (यूसीएमडीएमपी) से संबंधित सभी मामले।

(viii) **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग-**मुक्त व्यापार समझौते, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जी20 और सभी संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) और फार्मा एवं चिकित्सा उपकरणों पर समझौता ज्ञापन सहित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संबंधित सभी मामले।

(ix) **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश-** सभी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रस्तावों का प्रसंस्करण और निगरानी।

(x) **राजभाषा-**राजभाषा अधिनियम, 1963 के साथ-साथ राजभाषा (संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 और उसके अंतर्गत जारी आदेशों सहित भारत संघ की राजभाषा नीति के विभिन्न प्रावधानों का कार्यान्वयन।

(xi) **स्थापना एवं रोकड़ प्रभाग**-स्थापना से संबंधित सभी मामले अर्थात औषध विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के सभी सेवा-संबंधी मामले, सहायक कर्मचारियों के लिए सेवाओं की आउटसोर्सिंग, वेतन एवं भत्ते आदि।

(xii) **प्रशासन प्रभाग-**कार्यालय के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक दैनिक वस्तुओं की खरीद एवं वितरण, हाउसकीपिंग सेवाएं, कंप्यूटर, प्रिंटर, फोटोकॉपियर, एयर कंडीशनर सहित कार्यालय उपकरणों का रखरखाव, वार्षिक रिपोर्ट की प्रिंटिंग और अन्य कार्यक्रम-विशिष्ट बैनर, पोस्टर, स्टैंडी और आतिथ्य सेवाओं आदि सहित प्रशासन से संबंधित सभी मामले।

(xiii) **आईटी प्रभाग-**सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), औषध विभाग की वेबसाइट, विभाग के विभिन्न पोर्टलों के रखरखाव के लिए एनआईसी के साथ संपर्क, साइबर सुरक्षा और सुरक्षा ऑडिट आदि से संबंधित सभी मामले।

(xiv) **संसद एवं समन्वय-**संसद से संबंधित सभी मामले और सभी अंतर-मंत्रालयी कार्यों का समन्वय।

(xv) **सतर्कता प्रभाग-**केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के साथ बातचीत सहित सतर्कता से संबंधित सभी मामले।

2.4.2 औषध विभाग के मुख्य सचिवालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों का रोजगार

औषध विभाग के मुख्य सचिवालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के रोजगार की स्थिति, दिनांक 01.01.2024 की स्थिति के अनुसार तालिका 2क में दी गई है।

तालिका-2क

औषध विभाग के मुख्य सचिवालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के रोजगार की स्थिति

समूह	स्वीकृत पदों की कुल संख्या	कार्यरत	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ी जाति	दिव्यांग	ई. डब्ल्यू. एस.
क	28	25	2	3	3	-	0
ख	47	32	5	2	8	-	0
ग	21	18	7	0	4	-	2
कुल	96	75	14	5	15	-	2

समूह 'क' के अधिकारियों में अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं और अन्य विभागों/उपक्रमों से प्रतिनियुक्ति पर लिए जाने वाले अधिकारियों के अलावा केंद्रीय सचिवालय सेवा से संबंधित अधिकारी शामिल हैं। समूह ख और ग के पदों पर नियुक्ति मुख्यत: कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा किए गए नामांकन के आधार पर की जाती है।

यह विभाग इसके प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के लिए आरक्षित पदों को भरने की प्रक्रिया की निगरानी भी करता है।

2.4.3 संगठनात्मक चार्ट

विभाग का संगठनात्मक चार्ट अनुलग्नक-2क में दिया गया है।

2.5 संबंध कार्यालय

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण- विभाग के संबद्ध कार्यालय एवं कार्यकलापों में अन्य बातों के साथ-साथ औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश (डीपीसीओ) के अंतर्गत अनुसूचित फॉर्मुलेशनों के मूल्यों के निर्धारण एवं पुनरीक्षण के साथ-साथ डीपीसीओ के विभिन्न प्रावधानों की निगरानी एवं प्रवर्तन भी शामिल हैं। एनपीपीए औषध नीति और दवाइयों की वहनीयता, उपलब्धता और सुगमता के मुद्दों पर सरकार को इनपुट भी प्रदान करता है।

2.6. पंजीकृत सोसायटी

भारतीय औषध एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो(पीएमबीआई)- जिसे पहले भारतीय फार्मा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ब्यूरो (बीपीपीआई) के रूप में जाना जाता था – को दिनांक 1 दिसंबर 2008 को औषध विभाग द्वारा स्थापित किया गया था जिसका उद्देश्य औषध विभाग द्वारा आरंभ की गई जन औषधि योजना को लागू करने हेतु केंद्रित और सशक्त संरचना प्रदान करना है।

2.7. स्वायत्त संस्थान

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर)-नाईपर औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान में गुणवत्ता और उत्कृष्टता का संवर्धन एवं संपोषण करने के लिए स्थापित किए गए राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं। एसएएस नगर (मोहाली) में नाईपर की स्थापना सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। इसके पश्चात् संसद के अधिनियम, नाईपर अधिनियम, 1998 द्वारा संस्थान को सांविधिक मान्यता प्रदान की गई थी और राष्ट्रीय संस्थान के रूप में इसकी घोषणा की गई थी। वर्ष 2007-08 के दौरान अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता और रायबरेली में मेंटर संस्थानों के सहयोग से छः और नए नाईपर आरंभ किए गए।

2.8 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

विभाग के पास अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन 5 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। जो इस प्रकार हैं

(क) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल), गुड़गांव, हरियाणा

(ख) हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल), पिंपरी, पुणे, महाराष्ट्र

(ग) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल) बंगलौर, कर्नाटक

(घ) बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (बीपीसीएल), कोलकाता, पश्चिम बंगाल और

(ङ) राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल), जयपुर, राजस्थान

अनुलग्नक 2क

औषध विभाग - संगठनात्मक चार्ट

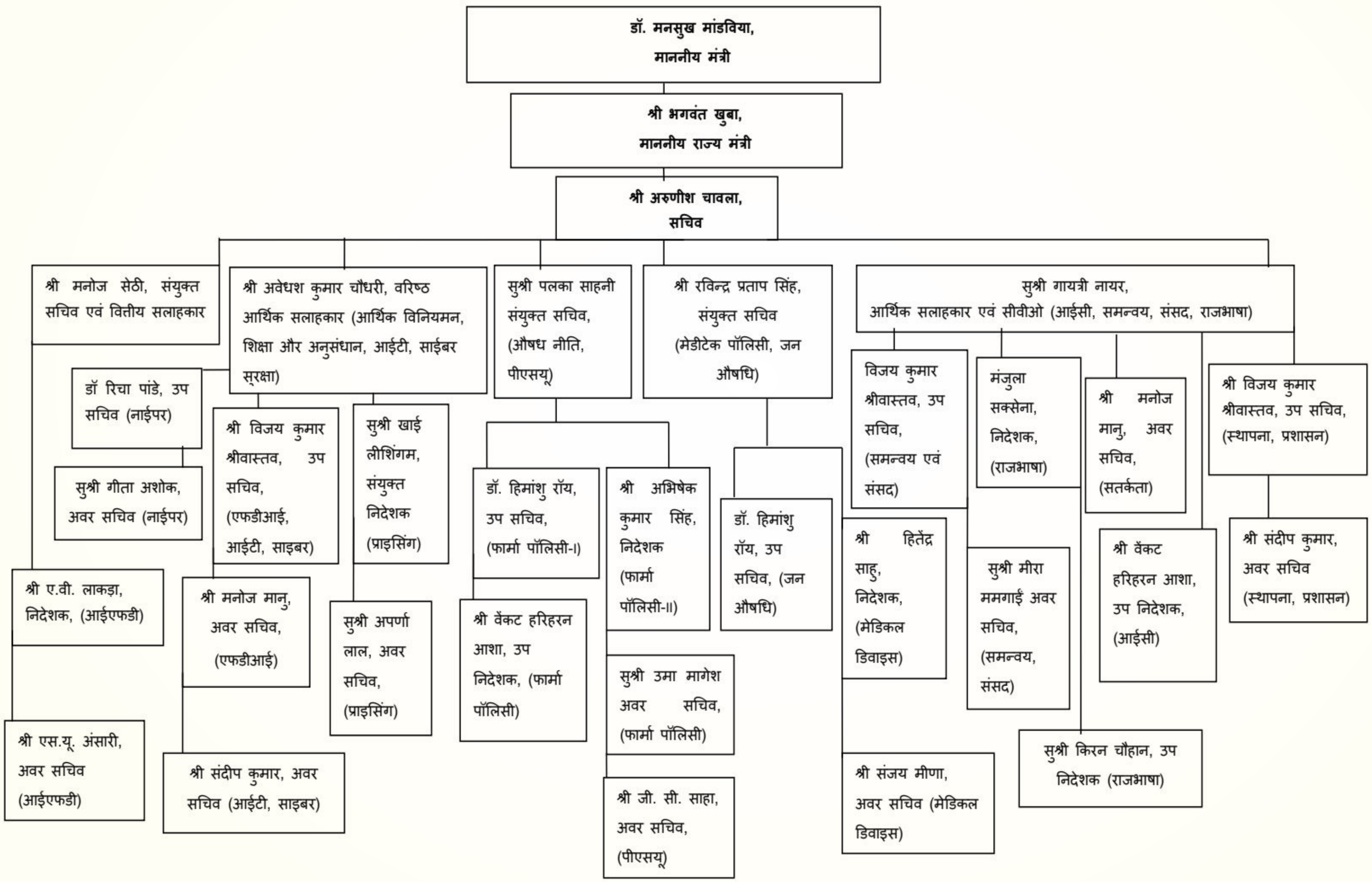

अध्याय 3

कार्यक्रम संबंधी कार्यकलाप

3.1 उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं

3.2 औषध उद्योग के विकास के लिए एकछत्र योजना

3.3 चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के संवर्धन के लिए योजनाबद्ध और गैर-योजनाबद्ध कार्यकलाप

3.4 फार्मा ब्यूरो

अध्याय 3

कार्यक्रम संबंधी कार्यकलाप

औषध विभाग घरेलू औषध और चिकित्सा उपकरण उद्योग की दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्रीय क्षेत्र की निम्नलिखित योजनाओं को लागू कर रहा है ताकि वे वैश्विक बाजार में अग्रणी भूमिका निभा सकें और बड़े पैमाने पर खपत के लिए गुणवत्तापूर्ण औषध और चिकित्सा उपकरणों की सुलभता, उपलब्धता और वहनीयता सुनिश्चित कर सकें। योजना-वार विवरण इस प्रकार हैं:

3.1 उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं

यह विभाग भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही कुल 14 पीएलआई योजनाओं में से तीन पीएलआई योजनाओं को केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के रूप में लागू करता है और वे निम्नानुसार हैं:

क) भारत में महत्वपूर्ण प्रारंभिक सामग्री (केएसएमएस)/ औषधि मध्यवर्ती (डीआईएस)/सक्रिय औषध सामग्री (एपीआई) के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन के लिए पीएलआई योजना

ख) चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन के लिए पीएलआई योजना

ग) औषध के लिए पीएलआई योजना

उप-योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश विभाग की वेबसाइट https://pharmaceuticals.gov.in/schemes पर उपलब्ध हैं। उपरोक्त सभी तीन पीएलआई योजनाओं को समय-सीमा के अनुसार वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने और बल्क औषधि, औषधों और चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ाने के लिए लागू किया जा रहा है।

3.1.1 भारत में महत्वपूर्ण मुख्य प्रारंभिक सामग्री (केएसएम)/ औषधि मध्यवर्ती (डीआई)/सक्रिय औषध सामग्री (एपीआई) के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन के लिए उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना

आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और महत्वपूर्ण एपीआई के संबंध में आयात पर निर्भरता को कम करने की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा दिनांक 20.03.2020 को महत्वपूर्ण मुख्य प्रारंभिक सामग्री (केएसएम) / औषधि मध्यवर्ती (डीआई) और सक्रिय औषध सामग्री (एपीआई) के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन के लिए "उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन योजना (पीएलआई)" नाम की एक योजना को मंजूरी दी गई थी। इस योजना का उद्देश्य, क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करके पहचान किए गए केएसएम, डीआई और एपीआई के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है और इस तरह महत्वपूर्ण एपीआई के संबंध में भारत की आयात पर निर्भरता को कम करना है।

इस योजना में निम्नलिखित चार श्रेणियों के अंतर्गत 41 उत्पाद शामिल हैं:

तालिका 3क

(योजना के अंतर्गत श्रेणियां)

क्रम संख्या	लक्ष्य खंड	नाम
1	I	प्रमुख किण्वन आधारित केएसएम/औषधि मध्यवर्ती
2	II	प्रमुख किण्वन आधारित विशिष्ट केएसएम/औषधि मध्यवर्ती
3	III	रासायनिक संश्लेषण आधारित केएसएम/औषधि मध्यवर्ती
4	IV	अन्य रासायनिक संश्लेषण आधारित केएसएम/औषधि मध्यवर्ती/एपीआई

6,940 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ इस योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2020-2021 से 2029-30 तक है। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन निम्नलिखित दरों पर छह (06) वर्षों के लिए 41 पहचाने गए उत्पादों की बिक्री पर प्रदान किया जाएगा:

तालिका 3ख

(प्रोत्साहन का विवरण)

उत्पाद श्रेणी	प्रोत्साहन अवधि	प्रोत्साहन की दर
किण्वन आधारित उत्पादों के लिए	वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रोत्साहन	20%
	2027-28 के लिए प्रोत्साहन	15%
	2028-29 के लिए प्रोत्साहन	5%
रासायनिक संश्लेषण आधारित उत्पादों के लिए	वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए प्रोत्साहन	10%

सरकार को इस योजना पर अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। इस योजना के अंतर्गत पूरे देश से चार लक्षित खंडों में 41 उत्पादों के लिए कुल 249 आवेदन प्राप्त हुए थे।

48 परियोजनाओं को 3,938.57 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध निवेश के साथ मंजूरी दी गई है और इससे लगभग 9,618 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। 3,737.33 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है और इससे 3,565 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित हुआ है। शुरू की गई परियोजनाओं द्वारा की गयी बिक्री 1067.45 करोड़ रुपये है जिसमें 315.16 करोड़ रुपये का निर्यात शामिल है। इस योजना से आयात पर निर्भरता वाली महत्वपूर्ण बल्क औषधि/औषधि मध्यवर्ती के विनिर्माण की क्षमता के सृजन होने की उम्मीद है।

वित्तीय वर्ष 2022-23, कार्य निष्पादन/बिक्री का प्रथम वर्ष है और परियोजना प्रबंधन एजेंसी द्वारा त्रैमासिक/अर्धवार्षिक प्रोत्साहन दावों और सत्यापन के लिए पात्र मानदंड प्राप्त करने पर आवेदकों को 14.74 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि जारी की गई है।

मार्च 2024 तक परियोजनाओं की स्थिति ग्राफ 3क में दी गई है।

ग्राफ़ 3क

(परियोजनाओं की स्थिति)

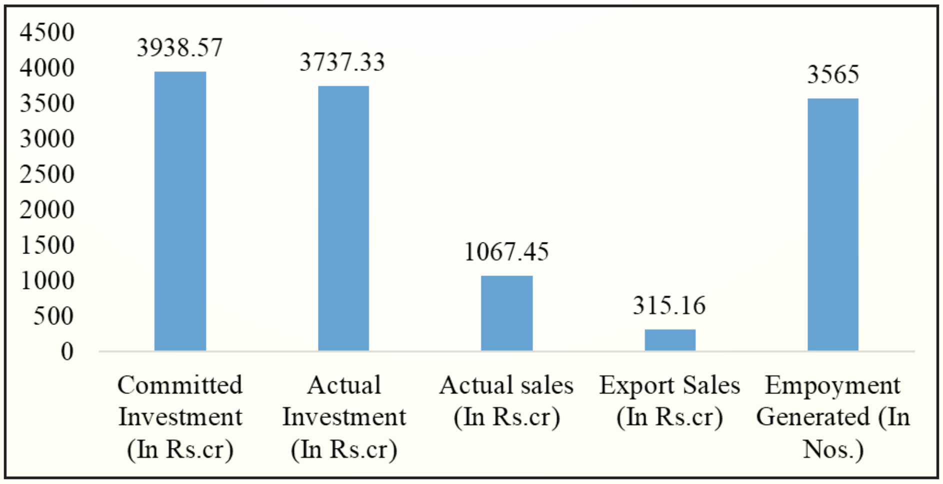

शुरू की गई परियोजनाओं की कुछ झलक:

संयंत्र: मेघमणि एलएलपी-दहेज, गुजरात

उत्पाद: पैरा एमिनो फिनोल

संयंत्र: सेंट्रिएंट फार्मास्यूटिकल्स इंडिया (प्रा.) लिमिटेड - नवांशहर, पंजाब

उत्पाद: एटोरवास्टेटिन

संयंत्र: आंध्र ऑर्गेनिक्स लिमिटेड - श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश

उत्पाद: सल्फाडियाज़िन

3.1.2 चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना:

घरेलू चिकित्सा उपकरण उद्योग को पर्याप्त बुनियादी ढांचे, घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और रसद की कमी, निधि की उच्च लागत, सीमित डिजाइन क्षमताओं और अनुसंधान एवं विकास और कौशल विकास में कम निवेश के कारण, अन्य चीजों के साथ-साथ, विनिर्माण अक्षमता की अधिक लागत से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अन्य प्रमुख विनिर्माण अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत में चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण में ऐसी चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से, भारत सरकार द्वारा दिनांक 20.03.2020 को "चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन के लिए उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना" नामक एक योजना को मंजूरी दी गई थी। योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश दिनांक 29.10.2020 को जारी किए गए थे।

यह योजना केवल ग्रीनफील्ड परियोजनाओं पर लागू होती है और इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करना है। 3,420 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2027-28 तक है। इस योजना के अंतर्गत, चयनित कंपनियों को भारत में विनिर्मित और योजना के लक्षित खंडों के अंतर्गत शामिल चिकित्सा उपकरणों की वृद्धिशील बिक्री के 5% की दर से पांच साल की अवधि के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि का विवरण इस प्रकार है:

तालिका 3ग
(प्रोत्साहन का विवरण)

आवेदक की श्रेणी	प्रोत्साहन की अवधि	प्रोत्साहन दर
श्रेणी क	वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2026-27	5% प्रति आवेदक 121 करोड़ रुपये तक सीमित
श्रेणी ख	वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2026-27	5% प्रति आवेदक 40 करोड़ रुपये तक सीमित

इस योजना के अंतर्गत उत्पादों को निम्नलिखित चार श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है -

i. कैंसर परिचर्या / रेडियोथेरेपी चिकित्सा उपकरण

ii. रेडियोलॉजी और इमेजिंग चिकित्सा उपकरण (आयनीकरण और गैर-आयनीकरण विकिरण उत्पाद दोनों) और न्युक्लिर इमेजिंग उपकरण

iii. कार्डियो रेस्पिरेटरी कैटेगरी के कैथेटर और रीनल केयर चिकित्सा उपकरण सहित एनेस्थेटिक्स और कार्डियो-रेस्पिरेटरी चिकित्सा उपकरण

iv. इम्प्लांटेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित सभी इम्प्लांट्स

उत्पादों की सभी चार श्रेणियों में कुल 64 (श्रेणी - क: 42 और श्रेणी - ख: 22) आवेदन प्राप्त हुए। 64 आवेदनों में से, 26 आवेदनों (श्रेणी - क: 19 और श्रेणी - ख: 7) को 1,330.44 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध निवेश और लगभग 7,950 व्यक्तियों के लिए अपेक्षित रोजगार सृजन के साथ अनुमोदित किया गया है। मार्च, 2024 तक 958.72 करोड़ रुपये के निवेश को आधार बनाया गया और 5,396 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित किया गया। शुरू की गई परियोजनाओं द्वारा की गई बिक्री 5986.56 करोड़ रुपये की है, जिसमें 2806.37 करोड़ रुपये का निर्यात शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 कार्यनिष्पादन / बिक्री का पहला वर्ष था, और परियोजना प्रबंधन एजेंसी द्वारा त्रैमासिक/अर्धवार्षिक प्रोत्साहन दावों और सत्यापन के लिए पात्र मानदंड प्राप्त करने पर आवेदकों को 48.85 करोड़

रुपये की प्रोत्साहन राशि जारी की गई है।

मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार परियोजनाओं की स्थिति तालिका 3घ में दी गई है।

तालिका 3घ

(परियोजनाओं की स्थिति)

क्रम संख्या	लक्ष्य खंड	कुल अनुमोदित आवेदक		कुल प्रतिबद्ध निवेश (रुपए करोड़ में)		मार्च 2024 तक वास्तविक निवेश (रुपये करोड़ में)	मार्च 2024 तक वास्तविक रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)
		श्रेणी क	श्रेणी ख	श्रेणी क	श्रेणी ख		
1	कैंसर परिचर्या / रेडियोथेरेपी चिकित्सा उपकरण	1	0	24.50	-	22.75	375
2	रेडियोलॉजी और इमेजिंग चिकित्सा उपकरण (आयनीकरण और गैर-आयनीकरण विकिरण उत्पाद दोनों) और न्युक्लिर इमेजिंग उपकरण	6	2	332.14	177.82	387.02	1,206
3	कार्डियो रेस्पिरेटरी कैटेगरी के कैथेटर और रीनल केयर चिकित्सा उपकरण सहित एनेस्थेटिक्स और कार्डियो-रेस्पिरेटरी चिकित्सा उपकरण	6	3	300.64	140.61	297.10	1,500
4	इम्प्लांटेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित सभी इम्प्लांट्स	6	2	307.83	46.90	251.85	2,315
कुल		**19**	**7**	**965.11**	**365.33**	**958.72**	**5,396**

शुरू की गई परियोजनाओं की कुछ झलक:

संयत्र: फिलिप्स ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज एलएलपी - तालुका खेड़, पुणे, महाराष्ट्र

उत्पाद: एमआरआई कॉइल्स

संयंत्र: विप्रो जीई हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु, कर्नाटक

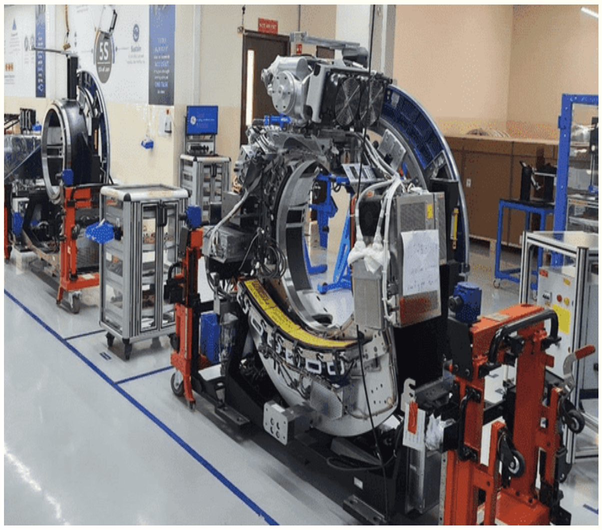

उत्पाद: सीटी-स्कैन

संयंत्र: सीमेंस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड होसुर रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक

उत्पाद: सीटी-स्कैन और एमआरआई

3.1.3 औषध के लिए उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना

दिनांक 24.02.2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को इस क्षेत्र में निवेश और उत्पादन को बढ़ाकर और औषध क्षेत्र में उच्च मूल्य वाले सामानों के लिए उत्पाद विविधीकरण में योगदान करके भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से मंज़ूरी दी थी।

इस योजना में निम्नलिखित तीन श्रेणियों के अंतर्गत औषध वस्तुएं शामिल हैं-

श्रेणी 1: बायोफार्मास्यूटिकल्स; काम्पेल्क्स जेनेरिक औषधियां; पेटेंट वाली औषधियां या पेटेंट की समाप्ति के करीब आने वाली औषधियां; सेल-आधारित या जीन थेरेपी औषधियां; ऑर्फ़न औषधियां; एचपीएमसी, पुलुलान,

एंटेरिक आदि जैसे विशेष खाली कैप्सूल; जटिल एक्सिपीएंट; फाइटो-फार्मास्यूटिकल्स; अन्य अनुमोदित औषधियां ।

श्रेणी 2: सक्रिय औषध सामग्री (एपीआई)/ प्रमुख प्रारंभिक सामग्री (केएसएम)/ औषधि मध्यवर्ती (डीआई)।

श्रेणी 3 (श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के अंतर्गत शामिल न होने वाली औषधियां): दोबारा इस्तेमाल की जाने वाली औषधियां; ऑटो इम्यून औषधियां, कैंसर-रोधी औषधियां, एंटी-डायबिटिक औषधियां, एंटी-इंफेक्टिव औषधियां, कार्डियोवास्कुलर औषधियां, साइकोट्रोपिक औषधियां और एंटी-रेट्रोवायरल औषधियां; इन विट्रो डायग्नोस्टिक (आईवीडी) उपकरण; अन्य स्वीकृत औषधियां; अन्य औषधियां जो भारत में विनिर्मित नहीं होती हैं।

इस योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2028-29 तक है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 10%, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 8% और वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए 6% की दर से चयनित प्रतिभागियों को 6 साल की अवधि के लिए वृद्धिशील बिक्री पर प्रोत्साहन प्रदान करती है।

तालिका 3ड.

(प्रोत्साहन का विवरण)

समूह	**प्रति आवेदक प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा**	**प्रति आवेदक अतिरिक्त प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा, यदि कोई हो**	**समूह के लिए कुल प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा**
क	1000 करोड़	200 करोड़	11000 करोड़
ख	250 करोड़	50 करोड़	2250 करोड़
ग	50 करोड़	10 करोड़	1750 करोड़

उत्पाद श्रेणी	**प्रोत्साहन दर**	**प्रोत्साहन अवधि**
1 और 2:	10% (पहले 4 वर्ष), 8% (5वां वर्ष) और 6% (6वां वर्ष)	2022-23 से 2027-28
3:	5% (पहले 4 वर्ष), 4% (5वां वर्ष) और 3% (6वां वर्ष)	2022-23 से 2027-28

योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 15,000 करोड़ रुपये है। योजना के अंतर्गत 20 एमएसएमई सहित 55 आवेदकों का चयन किया गया है।

- वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2027-28 तक छह वर्षों के दौरान कुल 2,94,000 करोड़ रुपये की वृद्धिशील बिक्री का अनुमान है।
- 71,763 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित किया गया है। चयनित आवेदकों द्वारा की गई बिक्री 1,61,209 करोड़ रुपये की है, जिसमें 98,837 करोड़ रुपये का निर्यात शामिल है।
- वित्तीय वर्ष 2022-23, कार्यनिष्पादन / बिक्री का पहला वर्ष है, और योजना के प्रतिभागियों को 2,201.53 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि जारी की गई है।

मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार परियोजनाओं की स्थिति, ग्राफ 3ख में दर्शायी गई है।

ग्राफ 3ख

(परियोजनाओं की स्थिति)

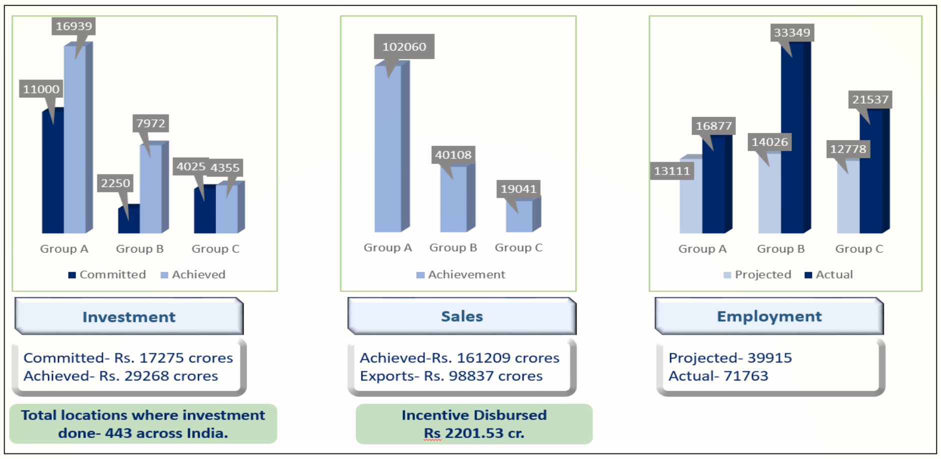

शुरू की गई परियोजनाओं की कुछ झलक:

सिप्ला लिमिटेड (संयंत्र-बेंगलुरु और सिक्किम)

डॉ. रेड्डीज़ लैब (संयंत्र-हैदराबाद और सोलन)

3.2 औषध उद्योग के विकास के लिए एकछत्र योजना

3.2.1 बल्क औषधि पार्कों के संवर्धन की योजना

पार्कों में स्थित बल्क औषधि इकाइयों को विश्व स्तरीय साझी अवसंरचनात्मक सुविधाओं तक सुगम पहुंच प्रदान करने और बल्क औषधि की विनिर्माण लागत में उल्लेखनीय कमी लाने हेतु देश में बल्क औषधि पार्कों की स्थापना के संवर्धन के लिए दिनांक 20.03.2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा "बल्क औषधि पार्कों का संवर्धन" योजना को मंजूरी दी गई थी। इस योजना का उद्देश्य घरेलू बल्क औषधि उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने

के साथ-साथ आयात पर देश की निर्भरता को कम करना और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देकर भारत को बल्क औषधि में आत्मनिर्भर बनाना है।

इस योजना में भारतीय बल्क औषधि उद्योग को वैश्विक अग्रणी बनाने के लिए विश्व स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विनिर्माण की परिकल्पना की गई है। योजना में आगे परिकल्पना की गई है - (i) पार्कों में स्थित बल्क औषधि इकाइयों तक विश्व स्तरीय साझी अवसंरचनात्मक सुविधाओं की सुगम पहुंच, (ii) साझी अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के नवीन तरीकों के माध्यम से उद्योग को कम लागत पर पर्यावरण के मानकों को पूरा करने में सहायता करना और (iii) संसाधनों के अनुकूलन और पैमाने की अर्थव्यवस्था के कारण उत्पन्न होने वाले लाभों का फायदा उठाना।

योजना के अंतर्गत, निम्नलिखित साझी अवसंरचनात्मक सुविधाओं (सीआईएफ) के विनिर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

i. केंद्रीय अपशिष्ट उपचार संयंत्र (सीईटीपी)	viii. स्टीम जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली
ii. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	ix. कॉमन कूलिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क
iii. स्टॉर्म वॉटर ड्रेन नेटवर्क	x. सामान्य रसद
iv. कॉमन सॉल्वेंट स्टोरेज सिस्टम, सॉल्वेंट रिकवरी और डिस्टिलेशन संयंत्र	xi. उन्नत प्रयोगशाला परीक्षण केंद्र, माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला और स्टेबिलिटी चेंबर्स सहित एपीआई की जटिल परीक्षण/अनुसंधान आवश्यकताओं के लिए भी उपयुक्त
v. साझा मालगोदाम	xii. आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र
vi. फैक्ट्री गेट पर आवश्यक ट्रांसफार्मर के साथ समर्पित पावर सब-स्टेशन और वितरण प्रणाली	xiii. सुरक्षा/खतरनाक परिचालन लेखापरीक्षा केंद्र और
vii. कच्चा, पीने योग्य और डिमिनरलाइज्ड पानी	xiv. उत्कृष्टता केंद्र

- योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 3000 करोड़ रुपये है। योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2020-2021 से वित्तीय वर्ष 2024-2025 तक है। चयनित बल्क औषधि पार्क को वित्तीय सहायता साझी अवसंरचनात्मक सुविधाओं की परियोजना लागत का 70% है। उत्तर पूर्वी राज्यों और पहाड़ी राज्यों (हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश) के मामले में वित्तीय सहायता परियोजना लागत का 90% होगी। योजना के अंतर्गत एक बल्क औषधि पार्क के लिए अधिकतम सहायता 1000 करोड़ रुपए तक सीमित होगी।
- बल्क औषधि पार्क में साझी अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विनिर्माण के लिए अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए गुजरात, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश का चयन किया गया था।
- गुजरात में दिनांक 08.10.2022 को, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 11.10.2022 को और शुरुआत में आंध्र प्रदेश में दिनांक 07.11.2022 को तथा दिनांक 07.12.2023 को एक नए स्थान पर बल्क औषधि पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी गई थी।
- वर्ष 2022-23 के दौरान, गुजरात को 300 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश को 225 करोड़ रुपये और आंध्र प्रदेश को 225 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की गई।

गुजरात की सीआईएफ परियोजना की मुख्य विशेषताएं हैं:-

- कुल परियोजना लागत - 2507.02 करोड़ रुपये
- क्षेत्रफल: 2015.02 एकड़

योजना के अंतर्गत विकसित की जा रही प्रमुख साझा बुनियादी सुविधाओं में शामिल हैं:
स्टीम जनरेशन और आपूर्ति
साझा अपशिष्ट उपचार संयंत्र (सीईटीपी)
उत्कृष्टता केंद्र
सॉल्वेंट रिकवरी फैसिलिटी
उपचार, भंडारण और निपटान सुविधाएं (टीएसडीएफ)
कच्चे पानी की आपूर्ति और एफ्लुएंट कलेक्शन पाइपलाईन
आंतरिक सड़कें
आंतरिक जल-निकासी
समुद्री निर्वहन की साझी अवसंरचना
विद्युत +

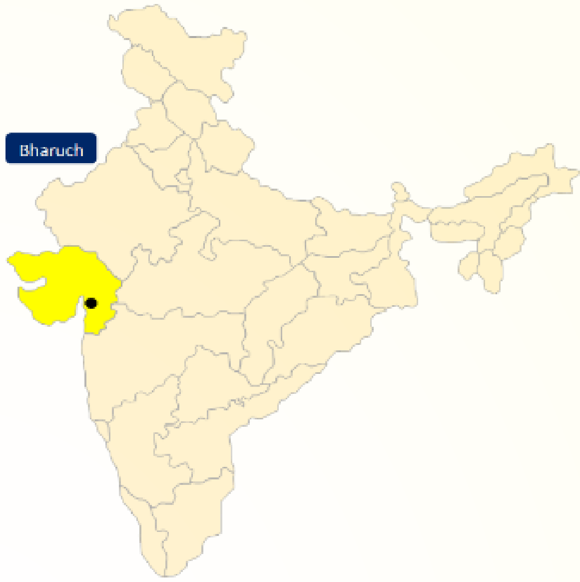

हिमाचल प्रदेश की सीआईएफ परियोजना की मुख्य विशेषताएं हैं: -

- कुल परियोजना लागत - 1923 करोड़ रुपये
- क्षेत्रफल: 1405.41 एकड़

योजना के अंतर्गत विकसित की जा रही प्रमुख साझी अवसंरचनात्मक सुविधाओं में शामिल हैं:
जेडएलडी (शून्य तरल निर्वहन) 5 एमएलडी (न्यूनतम तरल निर्वहन) के साथ साझा अपशिष्ट उपचार संयंत्र
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
स्टॉर्म वॉटर ड्रेन नेटवर्क
कॉमन सॉल्वेंट स्टोरेज सिस्टम
सॉल्वेंट रिकवरी और डिस्टिलेशन संयंत्र
साझा मालगोदाम
समर्पित पावर सब-स्टेशन
भाप उत्पादन एवं वितरण प्रणाली
कच्चा, पीने योग्य और डिमिनरलाइज्ड पानी
आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र
सुरक्षा/खतरनाक संचालन लेखापरीक्षा केंद्र
आंतरिक सड़क नेटवर्क
उन्नत प्रयोगशाला परीक्षण केंद्र
उत्कृष्टता केंद्र

आंध्र प्रदेश की सीआईएफ परियोजना की मुख्य विशेषताएं हैं:

- कुल परियोजना लागत- 1876.66 करोड़
- क्षेत्रफल: 2001.80 एकड़

योजना के अंतर्गत विकसित की जा रही प्रमुख साझा बुनियादी सुविधाओं में शामिल हैं:
आंतरिक सड़कें
जल निकासी नेटवर्क
जलापूर्ति
अपशिष्ट जल संवहन नेटवर्क प्रणाली (सीईटीपी)
ऊर्जा आपूर्ति
आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र
भाप सह-उत्पादन संयंत्र
कॉमन सॉल्वेंट रिकवरी सिस्टम
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
स्टॉर्म वॉटर ड्रेन नेटवर्क
साझा गोदाम
उन्नत प्रयोगशाला परीक्षण केंद्र
उत्कृष्टता का केंद्र

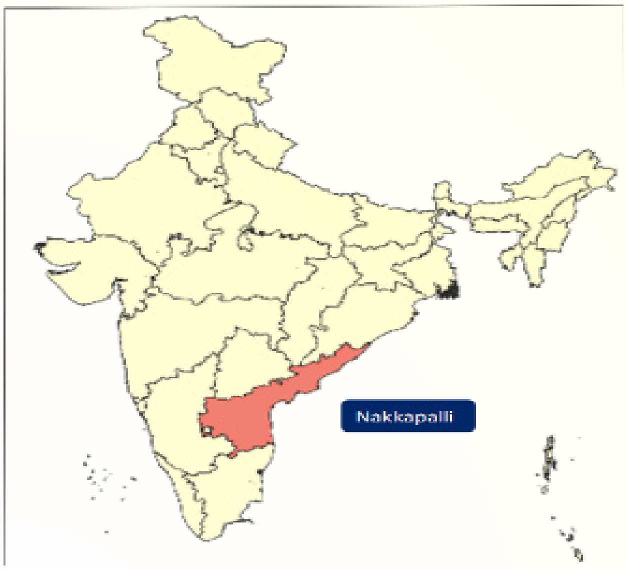

3.2.2 चिकित्सा उपकरण पार्कों के संवर्धन की योजना

- चिकित्सा उपकरण उद्योग लंबी विनिर्माण अवधि के साथ अत्यधिक पूंजी गहन है और इसमें नई प्रौद्योगिकियों के विकास और समावेशन की आवश्यकता है। नई तकनीकों को अपनाने के लिए स्वास्थ्य प्रदाताओं को निरंतर प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है। अधिकांश उच्च-तकनीकी अभिनव उत्पाद एक अच्छी तरह से विकसित पारिस्थितिकी तंत्र और नवाचार चक्र से सृजित किए जाते हैं जो अभी तक भारत में पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। यह उद्योग 70 से 80% तक आयात पर निर्भर करता है।

- पार्कों में स्थित चिकित्सा उपकरण इकाइयों को विश्व स्तरीय साझी अवसंरचनात्मक सुविधाओं तक सुगम पहुंच प्रदान करने और चिकित्सा उपकरण की विनिर्माण लागत में उल्लेखनीय कमी लाकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में चिकित्सा उपकरण पार्कों की स्थापना के संवर्धन के लिए दिनांक 20.03.2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा "चिकित्सा उपकरण पार्कों का संवर्धन" योजना को मंजूरी दी गई थी।

- इस योजना में भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग को वैश्विक अग्रणी बनाने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाओं के विनिर्माण की परिकल्पना की गई है। योजना में आगे परिकल्पना की गई है - (i) पार्कों में स्थित चिकित्सा उपकरण इकाइयों तक विश्व स्तरीय साझी अवसंरचनात्मक सुविधाओं की सुगम पहुंच, (ii) उद्योग को चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन की लागत को काफी कम करने में मदद करना जिससे घरेलू बाजार में चिकित्सा उपकरणों की बेहतर उपलब्धता हो सके (iii) संसाधनों के अनुकूलन और पैमाने की अर्थव्यवस्था के कारण उत्पन्न होने वाले लाभों का फायदा उठाना।

- योजना के अंतर्गत साझी अवसंरचनात्मक सुविधाओं (सीआईएफ) जैसे (i) कॉम्पोनेन्ट टेस्टिंग सेंटर / ईएसडीएम / पीसीबी / सेंसर सुविधा (ii) इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक इंटरफेरेंस और इलेक्ट्रो मैग्नेटिक कम्पैटिबिलिटी सेंटर (iii) बायोमटेरियल / बायोकम्पैटिबिलिटी /एक्सेलरेटेड एजिंग टेस्टिंग सेंटर (iv) मेडिकल ग्रेड मोल्डिंग/ मिलिंग/इंजेक्शन मोल्डिंग/मशीनिंग/टूलिंग सेंटर (v) मेडिकल ग्रेड उत्पादों के लिए 3डी डिजाइनिंग और प्रिंटिंग (vi) स्टरलाइजेशन/ईटीओ/गामा सेंटर (vii) एनिमल लैब और टॉक्सिसिटी परीक्षण केंद्र (viii) विकिरण परीक्षण केंद्र (ix) रेडियोलॉजी ट्यूब / फ्लैट पैनल डिटेक्टर / एमआरआई मैग्नेट / पीजो इलेक्ट्रिकल क्रिस्टल (x) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (xi) साझा मालगोदाम और रसद (समाशोधन और अग्रेषण, बीमा,

परिवहन, सीमा शुल्क, वेब्रिज, आदि) केंद्र (xii) आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र/सुरक्षा/खतरनाक संचालन लेखापरीक्षा केंद्र (xiii) उत्कृष्टता केंद्र/प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर/आईटीआई/प्रशिक्षण केन्द्रों के विनिर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

- योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 400 करोड़ रुपये है। योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2020-2021 से वित्तीय वर्ष 2024-2025 तक है। चयनित चिकित्सा उपकरण पार्क को वित्तीय सहायता साझी अवसंरचनात्मक सुविधाओं की परियोजना लागत का 70% है। उत्तर पूर्वी राज्यों और पहाड़ी राज्यों (हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश) के मामले में वित्तीय सहायता परियोजना लागत का 90% होगी। योजना के अंतर्गत एक चिकित्सा उपकरण पार्क के लिए अधिकतम सहायता 100 करोड़ रुपए तक सीमित होगी।
- चिकित्सा उपकरण पार्क में साझी अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विनिर्माण के लिए अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का चयन किया गया था।

हिमाचल प्रदेश की सीआईएफ परियोजना की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं:

- कुल परियोजना लागत - 157.64 करोड़ रुपये
- क्षेत्रफल: 265.75 एकड़
- स्थान - बीबीएन क्षेत्र, नालागढ़, बद्दी, सोलन
- साझी अवसंरचनात्मक सुविधाओं में 3डी डिज़ाइन, रैपिड प्रोटोटाइपिंग और टूलींग प्रयोगशाला, हैप्टिक मेक्ट्रोनिक्स और मेडिकल रोबोटिक प्रयोगशाला; घटक, ईएसडीएम, ईएमसी और ईएमआई घटक परीक्षण और डिजाइन सुविधा प्रयोगशाला; सेंसर परीक्षण एकीकरण सुविधा; और बायोकम्पैटिबिलिटी और बायोमटेरियल परीक्षण प्रयोगशाला शामिल हैं

मध्य प्रदेश की सीआईएफ परियोजना की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं:

- कुल परियोजना लागत - 155.63 करोड़ रुपये
- क्षेत्रफल: 360 एकड़
- स्थान - विक्रम उद्योगपुरी, उज्जैन
- योजना के अंतर्गत विकसित की जा रही प्रमुख साझी अवसंरचनात्मक सुविधाओं में बायोकंपैटिबिलिटी परीक्षण सुविधा; हिस्टोपैथोलॉजी और हेमोकम्पैटिबिलिटी प्रयोगशाला; 3डी प्रिंटिंग और प्रोटोटाइपिंग सुविधा, प्लास्टिक प्रोसेसिंग, मोल्ड के लिए टूल रूम, डाइज विनिर्माण, कंपोनेंट इंसर्शन और वेव सोल्डरिंग सहित पीसी बोर्ड विनिर्माण; एथिलीन ऑक्साइड स्टरलाइज़ेशन, इनक्यूबेशन हब, प्लास्टिक एवं धातु रसायन और जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के लिए अपशिष्ट प्रबंधन सेवा शामिल है

तमिलनाडु की सीआईएफ परियोजना की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं:

- कुल परियोजना लागत- 153.33 करोड़
- क्षेत्रफल: 350 एकड़
- स्थान - ऑर्गडम औद्योगिक क्षेत्र, कांचीपुरम
- योजना के अंतर्गत विकसित की जा रही प्रमुख साझी अवसंरचनात्मक सुविधाओं में ईएमआई/ईएमसी केंद्र, गामा इरेडिएशन सेंटर, कैलिब्रेशन सेंटर, एक्सेलेरेटेड एजिंग टेस्टिंग सेंटर, माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला, मेडिकल ग्रेड मोल्डिंग, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, मेडिकल ग्रेड उत्पादों के लिए 3 डी डिजाइनिंग और प्रिंटिंग, इनोवेशन हब और टेक्नोलॉजी ब्रिजिंग सेंटर, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज और मेटल फिनिशिंग सुविधा शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश की सीआईएफ परियोजना की मुख्य विशेषताएं हैं:

- कुल परियोजना लागत- 186.63 करोड़
- क्षेत्रफल: 350 एकड़
- स्थान - सेक्टर 28, वाईईआईडीए, गौतम बुद्ध नगर
- योजना के तहत विकसित की जा रही प्रमुख साझी अवसंरचनात्मक सुविधाओं में साझी वाणिज्यिक सुविधाएं; केंद्रीय मालगोदाम, सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र, 3डी डिज़ाइन, रैपिड प्रोटोटाइपिंग और टूलिंग प्रयोगशाला, जैव सामग्री परीक्षण सुविधा; और गामा इरेडिएशन जोन शामिल हैं

3.2.3 औषध उद्योग का सुदृढ़ीकरण (एसपीआई)

औषध विभाग ने दिनांक 11.03.2022 को वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ "औषध उद्योग का सुदृढ़ीकरण" (एसपीआई) योजना के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह योजना देश भर में मौजूदा फार्मा क्लस्टरों और एमएसएमई की उत्पादकता, गुणवत्ता और स्थिरता में सुधार के लिए आवश्यक सहयोग के संदर्भ में बढ़ती मांग को पूरा करेगी। "औषध उद्योग का सुदृढ़ीकरण" (एसपीआई) योजना का उद्देश्य भारत को फार्मा क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बनाने के लिए मौजूदा अवसंरचनात्मक सुविधाओं को सुदृढ़ करना है।

यह योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इसमें निम्नलिखित उप-योजनाएं शामिल हैं:

i. साझी सुविधाओं के लिए औषध उद्योग को सहायता (एपीआई-सीएफ)

ii. औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (पीटीयूएएस)

iii. औषध और चिकित्सा उपकरण संवर्धन और विकास योजना (पीएमपीडीएस)

i. साझी सुविधाएं सृजित करके उनके निरंतर विकास हेतु मौजूदा औषध क्लस्टर की क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए **साझी सुविधाओं के लिए औषध उद्योग को सहायता (एपीआई-सीएफ)** प्रदान करना। इससे न केवल गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि क्लस्टरों का सतत विकास भी सुनिश्चित होगा।

ii. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विनियामक मानकों (डब्ल्यूएचओ-जीएमपी या अनुसूचित-एम) को पूरा करने के लिए सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम फार्मा उद्यमों (एमएसएमई) को उनके पूंजी ऋण पर ब्याज अनुदान या पूंजीगत सब्सिडी की सुविधा प्रदान करने के लिए **औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (पीटीयूएएस)** दी जाती है, जिससे मात्रा के साथ-साथ गुणवत्ता में भी वृद्धि करने में सहायता मिलती है; और

iii. अध्ययन/सर्वेक्षण रिपोर्ट, जागरूकता कार्यक्रमों, डेटाबेस के विनिर्माण और उद्योग के संवर्धन के माध्यम से औषध और चिकित्सा उपकरण क्षेत्रों के वृद्धि और विकास को सुगम बनाने के लिए **औषध और चिकित्सा उपकरण संवर्धन और विकास योजना (पीएमपीडीएस)।**

उपरोक्त तीन उप-योजनाएं 'औषध उद्योग के विकास' (डीपीआई) के लिए योजना के हिस्से के रूप में औषध विभाग में पहले से ही स्वीकृत की गई हैं। अब प्रभावी मध्यस्थता हेतु हितधारक परामर्श के बाद औषध विभाग ने योजना दिशानिर्देशों में संशोधन के साथ उपरोक्त योजनाओं को 'औषध उद्योग का सुदृढ़ीकरण (एसपीआई)' नामक एक योजना में शामिल किया है।

यह उम्मीद की जाती है कि गुणवत्ता में सुधार करने और तकनीकी उन्नयन के लिए इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त इकाइयाँ फार्मा समूहों और एमएसएमई फार्मा उद्योगों के लिए प्रदर्शन फर्मों के रूप में कार्य करेंगी।

एसपीआई योजना के लिए सिड्बी को परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में नियुक्त किया गया है।

साझी सुविधाओं के लिए औषध उद्योग को सहायता (एपीआई-सीएफ) उपयोजना के अंतर्गत, परियोजना प्रस्तावों के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए आवेदन विंडो खोली गई थी। तदनुसार, सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 20 आवेदन/परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। योजना के अंतर्गत 20 आवेदन/परियोजना प्रस्तावों में से 17 आवेदन/परियोजना प्रस्ताव पात्र पाए गए हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान 6 परियोजनाओं को अंतिम मंजूरी दी गई है और 1 परियोजना को 'सैद्धांतिक' मंजूरी दी गई है।

औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (पीटीयूएएस), उप-योजना के अंतर्गत 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रचारात्मक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए। वर्ष 2023-24 के दौरान 03 परियोजनाओं को ऋण पर पूंजीगत सब्सिडी हेतु अंतिम मंजूरी दी गई है।

औषध और चिकित्सा उपकरण संवर्धन और विकास योजना (पीएमपीडीएस), उप-योजना के अंतर्गत, वर्ष 2023-24 के दौरान 09 अध्ययनों को पुरस्कृत किया गया है, जिनमें से 03 अध्ययन पूरे हो चुके हैं और 6 अध्ययन अंतिम रूप में हैं। इस योजना के अंतर्गत 14 कार्यक्रम/कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं, जिनमें 02 बड़े कार्यक्रम अर्थात् "इंडिया फार्मा 2023 और इंडिया मेडिकल डिवाइस 2023" और "इंडिया मेडटेक एक्सपो" शामिल हैं।

वैश्विक मानकों के साथ तालमेल सुनिश्चित करते हुए हमारे औषध उद्योग की तकनीकी क्षमताओं को बेहतर बनाने और उन्नत करने में सहायता करने के उद्देश्य से औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (पीटीयूएएस), उप-योजना को संशोधित किया गया और दिनांक 11.03.2024 को इसका नाम बदलकर 'औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (आरपीटीयूएएस) कर दिया गया। हमारे देश में विनिर्मित औषध उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा को बढ़ाने, मौजूदा फार्मा इकाइयों को 'संशोधित अनुसूची एम' और 'डब्ल्यूएचओ-जीएमपी' मानकों में अद्यतित करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से संशोधित दिशानिर्देश दिनांक 14.03.2024 को जारी किए गए थे।

आरपीटीयूएएस के अंतर्गत, विगत तीन वर्षों के औसत टर्नओवर मानदंड वाली औषध इकाइयों को अधिकतम 1.00 करोड़ रुपये के अधीन 10% से 20% तक प्रोत्साहन मिलेगा:

- टर्नओवर 1 करोड़ - 50 करोड़ - निवेश का 20%
- टर्नओवर 50 करोड़ - 250 करोड़ - निवेश का 15%
- टर्नओवर 250 करोड़ - 500 करोड़ - निवेश का 10%

(क) इंडिया फार्मा और इंडिया मेडिकल डिवाइसेस 2023

औषध विभाग ने भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) के सहयोग से औषध और चिकित्सा उपकरण उद्योग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 8वें संस्करण अर्थात् - **इंडिया फार्मा 2023 और इंडिया मेडिकल डिवाइस 2023 का आयोजन दि अशोक, नई दिल्ली में 26 से 27 मई, 2023** तक किया। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री, डॉ. मनसुख मांडविया ने 'इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस 2023' पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया, इस अवसर पर रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्री भगवंत खुबा भी उपस्थित थे।

माननीय मंत्री जी ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023, साथ ही चिकित्सा उपकरणों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद का शुभारंभ किया। उन्होंने चिकित्सा उपकरणों के क्लस्टरों में साझी अवसंरचनात्मक सुविधाओं को सुदृढ़ या स्थापित करने और चिकित्सा उपकरणों के लिए परीक्षण सुविधाओं को सुदृढ़ या स्थापित करने के उद्देश्य से 'साझी सुविधाओं हेतु चिकित्सा उपकरण क्लस्टरों के लिए सहायता (एएमडी-सीएफ)' नाम की एक नई योजना भी शुरू की।

वार्षिक प्रमुख सम्मेलन दो दिन के लिए आयोजित किया गया था; पहला दिन (26.05.2023) भारत के चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के लिए "सस्टेनेबल मेडटेक 5.0: स्केलिंग एंड इनोवेटिंग इंडियन मेडटेक" विषय पर समर्पित था और दूसरा दिन (27.05.2023) औषध क्षेत्र के लिए "इंडियन फार्मा इंडस्ट्री: डिलीवरिंग वैल्यू थ्रू इनोवेशन" विषय

पर समर्पित था।

औषध और चिकित्सा उपकरण उद्योग के 100 से अधिक सीईओ ने दो दिनों के दौरान कई विषयगत सत्रों में भाग लिया, जिसने दुनिया भर से इस कार्यक्रम में भागीदारी आकर्षित की। कई गणमान्य व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया जिसमें उद्योग, नीति आयोग के सदस्य; औषध विभाग, स्वास्थ्य, डीपीआईआईटी और उच्च शिक्षा विभागों के सचिव; एनपीपीए के अध्यक्ष; एमईआईटीवाई, एमओईएफसीसी, बीआईएस, एईआरबी, राष्ट्रीय बायो-फार्मा आयोग के वरिष्ठ अधिकारी; भारत के औषधि महानियंत्रक और आईआईटी, दिल्ली, आईआईटी कानपुर, नाईपर मोहाली, बीआईआरएसी, स्वास्थ्य परिचर्या क्षेत्र कौशल परिषद के प्रतिनिधि शामिल थे।

इंडिया मेडिकल डिवाइस और फार्मा 2023 आयोजन की झलक

(ख) इंडिया मेड-टेक एक्सपो (आईएमटीई) 2023

इंडिया मेड-टेक एक्सपो (आईएमटीई) 2023, का पहला संस्करण औषध विभाग द्वारा **17-19 अगस्त 2023 को हेलीपैड एक्जीबिशन सेंटर, गांधीनगर में** "इंडिया: द नेक्स्ट मेड-टेक ग्लोबल हब फ्यूचर ऑफ डिवाइसिस, डायग्नोस्टिक्स एंड डिजिटल" विषय पर आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में भारतीय चिकित्सा उपकरणों के पारिस्थितिकी तंत्र की शक्ति और क्षमता का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(i) यह कार्यक्रम सभी हितधारकों को एक मंच पर लाया, नेटवर्क के अवसर सृजित किए और भारत में क्षेत्र के विकास के लिए सहयोग का पता लगाया।

(ii) इस कार्यक्रम में 4000 से अधिक क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित की गईं और 10000+ से अधिक आगंतुक एक्सपो-2023 में शामिल हुए।

एक्सपो में एमएसएमई, स्टार्टअप, अकादमिक और अनुसंधान संस्थानों, राज्य सरकारों, केंद्र और राज्य खरीद एजेंसियों और विनियामक एजेंसियों सहित वैश्विक और भारतीय कंपनियों की बड़ी भागीदारी देखी गई।

भारत मेडटेक एक्सपो 2023 आयोजन की झलक

3.2.4 साझा सुविधाओं के लिए चिकित्सा उपकरण क्लस्टरों को सहायता (एएमडी-सीएफ)

एसएफसी ने दिनांक 20.03.2022 को साझी सुविधाओं के लिए चिकित्सा उपकरण क्लस्टरों को सहायता (एएमडी-सीएफ) योजना को मंजूरी दी। इस योजना का लक्ष्य 12 क्लस्टरों और 12 परीक्षण प्रयोगशालाओं को सहायता प्रदान करना है। योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 300 करोड़ रुपये है। योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक है।

एएमडी-सीएफ योजना का उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करके चिकित्सा उपकरण समूहों को सुदृढ़ करना और गुणवत्ता एवं सतत विकास में सुधार के लिए चिकित्सा उपकरणों के लिए और अधिक परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ और/या स्थापित करना है।

दिशानिर्देश दिनांक 09.05.2023 को जारी किए गए थे। योजना के कार्यान्वयन के लिए सिडबी को परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) के रूप में नियुक्त किया गया है।

3.3 चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के संवर्धन के लिए गैर-योजनाबद्ध कार्यकलाप

(i) सार्वजनिक खरीद में स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को प्राथमिकता

औषध विभाग सार्वजनिक खरीद में खरीद प्राथमिकता प्रदान करने के लिए उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के आदेश के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग है। संशोधित सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश दिनांक 16.09.2020 के अनुसार विभाग ने दिनांक 16.02.2021 को चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के आदेश के क्रियान्वयन हेतु संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

विभाग ने आदेश दिनांक 16.02.2021 और 25.03.2021 के माध्यम से दिनांक 16.09.2020 के पीपीओ आदेश के पैरा 3(क) के अंतर्गत क्रमशः 135 और 19 चिकित्सा उपकरणों को भी अधिसूचित किया है, जहां कहीं भी देश में पर्याप्त स्थानीय क्षमता और स्थानीय प्रतिस्पर्धा उपलब्ध है। इससे इन अधिसूचित चिकित्सा उपकरणों की खरीद केवल **"श्रेणी-I के स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं"** से ही हो सकेगी।

(ii) राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति

भारत में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र का एक आवश्यक और अभिन्न घटक है, विशेष रूप से चिकित्सा स्थिति, रोगों, बीमारियों और अक्षमताओं की रोकथाम, निदान, उपचार और प्रबंधन हेतु। यह स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, औषध और स्वास्थ्य बीमा उद्योग के साथ स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली में एक महत्वपूर्ण स्तंभ का विनिर्माण करता है, जिससे सभी नागरिकों के लिए अच्छी गुणवत्ता, वहनीय और व्यापक स्वास्थ्य परिचर्या के प्रावधान के संदर्भ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी) 2017 में निहित प्रमुख मूल्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 26.04.2023 को राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023 को मंजूरी दी। इस नीति का उद्देश्य चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र को सुविधाजनक बनाना और कार्यकलापों के छह व्यापक क्षेत्रों को कवर करने वाली कार्यनीतियों के एक समूह के माध्यम से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इस क्षेत्र का मार्गदर्शन करना है।

- विनियामक सरलीकरण:
- बुनियादी ढांचे को सक्षम बनाना
- अनुसंधान एवं विकास और नवाचार को सुगम बनाना
- क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना
- मानव संसाधन विकास
- ब्रांड पोजिशनिंग और जागरूकता सृजन

कार्य योजना के अनुसार प्रगति की समीक्षा के लिए विभाग में नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

(iii) चिकित्सा उपकरण उद्योग के लिए अन्य पहल

चिकित्सा उपकरणों के स्थायी मंच का गठन: उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत देश के भीतर सीटी स्कैन और एमआरआई जैसे चिकित्सा उपकरणों के निर्यात और उत्पादन में वृद्धि के साथ चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण गतिविधियां देखी गई हैं। विभाग ने चिकित्सा उपकरणों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए चिकित्सा उपकरण संघों के एक स्थायी मंच का गठन किया है जो विभाग द्वारा इसे संदर्भित किए जाते हैं और यह मंच नीति तथा कार्यक्रम तैयार करने के लिए उद्योग से इनपुट समूह तैयार करता है जो बदले में विभाग को विनियामक प्राधिकरणों सहित हितधारकों की व्यापक श्रेणियों के साथ परामर्श करने में सक्षम बनाता है।

"राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण संवर्धन परिषद (एनएमडीपीसी)" का पुनर्गठन: राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण संवर्धन परिषद (एनएमडीपीसी) की स्थापना डीपीआईआईटी द्वारा दिनांक 03.03.2020 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा की गई थी। चूंकि औषध विभाग के पास चिकित्सा उपकरण उद्योग के संवर्धन के लिए अधिदेश है और इसने चिकित्सा उपकरण संघों के स्थायी मंच जैसे समर्पित संस्थागत तंत्र बनाए हैं, डीपीआईआईटी ने औषध विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एनएमडीपीसी को पुनर्गठित करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की है। तदनुसार, दिनांक 05.08.2022 से औषध विभाग के तहत राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण संवर्धन परिषद (एनएमडीपीसी) का पुनर्गठन किया गया। परिषद में सरकार और उद्योग के हितधारक शामिल हैं और यह व्यवसाय करने में सुगमता और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के संवर्धन के लिए विभिन्न विनियामक मुद्दों पर चर्चा और समाधान करने के लिए एक मंच प्रदान करती है।

चिकित्सा उपकरणों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना: औषध विभाग के तत्वावधान में चिकित्सा उपकरणों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना दिनांक 22.05.2023 को वाईईआईडीए, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में मुख्यालय के साथ की गई थी। ईपीसी-एमडी का प्राथमिक उद्देश्य भारत से चिकित्सा उपकरणों और संबंधित उत्पादों के निर्यात का संवर्धन करना और सुविधा प्रदान करना है।

3.4 फार्मा ब्यूरो

फार्मा ब्यूरो औषध और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में निवेशकों को सुविधा प्रदान करता है और उनके अंतर-विभागीय समन्वय मुद्दों का समाधान प्रदान करता है। इसमें निम्नलिखित क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं:

(i) औषध
(ii) चिकित्सा उपकरण
(iii) परियोजना प्रबंधन
(iv) विधि
(v) एफडीआई
(vi) मीडिया

- फार्मा ब्यूरो उद्योग के लिए प्रोत्साहन योजनाएं तैयार करने के लिए औषध विभाग को नीतिगत सहायता भी प्रदान करता है।
- फार्मा ब्यूरो औषध और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के हितधारकों के साथ जुड़े रहने और क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करने के अपने लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है।
- यह विभाग के परियोजना विकास प्रकोष्ठ के रूप में भी कार्य करता है।

अध्याय 4

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी)

4.1 योजना की पृष्ठभूमि

4.2 योजना की प्रगति

4.3 2023-24 के दौरान उपलब्धियां

4.4 जन औषधि दिवस समारोह

4.5 स्वच्छता विशेष अभियान 3.0

4.6 एचएलएल के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार की पीएमबीआई खोज

4.7 भारतीय औषध एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिड्बी) के बीच समझौता ज्ञापन।

अध्याय 4

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी)

4.1 पृष्ठभूमि

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी), भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल, जिसका उद्देश्य आम लोगों को सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं प्रदान करना है, को विभाग द्वारा 2008 में शुरू किया गया था। वर्ष 2015 से, माननीय प्रधानमंत्री से प्रोत्साहन के बाद, पीएमबीजेपी ने अत्यधिक प्रगतिशील प्रवृत्ति दिखाई है और 31 मार्च, 2024 तक, पूरे भारत में 11,261 प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (पीएमबीजेके) खोले गए हैं।

दिसंबर 2017 से, व्यक्तिगत उद्यमी बड़ी संख्या में पीएमबीजेपी जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आगे आए हैं, सरकार द्वारा गहन मीडिया अभियानों के माध्यम से उन्हें प्रेरित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पीएमबीजेपी केंद्रों की कुल संख्या में वर्ष-वार प्रगति ग्राफ 4क में दर्शाई गई है

ग्राफ4क:

(पीएमबीजेपी केंद्रों की वर्ष-वार कुल संख्या)

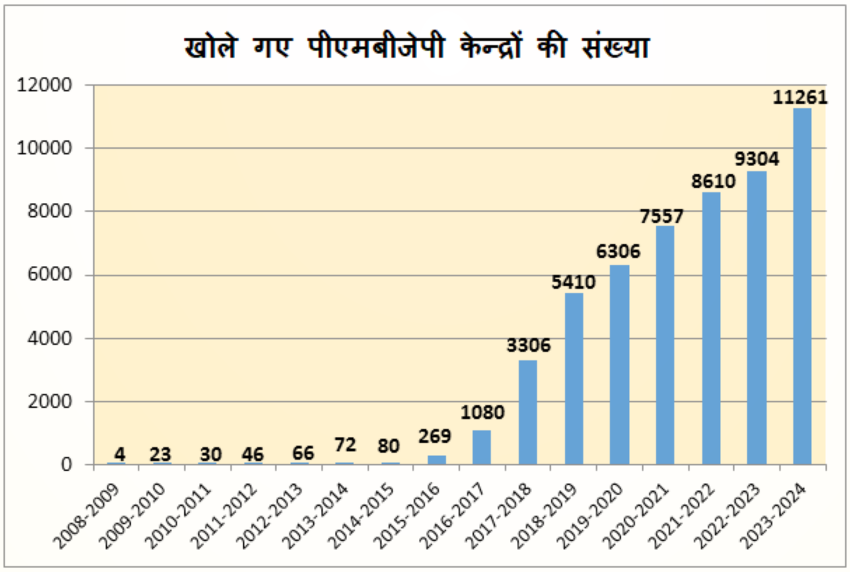

पीएमबीजेपी अपनी उत्पाद टोकरी का विस्तार कर रही है और दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार, पीएमबीजेके के माध्यम से 2047 दवाओं और 300 सर्जिकल/उपकरणों की बिक्री की जा रही है।

<u>कार्यान्वयन एजेंसी</u>

यह योजना भारतीय औषध एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई) द्वारा लागू की गई है, जिसे पहले भारतीय फार्मा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ब्यूरो (बीपीपीआई) के रूप में जाना जाता था। ब्यूरो के प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हैं। नीतिगत निर्णय शासी परिषद द्वारा लिए जाते हैं, जिसे औषध विभाग के सचिव की अध्यक्षता में स्थापित किया जाता है।

<u>अब तक का सफर</u>

वर्ष 2020 से 2025 तक की पंचवर्षीय योजना के आधार पर, 10,500 पीएमबीजेके के लक्ष्य की परिकल्पना की गई थी। बाद में इसे दिनांक 31.12.2023 तक 10,000 पीएमबीजेके में संशोधित किया गया। भारतीय औषध एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई) ने समय से पहले इस लक्ष्य को हासिल किया और 31 मार्च, 2024 तक, देश भर में 11,261 पीएमबीजेके खोले गए हैं। योजना के तहत प्रमुख उपलब्धियां ग्राफ 4ख में दर्शाई गई हैं।

ग्राफ-4ख

योजना के तहत प्रमुख उपलब्धियां

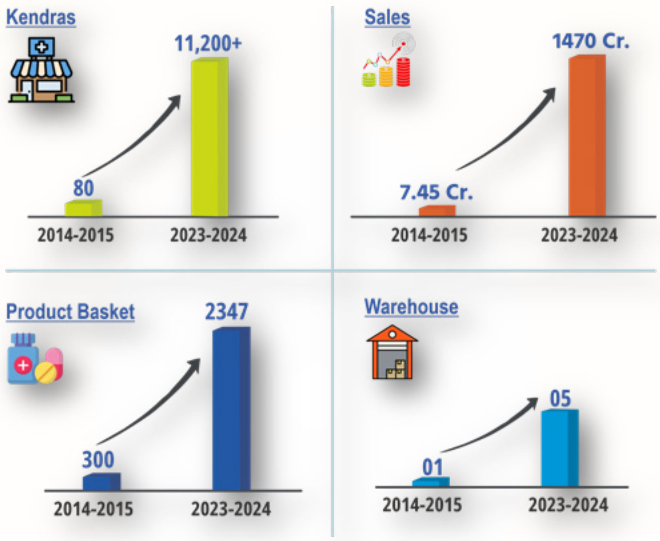

<u>उद्देश्य</u>

- जनसंख्या के सभी वर्गों, विशेष रूप से गरीबों और वंचित लोगों, के लिए गुणवत्तापूर्ण दवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना।
- शिक्षा और प्रचार के माध्यम से जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना ताकि इस धारणा को दूर किया जा सके कि गुणवत्ता केवल उच्च कीमत का पर्याय है।
- पीएमबीजेपी केंद्र खोलने में व्यक्तिगत उद्यमियों को शामिल करके रोजगार सृजन करना।

<u>योजना की मुख्य बातें</u>

योजना के तहत प्रोत्साहन निम्नानुसार प्रदान किया जा रहा है: -

सामान्य प्रोत्साहन: केंद्रों के मालिकों को खुदरा मूल्य पर 20% का मार्जिन और मासिक खरीद का 15% की दर से प्रोत्साहन, 15,000/- रुपये प्रतिमाह की अधिकतम सीमा के अधीन दिया जाता है (दिनांक 16.11.2023 को आयोजित 45वीं शासी परिषद की बैठक में अनुमोदित संशोधित व्यापार योजना के अनुसार)।

अतिरिक्त प्रोत्साहन:- महिलाओं, दिव्यांगों, पूर्व सैनिकों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों और आकांक्षी जिलों, हिमालयी राज्यों, द्वीप क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में स्टोर खोलने वाले उद्यमियों के बीच योजना को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से, पीएमबीआई सामान्य प्रोत्साहन के अलावा, 2 लाख रुपए की राशि प्रदान

करता है, जो निम्नानुसार है:

i. फर्नीचर और फिक्स्चर की 1.50 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति।

ii. कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटर, स्कैनर आदि के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में 50 हजार रुपए।

आम जनता के लिए बचत

यह योजना अपनी टैगलाइन "जनऔषधि-सेवा भी, रोज़गार भी" के साथ न्याय कर रही है। पीएमबीजेपी की वहनीय स्वास्थ्य परिचर्या पहल ने स्वास्थ्य परिचर्या पर खर्च को बहुत कम कर दिया है, जिससे काफी बचत हुई है। पीएमबीजेपी के तहत बचत का विवरण ग्राफ 4ग में दर्शाया गया है।

ग्राफ-4ग

पीएमबीजेपी के तहत लोगों को अनुमानित बचत (रुपये करोड़ में)

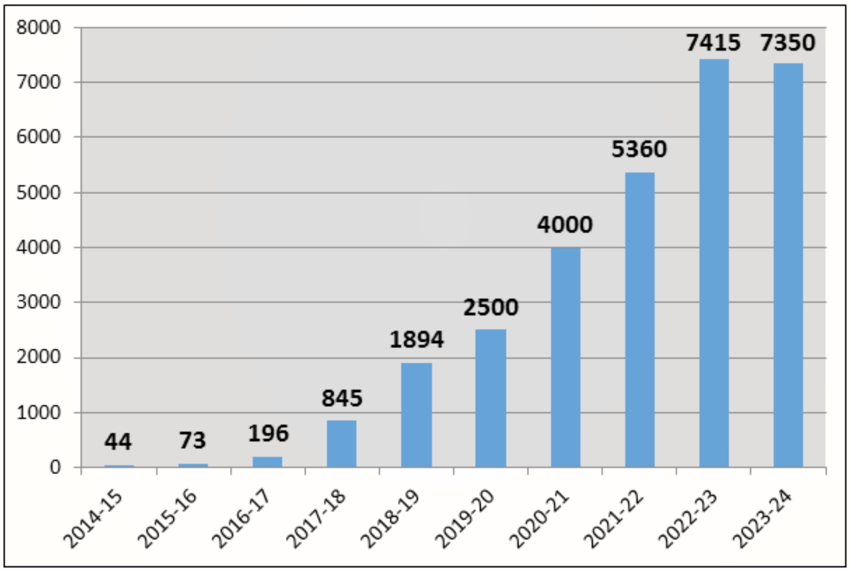

औषधियों की खरीद :-

उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दवाओं की खरीद केवल विश्व स्वास्थ्य संगठन - उत्तम विनिर्माण पद्धति (डब्ल्यूएचओ-जीएमपी) प्रमाणित आपूर्तिकर्ताओं से की जाती है। इसके अलावा, दवा के प्रत्येक बैच का परीक्षण 'राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड' (एनएबीएल) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में किया जाता है। गुणवत्ता परीक्षण में सही पाए जाने के बाद ही दवाएं पीएमबीजेपी केंद्रों को भेजी जाती हैं।

आईटी सक्षम भंडारण/आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली का कार्यान्वयन

सुचारू आपूर्ति और उत्पादों की उपलब्धता के लिए, एक 360 डिग्री आईटी-सक्षम परिपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली लागू की गई है।

- इसमें गुरुग्राम में एक केंद्रीय मालगोदाम और चेन्नई, बैंगलुरु, गुवाहाटी और सूरत में चार क्षेत्रीय मालगोदाम शामिल हैं।
- इसके अलावा, पश्चिमी और मध्य भारत में दो और मालगोदाम खोलने की योजना बनाई गई है।
- आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 36 वितरकों की भी नियुक्ति की गई है।

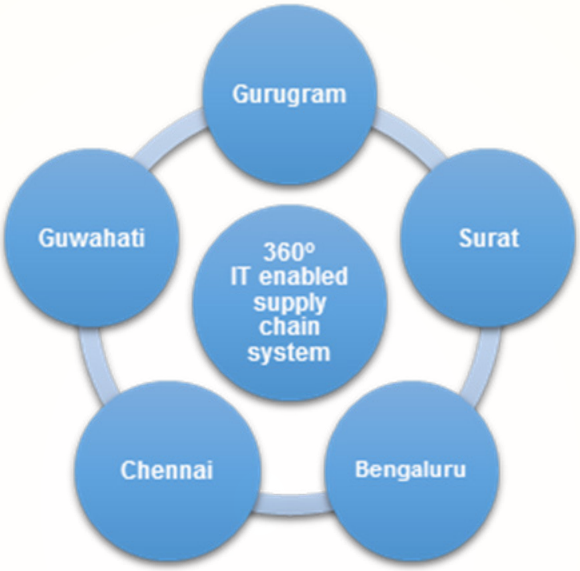

<u>एसएपी और पीओएस प्रणाली का कार्यान्वयन</u>

प्रक्रिया में हर कदम पर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए एकल आईटी सक्षम प्रणाली (एसएपी)/पीओएस के साथ सभी बिलिंग और ऑर्डर संबंधी क्रियाकलाप किए जा रहे हैं। इस प्रकार यह सुनिश्चित किया जाता है कि सुचारू और पारदर्शी आर्डर और बिलिंग प्रक्रिया के लिए सभी जन औषधि केन्द्रों में यह सॉफ्टवेयर प्रदान किया जाए।

<u>जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप:</u>

एक मोबाइल एप्लिकेशन "जनऔषधि सुगम" आम जनता के लिए एक सुविधा है जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करती है जिसके आधार पर वे उपयोगकर्ता के अनुकूल सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं जैसे समीप के पीएमबीजेके का पता लगाना (गूगल मैप के माध्यम से निर्देशित दिशा), जनऔषधि दवाओं की खोज करना, एमआरपी में बचत के रूप में जेनेरिक बनाम ब्रांडेड दवा के उत्पादों की तुलना करना आदि।

यह प्रक्रिया इस प्रकार है:

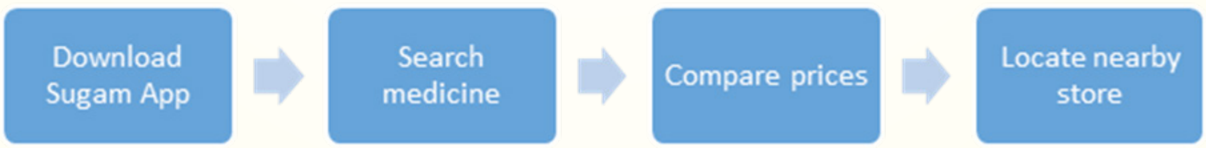

<u>पीएमबीजेपी के साथ महिला सशक्तिकरण</u>

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) की कार्यान्वयन एजेंसी भारतीय औषध एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई) ने जनऔषधि केंद्र खोलने और आत्मनिर्भर बनने के विशेष अवसर देकर देश की महिलाओं को हमेशा प्राथमिकता दी है। पीएमबीजेपी के अंतर्गत, 11,261 जनऔषधि केंद्रों में से मार्च, 2024 तक 3565 से अधिक जनऔषधि केंद्र महिलाओं द्वारा खोले गए हैं।

इसके अलावा, उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा और मासिक धर्म स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए, जन औषधि सुविधा ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन की बिक्री केवल जन औषधि केंद्रों द्वारा 1 रुपये प्रति सैनिटरी पैड की दर से की जाती है। जनऔषधि सुविधा सैनिटरी नैपकिन पर्यावरण के अनुकूल हैं, क्योंकि ये पैड एएसटीएम डी-6954 (बायोडिग्रेडेबिलिटी टेस्ट) मानकों का अनुपालन करके ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सामग्री से बनाए जाते हैं। पिछले चार वर्षों में, इन केंद्रों के माध्यम से 53.50 करोड़ रूपये से अधिक के जनऔषधि सुविधा सैनिटरी पैडों की बिक्री की गई है।

4.2 योजना की प्रगति रिपोर्ट

तालिका 4क

(योजना की प्रगति)

वित्तीय वर्ष	कार्यात्मक पीएमबीजेपी केंद्रों की संख्या		एमआरपी पर बिक्री (मूल्य करोड़ में)
	शुद्ध वार्षिक योग	संचयी	
2016-17	811	1080	32.66
2017-18	2226	3306	140.84
2018-19	1834	5140	315.28
2019-20	1166	6306	433.63
2020-21	1251	7557	665.83
2021-22	1053	8610	893.57
2022-23	694	9304	1235.95
2023-24	1957	11261	1470

4.3 वर्ष 2023-2024 के दौरान उपलब्धियां

<u>**योजना का कवरेज**</u> - दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार, देश भर में 11,261 पीएमबीजेपी केंद्र कार्यात्मक हैं। इस परियोजना ने भारत के लगभग हर जिले में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।

पीएमबीआई में नए विभाग का निर्माण: अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्रभाग (आईएडी)-

कोविड-19 के बाद से, पीएमबीआई ने अन्य देशों को वितरण के लिए विदेश मंत्रालय (एमईए) को दवाओं की आपूर्ति करके परोपकारी कार्यकलाप शुरू किए हैं। अब पीएमबीआई में एक नए विभाग की शुरुआत के साथ, इस कार्यकलाप को एचएलएल के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है और मार्च 2024 तक 1.38 करोड़ रुपये से अधिक के सामान की आपूर्ति जेद्दा (हज के लिए) और 8 से अधिक देशों को की जा चुकी है।

चिकित्सीय श्रेणियों में वृद्धि-

पीएमबीजेपी सभी प्रमुख बीमारियों को कवर करने के लिए अपनी चिकित्सीय श्रेणियों को उत्तरोत्तर बढ़ा रही है, ताकि इसका लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाया जा सके। पीएमबीजेपी की उत्पाद टोकरी में 2047 दवाएं और 300 सर्जिकल/उपभोग्य सामग्री/उपकरण शामिल हैं।

उत्पादों की नई श्रृंखला का शुभारंभ:

देश भर में गैर-संचारी रोगों के बढ़ते बोझ को देखते हुए, पीएमबीजेपी ने मधुमेह श्रृंखला और प्रोटीन श्रृंखला (विशेष रूप से डायबिटीज और रीनल परिचर्या के लिए संरचित) में कुछ नए उत्पाद शुरू किए हैं। इनकी बिक्री बाजार में इसी तरह के उत्पादों की तुलना में 50%-90% तक कम कीमतों पर की जा रही है। कुछ अन्य विशेष उत्पादों जैसे जनऔषधि प्रोटिन बार, **पोषण** के रूप में नामित माल्ट आधारित प्रोटीन और जनऔषधि मधुरक (स्टेविया नेचुरल स्वीटनर) को भी तरल, टैबलेट/पेलेट के रूप में शुरू किया गया है। सर्जिकल/उपकरण के तहत पीएमबीजेपी उत्पाद टोकरी में, नए उत्पाद, जैसे इलेक्ट्रिकल नेबुलाइजर मशीन, डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर, मेडिकल स्टीम वेपोराइजर आदि भी जोड़े गए हैं।

केन्द्रों की व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम

i पीएमबीजेपी उत्पाद टोकरी का विस्तार किया जा रहा है, ताकि लगभग सभी पुरानी और गम्भीर बीमारी की स्थितियों को कवर करने वाली दवाओं की पूरी श्रृंखला प्रदान की जा सके। पिछले एक साल में 288 दवाओं और 20 सर्जिकल उपकरणों को उत्पाद टोकरी में शामिल किया गया है।

ii महिलाओं के लिए सस्ती कीमतों पर मासिक धर्म स्वास्थ्य सेवाओं की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, देश भर में पीएमबीजेके के माध्यम से जन औषधि सुविधा सैनिटेरी नैपकिन को 1 रुपये प्रति पैड की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। इन केंद्रों के माध्यम से 53.50 करोड़ से अधिक जन औषधि सुविधा सैनिटरी पैडों की बिक्री की जा चुकी है।

iii विभाग ने बाजार विस्तार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभागों और संबंधित सरकारी प्राधिकरणों से अनुरोध किया गया है कि निजी व्यक्तियों को किराया मुक्त स्थान प्रदान करके विभिन्न सरकारी अस्पतालों में जन औषधि स्टोर खोले जाएं।

iv आम लोगों के बीच जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए प्रिंट, आउटडोर, टीवी और सोशल मीडिया आदि जैसे विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों का नियमित रूप से उपयोग किया जा रहा है। स्टोर के मालिकों, डॉक्टरों और अन्य महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्तियों के साथ पूरे भारत में प्रचार कार्यशालाएं भी आयोजित की जा रही हैं।

पीएसीएस (प्राथमिक कृषि ऋण समिति)

- ग्रामीण कवरेज के लिए, देश के आंतरिक भागों में पीएमबीजेपी केंद्रों के लाभों को अधिकाधिक बढ़ाने के लिए पीएमबीजेपी को सहकारी क्षेत्र के साथ एकीकृत किया जा रहा है।
- इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं और साथ ही ऐसे उद्यमियों को पीएमबीजेपी का लाभ देना है जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं।
- 31 मार्च 2024 तक, जनऔषधि केंद्र खोलने के लिए 2600+ पीएसीएस को प्रारंभिक अनुमोदन पत्र दिया गया है।

4.4 जन औषधि दिवस समारोह

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) ने 7 मार्च 2023 को 5वां जन औषधि दिवस 2023 मनाया, जिसका विषय था "जन औषधि - सस्ती भी, अच्छी भी"। सप्ताह भर चलने वाला जागरूकता कार्यक्रम 1 मार्च 2023 को जन औषधि जन चेतना अभियान के साथ शुरू हुआ और 7 मार्च 2023 को जन औषधि दिवस के समारोह के साथ समाप्त हुआ, जिसमें देश भर में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर के भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए।

पीएमबीजेके मालिकों, लाभार्थियों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों, सार्वजनिक प्रतिनिधियों, डॉक्टरों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, नर्सों, फार्मासिस्टों, जनऔषधि मित्रों और अन्य हितधारकों के घनिष्ठ समन्वय के साथ सभी कार्यकलाप और उत्सव आयोजित किए गए।

महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, स्वयंसेवकों और स्वास्थ्य व्यवसायियों सहित समाज के सभी वर्गों को शामिल करने के लिए दिवस-वार विषय पर ध्यान केंद्रित करते हुए सभी जनऔषधि केंद्र मालिकों को सप्ताह भर चलने वाले इन समारोहों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया।

जनऔषधि का संदेश जन-जन तक पहुंचाने के लिए हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए

4.5 स्वच्छता विशेष अभियान का उत्सव 3.0

पीएमबीआई ने सफाई और स्वच्छता के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए अपने सभी केंद्रों (प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र) के साथ स्वच्छता विशेष अभियान 3.0 में उत्साहपूर्वक भाग लिया। 1 अक्टूबर - 31 अक्टूबर, 2023 तक की अभियान अवधि के दौरान सभी कर्मचारियों/अधिकारियों और केंद्र के मालिकों ने स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में योगदान देने के लिए सफाई अभियान, जागरूकता कार्यक्रम और अपशिष्ट प्रबंधन

पहलों जैसे विभिन्न कार्यकलाप किए। पीएमबीआई ने जनता के साथ आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सोशल मीडिया का भी उपयोग किया और विशेष अभियान 3.0 के तहत अपने प्रयासों पर प्रकाश डाला और मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से इनका प्रसार किया।

(विशेष अभियान 3.0 के दौरान किया गया सफाई कार्य)

4.6 एचएलएल के साथ पीएमबीआई की अंतर्राष्ट्रीय बाजार की खोज

अन्य देशों में पीएमबीजेपी योजना को लागू करने के माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए, 8 जनवरी 2024 को भारतीय औषध और चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई) और एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए जिससे अन्य देशों में जनऔषधि जेनेरिक दवाओं का निर्यात करने के लिए मिलकर काम किया जा सके।

(पीएमबीआई और एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर)

4.7 भारतीय औषध एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिड्बी) के बीच समझौता ज्ञापन।

12 मार्च 2024 को नई दिल्ली में सिडबी और पीएमबीआई के बीच भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, ताकि देश भर में प्रतिस्पर्धी शर्तों पर परियोजना ऋण के माध्यम से जन औषधि केंद्र खोलने की इच्छा रखने वाले आवेदकों और मौजूदा जन औषधि केंद्रों को इनवॉइस आधारित निधियन के माध्यम से वित्तपोषण प्रदान किया जा सके।

(जन औषधी केंद्र के लिए ऋण कार्यक्रम का शुभारंभ)

अध्याय 5

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर)

5.1 पृष्ठभूमि
5.2 नाईपर एस.ए.एस. नगर (मोहाली)
5.3 नाईपर कोलकाता
5.4 नाईपर रायबरेली
5.5 नाईपर हैदराबाद
5.6 नाईपर हाजीपुर
5.7 नाईपर गुवाहाटी
5.8 नाईपर अहमदाबाद

अध्याय 5

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर)

5.1 पृष्ठभूमि

भारतीय फार्मा उद्योग जेनेरिक दवाओं में विश्व में अग्रणी रहा है। दवाओं की खोज और विकास में नेतृत्व की स्थिति प्राप्त करने के लिए और सम्मिश्रणों में उत्कृष्टता प्राप्त करना जारी रखने के लिए सरकार ने स्वीकार किया कि मानव संसाधन/प्रतिभा पूल बहुत महत्वपूर्ण है। कुशल संसाधनों को संपोषित करने और उन्हें औषध और मेडटेक क्षेत्र को प्रदान करने के उद्देश्य से सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में एसएएस नगर, मोहाली में राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर) की स्थापना की गई और इसे संसद के एक अधिनियम, नाईपर अधिनियम, 1998 के द्वारा सांविधिक मान्यता दी गई तथा इसे राष्ट्रीय महत्व के एक संस्थान के रूप में घोषित किया गया।

वर्ष 2007 में अधिनियम में संशोधन के बाद अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता और रायबरेली में छह और नाईपर स्थापित किए गए। नाईपरों के भूमि आवंटन और परिसरों के विनिर्माण की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

तालिका-5क
(नाईपरों के भूमि आवंटन और परिसरों के विनिर्माण की स्थिति)

नाईपर का नाम	स्थापना	भूमि आबंटन और विनिर्माण की स्थिति
अहमदाबाद	2007	नाईपर अहमदाबाद के लिए गांधीनगर, गुजरात में लगभग 60 एकड भूमि आबंटित की गई है और मैसर्स हिन्दुस्तान स्टीलवर्क कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचएससीएल) को परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में चुना गया है। माननीय गृह मंत्री ने दिनांक 30.09.2023 को नाईपर, अहमदाबाद के स्थायी परिसर का उद्घाटन किया और इसे देश को समर्पित किया।
गुवाहाटी	2008	नाईपर, गुवाहाटी को ग्राम सिला, चंगसारी जिला, कामरूप में 66.02 एकड़ भूमि आबंटित की गई है और मैसर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस इंडिया लिमिटेड (ईपीआईएल) को परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में चुना गया है। परिसर का विनिर्माण कार्य पूरा हो गया है और इसने अपने नए परिसर से कार्य करना शुरू कर दिया है। इस संस्थान को दिनांक 12.01.2024 को देश को समर्पित किया गया।
हाजीपुर	2007	नाईपर, हाजीपुर के लिए बिहार सरकार द्वारा ईपीआईपी परिसर, औद्योगिक क्षेत्र, हाजीपुर में लगभग 12.5 एकड़ भूमि आबंटित की गई है। परिसर के विनिर्माण के लिए सीपीडब्ल्यूडी के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए हैं। नाईपर हाजीपुर में परिसर के विनिर्माण का कार्य पीएमसी अर्थात् सीपीडब्ल्यूडी द्वारा मैसर्स त्रिबेनी कन्सट्रक्शन लिमिटेड को सौंपा गया है।
हैदराबाद	2007	आईडीपीएल की लगभग 50 एकड़ भूमि नाईपर-हैदराबाद को स्थायी परिसर के विनिर्माण के लिए आबंटित की गई है। स्थायी परिसर के निर्माण के लिए मैसर्स एनपीसीसी को पीएमसी नियुक्त किया गया है। नाईपर हैदराबाद में परिसर के विनिर्माण का कार्य एनपीसीसी द्वारा मैसर्स एनजेआर कन्सट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया है। आधारशिला समारोह 12 जनवरी, 2024 को आयोजित किया गया था।

कोलकाता	2007	पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मौजा गोपालपुर, पु.स्टे. कल्याणी, जिला नाडिया में लगभग 10 एकड़ भूमि आबंटित की गई है। विभाग ने नाईपर, कोलकाता के स्थायी परिसर के विनिर्माण के लिए बीसीपीएल संयंत्र की 20.55 एकड़ भूमि को आबंटित किया है। परिसर के विनिर्माण के लिए सीपीडब्ल्यूडी के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए हैं। नाईपर कोलकाता के परिसर के विनिर्माण का कार्य सीपीडब्ल्यूडी द्वारा मैसर्स जुपिटर इन्टरनेशनल को सौंपा गया है। परिसर की आधारशिला माननीय मंत्री (रसायन एवं उर्वरक) द्वारा दिनांक 25.08.2023 को रखी गई थी।
रायबरेली	2008	नाईपर, रायबरेली के लिए ग्राम विनायकपुर, परगना, बछरावन, तहसील महाराजगंज, रायबरेली में लगभग 49 एकड़ भूमि आबंटित की गई है। परिसर के विनिर्माण के लिए सीपीडब्ल्यूडी के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। नाईपर रायबरेली के परिसर के विनिर्माण का कार्य पीएमसी अर्थात् सीपीडब्ल्यूडी द्वारा मैसर्स आर.के. द एल्युमीनियम पीपल को सौंपा गया है। नाईपर, रायबरेली का आधारशिला समारोह 12 जनवरी, 2024 को आयोजित किया गया था।

5.1.1 नाईपरों के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष और निदेशक

नाईपरों के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) के अध्यक्षों और निदेशकों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

तालिक 5ख
(नाईपरों के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्षों और निदेशकों का ब्यौरा)

नाईपर	अध्यक्ष, बीओजी	निदेशक
अहमदाबाद	नामित किया जाना है	डॉ. शैलेंद्र सराफ
गुवाहाटी	नामित किया जाना है	डॉ यूएसएन मूर्ति
हाजीपुर	प्रो समित चट्टोपाध्याय, अध्यक्ष प्रोफेसर, बीआईटीएस-पिलानी, गोवा कैम्पस	डॉ. वी. रविचंद्रन (अतिरिक्त प्रभार)
रायबरेली	प्रोफेसर (सुश्री) मधु दीक्षित, पूर्व निदेशक, सीएसआईआर-सीडीआरआई	डॉ. शुभिनी ए. सराफ
कोलकाता	प्रोफेसर पी बलराम, पूर्व निदेशक, आईआईएससी, बेंगलुरु	डॉ. वी. रविचंद्रन
हैदराबाद	डॉ. सत्यनारायण चावा, सीईओ, लौरस लैब्स, हैदराबाद	डॉ. शैलेंद्र सराफ (अतिरिक्त प्रभार)
मोहाली	डॉ. गिरीश साहनी, पूर्व महानिदेशक, सीएसआईआर	डॉ. दुलाल पांडा

5.1.2 लक्ष्य एवं उद्देश्य:-

नाईपर के लक्ष्य एवं उद्देश्य हैं:-

i. औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान में गुणवत्ता तथा उत्कृष्टता को बनाए रखना एवं उनका संवर्धन करना;

ii. औषध शिक्षा में मास्टर डिग्री, डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरेट पाठयक्रमों के लिए ध्यान केंद्रित करना;

iii. परीक्षाएं आयोजित करना और डिग्रियां प्रदान करना;

iv. मानद पुरस्कार और अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान करना;

v. शैक्षणिक या अन्य संस्थानों के साथ सहयोग करना जिनका उद्देश्य पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से उन संस्थानों के समान है और संकाय सदस्यों और विद्वानों का आदान-प्रदान आम तौर से इस प्रकार करना जो उनके समान उद्देश्य के अनुकूल हो।

vi. शिक्षक, औषधि प्रौद्योगिकी, समुदाय और अस्पताल फार्मासिस्ट और अन्य व्यवसायों के लिए पाठयक्रम का आयोजन;

vii. औषध और संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर विश्व साहित्य को एकत्र करना और रख रखाव करना ताकि देश और विकासशील विश्व में अन्य संस्थानों के लिए अपनी तरह के सूचना केंद्र को विकसित किया जा सके;

viii. संस्थान के अंदर और बाहर अनुसंधान द्वारा औषध उपकरण और उपयोग के लिए विश्लेषण का केंद्रीय संकाय बनाना;

xi. कला या विज्ञान या औषध शिक्षण में प्रयोग और नई खोज एवं शिक्षक और अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए केंद्र की स्थापना करना;

x. राष्ट्रीय, शैक्षणिक व्यवसाय और औद्योगिक प्रतिबद्धताओं पर ध्यान देने के साथ औषधि क्षेत्रों में मौजूदा जानकारी के प्रसार और नए ज्ञान के सृजन के लिए एक विश्व स्तर का केंद्र विकसित करना;

xi. अनुसंधान और औषधीय जनशक्ति के प्रशिक्षण हेतु बहु-विषयक दृष्टिकोण विकसित करना है ताकि शैक्षणिक व्यवसाय और औषध उद्योग के व्यापक हितों की बेहतर तरीके से देख-रेख की जा सके और औषधीय कार्य-संस्कृति विकसित की जा सके जो कि औषधीय शिक्षा और अनुसंधान के बदलते वैश्विक परिदृश्य और पद्धति के अनुसार हो;

xii. औषध शिक्षा के चयनित क्षेत्रों में समय-समय पर राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी, सेमिनार और सम्मेलनों का आयोजन करना;

xiii. विकासशील देशों की विशेष आवश्यकताओं के लिए पाठयक्रम प्रदान करने हेतु प्रबंध करना;

xiv. संस्थान द्वारा प्रायोजित और वित्त पोषित अनुसंधान के साथ ही साथ परामर्शी परियोजनाओं को आरंभ करना और संस्थान एवं उद्योग और संस्थान के बीच वैज्ञानिक और अन्य तकनीकी स्टाफ के आदान-प्रदान द्वारा शैक्षणिक और उद्योग के बीच बातचीत के लिए केंद्र के रूप में कार्य करना;

xv. देश में सामाजिक-आर्थिक पहुँच पर ध्यान रखने के कारण ग्रामीण जनता द्वारा दवाओं के वितरण और उपयोग पर अध्ययन करने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है।

5.1.3 राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ):

शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार, 'फार्मेसी' श्रेणी के तहत नाईपर वर्ष देश में सर्वोच्च 10 फार्मेसी संस्थानों के बीच बने हुए हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है-

तालिका-5ग

(नाईपरों की वर्षवार एनआईआरएफ रैंकिंग का वर्ष-वार ब्यौरा)

नाईपर	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
मोहाली	दूसरा	पहला	तीसरा	तीसरा	चौथा	चौथा	छठा
हैदराबाद	पांचवां	छठा	छठा	पांचवां	छठा	दूसरा	पहला
अहमदाबाद	-	चौदहवां	नौवां	आठवां	दसवां	दसवां	तेरहवां
गुवाहाटी	-	-	-	ग्यारहवां	उन्नसीवां	तेरहवां	बारहवां
रायबरेली	-	-	-	अठारहवां	तेरहवां	सत्ताइसवां	चौदहवां
कोलकाता	-	-	-	सत्ताइसवां	तैंतीसवां	-	बत्तीसवां
हाजीपुर	-	-	-	-	-	पचहत्तरवां	चौवालिसवां

5.1.4 पिछले 5 वर्षों के दौरान जारी की गई निधियां:

पिछले 5 वर्षों के दौरान नाईपरों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है

तालिका-5घ

(पिछले 5 वर्षों के दौरान नाईपरों को जारी की गई निधियां)

रुपए करोड़ में

नाईपर	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	कुल
मोहाली	30.60	60.55	51.00	84.05	58.00	284.20
अहमदाबाद	18.50	60.50	54.00	76.10	33.42	242.52
गुवाहाटी	43.90	79.45	59.45	106.49	22.88	312.17
हाजीपुर	5.00	26.00	41.00	37.00	18.00	127.00
हैदराबाद	27.00	44.50	72.91	69.54	34.00	247.95
कोलकाता	18.00	34.82	47.64	45.45	43.50	189.41
रायबरेली	17.01	28.00	46.00	32.50	19.00	142.51
कुल	**160.01**	**333.82**	**372.00**	**451.13**	**228.8**	**1545.76**

5.1.5 प्रवेश प्रक्रिया और फैलोशिप:

एमएस/पीएचडी में विभिन्न शाखाओं में हर साल जून/जुलाई के महीने में आयोजित एक सामान्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) के माध्यम से प्रवेश दिया जाता है। ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट (जीपीएटी) उत्तीर्ण करने वाले आवेदक सामान्य जेईई परीक्षा में बैठने के पात्र हैं। जेईई के सफल उम्मीदवारों को काउंसलिंग के जरिए नाईपर में प्रवेश मिलता है। सभी छात्र निम्नानुसार फेलोशिप प्राप्त करते हैं:

एमएस (फार्मा) : 12,400/- रुपये प्रति माह
पीएचडी : 37,000- 42,000/- रुपये प्रति माह

5.1.6 नाईपर अधिनियम का संशोधन

नाईपर, अधिनियम, 1998 में हाल ही में कुछ संशोधन किए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) यह स्पष्ट करना कि मौजूदा नाईपर और बाद में स्थापित इसी तरह के संस्थान राष्ट्रीय महत्व के संस्थान होंगे;

(2) 23 सदस्यों से 12 सदस्य करते हुए व्यक्तिगत नाईपरों के बीओजी की शक्ति को युक्तिसंगत बनाना;

(3) स्नातक, एकीकृत पाठ्यक्रम और अन्य अल्पकालिक पाठ्यक्रम आदि को शामिल करने के लिए पाठ्यक्रमों की प्रकृति और दायरे को विकसित करना;

(4) माननीय मंत्री के अधीन एक नाईपर परिषद की स्थापना करना और इसकी संरचना, शक्ति और कार्यों आदि की व्याख्या करना; और

(5) केंद्र सरकार द्वारा निर्देश जारी करने के प्रावधान को शामिल करना।

इसके अनुसरण में, माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री की अध्यक्षता में नाईपर परिषद का गठन किया गया है। नाईपर परिषद की पहली बैठक का आयोजन माननीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 28.02.2023 को कॉन्फ्रेंस हॉल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली में हुआ था।

5.2 नाईपर, एस.ए.एस. नगर (मोहाली)

नाईपर, एस.ए.एस. नगर की स्थापना "राष्ट्रीय महत्व के संस्थान" के रूप में नाईपर अधिनियम, 1998 के माध्यम से की गई थी। इस संस्थान को न केवल देश में बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया और अफ्रीका के देशों में भी औषध विज्ञान और संबंधित क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करने के लिए अवधारित, योजित तथा स्थापित किया गया है। यह संस्थान अपने क्षेत्रों में अपनी तरह का केवल एक ही संस्थान है और इसके अच्छे परिणामों-नामत: अच्छी तरह से प्रशिक्षित और केंद्रित मानव संसाधन (छात्र/अनुसंधानकर्ता) उच्च प्रभाव तथा नवीन प्रक्रियाओं का प्रकाशन/इसके द्वारा चयनित क्षेत्रों में औद्योगिक प्रांसगिकता के आउटपुट संबंधी कार्यों के कारण यह बहुत अधिक सम्मानित है।

नाईपर, एस.ए.एस. नगर में एक परिसर है जो अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करता है इसमें 472 की दाखिला क्षमता के साथ छात्रों के तीन छात्रवास और 220 की दाखिला क्षमता के साथ छात्राओं के लिए एक छात्रवास, 18 की दाखिला क्षमता के साथ विवाहितों के लिए छात्रावास और नाईपर स्टाफ के लिए 133 क्वार्टर हैं (टाइप-**II**-12, टाइप-**III**-36, टाइप-**IV**-30, टाइप-**V**-42, टाइप-**VI**-12, निदेशक का बंगला-1)। इस कार्यचालन की देखरेख के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन किया गया है। नाईपर 17 विषयों में मास्टर्स, एकीकृत मास्टर-पीएचडी और पीएचडी डिग्री प्रदान करता है और औषध उद्योग की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करता है।

5.2.1 उपलब्धियां-

शैक्षणिक उत्कृष्टता : वर्ष 2023-24 में संस्थान ने प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में 202 लेख प्रकाशित किए हैं। संस्थान ने 237 पेटेंट आवेदन दायर किए जिनमें से 131 पेटेंट स्वीकृत किए गए हैं। शैक्षणिक कार्यक्रम की शुरुआत से 4572 छात्र (मास्टर्स 3397, एमबीए 777 और पीएच.डी. में 398) उत्तीर्ण हुए हैं।

5.2.2 नाईपर एसएएस नगर में अनुसंधान क्षेत्र-

(क) उपेक्षित बीमारियां

लीशमेनियासिस, तपेदिक, और मलेरिया के क्षेत्रों में शोध किए गए। नए अणु संश्लेषित किए जा रहे हैं और उनके कार्रवाई तंत्र बनाए जा रहे हैं।

(ख) अन्य रोग

इंफ्लेमेशन, संक्रमण, कैंसर, मधुमेह, मोटापन, पार्किंसंस रोग, न्यूरोडिजेनेरेशन जैसी बीमारियों में उपापचयी मार्ग से काम किया जा रहा है। माइटोकोन्ड्रियल डिस्फंक्शन और रोगों के पैथोफिजियोलोजी में इसका शामिल होना, डायोबेटिक नेफ्रोपैथी/एंड स्टेज रीनल डिजीज (ईएसआरडी) के लिए नए ड्रगेबल लक्ष्य खोजना, कीमोथेरेपी-इन्ड्यूस्ड न्यूरोपैथिक दर्द को कम करना।

(ग) औषध विकास और सम्मिश्रण -

i. मौखिक जैव उपलब्धता में सुधार, सिनरजिस्टिक कैंसर-रोधी प्रभावकारिता और दवाओं की कम विषाक्तता का प्रयास किया गया है।
ii. नए सम्मिश्रण और नवीन औषधि प्रदानगी प्रणाली (एनडीडीएस)
iii. सक्रिय औषधीय घटकों (एपीआई), मुख्य प्रारम्भिक सामग्रियों (केएसएम) और मध्यवर्ती सामग्रियों का हरित सतत संश्लेषण
iv. हर्बल औषधियों और सम्मिश्रणों का मानकीकरण
v. घरेलू रूप से विकसित अणुओं और ऐसे अणुओं जो उद्योग से प्राप्त हुए हैं, का टोक्सीकोलोजिकल अध्ययन

(घ) अन्य क्षेत्र

i. जैव औषध (बायो फार्मास्यूटिकल्स)
ii हर्बल दवा
iii. पश्चजात (एपिजेनेटिक)
iv. दवाओं के केमो -एंजायमेटिक संश्लेषण
v. हर्बल्स पर मोनोग्राफ विकसित किया जा रहा है।
vi. मिसफोल्डिड प्रोटीनस के स्थैतीकरण पर आरएनए एप्टामर्स के प्रभाव का अध्ययन।
vii. न्यूरोपैथिक दर्द निदान करने के लिए एक उचित और विश्वसनीय विधि का आकलन।
viii. कृत्रिम आसूचना, मशीन जानकारी, विस्तृत डाटा विश्लेषण।
ix. विशेष जनसंख्याओं में दवा के पीके के अनुमान में फिजियोलोजी आधारित फार्माकोकाइनेटिक (पीबीपीके) मोडलिंग की उपयोगिता और दवा के पीके पर खाने के प्रभाव का अध्ययन।
x. हैल्थ इकोनोमिक्स एवं आउटकम रिसर्च (एचईओआर) और फार्माकोविजिलेंस

5.2.3 शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक स्टाफ-

तालिका-5ङ

शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक स्टाफ की स्थिति

जन-शक्ति	वर्तमान स्थिति
शैक्षणिक	28+1 (निदेशक)
गैर-शैक्षणिक	118

5.2.4 पिछले 5 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा आबंटित कुल निधियां

तालिका-5च

पिछले 5 वर्षों के दौरान आबंटित निधियों का ब्यौरा

(रुपए करोड़ में)

आबंटन के शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
जीआईए-वेतन	17.60	29.55	25.00	24.00	29.00
जीआईए-सामान्य	13.00	16.00	22.00	30.00	29.00
जीआईए-सीसीए (पूंजीगत परिसम्पत्तियों का सृजन)	-	15.00	4.00	30.05	-
कुल	**30.60**	**60.55**	**51.00**	**84.05**	**58.00**

5.2.5 छात्र

पेश किए गए डिग्री/ कार्यक्रम और पेश किए गए विषयों के साथ वर्तमान में नामांकित छात्रों की वर्ष-वार स्थिति:

तालिका-5छ

(पेश किए गए डिग्री/ कार्यक्रम और पेश किए गए विषयों का वर्ष-वार ब्यौरा)

स्तर मास्टर्स/ डॉक्टोरल	डिग्री एमएस/एमबीए एम.टेक/ पीएचडी	विशिष्टता	दाखिला वर्ष							
वर्ष			2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
मास्टर्स	एम.एस. (फार्म.)	औषधीय रसायन शास्त्र	42	32	25	28	26	28	28	29
डॉक्टोरल	पीएचडी		5	8	2	2	0	6	13	9
मास्टर्स + पीएचडी	इंटीग्रेटिड पीएचडी		-	-	-	-	-	-	1	-
मास्टर्स	एम.एस. (फार्म.)	फार्माको-इन्फोर्मेटिक्स	18	16	19	17	17	20	20	20
डॉक्टोरल	पीएचडी		1	2	2	0	1	6	4	6

मास्टर्स	एम.एस. (फार्म.)	प्राकृतिक उत्पाद	12	10	12	13	13	14	15	23
डॉक्टोरल	पीएचडी		1	2	2	4	0	7	6	9
मास्टर्स	एम.एस. (फार्म.)	पारंपरिक औषध	5	3	2	5	5	5	5	5
मास्टर्स	एम.एस. (फार्म.)	फार्मास्यूटिकल विश्लेषण	9	9	8	9	9	9	9	11
डॉक्टोरल	पीएचडी		0	1	0	0	0	0	3	3
मास्टर्स + पीएचडी	इंटीग्रेटिड पीएचडी		-	-	-	-	-	-	1	-
मास्टर्स	एम.एस. (फार्म.)	-	23	24	18	18	18	20	24	30
डॉक्टोरल	पीएचडी	-	6	3	3	4	1	7	9	11
मास्टर्स + पीएचडी	इंटीग्रेटिड पीएचडी	फार्माकोलोजी और टॉक्सीकोलोजी	-	-	-	-	-	-	1	-
मास्टर्स	एम.एस. (फार्म.)	रेगुलेटरी टॉक्सीकोलोजी	10	8	8	9	9	9	9	10
मास्टर्स + पीएचडी	इंटीग्रेटिड पीएचडी		-	-	-	-	-	-	-	1
मास्टर्स	एम.टेक (फार्म.)	फार्मास्यूटिकल प्रौद्योगिकी	7	6	6	7	7	7	7	9
मास्टर्स	एम.टेक (फार्म.)	फार्मास्युटिकल टेक्नोलॉजी (प्रोसेस केमिस्ट्री)	14	16	16	17	17	16	17	18
डॉक्टोरल	पीएचडी		0	2	4	1	1	4	4	6
मास्टर्स	एम.टेक (फार्म.)	फार्मास्युटिकल प्रौद्योगिकी (जैव प्रौद्योगिकी)	9	10	8	10	11	10	11	12
डॉक्टोरल	पीएचडी		0	0	2	0	0	0	0	3
मास्टर्स	एम.एस. (फार्म.)	फार्मास्युटिक्स	17	19	18	20	20	22	24	24
डॉक्टोरल	पीएचडी		6	6	1	3	1	7	0	9
मास्टर्स + पीएचडी	इंटीग्रेटिड पीएचडी		-	-	-	-	-	-	-	1

मास्टर्स	एम.एस. (फार्म.)	जैव प्रौद्योगिकी	30	30	31	35	35	35	39	28
डॉक्टोरल	पीएचडी		2	7	5	0	3	9	9	12
-	इंटीग्रेटिड पीएचडी		-	-	-	-	-	-	-	1
मास्टर्स	एम.फार्म	फार्मेसी अभ्यास	7	8	8	9	9	9	9	9
-		नैदानिक अनुसंधान	8	8	7	9	9	9	9	9
डॉक्टोरल	पीएचडी	फार्मेसी अभ्यास	1	2	1	1	1	5	4	4
मास्टर्स + पीएचडी	इंटीग्रेटिड पीएचडी		-	-	-	-	-	-	-	1
मास्टर्स	एम.टेक	चिकित्सा उपकरण	-	-	-	-	11	11	10	9
डॉक्टोरल	पीएचडी		0	0	0	0	0	0	0	0
मास्टर्स	एम.टेक	जैव-औषध	-	-	-	-	-	-	-	11
मास्टर्स	एमबीए	फार्मा प्रबंधन	40	42	42	44	46	47	48	49
डॉक्टोरल	पीएचडी		0	0	0	2	1	0	0	1

वर्तमान में कुल नामांकित-

पीएचडी	:	213
मास्टर्स (2022+2023)	:	489
एमबीए (2022+2023)	:	96
मास्टर्स+पीएचडी	:	9
कुल	:	807

5.2.6 शिक्षक-छात्र अनुपात:-

तालिका-5ज
(शिक्षक-छात्र अनुपात)

पाठ्यक्रम /अनुपात	
	कुल अनुपात (छात्र : संकाय)
पीएच.डी.	213/28=7.60:1
मास्टर्स (विज्ञान)	489/26=18.81:1
एमबीए (फार्म)	96/2=48:1
कुल	**807/28=28.82:1**

5.2.7 नियोजन:

तालिका-5झ

नियोजन की स्थिति - कैंपस में / कैंपस से बाहर

शैक्षणिक वर्ष	कुल छात्र	इच्छुक छात्रों की संख्या	नियोजित छात्रों की संख्या	नियोजित छात्रों का %	औसत पैकेज लाख में
2017-19	242	232	155	66.81%	4.73
2018-20	224	188	153	81.38%	5.03
2019-21	248	218	158	72.47%	5.54
2020-22	252	243	200	82.30%	7.26
2021-23	268	254	213	83.86%	7.16

अधिकांश छात्र, जो इच्छुक होते हैं, उद्योग में नियोजन प्राप्त करते हैं। कुल मास्टर के छात्र देश के भीतर या देश के बाहर पीएचडी में प्रवेश लेने को प्राथमिकता देते हैं। कुछ अन्य छात्र अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने में रुचि रखते हैं।

5.2.8 नवाचार/ज्ञान हस्तांतरण

i. पेटेंट और व्यावसायीकरण: स्थापना के बाद से 237 (दायर)/131 (स्वीकृत)/07 (लाइसेंस प्राप्त)

ii. कुल राजस्व उत्पन्न वित्त वर्ष 2022-23 में : 13.30 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2023-24 में: 12.42 करोड़ रुपये (अनुमानित)

iii. एच इंडेक्स- नाईपर एस.ए.एस. नगर- 137

iv. नाईपर एसएएस के लिए प्रति संकाय एच इंडेक्स और प्रशस्ति पत्र भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थानों में से एक है।

v. 11 वर्तमान संकाय सदस्य और 5 भूतपूर्व संकाय सदस्य स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की वर्ष 2023 की सर्वोच्च 2% की सूची में सूचीबद्ध हैं।

5.2.9 नाईपर का प्रभाव:

- नाईपर, एसएएस नगर की सफलता ने भारत सरकार को औषध क्षेत्र की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए देश भर में और अधिक नाईपर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया है। नाईपर एसएएस नगर को फार्मेसी और फार्माकोलॉजी श्रेणी में 2023 क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में पहला, एशिया में 7वां और दुनिया में 54वां स्थान मिला और एमओई एनआईआरएफ रैंकिंग में फार्मेसी श्रेणी में 6वां स्थान मिला।
- नाईपर एसएएस नगर ने आईटीईसी क्षमता निर्माण कार्यक्रमों (विश्व बैंक प्रायोजित) और लघु और मध्यम औषध उद्योग केंद्र (एसएमपीआईसी) के तहत भारत और विदेश के कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए हैं।
- नाईपर ने 28 अगस्त से 1 सितंबर, 2023 तक "प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना पर प्रशिक्षण और क्षमता मॉडल आईटीईसी कार्यक्रम विकसित करने" पर एक विशेष आईटीईसी कार्यक्रम आयोजित किया।

- औषध उद्योग में विभिन्न भूमिकाओं के लिए पंजाब राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद (पीएससीएसटी) और जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) कार्यक्रम के तहत कौशल विज्ञान कार्यक्रम के अन्तर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण को मंजूरी दी गई।
- लघु और मध्यम स्तर के उद्यमों (एसएमई) : एसएमई के लिए एक केंद्र की स्थापना को प्रशिक्षण और विश्लेषणात्मक सेवाएं प्रदान की गईं।
- 'अन्वेषणात्मक नई औषधि' (आईएनडी) आवेदनों, पीएलआई योजना, साझी सुविधाओं के लिए औषध उद्योग को सहायता (एपीआईसीएफ) आदि का मूल्यांकन अथवा निगरानी करने वाली समिति के सदस्य।
- नाईपर एसएएस नगर चिकित्सा उपकरण पार्क की स्थापना के लिए उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश के लिए ज्ञान भागीदार है।
- यह संस्थान हिमाचल प्रदेश में बल्क औषधि पार्क स्थापित करने के लिए एसआईए के हिस्से के रूप में उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश के साथ काम कर रहा है।
- भारतीय फार्माकोपिया को संशोधित करने वाली समिति का सदस्य
- भारत के आयुर्वेदिक फार्माकोपिया में मोनोग्राफ का योगदान
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्विवार्षिक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (भारत सरकार) की कार्य योजना के तहत "भारत में जेनेरिक दवाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ औषधों की कीमतों पर ट्रिप्स के प्रभाव" पर अध्ययन किया गया।

नाईपर, एसएएस नगर में आयोजित हुए आयोजनों (सेमिनार / वेबिनार / अन्य आयोजनों) के फोटोग्राफ और ब्यौरा

दिनांक 14.10.2023 को नाईपर,एसएएस नगर का 14वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया

आधारशिला दिवस-2024 दिनांक 15.02.2024 को आयोजित हुआ

फार्मा प्रबंधन विभाग द्वारा 17 से 18.02.2024 तक आयोजित एक कॉन्क्लेव "सम्प्रभव - यूनियन ऑफ मैग्नेट्स" (तीसरा संस्करण) में देश भर से 1000 प्रतिभागियों ने भाग लिया

5.3 नाईपर, कोलकाता

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता (नाईपर-कोलकाता) की स्थापना 2007 में नाईपर अधिनियम के तहत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में की गई थी और वर्तमान में यह कोलकाता में अपने अंतरिम परिसर से औषध शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और शिक्षण, अनुसंधान और छात्रवृत्ति के माध्यम से भारत में औषध उद्योग के विकास में योगदान देने के लिए काम कर रहा है। यह संस्थान औषध शिक्षा और संबद्ध अनुसंधान के लिए एक प्रीमियम संस्थान के रूप में काम करने और भारत में औषध विकास के एक नए युग की शुरुआत करने की इच्छा रखता है। इस समय, नाईपर कोलकाता आठ विशिष्टताएं प्रस्तुत कर रहा है, जिसमें से बायोफार्मास्युटिकल्स (एम.टेक कार्यक्रम) का नया विषय शैक्षणिक सत्र 2023 में शुरू किया गया था।

5.3.1 उपलब्धियां:

5.3.2 शैक्षणिक

- 2023 में कुल 75 छात्रों ने अपनी मास्टर डिग्री पूरी की।
- 2023 में कुल 9 शोध विद्वानों को पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई।
- 2023 में कुल 112 छात्रों को मास्टर डिग्री, 2 को एकीकृत पीएचडी और 26 शोध विद्वानों को पीएचडी में प्रवेश दिया गया।
- एनआईआरएफ रैंकिंग 2023 में नाईपर कोलकाता 32वें स्थान पर रहा।

5.3.3 शिक्षक-छात्र अनुपात: 1:14

संस्थान के शैक्षणिक और शोध कार्यकलापों को नियमित और संविदात्मक संकाय द्वारा सुदृढ़ किया जाता है।

5.3.4 नियोजन आंकड़ें:

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, 75 छात्रों में से 58 छात्रों (77%) को प्लेसमेंट मिला और 13 छात्रों (17%) ने उच्च अध्ययन का विकल्प चुना।

5.3.5 नियमित संकाय और कर्मचारियों की भर्ती

- संस्थान ने वर्ष के दौरान 2 संकायों (1- नियमित; 1- अनुबंध पर) और 4 गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती की।
- कैलेंडर वर्ष 2023 के अंत तक, शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है:
  - नियमित संकाय : 16
  - नियमित गैर-शिक्षण कर्मचारी : 19
  - संविदा संकाय : 03
  - डीएसटी इंस्पायर संकाय : 01
  - संविदा अनुसंधान कर्मचारी : 11
  - संविदा गैर-शिक्षण कर्मचारी : 0

5.3.6 परिसर विकास:

- औषध विभाग (डीओपी) द्वारा पानीहाटी में 20.55 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, और नाईपर कोलकाता के स्थायी परिसर (10972 वर्ग मीटर) की स्थापना के लिए 78.56 करोड़ रुपये मंजूर और स्वीकृत किए गए हैं।
- 25 अगस्त 2023 को भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री, माननीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया द्वारा पानीहाटी, कोलकाता में आधारशिला समारोह आयोजित किया गया।
- पानीहाटी में नाईपर-कोलकाता के स्थायी परिसर का निर्माण कार्य प्रगति पर है और 34% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

5.3.7 पुरस्कार और सम्मान:

संकाय:

- स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और एल्सेवियर द्वारा किए गए नवीनतम प्रोफ़ाइल समीक्षा के अनुसार, नाईपर कोलकाता के सहायक प्रोफेसर डॉ. पल्लब दत्ता को दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है।
- डॉ. सुब्रमण्यम नटेसन, प्रोफेसर को दिसंबर 2023 में भारतीय चिटिन और चिटोसन सोसाइटी की ओर से शोधकर्ता के लिए मार्शल पुरस्कार प्राप्त हुआ।

छात्र:

- नाईपर कोलकाता के दो छात्रों ने 14-16 सितंबर 2023 को नाईपर हैदराबाद में आयोजित ड्रग्स, डिवाइस और डायग्नोस्टिक्स में नए क्षितिज पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पुरस्कार जीते।
- नाईपर कोलकाता के श्री तपस्वी पटेल को 9 से 11 अक्टूबर 2023 तक फार्मास्युटिकल रिसर्च एंड नॉलेज (एआई-स्पार्क 2023) के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह कार्यशाला में पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- नाईपर कोलकाता की सुश्री सुपर्णा बनर्जी ने नाईपर हैदराबाद में फार्माकॉन 2023 में सर्वश्रेष्ठ पोस्टर पुरस्कार प्राप्त किया।
- नाईपर कोलकाता के श्री विक्टर हेमिंगथांसांगा ने कोलकाता में आयोजित चिटोसन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

और 10वीं भारतीय चिटिन और चिटोसन संगोष्ठी में सर्वश्रेष्ठ पोस्टर प्रस्तुति पुरस्कार प्राप्त किया।

- नाईपर कोलकाता की सुश्री सुपर्णा बनर्जी को कोलकाता में आयोजित चिटोसन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और 10वीं भारतीय चिटिन और चिटोसन संगोष्ठी में मौखिक प्रस्तुति में तीसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- नाईपर कोलकाता की सुश्री इरम सबा ने एडमास विश्वविद्यालय, कोलकाता में आयोजित ड्रग्स, डिवाइस और डायग्नोस्टिक्स में नए क्षितिज पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पोस्टर प्रस्तुति में प्रथम पुरस्कार जीता।
- नाईपर कोलकाता की सुश्री सुजाता दास ने एडमास विश्वविद्यालय, कोलकाता में आयोजित ड्रग्स, डिवाइस और डायग्नोस्टिक्स में नए क्षितिज पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पोस्टर प्रस्तुति में तीसरा पुरस्कार जीता।

5.3.8 प्रमुख आयोजन

अप्रैल, 2023 से मार्च, 2024 तक 36 ऑनलाइन/ऑफ़लाइन कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें पूरे भारत से 4990 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसमें दुनिया भर के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों से विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया था।

तालिका 5ञ

(वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित मुख्य आयोजनों की सूची)

दिनांक	कार्यक्रम का शीर्षक
12.04.2023	क्रोनिक इन्फ्लेमेशन और इसकी जटिलताओं के संबंध में औषधीय दृष्टिकोण पर संगोष्ठी
21.07.2023 एवं 22.07.2023	"कैंसर चिकित्सा विज्ञान में हालिया प्रगति" पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी
28.07.2023	नाईपर कोलकाता का 11वां दीक्षांत समारोह
25.08.2023	नाईपर कोलकाता का शिलान्यास समारोह पानीहाटी, कोलकाता में हुआ
20.12.2023	नाईपर कोलकाता का 16वां स्थापना दिवस
26.12.2023	प्रोटिओमिक्स और बायोफार्मास्युटिकल्स में इसके अनुप्रयोगों पर विशेष आमंत्रित वार्ता
03.01.2024 एवं 04.01.2024	बायोफार्मास्युटिकल्स के विकास पर अकादमिक-उद्योग बैठक
11.01.2024	भावी उद्यमियों का सशक्तीकरण: भारत में स्टार्टअप स्पेक्ट्रम का अनावरण, ज्ञान अंतराल को पाटना और वर्तमान रुझानों को नेविगेट करना
08.12.2023 एवं 09.12.2023	चिटोसन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और 10वीं भारतीय चिटिन चिटोसन संगोष्ठी

5.3.9 अनुसंधान:

- इस संस्थान को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली से 15 करोड़ रुपये की निधि के साथ ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (डीएमडी) जैसे एक्सोन्डिस51, एलिग्लस्टैट और टेजाकैफ्टर का निदान करने हेतु प्रचलित "दुर्लभ रोग" दवाओं के लिए कुशल प्रक्रिया विकास रणनीतियों के लिए एक परियोजना प्राप्त हुई है।
- इस संस्थान ने 2023-2024 के दौरान 107 अंतरराष्ट्रीय समकक्ष-समीक्षित प्रकाशन प्रकाशित किए हैं। अपनी

स्थापना के बाद से, संस्थान के पास 497 प्रकाशन हैं।

- 2023-2024 के दौरान कुल 7 पेटेंट दायर किए गए हैं। अपनी स्थापना के बाद से, संस्थान ने 11 पेटेंट दायर किए हैं।
- यह संस्थान नाईपर के सामान्य अनुसंधान कार्यक्रम (सीआरपी) का समन्वय कर रहा है और नाईपर कोलकाता द्वारा निम्नलिखित परियोजनाएं चलाई जा रही हैं।

सीआरपी - जैविक विज्ञान

- टर्मिनलिया चेबुला का उपयोग करके आईबीडी और कोलन दर्द के लिए फाइटोफार्मास्युटिकल उत्पाद का विकास।
- एस. ऑरियस और ई. फेकेलिस संक्रमण से निपटने के लिए एंटीबायोफिल्म और एंटीमाइक्रोबियल अणुओं (बढ़े हुए प्रोबायोटिक्स और एंटीबायोटिक क्वांटम डॉट्स) का विकास
- वर्तमान में उपलब्ध एंटीवेनिन के साथ एक सहायक चिकित्सा के रूप में साँप के चार प्रमुख जहरों के खिलाफ एंटी-स्नेक वेनम एंटीबॉडी का विकास, जो साँप के काटने के अधिकांश मामलों में शामिल होती हैं।

सीआरपी - फॉर्मूलेशन विकास

- आंत के बाद के हिस्से में पहुंचाने के लिए विलंबित-रिलीज़ मेटफ़ॉर्मिन टैबलेट का विकास, ताकि किडनी के रोगियों में प्रभावकारिता में सुधार हो और विषाक्तता कम हो।

सीआरपी - एपीआई/प्रक्रिया रसायन विज्ञान

- ओटीबीएन, क्लोपिडोग्रेल, टैवाबोरोल, ऑक्सकार्बाज़ेपाइन जैसे एपीआई/केएसएम के लिए प्रक्रिया विकास

वित्तपोषित परियोजनाएँ:

परामर्श परियोजनाएँ:

- टैबलेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई की "प्रोबायोसिमिलैरिटी ऑफ बिफ़िलैक क्लॉसी विद एंटरोजर्मिना एंड अदर बैसिलस क्लॉसी फॉर्मूलेशन्स अवेलेबल इन द मार्किट" शीर्षक वाली 8 लाख रुपये की परियोजना पूरी हो चुकी है।

अनुसंधान परियोजनाएँ

- समुद्री चिकित्सा विज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए डीओपी और डीएसटी, नई दिल्ली द्वारा 30 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
- डीएसटी, नई दिल्ली द्वारा दुर्लभ रोगों/ऑर्फन दवाओं के विकास के लिए 3.5 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
- 2023-24 में नाईपर कोलकाता के संकाय सदस्यों द्वारा 16 शोध परियोजनाएं शुरू की गईं जो इस समय चल रही हैं।

चल रहे अनुसंधान:

- नई दवा वितरण प्रणाली और 3डी बायोप्रिंटिंग

- चिकित्सा उपकरणों के लिए जैव सामग्री अनुकूलन
- बायोसेंसर विकास
- खुराक रूपों का उन्नत निर्माण
- चिकित्सीय एजेंट के रूप में न्यूक्लियोसाइड
- स्फिंगोसिन अवरोधकों का विकास
- एपीआई संश्लेषण के लिए ग्रीन केमिस्ट्री और फ्लो केमिस्ट्री
- बायोफिल्म और कोरम संवेदन को लक्षित करना।
- डीएनए आधारित चिकित्सीय और नैदानिक उपकरणों का विकास।
- संरचनात्मक जैव सूचना विज्ञान: संक्रामक रोगों और चयापचय संबंधी विकारों के लिए नई दवा की खोज/पुनर्प्रयोजन
- एंटी-माइक्रोबियल एजेंटों की कम्प्यूटेशनल डिजाइनिंग।
- छोटे अणुओं के उत्पादन के लिए मेटाबोलिक बायो-इंजीनियरिंग
- फाइटोफार्मास्युटिकल्स और हर्बल फॉर्मूलेशन की ट्रांसक्रिपटॉमिक्स और प्रोटिओमिक प्रोफाइलिंग
- मधुमेह मध्यस्थता गैर-मादक स्टीटोहेपेटाइटिस और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा: औषधीय और जैव रासायनिक लक्षण वर्णन।
- मधुमेह से जुड़ी तंत्रिका संबंधी जटिलताएं
- प्रतिरक्षा जैव प्रौद्योगिकी में जीनोम संपादन
- पादप रसायन; रसायन परिवर्तन: हर्बल उत्पाद विश्लेषण
- श्वसन रोगों में हर्बल दवाओं का नेटवर्क औषध विज्ञान
- फाइटोफार्मास्युटिकल्स विकास
- प्राकृतिक उत्पादों का मानकीकरण और फिंगरप्रिंटिंग
- मेटाबोलाइट प्रोफाइलिंग, हर्बल दवाओं के फार्माकोकाइनेटिक्स और हर्ब-ड्रग इन्ट्रैक्शन्स अध्ययन
- विधि विकास और सत्यापन (विश्लेषणात्मक और जैवविश्लेषणात्मक)

अनुसंधान पहलें

(1) नाईपर कोलकाता अनुसंधान परिषद: इस संस्थान ने रोडमैप प्रदान करने और संकाय अनुसंधान कार्यकलापों को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रख्यात वैज्ञानिकों के साथ एक अनुसंधान परिषद की स्थापना की है, परिषद की पहली बैठक 10 नवंबर 2023 को आयोजित की गई थी।

(2) फ्लो केमिस्ट्री और सतत विनिर्माण में उत्कृष्टता केंद्र: यह संस्थान फ्लो केमिस्ट्री और सतत विनिर्माण में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करने की प्रक्रिया में है ताकि अनुसंधान किया जा सके और छोटी और बड़ी औषध कंपनियों को फ्लो केमिस्ट्री और सतत विनिर्माण को अपनाने में विशेषज्ञता, तकनीकी परामर्श, कुशल कर्मी और उत्पाद प्रबंधन प्रौद्योगिकी प्रदान की जा सके।

(3) एंटी-एजिंग और एंटी-कैंसर एजेंट का विकास: यूरोलिथिन ए

(4) डेंगू के लिए एंटीबॉडी विकास

(5) पोल्ट्री फार्मों में साल्मोनेला संक्रमण के लिए वैक्सीन विकास

(6) मोटापा-रोधी छोटे अणु विकास

(7) ऑर्गेनॉइड विकास

5.3.10 प्रतिष्ठित व्यक्तियों का दौरा

- शिलान्यास समारोह 2023 में भाग लेने के लिए माननीय मंत्री, डॉ. मनसुख मांडविया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार।
- प्रो. गैरी पियाज़ा, ऑबर्न विश्वविद्यालय, यूएसए "कैंसर चिकित्सा विज्ञान में हालिया प्रगति" पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेने के लिए।
- प्रो. मुरली धनसेकरन, ऑबर्न विश्वविद्यालय, यूएसए "कैंसर चिकित्सा विज्ञान में हालिया प्रगति" पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेने के लिए।
- प्रो. दीपक के. सैनी, आईआईएससी बेंगलुरु, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन और इसकी जटिलताओं के लिए औषधीय दृष्टिकोण पर संगोष्ठी में भाग लेने के लिए।
- प्रो. हिरोशी तमुरा, कंसाई विश्वविद्यालय, ओसाका, जापान, चिटोसन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और 10वीं भारतीय चिटिन चिटोसन संगोष्ठी में भाग लेने के लिए।
- प्रो. माकोटो अनराकू, सोजो विश्वविद्यालय, कुमामोटो, जापान, चिटोसन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और 10वीं भारतीय चिटिन चिटोसन संगोष्ठी में भाग लेने के लिए।
- डॉ. वानपेन तचाबून्याकियात, चूललोंगकोर्न विश्वविद्यालय, बैंकॉक, थाईलैंड चिटोसन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और 10वीं भारतीय चिटिन चिटोसन संगोष्ठी में भाग लेने के लिए।

5.3.11 पिछले 5 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा आवंटित कुल धनराशि

तालिका 5ट

पिछले 5 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का ब्यौरा

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	आबंटन ब.अ.	आबंटन सं.अ.	कुल निर्मुक्ति
2019-20	16.00	18.00	18.00
2020-21	23.00	34.82	34.82
2021-22	27.64	47.64	47.64
2022-23	50.45	50.45	45.45
2023-24	69.00	43.50	43.50

तलिका 5ठ
(दाखिले की स्थिति के साथ वर्ष-वार पेश की गई डिग्रियां/कार्यक्रम और विषय)

मास्टर/ डॉक्टोरल	पाठ्यक्रम	विषय	2023-24 में दाखिल छात्रों की संख्या
मास्टर्स	एम.एस. (फार्म)/ एम. टेक	औषधीय रसायन विज्ञान	19
		प्राकृतिक उत्पाद	10
		फार्माकोइन्फॉर्मेटिक्स	10
		फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी	19
		फार्मास्युटिक्स	21
		फार्मास्युटिकल विश्लेषण	13
		चिकित्सा उपकरण	10
		बायोफार्मास्युटिकल्स	10
		कुल	**112**
डॉक्टरेट	पीएचडी	औषधीय रसायन विज्ञान	09
		प्राकृतिक उत्पाद	06
		फार्माकोइन्फॉर्मेटिक्स	01
		फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी	02
		फार्मास्युटिक्स	06
		फार्मास्युटिकल विश्लेषण	01
		चिकित्सा उपकरण	01
		कुल	**26**
	आई-पीएचडी	फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी	02
कुल			**140**

5.3.12 नवाचार/ज्ञान हस्तांतरण/समझौता ज्ञापन/हस्ताक्षरित एमओए

- दिनांक 13/04/2023 को सीएसआईआर-आईआईसीबी कोलकाता और नाईपर कोलकाता के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य आईपीआर या पेटेंट पर संयुक्त रूप से काम करना है।
- दिनांक 19/06/2023 को राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली और नाईपर कोलकाता के साथ समझौता ज्ञापन किया गया। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण सेवाएं प्रदान करना है।
- दिनांक 07/08/2023 को नाईपर एसएएस नगर मोहाली और नाईपर कोलकाता के साथ समझौता ज्ञापन किया गया। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य चिकित्सीय उपयोग के लिए अनुसंधान और विकास परियोजनाओं और फॉर्मूलेशन विकास में भागीदारी करना है।
- दिनांक 22/09/2023 को सैन्ट्रल लैदर रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएसआईआर) और नाईपर नाईपर कोलकाता के बीच समझौता ज्ञापन किया गया। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य नाईपर कोलकाता में किए गए सिंथेटिक ट्रेकिआ कार्य के निष्कर्षों को मान्य करना है। यह समझौता ज्ञापन 2 वर्षों के लिए वैद्य है।
- चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता और नाईपर कोलकाता के बीच दिनांक 27/09/2023 को समझौता ज्ञापन किया गया। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य औषधि खोज और थेराग्नोस्टिक्स के लिए कैंसर ऑर्गेनोइड विकसित करने पर सहयोगात्मक अनुसंधान करना है।

- जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, बैंगलोर और नाईपर कोलकाता के साथ दिनांक 11/01/2024 को समझौता ज्ञापन किया गया। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच सहयोगात्मक अनुसंधान करना है।
- बियॉन्ड एंटीबॉडी एलएलपी, बैंगलोर और नाईपर कोलकाता के बीच दिनांक 24/01/2024 को समझौता ज्ञापन किया गया। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य डेंगू वायरस एनएस1 प्रोटीन के लिए एंटीबॉडी का विकास करना है।
- दिनांक 20/03/2024 को केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद - केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, कोलकाता और नाईपर कोलकाता के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य "म्यूरीन मॉडल में गैर-अल्कोहल फैटी लिवर रोग (एनएएफएलडी) और गैर-अल्कोहल स्टीटोहेपेटाइटिस (एनएएसएच) के विरुद्ध आयुष-64 के प्रीक्लिनिकल मूल्यांकन और आणविक तंत्र" नामक सहयोगी अनुसंधान परियोजना को संचालित करना है।

5.3.13 वर्ष 2023-2024 में दाखिल पेटेंटों का ब्यौरा

तालिका 5ड

(पेटेंट का ब्यौरा)

आवेदन संख्या	दिनांक	सीबीआर सं.	शीर्षक
202331075837	06.11.2023	15551	यूरोलिथिन-ए का एकल-चरण प्रक्रिया-पैमाना संश्लेषण।
202331058995	02.09.2023	12095	टैवाबोरोल की नई प्रक्रिया
202331058996	02.09.2023	12095	क्रिसाबोरोल की नई प्रक्रिया
202311039884	09.06.2023	-	3, 3'- बिइंडोल आधारित फ्लोरेसेंस डाई जांच और उसका अनुप्रयोग
202023102215	10.05.2023	-	घातक और संक्रामक रोगों के उपचार के लिए 4-एमिनोक्विनाल्डिन व्युत्पन्नों को संश्लेषित करने की एक प्रणाली
202331025089	01.04.2023	5237	ई. फेकेलिस को लक्षित करने के लिए नया मालेइमाइड व्युत्पन्न एंटीबॉडी रिक्रूटिंग मोलेक्यूल
202331025085	01.04.2023	5236	बेंजो [1,4] थियाज़िन-3-वन बिस-एमाइड व्युत्पन्न और उनकी तैयारी के तरीके

5.3.14 नाईपर कोलकाता का संस्थान नेतृत्व प्रभाव

नाईपर कोलकाता विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर संस्थानों तक पहुंच रहा है और उन्हें विभिन्न शोध परियोजनाओं में मदद कर रहा है। इस संस्थान ने संक्रामक रोग, चयापचय संबंधी विकार और न्यूरोडीजेनेरेटिव विकारों से निपटने के लिए नई रणनीति विकसित करने की दिशा में एक प्रमुख शोध अभियान चलाया है।

नाईपर, कोलकाता में आयोजित कार्यक्रमों की झलकियां

मानीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री ने संस्थान का दौरा किया।

नाईपर कोलकाता का आधारशिला समारोह, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री, भारत सरकार ने नए परिसर का उद्घाटन किया।

कैंसर चिकित्सा में नवीनतम प्रगति पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी

नाईपर कोलकाता के 11वें दीक्षांत समारोह में पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल की उपस्थिति

चिटोसन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और 10वीं भारतीय चिटिन चिटोसन संगोष्ठी

नाईपर कोलकाता का शिलान्यास समारोह पानीहाटी, कोलकाता में आयोजित किया गया

5.4 नाईपर रायबरेली

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर), रायबरेली की स्थापना वर्ष 2008 में हुई थी। यह संस्थान औषधीय रसायन शास्त्र, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी, रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी एवं बायोटेक्नोलोजी में डॉक्टोरल एवं मास्टर्स कार्यक्रम पाठ्यक्रम प्रदान करता है और इस समय इस संस्थान में 311 छात्र नामांकित हैं। वर्तमान में यह संस्थान लखनऊ स्थित अपने ट्रांजिट परिसर से कार्य कर रहा है जिसके परिसर के भीतर एक विश्व स्तरीय केंद्रीय इंस्ट्रूमेंटेशन सुविधा केन्द्र और पूर्व नैदानिक अध्ययन करने के लिए एक पशु घर विद्यमान है।

5.4.1. उपलब्धियां:-

- नाईपर-रायबरेली में फार्मास्यूटिक्स प्रभाग ने मनोविकार रोधी और क्षयरोग रोधी दवाओं के बेहतर वितरण हेतु नैनो-आधारित दवा-वितरण प्रणाली के लिए नई प्रौद्योगिकियों का विकास किया है।
- इस संस्थान ने वर्ष 2022-23 में 6 पेटेंट दायर किए है।
- संस्थान के विषयगत क्षेत्रों में शोध के लिए संस्थान को लगभग 4.36 करोड़ रुपये का अतिरिक्त शोध अनुदान प्राप्त हुआ।
- पिछले 3 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की पत्रिकाओं में प्रकाशनों के साथ लगभग 329 से अधिक प्रकाशन और प्रतिष्ठित प्रकाशनों में 86 पुस्तकें और अध्याय योगदान।
- नाईपर-रायबरेली में सेल कल्चर सुविधा, सैन्ट्रल एनीमल फैसिलिटी, इमेजिंग सुविधा (एफटी-आईआर स्पेक्ट्रोमीटर, कैरी एक्लिप्स, 12-सेल कैरी 100 यूवी और मल्टी-मोड प्लेट रीडर) और सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन सुविधा जैसी विभिन्न केंद्रीकृत अत्याधुनिक सुविधाएं हैं।
- सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन सुविधाकेन्द्र परिष्कृत उपरकणों जैसे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस (एनएमआर), जेटासाइजर, एचपीएलसी, बायो एनालाइजर, डीएससी, मेलीक्यूल्स के लिए डीएससी, एलसी-एमएस (क्यूटीओएफ-एचआरएमएस), होट स्टेज माइक्रोस्कोप, फ्लो-साइटोमेट्री, एनिमल इमेजिंग सिस्टम, लाइफिलाइजर, कैलोरीमीटर, डिजीटल पोलेरीमीटर, प्रोबसोनिकेटर, कन्फोकल सिस्टम इत्यादि का भंडारण करता है।

5.4.2 शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक स्टाफ:-

प्रशासनिक स्टाफ : 15

शैक्षणिक स्टाफ:

एसोसिएट प्रोफेसर	: 05
सहायक प्रोफेसर	: 10
रिसर्च एसोसिएट	: 03
तकनीकी स्टाफ	: 06
मल्टी-टास्क स्टाफ	: 00

5.4.3 पिछले 5 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा आबंटित कुल निधि:-

तालिका-5ढ
(नाईपर, रायबरेली को आबंटित वर्षवार निधियां)

(रूपये करोड़ में)

वर्ष	आबंटन बजट अनुमान	आबंटन संशोधित अनुमान	कुल जारी राशि
2019-20	16.00	17.01	17.01
2020-21	22.00	28.00	28.00
2021-22	17.00	29.00	46.00
2022-23	46.00	46.00	32.50
2023-24	74.00	22.00	19.00

5.4.4 छात्र:-

तालिका-5ण
(दाखिले की स्थिति के साथ पेश की गई डिग्री/कार्यक्रम और विषय)

वर्ष	एमएस (फार्मा)		पीएचडी			एकीकृत पीएचडी (सत्र 2022-27 में शुरू)	
	दाखिला	समाप्ति	दाखिला		समाप्ति	दाखिला	समाप्ति
2017-19	36	36	05	समाप्त	**05**	-	-
2018-20	56	56	06 -1= 05	पढ़ रहे हैं		-	-
2019-21	62	60	06	पढ़ रहे हैं		-	-
2020-22	74	74	06 -1= 05	पढ़ रहे हैं		-	-
2021-23	88-1=87	87	19-1=18	पढ़ रहे हैं		-	-
2022-24	113-5=108	पढ़ रहे हैं	28	पढ़ रहे हैं		03	पढ़ रहे हैं
2023-25	112-2=110	पढ़ रहे हैं	26	पढ़ रहे हैं		01	पढ़ रहे हैं
वर्तमान स्थिति	**533**	**313**	**93**		**05**	**04**	

5.4.5 शिक्षकः छात्र अनुपात – **1:16**

5.4.6 नियोजनीयता/नियोजन की स्थिति:-

तालिका-5त

(नाईपर-रायबरेली की वर्षवार नियोजन की स्थिति)

वर्ष	एम.एस. फार्मा	
	छात्रों की संख्या	नियोजन (%में)
2015-17	36	25
2016-18	35	100
2017-19	36	98
2018-20	58	90
2019-21	60	90
2020-22	73	92

5.4.7 पुरस्कार/शिक्षक:-

तालिका-5थ

(शिक्षकों द्वारा प्राप्त पुरस्कारों का ब्यौरा)

क्र.सं.	नाम	विषय	मान्यता
1	डॉ. संदीप चौधरी	एसोसिएट प्रोफेसर, औषधीय रसायन विज्ञान विभाग	पर्म स्टेट यूनिवर्सिटी, पर्म, रूस द्वारा मानद प्रोफेसर से सम्मानित।
2	डॉ. राकेश कुमार सिंह	एसोसिएट प्रोफेसर, फार्माकोलॉजी और विष विज्ञान विभाग	स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की शीर्ष 2 प्रतिशत वैज्ञानिकों की प्रतिष्ठित वैश्विक सूची में स्थान प्राप्त किया
3	डॉ. कीर्ति जैन	सहायक प्रोफेसर, फार्मास्यूटिक्स विभाग	स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की शीर्ष 2 प्रतिशत वैज्ञानिकों की प्रतिष्ठित वैश्विक सूची में स्थान प्राप्त किया
4	डॉ. राहुल शुक्ला	सहायक प्रोफेसर, फार्मास्यूटिक्स विभाग	स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की शीर्ष 2 प्रतिशत वैज्ञानिकों की प्रतिष्ठित वैश्विक सूची में स्थान प्राप्त किया

5.4.8. अनुसंधान

(क) सक्रिय अनुसंधान क्षेत्र:

- न्यूरोडिजनरेटिव रोग
- भारी धातु विषाक्तता अध्ययन
- जापानी एन्सेफेलाइटिस
- क्षयरोग
- नैनो सम्मिश्रणों का प्रयोग करके औषधों का विकास एवं मूल्यांकन

(ख) हरित एवं पर्यावरण-हितैषी सिंथेटिक तरीकों का विकास

(ग) परियोजनाएं-चल रही : 11 लगभग 4.36 करोड़ रुपये के मूल्य की।

5.4.9 नाईपर का प्रभाव

नाईपर-रायबरेली विशेष रूप से मध्य भारत में शिक्षा और अनुसंधान दोनों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में उभरा है और इसने कई उपलब्धियाँ हासिल की हैं। फार्मा उद्योगों ने छात्रों को अल्पकालिक और दीर्घकालिक आधार पर प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा संस्थान के साथ सहभागिता करने में रुचि दिखाई है। इस संस्थान ने जापानी इंसेफेलाइटिस, तपेदिक और न्यूरोडीजेनेरेटिव रोगों जैसे तत्काल महत्व के क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोगात्मक परियोजनाएं/ कार्य शुरू किए हैं। औषधि खोज के लिए निर्बाध नमूना विश्लेषण की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है। यह संस्थान भारतीय औषध उद्योग के लिए अत्यधिक कुशल मानव संसाधन प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रम/कार्यशालाएं

नाईपर, रायबरेली का 8वां दीक्षांत समारोह दिनांक 23-09-2023 को आयोजित किया गया

नाईपर, रायबरेली ने स्वच्छता पखवाड़ा मनाया

5.5 नाईपर हैदराबाद

नाईपर हैदराबाद एक स्वायत्त निकाय है जिसे औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तत्वावधान में औषध विज्ञान में उच्च शिक्षा, अनुसंधान और विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। इस संस्थान को संसद के एक अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार द्वारा "राष्ट्रीय महत्व का संस्थान" घोषित किया गया है। भारत सरकार के निर्णय के अनुसरण में, नाईपर हैदराबाद ने सितंबर 2007 में आईडीपीएल, आर एंड डी केंद्र, बालानगर, हैदराबाद के परिसर में छह नए नाईपरों में से एक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। यह संस्थान स्नातकोत्तर और पीएचडी पाठ्यक्रम संचालित करके उत्कृष्टता के साथ मानव संसाधन विकसित करने के लिए कार्य कर रहा है। सभी नाईपरों के लिए प्रतिवर्ष संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से छात्रों का चयन किया जाता है।

नाईपर हैदराबाद औषधीय रसायन विज्ञान, औषधीय विश्लेषण, फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी, फार्मास्युटिक्स, रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी, प्राकृतिक उत्पाद, विनियामक कार्य, फार्माकोइन्फॉर्मेटिक्स में एम.एस.(फार्मा.) और एम.टेक (प्रक्रिया रसायन विज्ञान, चिकित्सा उपकरण) तथा एमबीए (औषधीय प्रबंधन) पेश करता है। एमएचआरडी, भारत सरकार द्वारा दी गई हाल ही में एनआईआरएफ रैंकिंग 2023 में, नाईपर हैदराबाद ने फार्मेसी श्रेणी में प्रथम रैंक हासिल किया है।

इस संस्थान में अनुभवी संकाय, विशाल, हवादार और अच्छी तरह से सुसज्जित कक्षाएं तथा आधुनिक प्रयोगशालाएं, सेमिनार/सम्मेलन के लिए एक उत्कृष्ट सभागार और परिसर के भीतर एक व्यापक पुस्तकालय है। छात्रों के आवास के लिए सुसज्जित छात्रावास के कमरे उपलब्ध हैं। छात्रों के लाभ के लिए संबंधित विशिष्टताओं में विशेष विषयों पर प्रख्यात अतिथि संकाय द्वारा व्याख्यान की भी व्यवस्था की जाती है। छात्रों और शिक्षकों को औषध विज्ञान में नवीनतम प्रगति से परिचित कराने के लिए कई सम्मेलन/कार्यशालाएँ आयोजित की गई हैं। व्यवसायिक निकायों द्वारा आयोजित सेमिनारों में छात्रों की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जाता है ताकि उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में शोधकर्ताओं के साथ बातचीत बढ़ सके।

5.5.1 उपलब्धियां:

तालिका-5द

(उपलब्धियों का ब्यौरा)

क्र.सं.	विवरण	उपलब्धियां
1	उत्तीर्ण स्नातकोत्तर छात्र	1552
2	पाठ्यक्रम करने वाले स्नातकोत्तर छात्र	180
3	पीएचडी पाठयक्रम के छात्र	138
4	डॉक्टरेट डिग्री से सम्मानित	110
5	पेटेंट (दायर)	10
6	अनुसंधान प्रकाशन	234
7	स्वीकृत बाह्य अनुसंधान परियोजना	चल रही परियोजनाएं: 44

5.5.2 संकाय एवं स्टाफ का ब्यौरा:

(i)	नियमित संकाय	:	19
(ii)	नियमित स्टाफ	:	25
(iii)	संविदात्मक संकाय	:	05
(iv)	संविदात्मक प्रशासनिक एवं तकनीकी स्टाफ	:	01

5.5.3 पिछले 5 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कुल आबंटन

तालिका-5ध

(नाईपर, हैदराबाद को निधियों का आबंटन)

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	आबंटन बजट अनुमान	आबंटन संशोधित अनुमान	कुल जारी राशि
2019-20	25.00	27.00	27.00
2020-21	30.50	44.50	44.50
2021-22	38.00	72.91	72.91
2022-23	72.50	72.50	69.54
2023-24	90.00	34.00	34.00

5.5.4. शिक्षक-छात्र का अनुपात:

वर्तमान में **1:13**

5.5.5. नियोजनीयता/नियोजन की स्थिति:

प्रति वर्ष छात्रों को डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज, फाइजर, जेनपैक्ट, ट्रोइका फार्मास्यूटिकल्स, सनोफी हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हेटेरो फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, नोवार्टिस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड, अरागेन लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड, बायोकॉन बायोलॉजिक्स लिमिटेड, अरबिंदो फार्मा, जोडस फार्मा, ज़ाइडस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, स्ट्राइकर, सन फार्मा, आईक्यूवीआईए, एमक्योर और टेक महिंद्रा जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों में नियोजन प्राप्त होता है।

तालिका-5न

(पिछले कुछ वर्षों की नियोजन स्थिति)

वर्ष	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
परिसर में नियोजन (%)	88	85	82	82	80	83	100	99	90	100	100	100

5.5.6. शिक्षक

नाईपर हैदराबाद में कुछ सबसे प्रतिभाशाली और समर्पित संकाय हैं जो प्रतिष्ठित संस्थानों से आए हैं और जिन्होंने अपनी विशेषज्ञता में पोस्ट-डॉक्टरल फेलो के रूप में विदेश में उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया है। संकाय के कार्यनिष्पादन का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाता है। यह मूल्यांकन छात्र फीडबैक, शोध कार्यकलापों से आउटपुट और विषय विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकित संस्थागत विकास में योगदान पर आधारित है।

5.5.7. कोर अनुसंधान क्षेत्र

- एकीकृत औषध खोज एवं उत्पाद विकास कार्यक्रम
- कैंसर, सूजन और प्रजनन-शील संबंधित रोग
- मधुमेह और अन्य उपापचय संबंधी विकार
- न्यूरोडिजेनेरेटिव रोग
- संक्रामक रोग
- सोरायसिस
- इन-विट्रो और इन-विवो स्क्रीनिंग
- एनसीई, बल्क ड्रग्स और मध्यवर्ती के लिए नवीन प्रक्रिया का विकास
- विश्लेषणात्मक तरीकों का विकास, अशुद्धता प्रोफाइलिंग और स्थिरता अध्ययन
- ठोस अवस्था की विशेषताएं
- लक्षित औषधि प्रदानगी प्रणाली

5.5.8. नवाचार/ज्ञान हस्तांतरण

पेटेंट और व्यावसायिकरण: कैंसर दवा की खोज, फार्मूलेशन विकास तथा विश्लेषणात्मक विधि विकास में 5 **पेटेंट** दायर किए गए और 5 स्वीकृत किए गए।

5.5.9. नाईपर का प्रभाव:

नाईपर हैदराबाद ने औषध उद्योग के लिए औषध विज्ञान में कुशल मानव संसाधन का विकास करने में सहयोग किया है। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रासंगिकता के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाले एक शोध संस्थान के रूप में कार्य करता है। इस संस्थान ने फार्मा क्षेत्र में कुछ प्रमुख मुद्दों और देश में औषध उद्योग की जरूरतों को संबोधित करने के लिए शैक्षणिक और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने में मदद की है।

5.5.10 सहयोग/समझौता ज्ञापन

नाईपर-हैदराबाद ने बहुआयामी अनुसंधान को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रमुख सहयोगी निम्नानुसार हैं:

i. दिनांक 19.1.2024 को आयुष मंत्रालय के लेह स्थित राष्ट्रीय सोवा रिग्पा संस्थान (एनआईएसआर) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए

ii. दिनांक 14.12.2023 को आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के सीसीआरयूएम, नई दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए

iii. दिनांक 10.4.2023 को एसवीएनआईटी, सूरत, गुजरात, भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए

5.5.11 संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रम/कार्यशालाएँ: -

नाईपर हैदराबाद ने छात्रों के लिए विभिन्न वैज्ञानिक कार्यक्रम और कार्यशाला प्रशिक्षण आयोजित किए। नाईपर, हैदराबाद में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की कुछ तस्वीरें निम्नलिखित हैं।

दिनांक 26.05.2023 को संसदीय स्थायी समिति का हैदराबाद दौरा

फार्माकॉन 2023: 14-16 सितंबर, 2023 तक कान्हा शांति वनम में दवाओं, उपकरणों और निदानों में नए क्षितिज पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन।

नाईपर हैदराबाद ने 19 जनवरी, 2024 को अपना 11वां दीक्षांत समारोह मनाया

5.6 नाईपर हाजीपुर

वर्ष 2007 में स्थापित नाईपर हाजीपुर दिनांक 31.10.2018 तक आईसीएमआर- राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (आरएमआरआईएमएस), पटना के संरक्षण में था। नियमित निदेशक ने दिनांक 01.11.2018 से कार्यभार संभाला। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग के तत्वावधान में औषधीय विज्ञान में उच्चतर शिक्षा, अनुसंधान और विकास के लिए राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में यह संस्थान औषधीय विज्ञान और अन्य संबंधित क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। यह सात (07) विशेषज्ञताओं में फार्मेसी शिक्षा में स्नातकोत्तर (एमएस) और डॉक्टरेट की डिग्री (पीएचडी) प्रदान करता है जो कि इस प्रकार है:

I. बायोटेक्नोलॉजी में एमएस और पीएचडी,
II. फार्मेसी प्रैक्टिस में एम. फार्म और पीएचडी
III. फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी में एम.एस. और पीएचडी
IV. फार्मास्युटिकल एनालाइसिस में एम.एस. और पीएचडी (2021-22)
V. फार्मास्यूटिक्स में एम.एस. और पीएचडी (2021-22)
VI. रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी में एम.एस. और पीएचडी (2022-23)
VII. बायोफार्मास्युटिकल्स में एम.टेक

तालिका 5प

छात्रों का वार्षिक प्रवेश - पाठ्यक्रमानुसार

क्रमांक	विभाग	पीजी	पीएच.डी.	आई.पी.एच.डी.	कुल प्रवेश
1	बायोटेक्नोलॉजी	18	5	-	23
2	फार्मेसी प्रैक्टिस	18	2	-	20
3	फार्माकोलॉजी एण्ड टॉक्सिकोलॉजी	18	5	3	26
4	फार्मास्युटिकल एनालाइसिस	16	2	2	20
5	फार्मास्यूटिक्स	16	5	4	25
6	रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी	14	-	-	14
7	बायोफार्मास्यूटिकल्स	10	2	-	12

5.6.1 उपलब्धियां

स्थापना के बाद से, अभी तक कुल 566 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं (एम.फार्मा- 546 और पीएचडी- 20), 269 शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं और अब तक 20 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, उनमें से चार समझौता ज्ञापनों पर इस शैक्षणिक वर्ष (2023-24) के दौरान हस्ताक्षर किए गए है। संस्थान द्वारा दायर कुल 11 पेटेंट में से एक भारतीय पेटेंट वर्ष 2023 में दायर किया गया था।

5.6.2 संकाय एवं कर्मचारियों का विवरण

शैक्षणिक : निदेशक और 12 (नियमित)
गैर-शैक्षणिक : 20 (नियमित)

5.6.3 पिछले 5 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा आवंटित कुल धनराशि

तालिका 5फ

(पिछले 5 वर्षों के दौरान नाईपर हाजीपुर को सरकार द्वारा निधि आबंटन)

वर्ष	अनुमानित बजट	संशोधित अनुमान	कुल जारी राशि (रुपए करोड़ में)
2019-20	10.50	10.50	5.00
2020-21	15.00	26.00	26.00
2021-22	21.00	41.00	41.00
2022-23	43.00	43.00	37.00
2023-24	63.00	18.00	18.00

5.6.4 छात्रों का विवरण

तालिका 5ब

(छात्रों का श्रेणीवार विवरण)

छात्र	पुरुष	महिला	सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	ईडब्ल्यूएस + पीएच	कुल
पीजी-II (वर्तमान) (बैच 2022-24)	49	42	29	38	17	06	01	91
पीजी-I (वर्तमान) (बैच 2023-25)	68	41	57	24	12	5	11	109
आई.पी.एच.डी. (ऑन रोल)	4	3	3	3	1	0	0	7
पीएचडी (ऑन रोल)	29	27	27	16	9	3	1	56

5.6.5 शिक्षक-छात्र अनुपात

1:18

5.6.6 प्लेसमेंट

नाईपर-हाजीपुर ने उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छात्रों/शोध विद्वानों को उचित करियर/प्लेसमेंट, आवश्यक ज्ञान, कौशल और प्रवृत्ति हेतु वर्ष 2021 में "प्रशिक्षण और प्लेसमेंट सेल" की स्थापना की। पीएंडटीसी भर्ती, इंटर्नशिप और प्रशिक्षण पर अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्यों और नीतियों के साथ कार्य कर रहा है। यह सेल छात्रों/विद्वानों के डेटाबेस और समय-समय पर फीडबैक तंत्र को बनाए रखने के माध्यम से गुणवत्ता प्रणाली में निरंतर सुधार के लिए उत्तरदायी है।

पीएंडटीसी के उद्देश्य

- इंटरैक्टिव सत्रों के माध्यम से विद्वानों को अपना करियर चुनने में सहायता करना।

- करियर मार्गदर्शन/परामर्श सत्र और व्यक्तित्व विकास सत्र की व्यवस्था करना।
- मॉक साक्षात्कार, साक्षात्कार स्किल्स, सॉफ्ट-स्किल्स, संवाद स्किल्स पर मार्गदर्शन के माध्यम से ऑन/ऑफ कैंपस भर्ती के लिए विद्वानों को प्रशिक्षित करना।
- पूर्व छात्र इंटरैक्टिव सत्रों के माध्यम से वर्तमान छात्रों/विद्वानों का पूर्व छात्रों से संपर्क करवाना।
- विभाग प्रभारी के साथ समन्वय करके पाठ्यक्रम आवश्यकता/विशिष्ट कौशल आवश्यकता के भाग के रूप में प्रशिक्षण के लिए छात्रों/विद्वानों को रखने के लिए उद्योग संपर्क स्थापित करना।
- इंटरैक्टिव सत्रों/कार्यक्रमों, सेमिनारों, कार्यशालाओं, अतिथि व्याख्यानों और सम्मेलनों में उद्योग विशेषज्ञों/कार्मिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- विनियामक प्रस्तुतियाँ और रैंकिंग के लिए आवश्यकतानुसार प्लेसमेंट डेटाबेस बनाए रखना।

कैंपस प्लेसमेंट का प्लेसमेंट रिकॉर्ड का विवरण (31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार) तालिका 5भ में दिया गया है।

तालिका 5भ

(कैंपस प्लेसमेंट का प्लेसमेंट रिकॉर्ड विवरण)

वर्ष	कुल स्नातक	कुल नियोजित	उद्योग में नियोजित, जेआरएफ/परियोजना फैलो	उच्चतर शिक्षा का चयन करने वाले	नियोजित %
2018-19	32	26	21	4	81.26
2019-20	36	13	9	4	36.11
2020-21	44	32	18	18	72.72
2021-22	51	43	32	16	84.31
2022-23	71	63	36	27	88.73

ग्राफ 5क

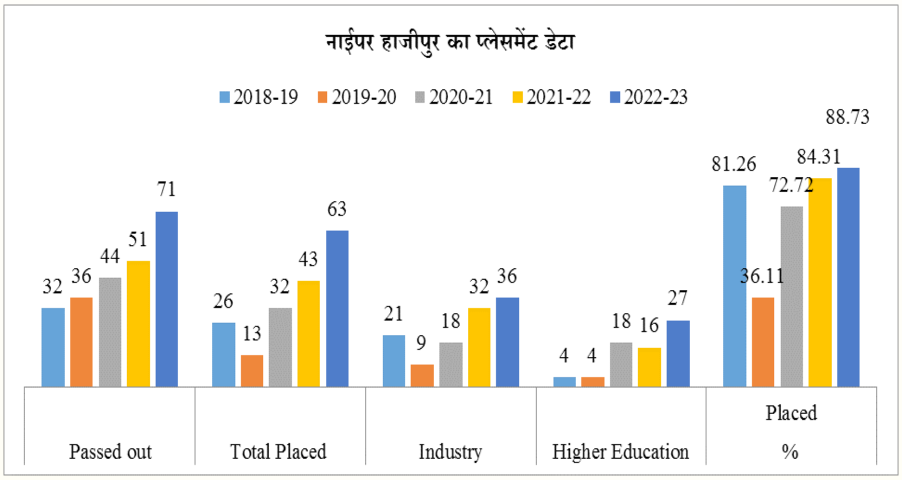

भर्ती करने वालों में नोवार्टिस, अरबिंदो, फ्रायर सॉल्यूशंस, आईक्यूवीआईए, इंडिजीन, ताज फार्मा, जॉन्सन एंड जॉन्सन, आईसीएमआर-आरएमआरआईएमएस(जेआरएफ), एम्स(जेआरएफ), पैनेसिया बायोटेक, मैनकाइंड फार्मा, टीसीएस, जीनेसिस, कॉग्निजेंट, डेल्वेनसाइट, कैडिला, एपीसीईआर और पैरेक्सेल जैसी प्रतिष्ठित कंपनियां शामिल हैं ।

5.6.7 अनुसंधान

विभागीय अनुसंधान कार्यकलाप : जैव प्रौद्योगिकी विभाग

- फंगल, परजीवी और यकृत रोगों के लिए नैनो-मेडिसिन आधारित ड्रग डिलीवरी
- दवा जांच में पशु मॉडल के प्रतिस्थापन के लिए 3डी ऑर्गन डेवलपमेंट
- ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस-मीडियेटीड रोगों के खिलाफ बायोमेडिकल एप्लिकेशन के लिए नैनोजाइम विकास
- रोगाणुरोधी प्रतिरोध के लिए क्वांटम डॉट्स-आधारित दवा वितरण
- रिजेनेरेटिव चिकित्सा (टिश्यू इंजीनियरिंग) और स्टेम कोशिकाओं की नैनो-इंजीनियरिंग के लिए नवीन दृष्टिकोण
- एंजाइम परख और एंटीबॉडी विकास के लिए जीवाणु और पिचिया पास्टोरिस एक्सप्रेशन प्रणाली का उपयोग करते हुए पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी

विभागीय अनुसंधान कार्यकलाप: फार्मेसी पद्धति विभाग

- फार्माकोविजिलेंस और मेटेरियोविजिलेंस
- औषध सुरक्षा और वहनीयता एवं पहुंच सहित औषधि उपयोगिता समीक्षा
- इन्फेक्शियस रोग एवं एएमआरः एचआईवी, टीबी एवं लेशमैनिएसिस
- क्लिनिकल प्रभावकारिता एवं सुरक्षा अध्ययन
- फार्माकोजेनेटिक और बायोमार्कर स्टडीज

विभागीय अनुसंधान कार्यकलाप : फार्माकोलॉजी एवं टॉक्सिकोलॉजी विभाग और रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी

- मनोदशा को उलटने और कॉग्निटिव डेफिसिट एजिंग, अल्जाइमर रोग, और कैंसर या कीमोथेरेपी-प्रेरित मस्तिष्क विकारों के लिए फार्माकोलॉजिकल, आनुवंशिक और स्टेम सेल-आधारित हस्तक्षेपों का विकास करना।
- न्यूरोलोजिकल विकारों, कैंसर, मधुमेह और संक्रामक रोगों का पता लगाने, रोग का निदान करने और चिकित्सीय मूल्यांकन के लिए सरल, किफ़ायती और उपयोग में आसान बायोमार्कर की पहचान करना।
- हर्बल, सिंथेटिक और बायोलोजिकल उत्पादों की एडीएमईटी प्रोफाइल स्थापित करने के लिए इनका फार्माकोकाइनेटिक आधारित अध्ययन।
- प्लांट आधारित सिंथेटिक और बायोलोजिकल उत्पादों की सुरक्षा प्रोफाइल स्थापित करने के लिए इनका टोक्सकिोलॉजिकल अध्ययन।

विभागीय अनुसंधान कार्यकलाप : फार्मास्यूटिक्स विभाग

- पारंपरिक, संशोधित-रिलीज, साइट-स्पेसिफिक और लक्षित दवा प्रदानगी प्रणाली।
- नैनो-प्रौद्योगिकी आधारित फार्मुलेशनों का विकास।
- पुअर वाटर सोल्युबल दवाओं की पार्टिकल इंजीनियरिंग और सोल्युबिलिटी एन्हैंस्मेंट।
- फॉर्मुलेशन विकास में क्यूबीडी (डीओई) और कंप्यूटर एडेड एप्रोच को एकीकृत करना।
- एपीआई और फॉर्मुलेशनों का इन-विट्रो और एक्स-विवो / इन-विवो लक्षण वर्णन।

औषध विश्लेषण विभाग

- माइक्रोबियल, पशु ऊतक और मानव सीरम की एलसी-एचआरएमएस-आधारित प्रोटिओमिक्स प्रोफाइलिंग;
- सी.एलेजंस का मेटाबोलॉमिक्स डेटाबेस विकास;

- प्राकृतिक उत्पाद प्रोफाइलिंग/पहचान द्वितीयक मेटाबोलाइट (नाईपर-जी के साथ सामान्य अनुसंधान योजना)
- औषध उत्पादों में नाइट्रोसामाइन नियंत्रण (नाईपर-कोलकाता के साथ साझा अनुसंधान योजना)
- प्रोटिओमिक्स-आधारित लक्ष्य पहचान, और माइक्रोबियल/कैंसर दवा प्रतिरोधक का तंत्र अध्ययन
- कैंसर चिकित्सा विज्ञान में खाद्य-ओमिक्स,
- एक्यूबीडी/क्यूएसआरआर/आईसीएचक्यू14 पद्धति द्वारा एलसी-एचआरएमएस, एचपीएलसी/प्रैप. एचपीएलसी का उपयोग करते हुए उद्योग-संबंधित विश्लेषणात्मक पद्धति का विकास।

बायोफार्मास्युटिकल्स विभाग

- बैक्टीरियल, फंगल और बैकुलोवायरस एक्सप्रेशन प्रणालियों से प्रोटीन की क्लोनिंग, एक्सप्रेशन और शुद्धिकरण
- फेग डिस्प्ले, यीस्ट सरफेस डिस्प्ले और एंटीबॉडी इंजीनियरिंग
- जैव रासायनिक इंजीनियरिंग, फर्मेंटेशन प्रौद्योगिकी, और डाउनस्ट्रीम प्रसंस्करण
- मोनोक्लोनल एंटीबॉडी तैयार करने के लिए हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी का विकास

5.6.8 प्रभाव और उपलब्धियां

- यह संस्थान एनआईआरएफ रैंकिंग में अपनी स्थिति सुधारने के लिए निरंतर प्रयासरत है। एनआईआरएफ 2023 में नाईपर हाजीपुर को 44वां स्थान मिला है, जो पिछले वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय सुधार है।
- स्थापना के बाद से, 564 स्नातकोत्तर डिग्री और 21 पीएचडी डिग्री प्रदान की गई हैं।
- 335 प्रकाशन, 21 समझौता ज्ञापन और 11 पेटेंट का अनुसंधान परिणाम दर्ज किया गया है।
- आईसीएमआर, डीएसटी-एसईआरबी, डीएसटी (असामान्य रोग), डीएनडीआई आदि सहित विभिन्न वित्त पोषण निकायों द्वारा संकाय को कुल 7 वित्त पोषित बाह्य अनुसंधान अनुदान स्वीकृत किए गए हैं।
- संस्थान की केंद्रीय उपकरण सुविधा (सीआईएफ) ने जैव विश्लेषण (आईसीपीएमएस, एलसीएचआरएमएस) के लिए चिकित्सकों के साथ सहभागिता की है।
- नाईपर हाजीपुर के विद्वानों को राष्ट्रीय स्तर पर 5 सर्वश्रेष्ठ शोध प्रस्तुतियाँ/पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।
- संस्थान ने अनुसंधान और शैक्षणिक मानकों के संवर्धन हेतु पशु गृह सुविधा, केंद्रीय उपकरण सुविधा और सेल कल्चर सुविधा, पायलट फॉर्मूलेशन यूनिट सुविधा विकसित की है। नए भवन के साथ बुनियादी ढांचे का विस्तार प्रगति पर है।
- पुरुष और महिलाओं के लिए अलग-अलग छात्रावास, पीएचडी स्कॉलर्स, कैम्पस मेडिकल सुविधा का पर्याप्त प्रबंध किया गया है, तथा बुनियादी ढांचे के विस्तार का कार्य जारी है।
- शैक्षणिक वर्ष 2023 में, बायोफार्मास्युटिकल्स शाखा को मास्टर्स कोर्स के साथ जोड़ा गया है।

31 जुलाई, 2023 को नाईपर हाजीपुर के 5वे दीक्षांत समारोह का आयोजन

5.7 नाईपर गुवाहाटी

नाईपर गुवाहाटी ने वर्ष 2008 से अपना कार्य शुरू करते हुए मेंटर संस्थान, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, के अंतर्गत जुलाई, 2017 तक कार्य किया। पहले नियमित निदेशक ने 3 नवम्बर, 2016 को संस्थान का पदभार संभाला। नाईपर गुवाहाटी जनवरी, 2020 से चांगसेरी, कामरूप (ग्रामीण), उत्तरी गुवाहाटी, असम स्थित अपने स्थायी परिसर से कार्य कर रहा है। संस्थान को 12 जनवरी, 2024 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस संस्थान के पास भारत सरकार के प्रीमियम वित्त पोषण एजेंसियों द्वारा पहचाने गए दस (10) राष्ट्रीय केंद्र हैं अर्थात्

i. प्रौद्योगिकी विकास हस्तांतरण बोर्ड, डीएसटी द्वारा वित्तपोषित राष्ट्रीय फार्माकोइन्जिनियरिंग केंद्र;
ii. बायोनेस्ट इन्क्यूबेशन सेंटर, बीआईआरएसी, डीबीटी
iii. जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल मंत्रालय से जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल उत्कृष्टता केंद्र
iv. जीएमपी मान्यता प्राप्त पायलट स्केल-अप निष्कर्षण सुविधाकेंद्र डीबीटी
v. टीआईईएस (ट्रेड इन्फ्रास्ट्रकचर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम), वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों में हर्बल उद्योग के लिए गुणवत्ता मूल्यांकन और मूल्यवर्धन केंद्र
vi. उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की ओर से जीएलपी मान्यता प्राप्त पशु घर सुविधा केन्द्र।
vii. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय से औषध डिजाइन के लिए उन्नत केंद्र
viii. भारतीय फार्माकोपिया आयोग (आईपीसी) से फार्माकोविजिलेंस सेंटर, परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय
ix. अटल-इन्क्यूबेशन सेंटर, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, और
x. फाइटो-फार्मास्युटिकल्स पर (के लिए) उत्कृष्टता केंद्र

5.7.1 उपलब्धियां

i. पीएच.डी. – 144 (नामांकित), डिग्री से सम्मानित – 39 (संस्थान के प्रारंभ से),
ii. कुल एमएस (फार्मा.) / एम.फार्मा / एम.टेक (संस्थान के प्रारंभ से),
पंजीकृत छात्रों की संख्या : 1023
स्नातक : 679
वर्तमान में 328 छात्र पीजी कार्यक्रम और 29 छात्र एकीकृत पीजी पीएचडी कार्यक्रम में अध्ययन कर रहे हैं।
iii. प्रकाशन: समकक्ष समीक्षित राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में कुल 716 लेख प्रकाशित हुए हैं जिनमें से 177 लेख वर्ष 2023-24 में प्रकाशित हुए हैं।
iv. संस्थान के पास कुल 21 पेटेंट हैं जिनमें 03 डिज़ाइन पेटेंट, 2 कॉपीराइट और 03 प्रक्रिया पेटेंट शामिल हैं।

5.7.2. संकाय और स्टाफ का ब्योरा

प्रशासनिक स्टाफ	:	42
शैक्षणिक स्टाफ	:	26
प्रोफेसर	:	30
एसोसिएट प्रोफेसर	:	5
सहायक प्रोफेसर	:	18 (2 तदर्थ)
अनुसंधान सहयोगी	:	09
तकनीकी स्टाफ	:	61
बहुकार्य स्टाफ	:	53
रामलिंगास्वामी फेलो	:	10

5.7.3 पिछले 5 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा आबंटित कुल धनराशि

तालिका-5म
(नाईपर, गुवाहाटी को निधि आबंटन)

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	आबंटित बजट अनुमान	आबंटित संशोधित अनुमान	कुल जारी राशि
2019-20	36.90	43.90	43.90
2020-21	34.45	79.45	79.45
2021-22	38.70	59.45	59.45
2022-23	35.00	103.53	106.49
2023-24	50.00	22.88	22.88

5.7.4 छात्र

वर्षवार प्रस्तावित डिग्रियों/ कार्यक्रमों और विषयों का विवरण तालिका 5य में दिया गया है।

तालिका-5य
(विभिन्न विषयों में प्रवेश की स्थिति)

स्तर मास्टर्स/ डोकटोरल	डिग्री एमएस/ एमबीए/ एम.टेक/ पीएचडी	विषय	वर्ष					
			2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
मास्टर्स	एमएस (फार्मा.)	फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी	15	15	15	18	19	24
मास्टर्स	एमएस (फार्मा.)	जैव प्रौद्योगिकी	10	10	10	10	15	17
मास्टर्स	एमएस (फार्मा.)	फार्मास्युटिकल विश्लेषण	15	18	19	25	26	29
मास्टर्स	एमएस (फार्मा.)	फर्मास्युटिक्स	15	18	18	20	24	28
मास्टर्स	एमएस (फार्मा.)	औषधीय रसायन शास्त्र	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	11	12	15	19
मास्टर्स	एम. फार्म.	फार्मेसी प्रैक्टिस	10	9	10	12	14	20
मास्टर्स	एम. फार्म.	फार्मास्युटिकल टेक्नोलॉजी (फॉर्मूलेशन)	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	11	12	14	22
मास्टर्स	एम.टेक.	चिकित्सा उपकरण	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	9	16	16	18
मास्टर्स	एम.टेक.	बायोफार्मास्यूटिकल्स	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	12
एकीकृत पीजी-पीएचडी	एकीकृत पीजी-पीएचडी	फार्मेसी प्रैक्टिस	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	3

एकीकृत पीजी-पीएचडी	एकीकृत पीजी-पीएचडी	फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	01	5
एकीकृत पीजी-पीएचडी	एकीकृत पीजी-पीएचडी	जैव प्रौद्योगिकी	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	3
एकीकृत पीजी-पीएचडी	एकीकृत पीजी-पीएचडी	फार्मास्युटिकल विश्लेषण	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	4
एकीकृत पीजी-पीएचडी	एकीकृत पीजी-पीएचडी	फार्मास्यूटिक्स	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	01	3
एकीकृत पीजी-पीएचडी	एकीकृत पीजी-पीएचडी	औषधीय रसायन शास्त्र	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	4
एकीकृत पीजी-पीएचडी	एकीकृत पीजी-पीएचडी	फार्मास्युटिकल टेक्नोलॉजी (फॉर्मूलेशन)	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	01	4
एकीकृत पीजी-पीएचडी	एकीकृत पीजी-पीएचडी	चिकित्सा उपकरण	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	1
डॉक्टरेट	पीएच.डी.	फार्मेसी प्रैक्टिस	1	1	1+1*	3	1+1 #	1
डॉक्टरेट	पीएच.डी.	औषध और विष विज्ञान	2+2*	1+2*	2	3	7	3
डॉक्टरेट	पीएच.डी.	जैव प्रौद्योगिकी	1	0	2	3	6+1*	1
डॉक्टरेट	पीएच.डी.	फार्मास्युटिकल विश्लेषण	1*	1+1*	2+1*	5	6	5+1*
डॉक्टरेट	पीएच.डी.	फार्मास्यूटिक्स	2*	1+3*	4+1*	7	8	3+2*
डॉक्टरेट	पीएच.डी.	औषधीय रसायन विज्ञान	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	2	4	4	2
डॉक्टरेट	पीएच.डी.	चिकित्सा उपकरण	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	4
डॉक्टरेट	पीएच.डी.	फार्मास्युटिकल टेक्नोलॉजी (फॉर्मूलेशन)	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	3

***पीएचडी परियोजना सीटें**

#पीएचडी डीएसटी इन्सपायर फैलो

5.7.5 शिक्षक-छात्र अनुपात

फार्मेसी प्रैक्टिस	:	1:23
फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी	:	1:16
बायोटेक्नोलॉजी	:	1:16
फार्मास्यूटिक्स	:	1:20
औषध विश्लेषण	:	1:16

फार्मास्युटिकल टेक्नोलोजी(फार्मुलेशन)	:	1:15
औषधीय रसायन विज्ञान	:	1:17
चिकित्सा उपकरण	:	1:17

5.7.6 रोजगार/ नियोजन की स्थिति :

वर्ष 2022-23 में 120 छात्रों में से 78 छात्रों की ऑन अथवा ऑफ-कैंपस प्लेसमेंट के दौरान प्रतिष्ठित दवा उद्योगों में नियुक्ति हुई है। इनमें से कुछ कंपनियों का नाम उल्लेखनीय है - डॉ. रेड्डीज, वियाट्रिस, पिनेकल लाइफ साइंसेज, म्यू सिग्मा, ग्लैंड फार्मा, मैकलियोड्स, एरागेन, साई लाइफसाइंसेज, सिंजीन, एमसी एनालिटिक्स, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मावेन प्रोफकॉन सर्विसेज और एएमटीजेड। शेष 42 छात्रों ने उच्च शिक्षा का विकल्प चुना और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में पीएचडी के लिए दाखिला लिया।

5.7.7 अनुसंधान

जैव प्रौद्योगिकी:

- कैंसर और कार्डियोमेटाबोलिक विकार में लक्ष्य-आधारित और फेनोटाइप-आधारित औषधि खोज
- चिकित्सीय हस्तक्षेप के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित बैक्टीरिया
- नवीन लक्ष्यों की पहचान करना और एक परख प्रणाली विकसित करना
- फार्माकोजेनेटिक्स और वैयक्तिकृत चिकित्सा
- रोग तंत्र : इन्फ्लेमेशन और ऊर्जा मेटाबोलिज्म
- विकासात्मक दोष और कार्डियक रिप्रोग्रामिंग
- स्तन कैंसर जीव विज्ञान और दवा प्रतिरोध तंत्र
- ओवेरियन कैंसर के लिए नवीन पेप्टाइड आधारित एंटीकैंसर लक्षित चिकित्सा विज्ञान
- कैंसर प्रोरीग्रेशन में क्लोनल इवोल्यूशन का जीव विज्ञान
- बेसिक बायोलॉजी- स्टेम सेल बायोलॉजी और सिग्नल ट्रांस्डक्शन
- बायोफार्मास्युटिकल टेक्नोलॉजी- चिकित्सीय रूप से महत्वपूर्ण प्रोटीन और पेप्टाइड्स
- छोटे अणुओं और पौधों से प्राप्त उत्पादों की जांच करना

फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी :

- कैंसर और इसकी जटिलताएँ
- ज्वलनशील स्थितियां : रह्यूमैटायड आर्थराइटिस, अलसेरेटिव कोलाइटिस और सोरायसिस
- श्वसन रोग: दमा, सीओपीडी और लंग फाइब्रोसिस
- न्यूरोडीजेनेरेटिव रोग: अल्जाइमर और पार्किंसंस रोग, मिर्गी आदि।
- रीनल फाइब्रोसिस, हेपेटिक फाइब्रोसिस जैसे फाइब्रोटिक विकार
- कार्डियो-रीनल फार्माकोलॉजी
- मधुमेह और इसकी जटिलताएं, मुख्य रूप से नेफ्रोपैथी, कार्डियोमायोपैथी और न्यूरोपैथी
- संक्रामक रोग: मलेरिया
- ओईसीडी दिशानिर्देशों के अनुसार विषविज्ञान संबंधी अध्ययन
- थेरानोस्टिक एप्रोच

फार्मेसी प्रैक्टिस:

- क्लिनिकल और ट्रांसलेशनल रिसर्च
- बायोमार्कर डिस्कवरी
- फार्माकोजेनोमिक्स
- रोग प्रबंधन कार्यक्रम के लिए नैदानिक अध्ययन
- दवा उपयोगिता मूल्यांकन
- दवा सुरक्षा मूल्यांकन
- जनजातीय जनसंख्या स्वास्थ्य परिणाम मूल्यांकन
- स्वास्थ्य अर्थशास्त्र और परिणाम अनुसंधान
- साक्ष्य संश्लेषण

फार्मास्युटिक्स:

- बीसीएस-II & III दवाओं के लिए खुराक प्रपत्र डिजाइन, विकास, अनुकूलन और मूल्यांकन
- घातक रोगों और अन्य जानलेवा बीमारियों का शीघ्र पता लगाने और उपचार के लिए सूक्ष्म और नैनोथेराग्नोसिस अवधारणाएं
- मानव शरीर में प्रत्यारोपित या सम्मिलित चिकित्सा उपकरणों की सतहों से बायोफिल्म - उत्पादक सूक्ष्मजीवों का उन्मूलन
- लिगैंड एंक्रेड लिपिड/बहुलक-मध्यस्थ नैनोआर्किटेक्टोनिक्स
- उपेक्षित रोगों से लड़ने के लिए फार्माकोइंजीनियरिंग एप्रोच
- फार्मास्युटिकल एक्टिव मैनुफैक्चरिंग इंजीनियरिंग/3डी-4डी प्रिंटिंग टेक्नोलोजी
- गहन मोलिक्यूलर इनसाइट के साथ अंग/ लिम्फैटिक डिलीवरी के लिए नैनोमेडिसिन
- फ्यूज्ड-फिलामेंट्स अनुप्रयोगों के लिए एक्सट्रूज़न आधारित फिलामेंट्स प्रोसेसिंग
- ट्रांसलेशनल अत्याधुनिक फार्मास्युटिकल अनुसंधान एवं विकास

औषधीय विश्लेषण:

- विभिन्न कैंसर, हृदय और मेटाबोलिक संबंधी विकारों के मेटाबोलोमिक्स और लिपिडोमिक प्रोफाइलिंग
- चिरल क्रोमैटोग्राफी तकनीक का उपयोग करके चिरल फार्मास्युटिकल यौगिकों का एनैन्टीओमेरिक पृथक्करण
- एंटीयोमेरिक स्थिरता, फार्माकोकाइनेटिक्स और चिरल दवाओं की मेटाबोलिक प्रोफाइलिंग
- एलसी-एमएस/एमएस और जीसी/एमएस का उपयोग करके मानव जोखिम को चिह्नित करने के लिए अंतःस्रावी व्यवधानों और अन्य उभरते पर्यावरणीय प्रदूषकों की बायोमोनिटरिंग
- फार्मास्यूटिकल्स की स्थिरता पर बिगड़े हुए पर्यावरण का प्रभाव
- भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र से पौधे का फाइटो-मेटाबोलोमिक्स अध्ययन
- विश्लेषणात्मक और जैवविश्लेषणात्मक विधि विकास और सत्यापन
- दवाओं और मेटाबोलाइट्स के फार्माकोकाइनेटिक अध्ययन
- ड्रग मेटाबोलाइट्स की पहचान और लक्षण वर्णन।
- ठोस अवस्था लक्षण वर्णन - संदर्भ सामग्री विकास
- नैनो प्रौद्योगिकी आधारित उत्पाद विकास

औषधीय रसायन शास्त्र

- सक्रिय दवा सामग्री (एपीआई)/केएसएम/मध्यवर्ती सामग्री संश्लेषण
- सतत विकासः जैव-सक्रिय यौगिकों और एनसीई तक पहुंचने के लिए अणु-कुशल, लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल नए सिंथेटिक मार्ग
- कार्बोहाइड्रेट रसायन, विषमचक्रीय रसायन और बहुचरण संश्लेषण
- दवा संश्लेषण के लिए ओर्गेनिक इलेक्ट्रोकैमिस्ट्री के अनुप्रयोग
- प्राकृतिक उत्पाद एपीआई (निष्कर्षण, आइसोलेशन, शुद्धिकरण और लक्षण वर्णन)
- ड्रग डिस्कवरी चिकित्सीय लक्ष्यः सूक्ष्मजीव (हेपेटाइटिस सी वायरस और बैक्टीरिया), कैंसर (एचसीए, एमआरएनए बाइंडिंग प्रोटीन-एचयूआर, एचडीएसी), तंत्रिका संबंधी विकार (मिर्गी और अल्जाइमर रोग), अल्सरोजेनिक घाव भरना आदि।
- एआई-गाइडिड ड्रग डिजाइन एवं ड्रग मेटाबोलिज्म

फार्मास्युटिकल टेक्नोलॉजी (फॉर्मुलेशन)

- प्रीफॉर्मुलेशन स्क्रीनिंग
- प्राकृतिक बायो-एक्टिव्स सहित बीसीएस वर्ग II और IV मोलीक्यूल्स की बेहतर सुपुर्दगी के लिए प्रोटोटाइप फॉर्मूलेशन विकसित करना।
- क्यूबीडी सिद्धांतों के आधार पर खुराक स्वरूपों का अनुकूलन
- एमॉर्फस दवा वितरण प्रौद्योगिकी (एमॉर्फस ठोस फैलाव, सह-एमॉर्फस प्रणाली)
- जेनेरिक दवाएं बनाने के लिए उत्पाद के निर्माण की रिवर्स इंजीनियरिंग
- हर्बल उत्पाद विकास
- आसमाटिक दवा वितरण प्रणाली
- बहु–कणीय दवा वितरण प्रणाली

चिकित्सा उपकरण:

- बायोसेंसर
- अल्ट्राथिन सेंसर पेपर आधारित डायग्नोस्टिक्स
- नेनोबायोटेक्नोलॉजी
- माइक्रोफ्लुइडिक्स उपकरण
- कैंसर बायोमार्कर का मल्टीप्लेक्स्ड डिटेक्शन
- स्कैफोल्ड आधारित टिश्यू इंजीनियरिंग
- बायोमटेरियल, 3डी स्फेरोइड्स
- बायोरिएक्टरों का डिजाइन और विनिर्माण
- हाइपोडर्मिक सुइयों, एकल उपयोग सिरिंजों, कैथेटरों और वर्ग क एवं ख चिकित्सा उपकरणों का यांत्रिक लक्षण वर्णन
- आईएस/आईएसओ और नियामक मानकों के अनुसार चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का अंशांकन और कार्यनिष्पादन मापन।

बायोफार्मास्युटिकल्स:

- पुनः संयोजक प्रोटीन के एक्सप्रेशन के लिए सेल लाइन विकास और इंजीनियरिंग
- बायोथेरेप्यूटिक्स के उत्पादन के लिए प्रक्रिया विकास - स्केल-अप और स्केल-डाउन दृष्टिकोण
- बायोथेरेप्यूटिक्स के उत्पादन के लिए डाउनस्ट्रीम प्रसंस्करण
- एमएस के माध्यम से बायोथेरेप्यूटिक्स का पोस्ट-ट्रांसलेशनल संशोधन लक्षण वर्णन
- बायोथेरेप्यूटिक्स के उच्च क्रम संरचना विश्लेषण के लिए एफटीआईआर
- बायोथेरेप्यूटिक्स के लिए प्रख्यापन विकास

5.7.8 विद्यार्थी का नामांकन

पीएचडी छात्रों की वर्तमान संख्या: 88

(फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी-16; बायोटेक्नोलॉजी-13; फार्मेसी प्रैक्टिस-08; फार्मास्युटिक्स-21; फार्मास्युटिकल एनालिसिस-16; मेडिसिनल केमिस्ट्री-11 और फार्मास्युटिकल टेक्नोलॉजी (फॉर्मूलेशन)-03.

मास्टर्स छात्रों की वर्तमान संख्या: 328

(फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी-42; बायोटेक्नोलॉजी-32; फार्मेसी प्रैक्टिस-34; फार्मास्यूटिक्स-51; फार्मास्युटिकल एनालिसिस - 53; मेडिसिनल केमिस्ट्री - 34; फार्मास्युटिकल टेक्नोलॉजी (फॉर्मूलेशन)-36; मेडिकल डिवाइस-34 और बायोफार्मास्यूटिकल्स-12)

एकीकृत पीजी पीएचडी छात्रों की वर्तमान संख्या : 29

(फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी- 05; बायोटेक्नोलॉजी- 03; फार्मेसी प्रैक्टिस- 03; फार्मास्युटिक्स -04; फार्मास्युटिकल एनालिसिस- 04; मेडिसिनल केमिस्ट्री- 04; फार्मास्युटिकल टेक्नोलॉजी (फॉर्मूलेशन)- 05 और मेडिकल डिवाइस- 01)

तालिका 5र

(नामांकित/डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों की वर्षवार स्थिति)

क्रम सं.	बैच	नामांकित छात्रों की संख्या	डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या
1	2015-17	26	26
2	2016-18	35	35
3	2017-19	39	39
4	2018-20	65	65
5	2019-21	70	70
6	2020-22	100	100
7	2021-23	120	120
8	**कुल**	**455**	**455**

5.7.9 पेटेंट और व्यवसायीकरण

संस्थान के पास कुल 21 पेटेंट हैं जिनमें 03 डिज़ाइन पेटेंट, 2 कॉपीराइट और 03 प्रक्रिया पेटेंट शामिल हैं।

5.7.10 सहभागिता

नाईपर-गुवाहाटी ने 35 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। नाईपर-गुवाहाटी ने एनआरडीसी, आईआईएससी बेंगलुरु, सीआईपीईटी-गुवाहाटी, एनपीएल-नई दिल्ली, सीएसआईआर-सीडीआरआई, लखनऊ, सीएसआईआर-राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला (एनपीएल), एम्स गुवाहाटी, शंकरदेव नेत्रालय, गुवाहाटी, असम, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, एम्स-बीबीनगर, तेलंगाना, भारतीय फार्माकोपिया मिशन और बीवीजी लाइफ साइंसेज आदि जैसे अग्रणी संस्थानों/संगठनों के साथ समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया है।

5.7.11 नाईपर का प्रभाव

नाईपर गुवाहाटी भारत के पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान का प्रथम और सबसे प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है। इसने क्षेत्र में एक नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने और पोषित करने में मदद की है। यह संस्थान विभिन्न एजेंसियों और डीबीटी, आईसीएमआर, एसईआरबी, डीएसटी, बीआईआरएसी जैसे वित्त पोषण निकायों की विभिन्न बाहरी वित्त पोषित अनुसंधान परियोजनाओं के 9 नियमित विभागों के अलावा 10 राष्ट्रीय केंद्रों का संचालन कर रहा है। वर्ष 2023 एनआईआरएफ रैंकिंग में, इस संस्थान ने फार्मेसी श्रेणी के अंतर्गत 12वां स्थान प्राप्त किया।

नाईपर-गुवाहाटी परिसर 12 जनवरी, 2024 को राष्ट्र को समर्पित किया गया।

5.8 नाईपर- अहमदाबाद

नाईपर अहमदाबाद की स्थापना वर्ष 2007 में हुई थी और यह वर्तमान में गांधीनगर में स्थित है। संस्थान 08 विषयों (फार्मास्युटिक्स, औषध विश्लेषण, फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, प्राकृतिक उत्पाद, औषधीय रसायन विज्ञान और चिकित्सा उपकरण और औषध प्रबंधन) में एमएस (फार्मा.), एमबीए (फार्मा.), इंटीग्रेटेड पीएचडी और पीएचडी कार्यक्रम प्रदान कर रहा है। संस्थान का स्थान औषध एवं चिकित्सा उपकरण उद्योगों, अस्पतालों और अन्य विश्वविद्यालयों के साथ एक सहजीवी संबंध सुनिश्चित करता है। संस्थान का लक्ष्य फार्मा क्षेत्र में समग्र अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना तथा देश को वहनीय एवं गुणवत्तापूर्ण दवाएं और उपकरण उपलब्ध कराना है।

नाईपर अहमदाबाद के नए भवन का उद्घाटन माननीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा 30 सितंबर, 2023 को डॉ. मनसुख मांडविया, माननीय रसायन और उर्वरक और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और श्री भूपेंद्र पटेल, गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया।

5.8.1 उपलब्धियां:

राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क-2023 (एनआईआरएफ):- भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एनआईआरएफ 2023 के अनुसार भारत में सभी फार्मेसी शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों की अखिल भारतीय रैंकिंग में नाईपर अहमदाबाद को 13वां स्थान प्राप्त हुआ है।

प्रकाशन - संस्थान ने कुल 21812 उद्धरणों के साथ प्रतिष्ठित समकक्ष समीक्षा पत्रिकाओं में 1052 लेख प्रकाशित किए हैं।

पेटेंट - संस्थान ने अब तक 30 पेटेंट दायर किए हैं, जिनमें नाईपर अहमदाबाद के संकाय या छात्र आविष्कारक हैं। वित्तीय वर्ष 24-2023 के दौरान संस्थान ने 12 पेटेंट दायर किए और उसे एक पेटेंट प्रदान किया गया है।

हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन- संस्थान ने अब तक विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों के साथ 30 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

मास्टर कार्यक्रम में छात्र

i. 1007 मास्टर छात्रों ने नाईपर अहमदाबाद से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है और वे भारत और विदेशों में विभिन्न फार्मा उद्योगों में सुनियोजित हैं।

ii. वर्तमान में, 360 छात्र 8 विषयों में एम.एस. (फार्म), इंटीग्रेटेड पीजी-पीएचडी और एमबीए (फार्म) पाठ्यक्रम पूरा कर रहे हैं।

पीएचडी कार्यक्रम में छात्र

i. अब तक 39 छात्रों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की जा चुकी है।

ii. 129 छात्रों ने अपनी पीएचडी की पढ़ाई जारी रखी हुई है।

छात्रों का प्लेसमेंट - इच्छुक छात्र 100% प्लेसमेंट प्राप्त कर चुके हैं।

संकाय और कर्मचारियों का विवरण:

निदेशक के पद के अलावा, निम्नलिखित पद भरे गए हैं:

तालिका 5ल

(संकाय पदों का विवरण)

पद	नियमित	संविदात्मक
संकाय पद	22	0
गैर-संकाय पद	22	0

5.8.2 पिछले 5 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा आवंटित कुल धनराशि

तालिका 5व

(नाईपर, अहमदाबाद को वर्षवार निधि आवंटन)

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	आबंटन ब.अ.	आबंटन सं.अ.	कुल जारी
2019-20	15.00	18.50	18.50
2020-21	60.50	60.50	60.50
2021-22	54.00	54.00	54.00
2022-23	74.00	74.00	76.10
2023-24	78.00	33.42	33.42

5.8.3 छात्र

तालिका 5श

(प्रवेश स्थिति के साथ पेश किए गए डिग्री/कार्यक्रम और विषय (वर्ष सहित)

मास्टर्स/डॉक्टरेट	एमएस/ पीएचडी	विषय	दाखिल छात्रों की संख्या			
			2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	जैव प्रौद्योगिकी	15	15	15	16
एकीकृत पीजी-पीएचडी			-	-	-	2
डॉक्टरेट	पीएचडी		4	4	3	4
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	औषधीय रसायन शास्त्र	22	22	22	24
एकीकृत पीजी-पीएचडी			-	-	-	4
डॉक्टरेट	पीएचडी		5	5	9	3

मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	चिकित्सा उपकरण	15	15	15	15
एकीकृत पीजी-पीएचडी			-	-	-	1
डॉक्टरेट	पीएचडी		3	3	3	2
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	प्राकृतिक उत्पाद	12	12	16	17
एकीकृत पीजी-पीएचडी			-	-	-	4
डॉक्टरेट	पीएचडी		3	3	1	9
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	औषधि विश्लेषण	22	22	24	27
एकीकृत पीजी-पीएचडी			-	-	-	3
डॉक्टरेट	पीएचडी		5*1	5	8	5
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी	22	22	22	24
एकीकृत पीजी-पीएचडी			-	-	-	5
डॉक्टरेट	पीएचडी		5	5	8	0
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	फार्मास्यूटिक्स	22	22	25	25
एकीकृत पीजी-पीएचडी			-	-	-	3
डॉक्टरेट	पीएचडी		5	5	7	12
एमबीए (फार्मा)	एमबीए (फार्मा)		25	25	26	30
			186	**185**	**204**	**235**

5.8.4 शिक्षक-छात्र अनुपात:

वर्तमान में **1: 23** (22 संकाय: 489 छात्र)

5.8.5 नियोजनीयता/प्लेसमेंट स्थिति: पिछले 3 वर्षों की प्लेसमेंट स्थिति: कैम्पस में/कैम्पस के बाहर

तालिका 5ष

(पिछले 3 वर्षों की प्लेसमेंट स्थिति: कैम्पस में/कैम्पस के बाहर)

बैच	छात्रों की कुल संख्या	प्लेस किए गए छात्रों की कुल संख्या	उच्च अध्ययन के लिए जा रहे हैं
2019-21	107	85	22
2020-22	142	116	25
2021-23	151	124	26

5.8.6 शिक्षक: अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सहयोग

नाईपर अहमदाबाद ने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, बोस्टन, यूएसए, मियामी विश्वविद्यालय, यूएसए, कोपेनहेगन विश्वविद्यालय, डेनमार्क, वाशिंगटन विश्वविद्यालय, सिएटल, यूएसए; न्यूकैसल विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ बायोमेडिकल साइंसेज एंड फार्मेसी, ऑस्ट्रेलिया; मिसिसिपी विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ फार्मेसी, यूएसए; वेन स्टेट यूनिवर्सिटी यूज-इंस्पायर्ड बायोमटेरियल्स एंड इंटीग्रेटेड नैनो डिलीवरी सिस्टम्स लेबोरेटरी, यूएसए; और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आयरलैंड, गैलवे, आयरलैंड के संकायों के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सहयोग स्थापित किया है। इस पहल के तहत, इन विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थानों के अनुसंधान संकायों ने नाईपर अहमदाबाद के संकाय सदस्यों के साथ भावी अनुसंधान सहयोग और शैक्षणिक साझेदारी स्थापित करने की सहमति की है।

5.8.7 वर्ष 2023-24 के दौरान हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन

तालिका 5स

(हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों का विवरण)

क्र.सं.	समझौता ज्ञापन	तारीख
1	भारतीय जन स्वास्थ्य संस्थान (आईआईपीएच), गांधीनगर गुजरात	18-04-2023
2	लीसेस्टर स्कूल ऑफ फार्मेसी, डी मोंटफोर्ट यूनिवर्सिटी लीसेस्टर (डीएमयू), यूके	07-08-2023
3	फाइजर लिमिटेड	16-11-2023
4	ज़ाइडस	25-01-2024

5.8.8 अनुसंधान क्षेत्र:

जैव प्रौद्योगिकी विभाग

- ट्रांस्क्रिप्टोमेनैलिसिस के माध्यम से ओएससीसी रोगियों की आनुवांशिक प्रोफ़ाइल और बायोमार्कर पहचान
- आण्विक तंत्र को विच्छेदित करना जिसके द्वारा स्वस्थ कोशिकाएं कैंसरग्रस्त और मेटास्टेसाइज हो जाती हैं
- एमआईआरएनए के माध्यम से मधुमेह अपवृक्कता में एपिजेनेटिक मॉड्यूलेशन
- एक्सोजीनस हायालुरोनिक एसिड इन्डक्शन का उपयोग करके स्तन कैंसर स्टेम सेल को संशोधित करना
- कैंसर-रोधी अणुओं के डिजाइन और सत्यापन के लिए प्रयोगात्मक और कम्प्यूटेशनल दृष्टिकोण का संयोजन
- इंडोल आधारित कैंसर-रोधी यौगिकों का संरचनात्मक और कार्यात्मक मूल्यांकन हिस्टोन डीएसेटाइलिस (एचडीएसी) को लक्षित करता है
- टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में हिप्पोकैम्पल एसएएचपी मॉड्यूलेशन का आणविक लक्षण वर्णन
- उम्र बढ़ने में एसएएचपी की शक्ति में जंक्शन प्रोटीन को जोड़ने वाले ईआर-पीएम की भूमिका
- नियामक तंत्र की आणविक पहचान जो डोरोसेवेंट्रल हिप्पोकैम्पस न्यूरॉन्स के अंतर उत्तेजना पैटर्न को नियंत्रित करती है
- इस्केमिक मस्तिष्क की चोट में एल-टाइप कैल्शियम चैनलों का विभेदक विनियमन
- तीव्र माइलॉयड ल्यूकेमिया (एएमएल) के लिए लक्षित चिकित्सीय का विकास।

औषधीय रसायन विज्ञान विभाग

- ऑरल कैंसर और अल्जाइमर रोग के प्रति लक्ष्य आधारित जैवसक्रिय स्कैफोल्ड अन्वेषण।
- बायोमेडिकल अनुप्रयोगों और टिश्यु इन्जिनियरिंग के लिए पेप्टाइड्स और पेप्टाइडोमिमेटिक्स आधारित सॉफ्ट सामग्री
- एडिटिव और रिडक्टेंट-मुक्त निकेल कटैलिसीस के अंतर्गत एलिलिक अल्कोहल को नियोजित करते हुए कार्बोनेट-सक्षम एलिलिक एमिनेशन प्रतिक्रियाएं उधार लेना
- फार्मास्यूटिकल्स (दवाओं) के संश्लेषण की ओर हरित रासायनिक प्रक्रिया
- ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम पाइरूवेट किनेज एम2 (पीकेएम2) के अवरोध के परिणामस्वरूप ट्यूमर प्रतिगमन होता है
- कैंसर रोधी अणुओं को प्राप्त करने के लिए इमिडाज़ोपाइरी(मि)डाइन्स और उनके व्युत्पन्नों का संश्लेषण
- पाइरूवेट काइनेज आइसोफॉर्म एम2 को लक्षित करने वाले प्रोटैक्स का डिज़ाइन

चिकित्सा उपकरण विभाग:

- चिकित्सा उपकरणों और जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों के विकास में बायोमटेरियल प्लेटफार्म
- इंटरवर्टेब्रल डिस्क की मरम्मत के लिए बायोइंजीनियर्ड थ्री-डायमेंशनल एलाइन्ड स्कैफोल्ड
- रीढ़ की हड्डी के पुनर्जनन के लिए पॉलिमरिक नाली
- मस्कुलोस्केलेटल ऊतक पुनर्जनन और मरम्मत के लिए स्मार्ट 3डी स्मार्ट स्कैफोल्ड
- स्वाइन फ्लू का पता लगाने के लिए कागज़-आधारित डायग्नोस्टिक बायोसेंसर
- गैर-आक्रामक ऑरल कैंसर का पता लगाने के लिए बायोसेंसर का विकास
- यकृत कैंसर का पता लगाने के लिए बायोसेंसर का विकास
- कैंसर पर फोकस के साथ बायोइंजीनियर्ड 3डी रोग मॉडल का विकास
- रोग जीव विज्ञान को समझने के लिए इन विट्रो बायोफिजिकल माइक्रोएन्वायरमेंट का विनिर्माण
- कैंसर का जल्द पता लगाने के लिए नॉन-इनवेसिव स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म

प्राकृतिक उत्पाद विभाग:-

- पादप स्रोतों से नए जैव सक्रिय प्राकृतिक उत्पादों के अलगाव के लिए एलसी-एमएस आधारित डेरेप्लीकेशन कार्यनीति
- नोवल बायोएक्टिव स्कैफोल्ड की खोज के लिए एंडोलिकेनिक कवक की जैव-पूर्वेक्षण
- जीएलपी-1आर एगोनिस्ट गतिविधि रखने वाले पौधे-व्युत्पन्न प्राकृतिक उत्पादों की पहचान
- चयनित प्राकृतिक उत्पादों के बड़े पैमाने पर शुद्धिकरण/संवर्द्धन के लिए प्रक्रिया अनुकूलन
- प्राकृतिक उत्पादों के कुल संश्लेषण और/या अर्ध-संश्लेषण के लिए सी-एच सक्रियण कार्यनीति
- ग्लाइकोस्मिसपेंटाफिला से साइटोटॉक्सिक पाइरानोएक्रिडोन एल्कलॉइड का अर्ध-सिंथेटिक संशोधन और अवर्णित एल्कलॉइड का पृथक्करण, लक्षण-वर्णन
- पारंपरिक आयुर्वेदिक पॉलीहर्बल फॉर्मूलेशन के मानकीकरण के लिए क्यू-मार्कर प्रणाली की स्थापना
- नवीन 20s प्रोटिओसोम अवरोधक के उत्पादन के लिए माइक्रोबियल जैव-पूर्वेक्षण
- बहुमूल्य पौध-आधारित रसायनों के उत्पादन के लिए पर्यावरण-अनुकूल, टिकाऊ और लागत-प्रभावी तरीके के स्रोत के रूप में एंडोफाइटिक कवक: थाइमस वल्गेरिस से पृथक एंडोफाइट्स द्वारा रोसमारिनिक एसिड उत्पादन के लिए केस स्टडी

- प्राकृतिक उत्पाद और कैंसर मेटाबोलॉमिक्स के लिए लक्षित और अलक्षित मेटाबॉलोमिक टेक्नोलॉजी पाइपलाइन की स्थापना करना

औषध विश्लेषण विभाग:

- ड्रग-एक्सीपिएंट संगतता अध्ययन
- एचपीएलसी, एलसी-एमएस/एमएस और क्यूएनएमआर का उपयोग करके एपीआई और एनसीई का जबरन गिरावट अध्ययन
- ड्रग-डिवाइस अनुकूलता और ड्रग रिलीज़ अध्ययन
- बायोएनालिसिस, ड्रग मेटाबॉलिज्म और फार्माकोकाइनेटिक्स
- पॉलिमर लक्षण वर्णन के लिए विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण
- सिंथेटिक पेप्टाइड लक्षण विवरण
- जटिल इंजेक्शन योग्य, नेत्र सूत्रीकरण लक्षण विवरण
- जीनोटॉक्सिक और नाइट्रोसामाइन अशुद्धियों के परिमाणीकरण के लिए विश्लेषणात्मक विधि विकास
- ड्रग उत्पाद का एक्स्ट्रेक्टेबल और लीचेबल अध्ययन
- बायोसिमिलर लक्षण विवरण

फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी विभाग

- इंट्रा-धमनी मेसेनकाइमल स्टेम सेल उपचार का उपयोग करके इस्केमिक स्ट्रोक में माइटोकॉन्ड्रियल सुरक्षा
- इस्केमिक स्ट्रोक में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तनाव का प्रतिकार करने के लिए स्टेम सेल थेरेपी
- इस्केमिक स्ट्रोक में माइटोकॉन्ड्रियल सुरक्षा के लिए ग्रोथ हार्मोन-रिलीजिंग हार्मोन (जीआरएच) रिसेप्टर्स को लक्षित करने के आधार पर चिकित्सीय कार्यनीति
- इस्केमिक स्ट्रोक के पशु मॉडल में इन्फ्लामासोम सिग्नलिंग पर इनोसाइन की भूमिका की जांच
- क्रोनिक किडनी डिजीज में स्ट्रोक पैथोलॉजी के विस्तार में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रेस के प्रभाव की खोज
- स्ट्रोक के लिए स्टैटिन: एंडोप्लाज़मिक रेटिकुलम की भागीदारी का गहन रहस्य
- सीकेडी में इस्केमिक स्ट्रोक पैथोलॉजी का विस्तार: माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन का समावेश
- इस्केमिक स्ट्रोक के बाद माइटोकॉन्ड्रिया की रक्षा में स्टैटिन की भूमिका की खोज
- पीआई3के/एकेटी पाथवे के माध्यम से सेरेब्रल इस्किमिया में इनोसिन की भूमिका की जांच करना
- स्ट्रोक के बाद के अवसाद में एपेलिन-13 की न्यूरोप्रोटेक्टिव भूमिका
- घ्राण बल्ब को लक्षित करने वाले पार्किंसंस रोग के प्रगतिशील माउस मॉडल का विकास
- पार्किंसंस रोग
- पीकेएम2 और सीडी98 एक्सप्रैशन्स को विनियमित करके स्तन कैंसर मेटास्टेसिस में एमआईआर 128 3पी की भूमिका की खोज
- यह जांच करना कि क्या एंटरिक न्यूरोनल सूजन पार्किंसंस रोग रोगजनन का प्रारंभिक बिंदु है
- पार्किंसंस रोग के विकास में उन्नत ग्लाइकेशन एंडप्रोडक्ट्स (रेज) सिग्नलिंग पाथवे के लिए रिसेप्टर पर ग्लाइकेटिड α-सिन की भूमिका की खोज
- पार्किंसंस रोग के रोटेनोन-प्रेरित माउस मॉडल में स्वर्टियामारिन की चिकित्सीय क्षमता का मूल्यांकन
- पार्किंसंस रोग के माउस मॉडल में चयनात्मक एमएओ–बी अवरोधकों के रूप में इंडोल-बेंजोथियाज़ोल और

एमिनोइंडेन व्युत्पन्नों के प्रभाव की खोज

- रीढ़ की हड्डी की चोट के प्रायोगिक मॉडल में माइक्रोट्यूब्यूल स्थिरीकरण और एक्टिन माइक्रोफिलामेंट्स गतिशीलता पर एलआईएम किनेस की भूमिका की खोज
- प्रायोगिक रीढ़ की हड्डी की चोट के बाद वैस्कुलर परिवर्तन और सूजन को मापने के लिए टोमोग्राफिक इमेजिंग और कोरिलेशन
- रीढ़ की हड्डी की चोट के बाद फाइब्रोटिक स्कार फार्मेशन पर एथैम्सिलेट की भूमिका का मूल्यांकन
- चूहों में रीढ़ की हड्डी की चोट के बाद फेंसरीन की बहुआयामी क्रिया की जांच
- सूजन संबंधी दर्द को कम करने में कूमेरिन व्युत्पन्नों की एक्टिविटी की डेसिफेरिंग
- न्यूरोपैथिक दर्द से राहत दिलाने में पाइरूवेट किनेज एम2 अवरोधक (पीकेएम2) की भूमिका का अन्वेषण:
- पार्किंसंस रोग के रॉटेनोन-प्रेरित माउस मॉडल में स्वर्टियामारिन की चिकित्सीय क्षमता का मूल्यांकन
- पार्किंसंस रोग के माउस मॉडल में चयनात्मक एमएओ-बी अवरोधकों के रूप में इंडोल-बेंजोथियाज़ोल और एमिनोइंडेन डेरिवेटिव के प्रभाव की खोज
- रीढ़ की हड्डी की चोट के प्रायोगिक मॉडल (एस) में माइक्रोट्यूब्यूल स्थिरीकरण और एक्टिन माइक्रोफिल्मेंट डायनामिक्स पर लीम किनेज (एस) की भूमिका की खोज
- प्रायोगिक रीढ़ की हड्डी की चोट के बाद संवहनी परिवर्तन और सूजन की मात्रा निर्धारित करने के लिए टोमोग्राफिक इमेजिंग और सहसंबंध
- रीढ़ की हड्डी की चोट के बाद फाइब्रोटिक निशान के गठन पर एथमसाइलेट की भूमिका का मूल्यांकन
- चूहों में रीढ़ की हड्डी की चोट के बाद फ़ेंसराइन की बहुआयामी क्रिया की जांच करना
- सूजन संबंधी दर्द के क्षीणन में कूमेरिन डेरिवेटिव्स की एक्टिविटी की डेसिफेरिंग
- न्यूरोपैथिक दर्द से राहत में पाइरूवेट किनेज एम2 इनहिबिटर (पीकेएम2) की भूमिका की खोज
- ओरल कैंसर ज़ेनोग्राफ़्ट माउस मॉडल में सिस्प्लैटिन प्रतिरोध पर एक्सोसोमल एमआईआर-155 इन्हिबिटर की भूमिका का मूल्यांकन।

औषध विज्ञान विभाग:

- कैंसर-रोधी बायोएक्टिव के प्रभावी साइटोसोलिक वितरण के लिए नवीन पॉलिमरिक नैनोमटेरियल का विकास
- डायबिटिक नेफ्रोपैथी के लक्षित चिकित्सा के लिए नैनोकणों में हस्तक्षेप करने वाले इंजेक्शन आरएनए का विनिर्माण विकास
- ग्राफीन ऑक्साइड लिपटे पॉलीमेरिक नैनोकणों का उपयोग करके ट्रिपल-नकारात्मक स्तन कैंसर (टीएनबीसी) के उपचार के लिए त्रिपक्षीय दृष्टिकोण
- प्रतिरोधी ट्यूमर के उपचार के लिए एनआईआर लेजर सक्रिय करने योग्य नैनोप्लेट्स
- सर्जरी के बाद ट्यूमर के दोबारा उभरने की रोकथाम के लिए एनआईआर लेजर एक्टिवेटेबल नैनोसीड्स
- इलेक्ट्रोस्प्रेइंग बनाम लियोफिलाइजेशन: ड्रग नैनोसस्पेंशन के सॉलिड-स्टेट गुणों पर प्रभाव
- जैव-संवर्द्धन के लिए खराब घुलनशील दवाओं को पारंपरिक खुराक रूपों में तैयार करना
- पेनिट्रेशन बढ़ाने वाले पदार्थों का उपयोग करके मैक्रोमोलेक्यूलर थैरेप्यूटिक्स के वितरण के लिए मौखिक मार्ग का लाभ उठाना
- कोलन कैंसर के लक्ष्यीकरण, एपोप्टोसिस प्रेरण और उपचार के लिए नैनोकणों को समाहित करने वाले मिनीकैप्सूल

5.8.9 नाईपर का प्रभाव:

नाईपर अहमदाबाद देश में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए मानव संसाधन का निर्माण करने और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी के हिस्से के रूप में 'मेक इन इंडिया' पहल में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। संस्थान ने स्वयं को देश के शीर्ष प्रौद्योगिकी फार्मेसी अनुसंधान संस्थानों में से एक के रूप में स्थापित किया है, जिसमें अनुसंधान सहयोग विकास रणनीति का एक अभिन्न अंग है। इसने उद्योग जगत में अपनी पहुंच का विस्तार किया है और साथ ही कई उद्योगों और अग्रणी संस्थानों के साथ अनुसंधान, संकाय दौरे, पाठ्यक्रम उन्नयन और नियामक सुधारों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और मलेशिया के सर्वोत्तम शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहभागिता स्थापित की है। इस संस्थान ने विभिन्न सम्मेलनों, संगोष्ठियों, चर्चाओं का आयोजन किया है जिसमें मास्टर्स, पीएचडी के छात्रों, पोस्ट डॉक्स और शिक्षा-जगत एवं उद्योग के शोधकर्ताओं ने भाग लिया था।

5.8.10 पुरस्कार/उपलब्धि

i. राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) 2023: शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एनआईआरएफ 2023 के अनुसार भारत में सभी फार्मेसी शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में नाईपर अहमदाबाद को 13वां स्थान प्राप्त हुआ है।

ii. चिकित्सा उपकरणों के लिए बीएससीआईसी प्रमाण पत्र के साथ मान्यता: नाईपर अहमदाबाद को चिकित्सा उपकरणों के लिए प्रतिष्ठित बीएससीआईसी प्रमाण पत्र के साथ मान्यता दी गई है, जो छात्रों और हितधारकों को चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में असाधारण शिक्षा और अनुसंधान प्रदान करने के लिए इसके समर्पण को दर्शाता है।

iii. गुणवत्ता प्रबंधन के लिए बीएससीआईसी प्रमाण पत्र प्रदान करना: नाईपर-अहमदाबाद को गुणवत्ता प्रबंधन के लिए प्रतिष्ठित बीएससीआईसी प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है, जो छात्रों और हितधारकों को उच्चतम गुणवत्ता की शिक्षा और अनुसंधान प्रदान करने की इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

iv. डॉ. पल्लब भट्टाचार्य को सिंगापुर में आयोजित विश्व स्ट्रोक कांग्रेस 2022 में "स्ट्रोक और सिकल सेल रोग" पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था।

v. शीर्ष 2% विश्व वैज्ञानिक: डॉ. राकेश के. टेकाडे को स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, यूएसए द्वारा हाल ही में प्रकाशित एक सूची में शीर्ष 2% विश्व वैज्ञानिक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।

vi. नाईपर अहमदाबाद के छात्रों ने साइंस सिटी, अहमदाबाद में आयोजित छठे भारतीय विज्ञान सम्मेलन की विभिन्न वैज्ञानिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस कार्यक्रम में फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी विभाग की सुश्री ऐशिका दत्ता ने मौखिक प्रस्तुति में दूसरा पुरस्कार प्राप्त किया और बायोटेक्नोलॉजी विभाग के श्री शेख अय्याज शेख इदरीस ने पोस्टर प्रस्तुति में दूसरा पुरस्कार प्राप्त किया।

vii. नाईपर अहमदाबाद की छात्रा सुश्री ध्वनि राणा ने "औषधि और फार्मास्युटिकल उद्योगों में आर्टीफिशल इन्टेलिजेंस, ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी, 3-डी प्रिंटिंग जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों की बढ़ती भूमिका और महत्व" विषय पर श्री बी.वी. पटेल निबंध प्रतियोगिता-2023 में दूसरा स्थान प्राप्त किया।

viii. #एससीआईडीडी लैब के पीएचडी स्कॉलर श्री आदित्य ए. सिंह और सुश्री ज़र्ना पाठक ने ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज, अलवर में आयोजित चौथे राष्ट्रीय बायोमेडिकल रिसर्च प्रतियोगिता में "युवा शोधकर्ता पुरस्कार" जीता। डॉ. हेमंत कुमार आदित्य ए. सिंह ने औषध विज्ञान (मौखिक प्रस्तुति) में 50,000 रुपये के नकद पुरस्कार के साथ प्रथम पुरस्कार जीता और ज़र्ना पाठक ने जीवन विज्ञान (मौखिक प्रस्तुति) में 5,000 रुपये के नकद पुरस्कार के साथ 5वां पुरस्कार जीता।

ix. नाईपर अहमदाबाद के पीएचडी छात्र श्री अमित शर्मा को उनके विचार "घृतोज़ेंगे" के लिए 3 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिली। इस विचार को जीएसबीटीएम की उद्यमिता क्षमता निर्माण योजना के तहत बायोफार्मा इनक्यूबेशन सेंटर द्वारा समर्थित किया गया था।

x. नाईपर अहमदाबाद की पीएचडी छात्रा सुश्री सोनाली जैन को उनके विचार, "आरएस4डीईसी" के लिए 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिली। इस विचार को गुजरात स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन हब (आई-हब) के स्टार्टअप सृजन सीड सपोर्ट ग्रांट (एस4) के तहत बायोफार्मा इनक्यूबेशन सेंटर द्वारा समर्थन और मार्गदर्शन दिया गया था।

xi. नाईपर अहमदाबाद की छात्रों सुश्री परुसु काव्या तेजा और श्री सायन चटर्जी ने 12-10 अगस्त 2023 को नाईपर एसएएस-नगर, मोहाली में आयोजित नाईपर छात्र अनुसंधान संगोष्ठी (एनएसआरएस)2023- में पोस्टर प्रस्तुति में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। यह संगोष्ठी नाईपर अधिनियम के 25 वर्ष पूरे होने (रजत जयंती समारोह) के अवसर पर आयोजित की गई थी।

xii. नाईपर-अहमदाबाद (फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी विभाग) की पीएचडी स्कॉलर डॉ. हरप्रीत कौर एलएसयू हेल्थ श्रेवेपोर्ट, पैथोलॉजी और ट्रांसलेशनल पैथोबायोलॉजी विभाग, यूएसए में पोस्ट-डॉक्टरल फेलो के रूप में चुनी गई।

xiii. सुश्री भारती के. ने सोसाइटी फॉर फार्मास्युटिकल डिसॉल्यूशन साइंस (एसपीडीएस) के वार्षिक प्रमुख सम्मेलन, डिसो रिसर्च प्रेजेंटेशन इंडिया (डीआरपीआई) 2023 (एम.फार्मा/फार्मा डी. श्रेणी) में पोस्टर प्रस्तुति के लिए एमएस श्रेणी में तीसरा पुरस्कार जीता।

xiv. नाईपर-ए (फार्मास्युटिक्स विभाग) के एक पीएच.डी. स्कॉलर श्री सागर सालवे को अमेरिका के कैन्सस विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित वैक्सीन एनालिटिक्स एंड फॉर्मूलेशन सेंटर में पोस्ट-डॉक्टरल फेलो के रूप में चुना गया।

xv. सुश्री सोनाली जैन को प्रतिष्ठित फीमेल्स इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री एम्पावरमेंट अवार्ड Q2, 23 के लिए चुना गया।

5.8.11 संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम/कार्यशालाएँ

नाईपर अहमदाबाद ने छात्रों के लिए विभिन्न कार्यक्रम, सम्मेलन कार्यशालाएँ/सेमिनार/वेबिनार/प्रशिक्षण आयोजित किए।

मानीय केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, भारत सरकार **श्री अमित शाह** ने 30 सितंबर, 2023 को नाईपर-अहमदाबाद के स्थायी परिसर का उद्घाटन किया

औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार ने केवड़िया, गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में 12 और 13 मई, 2023 को औषध उद्योग में सहयोग और नवाचार के संवर्धन के लिए चिंतन शिविर का आयोजन किया

27 फरवरी, 2024 को नाईपर-अहमदाबाद में 10वां दीक्षांत समारोह

10 जनवरी 2024 को सचिव, औषध विभाग ने नाईपर अहमदाबाद, इसकी प्रयोगशालाओं और विभिन्न उपकरण सुविधाओं का दौरा किया।

अध्याय 6

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)

6.1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

6.2 इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल)

6.3 बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल)

6.4 हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल)

6.5 कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल)

6.6 राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल)

अध्याय 6

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)

6.1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)

औषध विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन पांच केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) हैं।

- पांच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से, कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल) एक लाभ कमाने वाला सीपीएसई है। बीसीपीएल ने विगत कुछ वर्षों से लाभ अर्जित करना शुरू कर दिया है।
- अन्य तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अर्थात इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल), हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड (एचएएल) और बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) रुग्ण हैं और इन्हें औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) को रेफर किया गया है।
- राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल) में वर्ष 2013-14 से घाटा दर्ज किया गया है और यह प्रारंभिक रूप से रुग्ण है।

तालिका 6क
(पीएसयू का विवरण)

(31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार)
(रुपये करोड़ में)

	एचएएल	आईडीपीएल	आरडीपीएल	बीसीपीएल	केएपीएल
स्थापना वर्ष	1954	1961	1978	1981	1981
वर्गीकरण	रुग्ण	पीएसयू (बंद होने की प्रक्रिया में)	प्रारंभिक रुग्ण	2016-17 से लाभ अर्जित कर रहा है	लाभ अर्जित कर रहा है
निवल मूल्य (करोड़ में)	-704.12	-7624.94	-103.20	179.31	275.91
कुल कारोबार (करोड़ में)	197.00	38.87	---	130.65 (अनंतिम)	462.09#
परिचालन लाभ/हानि (करोड़ में)	4.45	40.57*	-1.80	21.55 (अनंतिम)	18.00# (कर के बाद लाभ)
देनदारियाँ (करोड़ में)	1295.59	332.58	142.03	84.50	125.00#
बीआईएफआर को रेफर किया गया	1997	1992	नहीं	1992	लागू नहीं

अनंतिम आंकड़े (केएपीएल)।
*टिप्पणियाँ:
1. कुल देनदारियां और अन्य सभी वित्तीय विवरण वर्ष 2018-19 के तुलन पत्र से लिए गए हैं
2. पट्टे वाली भूमि पहले ही संबंधित राज्य सरकार द्वारा ले ली गई है और/या लिक्विडेटर (उड़ीसा ड्रग्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (ओडीसीएल) - संयुक्त उद्यम) द्वारा ले ली गई है / पट्टे की अवधि समाप्त हो गई है (ऋषिकेश)।

6.1.1 फार्मा पीएसयू पर नीतिगत निर्णय

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 28.12.2016 को एक निर्णय लिया, जिसे बाद में दिनांक 17.07.2019 को संशोधित किया गया, जिसमें दो फार्मा पीएसयू, अर्थात् इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) और राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल) को बंद करने और अन्य दो, अर्थात हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) और बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) में कार्यनीतिक रूप से विनिवेश करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने दिनांक 01.11.2017 को पांचवें पीएसयू, अर्थात कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल लिमिटेड (केएपीएल) में केंद्र सरकार की 100% इक्विटी का कार्यनीतिक विनिवेश करने का निर्णय लिया है। हालाँकि, मंत्रिमंडल ने अपने दिनांक 01.03.2023 के निर्णय द्वारा आरडीपीएल को राजस्थान राज्य सरकार को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है।

6.2 इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल)

6.2.1 पृष्ठभूमि

इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 5 अप्रैल, 1961 को एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। कंपनी का मुख्य उद्देश्य आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं के संबंध में आत्मनिर्भरता बढ़ाना, देश को आयात पर निर्भरता से मुक्त करना और लोगों को वहनीय मूल्यों पर दवाएं उपलब्ध कराना था। आईडीपीएल की परिकल्पना और स्थापना मूलतः देश के स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना ढांचे के भाग के रूप में की गई थी और इसने भारतीय दवा उद्योग की बुनियाद के विकास में अग्रणी मूलभूत भूमिका निभाई है।

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय आईडीपीएल कॉम्प्लेक्स, डूंडाहेड़ा, गुड़गांव में स्थित है। कंपनी के तीन मुख्य संयंत्र ऋषिकेश (उत्तराखंड), गुरुग्राम (हरियाणा) और हैदराबाद (तेलंगाना) में हैं।

6.2.2 वर्तमान स्थिति

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 28.12.2016 को कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार यह कंपनी बंद होने की प्रक्रिया में है। कंपनी ने अपनी भूमि/अचल संपत्तियों के निपटान के लिए भूमि प्रबंधन एजेंसी (एलएमए) के रूप में कार्य करने हेतु मेसर्स नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) और ई-नीलामी द्वारा अपनी चल और अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए नीलामी एजेंसी (एए) के रूप में कार्य करने के लिए मेसर्स मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएसटीसी) के साथ दिनांक 22 अक्टूबर, 2019 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। आईडीपीएल गुरुग्राम संयंत्र और हैदराबाद संयंत्र (भवन सहित) की भूमि का मूल्यांकन भूमि प्रबंधन एजेंसी (एलएमए) - एनबीसीसी द्वारा किया गया है और इसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। ऋषिकेश संयंत्र की भूमि की पट्टे की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है और इसे उत्तराखंड सरकार को वापस किया जा रहा है।

सभी संयंत्रों और सहायक कंपनियों की चल संपत्ति (संयंत्र और मशीनरी) का मूल्यांकन किया गया है। कंपनी ने अनुमोदित नीलामी एजेंसी अर्थात मेसर्स एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से इसका निपटान किया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल के दिनांक 28.12.2016 को लिए गए बंद करने के निर्णय को ध्यान में रखते हुए सभी इकाइयों ने उत्पादन बंद कर दिया है। वर्तमान में, कंपनी के पास कोई नियमित कर्मचारी नहीं है क्योंकि आईडीपीएल के सभी नियमित कर्मचारियों को डीपीई दिशानिर्देश दिनांक 14.06.2018 के अनुसार वीआरएस दे दिया गया है।

6.3 बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल)

6.3.1 पृष्ठभूमि:

बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) की स्थापना वर्ष 1901 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक और आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र राय ने की थी। वर्ष 1977 में भारत सरकार ने इसका प्रबंधन अपने नियंत्रण में ले लिया, इसके उपरांत वर्ष 1980 में कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और वर्ष 1981 में इसे कंपनी अधिनियम के तहत बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) के रूप में पंजीकृत किया गया। वर्ष 1992 में कंपनी को रुग्ण घोषित कर दिया गया और वर्ष 1995 में तत्कालीन औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा इसके पुनरुद्धार के लिए योजना को मंजूरी दी गई थी।

6.3.2 व्यापार संचालन:

बीसीपीएल एक कोलकाता स्थित कंपनी है और औद्योगिक रसायन (फेरिक एलम), दवा और औषध, और फिनोल, नेफ़थलीन बॉल्स, ब्लीचिंग पाउडर, टॉयलेट क्लीनर और फ़्लोर क्लीनर जैसे कीटाणुनाशक के व्यवसाय से जुड़ी है। बंगाल केमिकल्स का एक प्रतिष्ठित ब्रांड कैंथरिडीन हेयर ऑयल का विनिर्माण मानिकतला यूनिट में किया जा रहा है।

6.3.3 विनिर्माण स्थान:

वर्तमान में, बीसीपीएल की तीन फ़ैक्टरियाँ हैं जो पश्चिम बंगाल में मानिकतला (कोलकाता), पानीहाटी (उत्तरी 24 परगना) और कानपुर (उत्तर प्रदेश) में स्थित हैं।

i. मानिकतला इकाई:

यह इकाई वर्ष 1905 में स्थापित की गई थी और मुख्य रूप से औषध फॉर्मूलेशन का उत्पादन करती है, जिसमें ब्रांडेड के साथ-साथ गैर-ब्रांडेड जेनेरिक दवाएं भी शामिल हैं। यहां टेबलेट, कैप्सूल, मलहम और सौंदर्य प्रसाधनों का व्यावसायिक उत्पादन चल रहा है। बीसीपीएल की मानिकतला इकाई कैंथरिडीन हेयर ऑयल का भी उत्पादन करती है। कोरोना वायरस बीमारी (कोविड-19) के संक्रमण को रोकने के लिए बंगाल केमिकल्स ने 2 अगस्त, 2020 को अपना हैंड सैनिटाइजर "बेन्सानी+" शुरू किया।

ii. पनिहाटी इकाई

पनिहाटी इकाई की स्थापना वर्ष 1920 में हुई थी और यह उत्तर-24 परगना, पश्चिम बंगाल में स्थित है। पनिहाटी इकाई मुख्य रूप से फिनोल, नेफ़थलीन बॉल्स, ब्लीचिंग पाउडर, टॉयलेट क्लीनर और फ़्लोर क्लीनर जैसे औद्योगिक रसायन और कीटाणुनाशक का उत्पादन करती है। महामारी की परिस्थिति के दौरान, बीसीपीएल ने औसत दैनिक उत्पादन 30,000 बोतल की तुलना में एक ही दिन (26 सितंबर, 2020) में फिनोल 450 मिलीलीटर की 60,680 बोतलें बनाने का सर्वकालिक रिकॉर्ड बनाया।

iii. कानपुर इकाई:

कानपुर इकाई की स्थापना वर्ष 1949 में हुई थी। यह मुख्य रूप से दीर्घकालिक विकारों के लिए गोलियाँ बनाती है।

iv. मुंबई इकाई:

मुंबई इकाई की स्थापना सन 1938 में हुई थी और वर्तमान में, राजस्व के अतिरिक्त स्रोत उत्पन्न करने के

लिए विकसित व्यावसायिक स्थान (फरवरी, 2000 में) को पट्टे पर दिया गया है।

6.3.4 विगत उपलब्धियाँ:

कंपनी ने संकट काल के दौरान भी घरेलू उत्पादों/कीटाणुनाशकों में अपनी ब्रांड स्थिति बरकरार रखी है और इन ब्रांडों का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

6.3.5 बीसीपीएल की वित्तीय स्थिति

कंपनी को वर्ष 1992 में पूर्ववर्ती बीआईएफआर को भेजा गया था। बीसीपीएल के लिए सरकार द्वारा पुनरोद्धार पैकेज दिसंबर 2006 में अनुमोदित किया गया था। 440.60 करोड़ रुपए के स्वीकृत पैकेज में बीसीपीएल के मौजूदा ऋणों का पुनर्गठन, पूंजी निवेश, विपणन अवसंरचना ढांचे के विकास और प्रचार उपायों के लिए सहयोग, वेतन संशोधन और वीआरएस के कार्यान्वयन के लिए अनुदान और गैर-सरकारी बकाया के भुगतान के लिए निधि शामिल है। वर्ष 2006 में पुनरोद्धार प्रयासों के बाद भी, यह घाटे में चल रही थी और वर्ष 2013-14 में इसके संचालन कार्यनिष्पादन में भारी गिरावट आई।

हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2016-17 के बाद से कंपनी में बदलाव आया और इसने 4.51 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ और 24.05 करोड़ रुपए का सकल मार्जिन दर्ज किया। विगत कुछ वर्षों में कंपनी के लाभ का विवरण तालिका 6ख में दिया गया है।

तालिका 6ख
(वर्ष-वार लाभ का विवरण)
(रुपए करोड़ में)

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	लाभ
1	2017-18	10.06
2	2018-19	25.26
3	2019-20	13.07
4	2020-21	6.08
5	2021-22	7.47
6	2022-23	10.19
7	2023-24	15.57

इसके अतिरिक्त, यह ध्यान दिया जाए कि बीसीपीएल ने यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को 28 करोड़ रुपए का पूरा बैंक ऋण (जो 1983 में पंजीकृत कार्यालय भवन को गिरवी रखकर लिया गया था) चुका दिया है और अब बीसीपीएल एक ऋण मुक्त कंपनी है। भारत सरकार को 23.73 करोड़ के ऋण के पुनर्भुगतान के बाद दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, अर्जित ब्याज सहित योजना ऋण और गैर-योजना ऋण में 193.71 करोड़ रुपए की राशि शेष थी। भारत सरकार ने दिनांक 09.09.2021 के आदेश के माध्यम से पानीहाटी कारखाने में भौतिक रूप से उपलब्ध 19.78 एकड़ अधिशेष भूमि को नाईपर, कोलकाता को हस्तांतरित करने के एवज में अर्जित ब्याज राशि सहित 193.71 करोड़ रुपए के भारत सरकार के ऋण को माफ किया है। दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार का ऋण शून्य है।

6.3.6 उत्पाद प्रोफ़ाइल और रेंज

विभिन्न व्यापार खण्डों के अंतर्गत विनिर्मित उत्पादों का उल्लेख तालिका 6ग में किया गया है।

तालिका 6ग
(उत्पादों का विवरण)

खंड -I	खंड -II		खंड -III		
औद्योगिक रसायन	फार्मा जेनेरिक	फार्मा ब्रांडेड	कीटाणुनाशक	हेयर ऑयल	अन्य उत्पाद
फिटकरी, ब्लीचिंग पाउडर	गोलियाँ, कैप्सूल, इंजेक्शन, मलहम, तरल पदार्थ, बाह्य-तरल पदार्थ, एएसवीएस, बेन्सानी+	एक्वा पाइकोटिस, कालमेघ, यूथेरिया, बेनफ्लैम जेल	फिनोल, व्हाइट टाइगर, क्लिन टॉयलेट, लाइसोल	कैंथा-रिडीन हेयर ऑयल	नेफथलीन बॉल्स लिक्विड सोप अगुरु एसेंस

लोकप्रिय ब्रांड: लैंप ब्रांड फिनोल, व्हाइट टाइगर, ब्लीचिंग पाउडर, नेफथलीन बॉल्स, कैंथरिडीन हेयर ऑयल, बेन्सानी+ आदि।

6.3.7 जनशक्ति

तालिका 6घ
(श्रेणीवार जनशक्ति का विवरण)

विवरण	**जनशक्ति** (दिनांक **31.03.2024** की स्थिति के अनुसार)
कार्यकारी अधिकारी	45
पर्यवेक्षक	27
कर्मी	43
कुल योग	**115**

6.3.8 वितरण नेटवर्क

कंपनी के पास 10 गोदाम और 6 सी. एंड एफ. एजेंसियों के साथ पूरे भारत में एक सुदृढ़ वितरण नेटवर्क है। बीसीपीएल ने कोलकाता में 3 और मुंबई में 1 एक्सक्लूसिव रिटेल स्टोर भी शुरू किया है।

6.3.9 कार्यनिष्पादन

वर्ष 2021-22 से बीसीपीएल के उत्पादन, कारोबार और वितीय प्रदर्शन का विवरण तालिका 6ङ. में दिया गया है।

तालिका 6ङ.

(बीसीपीएल की वर्ष-वार वित्तीय स्थिति)

(रुपए करोड़ में)

विवरण	2023-24 (अनंतिम)	2022-23	2021-22
उत्पादन	148.94	137.13	84.73
बिक्री/कारोबार	130.65	112.82	72.05
सकल मार्जिन	21.55	16.28	15.23
ब्याज एवं वित्तीय व्यय (वित्तीय लागत)	0.09	0.04	0.03
मूल्यह्रास	5.89	5.90	6.15
कुल लाभ (हानि)	15.57	10.19	7.47
निवल मूल्य	179.31	163.74	153.55

6.3.10 डीपीई रेटिंग:

तालिका 6च

(वर्षवार डीपीई रेटिंग का विवरण)

वर्ष	समझौता ज्ञापन मूल्यांकन	कॉर्पोरेट प्रशासन
2016-17	"बहुत अच्छा"	"उत्कृष्ट"
2017-18	"लागू नहीं"	"उत्कृष्ट"
2018-19	"लागू नहीं"	"उत्कृष्ट"
2019-20	"लागू नहीं"	"उत्कृष्ट"
2020-21	"लागू नहीं"	"उत्कृष्ट"
2021-22	"लागू नहीं"	"उत्कृष्ट"
2022-23	"लागू नहीं"	आंतरिक मूल्यांकन के अनुसार "उत्कृष्ट"
2023-24	"लागू नहीं"	आंतरिक मूल्यांकन के अनुसार "उत्कृष्ट"

तालिका 6छ

(विपणन: संस्थानों और खुदरा का हिस्सा)

क्र.सं.	खंड एवं उत्पाद	बाज़ार प्रोफ़ाइल/प्रमुख ग्राहक
1.	**खंड I-फेरिकलम**	सेल (दुर्गापुर, आईआईएससीओ, बोकारो, रिफ्रैक्टरी यूनिट, आईआईएससीओ चासनाला) बीसीसीएल (बोवरा और ब्लॉक II) आईपीसीएल (फरक्का, डिसरगढ़) पीएचई (मालदा, सिलीगुडी) अन्य निजी पार्टियाँ एवं नगर निगम

2.	खंड II – जेनेरिक टैबलेट, कैप्सूल, मलहम, इंजेक्शन, लिक्विड, हैण्ड सेनीटाईजर	एएफएमएसडी, ईएसआईसी, रेलवे, सेल, डीएचएस, एपीएमएसआईडीसी, टीएसएमएसआईडीसी, जेएमएचआईडीपीसीएल, अन्य राज्य सरकारें, एसईसीएल एवं अन्य सार्वजनिक उपक्रम
	खंड-II – ब्रांड एक्वाप्टाइकोटिस, यूथेरिया, कालमेघ	खुदरा व्यापार के माध्यम से ओटीसी दवाओं के रूप में बिक्री
3.	खंड-III– प्रसाधन सामग्री एवं घरेलू उत्पाद	मुख्य रूप से व्यापार व्यवसाय (70-75%) और थोक सरकारी संस्थान व्यवसाय (25-30%)

6.3.11 विभिन्न आयोजित कार्यक्रम:

(i) महिलाओं की उपलब्धियों का उत्सव मनाने के लिए दिनांक 8 मार्च 2024 को बीसीपीएल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया।

महिला दिवस समारोह

(ii) 30 अक्टूबर, 2023 से 5 नवंबर, 2023 तक **"भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें"** विषय पर कॉर्पोरेट कार्यालय, पानीहाटी फैक्ट्री, मानिकतला फैक्ट्री, कानपुर फैक्ट्री और बीसीपीएल के मुंबई कार्यालय में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 मनाया गया।

(iii) बीसीपीएल में 14 सितंबर से 29 सितंबर, 2023 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। निबंध, कविता पाठ, आशु भाषण प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया गया और प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए।

हिन्दी पखवाड़े के दौरान पुरस्कार प्रदान किए गए

(iv) 1 से 15 सितंबर, 2023 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। बीसीपीएल के कर्मचारियों ने स्वच्छता अभियान के दौरान कार्यालय परिसर/फैक्टरी परिसर, रिकॉर्ड रूम के आस-पास के क्षेत्र की सफाई में भाग लिया।

स्वच्छता पखवाड़े के दौरान सफाई का कार्य किया गया

6.4 हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल)

6.4.1 पृष्ठभूमि:

हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है जो जीवन रक्षक औषधियों के विनिर्माण और विपणन का कार्य करती है। एचएएल की स्थापना वर्ष 1954 में डब्ल्यूएचओ/यूनिसेफ की सहायता से की गई थी। एचएएल पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और जेंटामाइसिन जैसी एंटीबायोटिक्स बल्क औषधियों का विनिर्माण करने वाली पहली फार्मेसी सीपीएसई है।

एचएएल को दो नए अणुओं अर्थात हैमाइसिन और ऑरोफंगिन का आविष्कार करने का दुर्लभ गौरव प्राप्त है।

वर्तमान में एचएएल, फार्मा फॉर्मूलेशन के विनिर्माण और फार्मा एवं कृषि बाजार की विस्तृत श्रृंखला को पूरा करने के लिए आशाजनक कृषि-फॉर्मूलेशन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। एचएएल फार्मा उत्पादों में ड्राई पाउडर इंजेक्टेबल उत्पाद, टैबलेट, कैप्सूल, इंट्रा-वेनस फ्लूइड (आईवीएफ) उत्पाद और लिक्विड सिरप जैसे विभिन्न खुराक के प्रकार शामिल हैं।

6.4.2 उपलब्ध सुविधाओं का संक्षिप्त विवरण:

एचएएल विनिर्माण सुविधाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

क) फार्मूलेशन सुविधा:
एचएएल फार्मा उत्पादों में ड्राई पाउडर इंजेक्टेबल उत्पाद, टैबलेट, कैप्सूल, इंट्रा-वेनस फ्लूइड (आईवीएफ) उत्पाद और लिक्विड सिरप जैसे विभिन्न खुराक के प्रकार शामिल हैं।

वर्तमान में, फार्मा और कृषि-रसायन सहित विनिर्माण फॉर्मूलेशन क्षमताओं को तालिका 6ज में दर्शाया गया है।

तालिका 6ज

(विनिर्माण फॉर्मूलेशन क्षमताओं का विवरण)

क्रम संख्या	उत्पादन सुविधाएं	क्षमताएं (मौजूदा) लाख संख्या/प्रति वर्ष
क.	**फार्मा संयंत्र:**	
1	**ड्राई पाउडर इंजेक्शन:**	
क.	सेफैलोस्पोरिन	600
ख.	पेनिसिलिन	600

2	**गोलियाँ:**	
क.	पेनिसिलिन	**8600**
ख.	नॉन-पेनिसिलिन	**8600**
3	**पेनिसिलिन कैप्सूल:**	1400
4	**आई.वी.फ्लूइड:**	120
5	**लिक्विड सिरप और एक्सटर्नल प्रिपरेशन:**	24
ख	**कृषि-रसायन संयंत्र:**	
1	स्ट्रेप्टोसाइक्लिन	100
2	हुमौर फार्मूलेशन	210 केएल
ग	**अल्कोहोलिक हैण्ड डिसिन्फेक्टन्ट (एएचडी)**	12
घ	**एचएएल क्लाउड क्लिनिक संख्या में**	12000

6.4.3 कार्यनिष्पादन विशेषताएँ:

एचएएल विनिर्माण सुविधाएं पिंपरी में लगभग 86.5 एकड़ भूमि पर स्थित हैं और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

क) फॉर्मूलेशन सुविधा: एचएएल फार्मा उत्पादों में ड्राई पाउडर इंजेक्टेबल उत्पाद, टैबलेट, कैप्सूल, इंट्रा-वेनस फ्लूइड (आईवीएफ) उत्पाद, मलहम और लिक्विड सिरप जैसे खुराक के विभिन्न प्रकार शामिल हैं।

ख) सभी फॉर्मूलेशन संयंत्रों को डब्ल्यूएचओ-जीएमपी के अनुपालन में अद्यतित किया जा रहा है।

ग) एचएएल ने अपने आईवीएफ उत्पादों का विनिर्माण और विपणन पुनः प्रारंभ कर दिया है, जिसकी सुविधा विगत कुछ वर्षों से उन्नयन की प्रक्रिया में थी। फार्मा सार्वजनिक क्षेत्र में एचएएल एकमात्र इकाई है जिसके पास आईवीएफ फ्लूइड के विनिर्माण की सुविधा उपलब्ध है।

घ) अनुसंधान और विकास: एचएएल का अनुसंधान एवं विकास विभाग नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, आंतरिक सुरक्षा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की आवश्यकताओं के अनुसार मानक आकार के नारकोटिक ड्रग्स डिटेक्शन किट के विनिर्माण का कार्य कर रहा है। एचएएल देश में इस उत्पाद का एकमात्र विशिष्ट विनिर्माता है।

ड़) एचएएल ने वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक चुनौतीपूर्ण समय का सामना किया, जहां कर्मचारियों को वेतन भुगतान में 28 महीने की देरी का सामना करना पड़ा। हालाँकि, तब से कंपनी ने निरंतर सफलतापूर्वक विकास किया है और भारत में एक अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र औषध कंपनी के रूप में अपनी स्थिति सुदृढ़ की है। वर्ष 2023-24 के दौरान सभी विनिर्माण इकाइयाँ संचालित थी और इससे कंपनी के कुल कारोबार को 197.00 करोड़ रुपए तक बढ़ाने में सहायता मिली।

च) वर्ष 2023-24 के दौरान, एचएएल ने अल्कोहलिक हैंड डिसइंफेक्टेंट (ब्रांड नाम हैलरब) के विनिर्माण के लिए अत्याधुनिक सुविधा का संचालन जारी रखा और सभी सरकारी संस्थानों, ईएसआई, जीएमएसडी आदि को आपूर्ति कर रहा है।

छ) वर्ष 2023-24 के दौरान, एचएएल ने "क्लिनिक ऑन क्लाउड" - एक स्वास्थ्य कियोस्क- को अद्यतित किया, जो पहले 5 मिनट में 23 स्वास्थ्य मापदंडों को मापता था, अब यह 51 स्वास्थ्य मापदंडों को मापता है। यह एक प्रकार का हेल्थ एटीएम है जो विभिन्न स्वास्थ्य मापदंडों की पहचान करता है। यह हेल्थ कियोस्क अपने क्लाउड स्टोरेज पर व्यक्ति का डेटा संग्रहीत करता है और स्वास्थ्य संस्थानों, सरकारी अस्पताल, सीपीएसई आदि के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है।

ज) स्टोर में रसीद, उत्पादन सामग्री सूची जारी करना, उत्पाद के लिए कच्चे माल के साथ-साथ पैकेजिंग सामग्री की खपत, विपणन और वितरण के लिए उत्पादन का आउट-टर्न, कार्यालय-समय सहित कार्मिक रिकॉर्ड के साथ सभी प्रणालियों को ईआरपी प्रणाली का उपयोग करके कम्प्यूटरीकृत किया गया है।

झ) वीआरएस के कार्यान्वयन के उपरांत एचएएल ने बेहतर आर्थिक स्थिति के लिए परिवहन जैसी गैर-प्रमुख सेवाओं को बाहरी पार्टी से आउटसोर्स किया है।

ञ) कंपनी ने विगत तीन वर्षों से लगातार कॉर्पोरेट गवर्नेंस में "उत्कृष्ट" रेटिंग हासिल की है।

ट) एचएएल ने कृषि उत्पाद ट्राइकोडर्मा के विनिर्माण के लिए अनुसंधान एवं विकास किया है, जो फंगल संक्रमण के विरुद्ध पौधों के उपचार के लिए उपयोग किया जाने वाला एक जैव कवकनाशी है। एचएएल ने केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड (सीआईबी) के साथ उत्पाद के पंजीकरण के लिए आवेदन किया है और सीआईबी से मंजूरी मिलते ही व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो जाएगा।

6.4.4 उत्पादन, बिक्री कारोबार और शुद्ध लाभ/हानि का विवरण

तालिका 6झ

(विगत चार वर्षों के लिए उत्पादन, बिक्री कारोबार और शुद्ध लाभ/हानि का विवरण)

(रुपए करोड़ में)

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (अनंतिम)
उत्पादन का मूल्य	78.80	89.72	120.85	162.12
बिक्री कारोबार	89.56	152.16	172.45	197.00
कुल लाभ (हानि)	(38.25)	(16.82)	(53.88)	(26.78)

एचएएल ने वर्ष 2020-21 में 89.56 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान 152.16 करोड़ रुपए का बिक्री कारोबार (कुल राजस्व) किया, जो कि 62% की वृद्धि है।

वर्ष 2022-23 में बिक्री कारोबार बढ़कर 172.45 करोड़ रुपये हो गया, जो वर्ष 2021-22 के कारोबार से 14% अधिक है। वर्ष 2023-24 के अनंतिम अनुमान के अनुसार, बिक्री कारोबार वर्ष 2022-23 की तुलना में फिर से 14% बढ़ गया और 197.00 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

ग्राफ 6क

(एचएएल का प्रदर्शन)

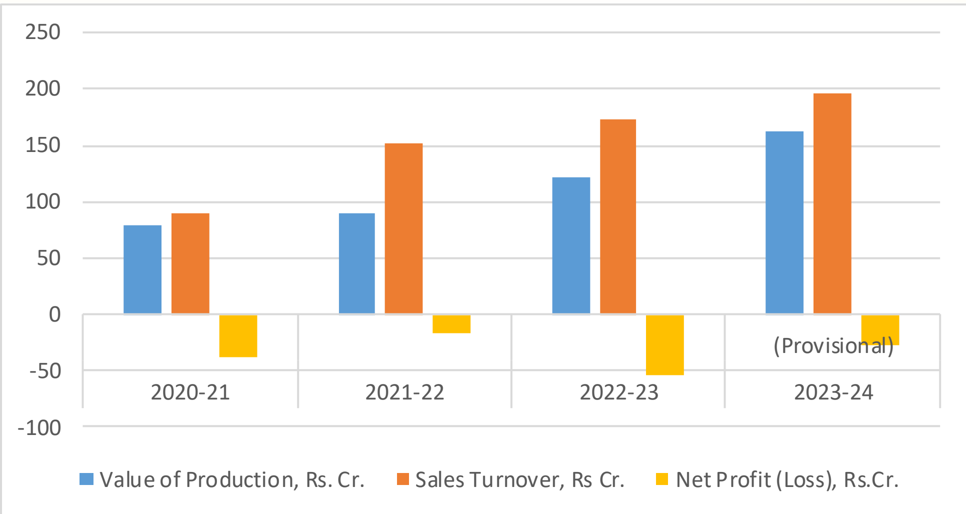

तालिका 6ञ

[मार्च 2024 तक वित्तीय प्रदर्शन (अनुमान/अनंतिम)]

(रुपए करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	अप्रैल 2023 से सितंबर 2023 (अनंतिम)	अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 (अनुमान/अनंतिम)	मार्च 2024 तक संचयी (अनुमान/अनंतिम)
1.	उत्पादन का मूल्य	65.73	96.39	162.12
2.	कुल कारोबार	88.18	108.82	197.00
3.	लाभ/हानि +/-	(12.29)	(14.49)	(26.78)

6.4.5 जनशक्ति:

दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार, एचएएल की जनशक्ति 388 है जिसमें 91 अधिकारी और 297 गैर-अधिकारी हैं।

6.4.6 विपणन के लिए कार्यनीति:

विपणन के लिए एचएएल की कार्यनीति निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना है:

- नई औषधियों और फॉर्मूलेशनों को तैयार करके अपनी उत्पाद श्रृंखला और लक्षित ग्राहकों को बढ़ाना
- अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करके, उत्तम विनिर्माण प्रणाली को अपनाकर और विभिन्न प्रमाणपत्र और मान्यता प्राप्त करके अपनी ब्रांड छवि और दृश्यता को बढ़ाना।
- क्लाउड चिकित्सा उपकरणों पर एचएएल-क्लिनिक के विपणन के लिए एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड जैसी अन्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की संस्थाओं के साथ कार्यनीतिक गठबंधन और साझेदारी करके अपने वितरण नेटवर्क और बिक्री बल को सुदृढ़ करना।
- नवीन और लागत प्रभावी औषधियों और फॉर्मूलेशन को विकसित करने और औषध क्षेत्र में उभरती चुनौतियों और अवसरों को पूरा करने के लिए अपनी अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं और अवसंरचना ढांचे का लाभ उठाना।
- अपने विनिर्माण और अन्य विभागों के कामकाज में मशीनीकृत प्रक्रियाओं और स्वचालन को शुरू करके इसकी संचालन लागत और देनदारियों को कम करना।

6.4.7 वर्ष 2023-24 के दौरान हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड में किए गए कार्यकलाप/मनाए गए दिवस/प्राप्त पुरस्कार:

(i) एचएएल ने 5-6 जून 2023 को हैदराबाद में आयोजित किए गए चिकित्सीय, टीके और निदान के अनुसंधान और विकास पर जी20-प्रदर्शनी में भाग लिया। एचएएल ने अपने अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण एचएएल क्लिनिक-एन-क्लाउड का प्रदर्शन किया, जो कम समय में 51 स्वास्थ्य मापदंडों को मापता है। साथ ही, कार्यक्रम में एचएएल द्वारा नई जनरेशन के कीटाणुनाशक भी दर्शाए गए। माननीय सचिव सुश्री एस. अपर्णा ने 6 जून 2023 को एचएएल स्टॉल का दौरा किया।

(ii) रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार ने राजभाषा हिंदी में सराहनीय कार्य के लिए एचएएल को वर्ष 2022-23 के लिए राजभाषा शील्ड से सम्मानित किया।

मई 2023 में एमडी, एचएएल, माननीय केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री से पुरस्कार प्राप्त करते हुए

(iii) 26 जनवरी को हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड में गणतंत्र दिवस मनाया गया। विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए जैसे कंपनी में अपनी सेवा के 25 वर्ष पूरे करने वाले कर्मचारियों को सम्मान प्रदान किया गया। उन कर्मचारियों को पुरस्कार दिए गए जिन्होंने कंपनी में अनुकरणीय योगदान दिया है।

(iv) 10 मार्च - स्थापना दिवस: एचएएल की स्थापना 10 मार्च 1954 को हुई थी। कंपनी में स्थापना दिवस बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाया गया।

(v) 19 फरवरी, 2023 को श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिवस को मनाने के लिए कंपनी के कर्मचारियों द्वारा संचालित संस्था श्री शिव स्मारक प्रतिष्ठान को विशेष अनुदान दिया जाता है। समारोह के दौरान श्री शिव स्मारक प्रतिष्ठान की ओर से एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया।

(vi) 14 अप्रैल, 2023 को भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर जयंती एच.ए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ द्वारा एच.ए आवासीय कॉलोनी में मनाई गई। इस समारोह को मनाने के लिए संघ को अनुदान दिया जाता है।

(vii) एच.ए आवासीय कॉलोनी में कार्यरत कंपनी के कर्मचारियों के संघ, बौद्ध जन मंडल द्वारा 5 मई 2023 को बौद्ध जयंती मनाई गयी।

(viii) 2 अक्टूबर, 2023 से 15 अक्टूबर, 2023 तक स्वच्छ भारत अभियान मनाया गया। कंपनी के सभी कर्मचारियों ने अभियान में भाग लिया और आसपास की सफाई की।

(ix) भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में 26 नवंबर, 2023 को संविधान दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिन कर्मचारियों ने भारत की प्रस्तावना का पठन किया।

(x) 14 सितंबर, 2023 को एचएएल में हिंदी पखवाड़ा बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। एचएएल में हिंदी पखवाड़ा के उपलक्ष्य में निबंध, स्लोगन, शुद्ध लेखन, वाद-विवाद प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किये गये।

6.5 कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल)

6.5.1 पृष्ठभूमि:

कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल) 1981 में निगमित एक लाभ कमाने वाली संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है [भारत सरकार द्वारा 59% हिस्सेदारी और कर्नाटक राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम (केएसआईआईडीसी) के माध्यम से कर्नाटक सरकार द्वारा 41% हिस्सेदारी के साथ]।

कंपनी का मूल उद्देश्य निजी चिकित्सकों के साथ-साथ सरकारी अस्पतालों और अन्य संस्थानों को उत्तम गुणवत्ता की जीवनरक्षक औषधियां उपलब्ध कराना है।

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 13.49 करोड़ रुपए है।

6.5.2 सुविधाएं:

- बैंगलोर संयंत्र में, औषध उत्पादों का विनिर्माण किया जा रहा है और कंपनी के पास निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए डब्ल्यूएचओ-जीएमपी प्रमाणित विनिर्माण सुविधाएं हैं;
  - ड्राई पाउडर इंजेक्शन - सिफालोस्पोरिन
  - ड्राई पाउडर इंजेक्शन - पेनिसिलिन
  - ड्राई पाउडर इंजेक्शन - सामान्य
  - लिक्विड इंजेक्शन
  - नॉन-पैरेंट्रल
  - ओरल सॉलिड खुराक

- कर्नाटक राज्य के धारवाड़ के कोटूर में निम्नलिखित आयुर्वेदिक उत्पादों का विनिर्माण किया जा रहा है।

  - लिक्विड ओरल
  - पाउडर
  - ऑइल

- भारत सरकार ने बल्क औषधि परियोजना 7-एसीए के लिए 'पीएलआई योजना' के अंतर्गत केएपीएल को मंजूरी दे दी है। डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी, उज्जैन में आवश्यक विनिर्माण गतिविधियाँ पूरे जोरों पर चल रही हैं।

उज्जैन में प्रस्तावित बल्क औषधि विनिर्माण इकाई

6.5.3 उत्पादन और बिक्री प्रदर्शन:

तालिका 6ट

(वर्ष-वार उत्पादन एवं बिक्री का विवरण)

(रुपए करोड़ में)

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	उत्पादन	बिक्री
1.	2020-2021	434.64	426.16
2.	2021-2022	479.76	473.87
3.	2022-2023	528.65	527.57
4.	2023-2024 (अनंतिम)	464.70 (अनंतिम)	462.09 (अनंतिम)

6.5.4 उपलब्धियाँ/प्रमुख सम्मान:

- डब्ल्यूएचओ जीएमपी प्रत्यायित कंपनी।
- अखिल भारतीय स्तर पर विद्यमान।
- आईएसओ 9001:2015 - गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस)
- आईएसओ 14001:2015 - प्रभावी पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस)
- आईएसओ 45001:2018 - व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा मूल्यांकन श्रृंखला (ओएचएंडएसएमएस),
- आईएसओ 50001:2018 - ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली (ईएनएमएस)।
- पीआईसी/एस प्रमाणन

6.5.5 लोकप्रिय ब्रांड:

फार्मा - व्यापार:

तालिका 6ठ

(फार्मा - व्यापार)

क्रम संख्या	उत्पाद	चिकित्सीय खंड	बाजार मूल्य (रुपए लाख में)
1	ग्रेनिल	एंटी-माइग्रेन	1159.00
2	कैप्टोसिन (ऑक्सीटोसिन)	हार्मोन	198.00
3	साइफोलैक	प्रोबायोटिक्स	555.00
4	रेमसीसी	सर्दी और खांसी	319.00
5	वेरक्लेव	एंटीबायोटिक	262.00
6	पॉप-ई	प्लेटलेट बूस्टर	180.00
7	ज़िनफे	हेमेटिक	232.00
8	न्यूमोल	दर्द की दवाई	220.00
9	कैप्लिकॉन	ऐंटिफंगल	33.00

आयुर्वेदिक उत्पाद:

तालिका 6ड

(आयुर्वेदिक उत्पाद)

क्रम संख्या	उत्पाद	चिकित्सीय खंड	बाजार मूल्य (रुपए लाख में)
1	पॉप-ई	प्लेटलेट बूस्टर	180.00
2	एपिफ़ीस्ट	ऐपिटाइज़र	102.00
3	हस्की पाउडर	बाउल रेगुलेटर	86.00
4	एक्सोल	हेपेटो-बिलरी स्टिमुलेंट	27.00
5	के-थ्रिन	थ्रोम्बोसाइटोपेनिया	55.00
6	न्यूमोल एच	पेन मैनेजमेंट	104.00
7	ऐनटाफ	एंटासिड-एंटीफ्लैटुलेंट	56.00
8	एपिकैप	ऐपिटाइज़र	30.00

पशु चिकित्सा उत्पाद:

तालिका 6ढ

(पशु चिकित्सा उत्पाद)

क्रम संख्या	उत्पाद	चिकित्सीय खंड	बाजार मूल्य (रुपए लाख में)
1	पेंसबायोटिक	एंटीबायोटिक	306.40
2	जेंटाबायोटिक	एंटीबायोटिक	261.74
3	सेट्रिक्स	एंटीबायोटिक	395.61
4	के-फ्लोक्स	एंटीबायोटिक	164.58
5	कालविमिन ग्रुप	पूरक आहार	638.73
6	के- लाइव	हेपेटो-प्रोटेक्टिव	263.93
7	कैल-के	एक्टो-पैरासाइटाइड	222.71

6.5.6 वितरण नेटवर्क:

फार्मा:

कंपनी योजनाबद्ध प्रयास के साथ खुदरा व्यापार क्षेत्र में अपने संचालन का विस्तार कर रही है ताकि निजी चिकित्सकों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इस दिशा में कंपनी समय-समय पर विभिन्न चिकित्सीय खंडों में नए उत्पाद लॉन्च करती रही है। घरेलू संचालन पूरे देश में अत्यधिक समर्पित पेशेवर कार्यबल द्वारा संचालित किया जाता है और वितरण के सुव्यवस्थित माध्यम द्वारा इसे सहयोग प्रदान किया जाता है, जो व्यापक के साथ-साथ छोटे बाजारों में भी केएपीएल की उपस्थिति सुनिश्चित करता है।

केएपीएल की शाखाएँ लगभग सभी राज्य मुख्यालयों में स्थित हैं। कंपनी के पास प्रमुख शहरों में लगभग 18 शाखाओं में उत्कृष्ट वितरण नेटवर्क भी है, जो चैनल मार्केटिंग के माध्यम से संबंधित राज्य क्षेत्र को आपूर्ति प्रदान करता है। व्यापार खंड में खुदरा विक्रेताओं, नर्सिंग होम और डिस्पेंसिंग चिकित्सकों और प्रत्यक्ष दर संविदा (आरसी) और गैर-दर संविदा (एनआरसी) क्षेत्रों में संस्थानों को आपूर्ति अनुमोदित भंडारकों (स्टॉकिस्टों) के माध्यम से प्रभावी रूप से की जाती है।

6.5.7 विपणन:

फार्मा:

कंपनी मुख्य रूप से प्रिस्क्रिप्शन बाजार पर ध्यान केंद्रित कर रही है जहां कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों और निजी फार्मा अग्रणी की बड़ी हिस्सेदारी है। कंपनी संस्थागत व्यवसाय के लिए पीपी पॉलिसी (पीपीपी) पर भी निर्भर है, जहां केंद्र सरकार के अस्पतालों, राज्य सरकार के अस्पतालों, कॉरपोरेट्स, पीएसयू अस्पतालों, रक्षा और बीमा पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें व्यापर खंड में विस्तार करने और सीपीएसई अस्पतालों और बड़े कॉर्पोरेट अस्पतालों पर ध्यान केंद्रित करके मात्रा बढ़ाने की भी क्षमता है।

पशु चिकित्सा:

पशु चिकित्सा उत्पादों के लिए पशु चिकित्सकों, किसानों, सभी राज्यों के पशुपालन विभाग और पशु चिकित्सा उत्पादों एवं फीड अनुपूरकों के लिए दुग्ध संघों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

नए उत्पाद (फार्मा एवं पशु चिकित्सा)

तालिका 6ण
(नए उत्पादों का विवरण)

क्रम संख्या	उत्पाद	चिकित्सीय खंड
	फार्मा	
क	न्यूमोल 650 टैब	एंटी-पाइरेटिक
ख	न्यूमोल 250 एमजी सप्लिमेंट्स	एंटी-पाइरेटिक
ग	वेरक्लेव डुओ	एंटीबायोटिक
घ	कैपित्ज़ 100 मिलीग्राम / 200 मिलीग्राम	एंटी-फंगल
	पशुचिकित्सा	
क्रम संख्या	**उत्पाद**	**चिकित्सीय खंड**
क	केएपी-3	मल्टी-विटामिन
ख	केएपीटीआईके	एक्टोपैरासाइटिसाइड

कंपनी भारत सरकार के निर्णय के अनुसार ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का विनिर्माण और विपणन कर रही है।

6.5.8 निर्यात:

वर्तमान में केएपीएल उत्पाद मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, नामीबिया, युगांडा, म्यांमार, यमन, दक्षिण अफ्रीका, फिजी, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, जाम्बिया, भूटान, सूडान, श्रीलंका और उज्बेकिस्तान जैसे लगभग 17 देशों में निर्यात किए जाते हैं। कंपनी की योजना कंबोडिया, ब्राजील, पेरू और यूरोपीय संघ के देशों जैसे अन्य देशों में दवाओं का निर्यात करने की है।

दिनांक 17.07.2023 को केएपीएल की स्वतंत्र निदेशक डॉ. मधुचंदा कर का केएपीएल पीन्या संयंत्र का दौरा

दिनांक 02.09.2023 को विजाग में भारत सरकार की रसायन एवं उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्यों द्वारा किया गया अध्ययन दौरा। औषध विभाग के अधिकारियों के साथ केएपीएल की टीम

दिनांक 28.12.2023 को संसद की स्थायी समिति का दौरा। औषध विभाग के अधिकारियों के साथ केएपीएल की टीम

6.6 राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल)

6.6.1 पृष्ठभूमि

राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल) संयुक्त क्षेत्र में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की एक इकाई है, जिसकी कुल प्रदत्त इक्विटी पूंजी 4.98 करोड़ रुपये है, जहां भारत सरकार (जीओआई) और राजस्थान

राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड (आरआईआईसीओ, राजस्थान सरकार) के पास क्रमशः 51% और 49% शेयर हैं। इसे वर्ष 1978 में निगमित किया गया था और व्यावसायिक उत्पादन वर्ष 1981 में शुरू हुआ था। कंपनी की विनिर्माण सुविधाएं और पंजीकृत कार्यालय जयपुर में है। अक्टूबर, 2016 से कंपनी में उत्पादन गतिविधियां बंद हैं।

6.6.2 प्रदर्शन

तालिका 6त

(आरडीपीएल का प्रदर्शन)

(रुपये करोड़ में)

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
निवल मूल्य	(-) 63.72	(-)89.93	(-) 99.27	(-) 101.40	(-) 103.20
कारोबार	0.13	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
आय (टैक्स से पहले)	(-) 11.59	(-)26.21	(-)9.34	(-) 2.13	(-)1.80
आय (टैक्स के बाद)	(-) 11.59	(-)26.21	(-)9.34	(-) 2.13	(-)1.80
कुल लाभ/हानि	(-) 11.59	(-)26.21	(-)9.34	(-) 2.13	(-)1.80

6.6.3 आरडीपीएल की वर्तमान स्थिति

दिनांक 01.03.2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आरडीपीएल को राजस्थान राज्य सरकार को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया। तदनुसार, आरडीपीएल स्थानांतरण की सक्रिय प्रक्रिया में है।

अध्याय 7

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)

7.1 राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)
7.2 मूल्य निर्धारण
7.3 चिकित्सा उपकरणों के व्यापार मार्जिन को युक्तिसंगत बनाना
7.4 पुनरीक्षण आदेश
7.5 डीपीसीओ, 2013 के पैरा 32 के अंतर्गत दी गई छूट
7.6 व्यापार मार्जिन युक्तिकरण के आधार पर कैंसर रोधी दवाओं का मूल्य संशोधन
7.7 उपभोक्ताओं को बचत
7.8 पांच वर्षों में उपचारात्मक क्षेत्रों में वृद्धि
7.9 साप्ताहिक सर्वेक्षण के माध्यम से औषधियों की उपलब्धता की निगरानी
7.10 मूल्य निगरानी एवं प्रवर्तन गतिविधियां
7.11 अधिप्रभारित राशि की वसूली
7.12 ई-पहल
7.13 उपभोक्ता जागरूकता, प्रचार और मूल्य निगरानी (सीएपीपीएम) का कार्यान्वयन
7.14 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के अंतर्गत की गई गतिविधियां
7.15 राजभाषा कार्यान्वयन
7.16 राजभाषा प्रोत्साहन पखवाड़ा, 2023
7.17 सतर्कता जागरूकता सप्ताह
7.18 राष्ट्रीय एकता दिवस
7.19 स्वच्छता पखवाड़ा, स्वच्छता ही सेवा एवं विशेष अभियान 3.0
7.20 एनपीपीए का ई-समाचार पत्र: औषध संदेश
7.21 डीपीसीओ, 2013 एवं एनपीपीपी, 2012 के कामकाज की समीक्षा पर कार्यशाला

अध्याय 7

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)

7.1 राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए), रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र निकाय है, जिसका गठन भारत सरकार द्वारा भारत के राजपत्र संख्या 159 दिनांक 29.08.1997 में प्रकाशित संकल्प के द्वारा किया गया था। एनपीपीए के कार्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ औषधि (मूल्य निर्धारण) आदेश (डीपीसीओ) के अंतर्गत अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्य का निर्धारण एवं संशोधन तथा साथ ही मूल्यों की निगरानी और प्रवर्तन शामिल है। एनपीपीए सरकार को औषध नीति तथा दवाओं की वहनीयता, उपलब्धता और पहुंच से संबंधित मुद्दों के बारे में इनपुट प्रदान करता है।

सरकार ने डीपीसीओ, 1995 के अधिक्रमण में दिनांक 15.05.2013 को डीपीसीओ, 2013 को अधिसूचित किया।

7.1.1 डीसीपीओ, 2013 की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची (एनएलईएम), को अनिवार्यता अवधारित करने के लिए बुनियादी आधार के रूप में अपनाया गया है और इसे डीसीपीओ, 2013 की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है जो मूल्य नियंत्रण के प्रयोजन के लिए अनुसूचित दवाओं की सूची है।
- अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के अधिकतम मूल्य 'बाजार आधारित आंकड़ों' के आधार पर निर्धारित किए गए हैं।
- मूल्य नियंत्रण औषध (सक्रिय औषध घटक) के संदर्भ में प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट विशिष्ट फॉर्मूलेशनों, सेवन मार्ग, खुराक स्वरूप/शक्ति पर लागू किए गए हैं।
- राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची 2022 (एनएलईएम 2022) को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिनांक 13.09.2022 को अधिसूचित किया गया था। तदनुसार, एनएलईएम 2022 को डीपीसीओ 2013 की पहली अनुसूची के रूप में दिनांक 11.11.2022 को औषध विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया था।

7.1.2 राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) के प्रकार्य

- इसे प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार मौजूदा डीपीसीओ के प्रावधानों को कार्यान्वित और प्रवर्तित करना।
- औषधियों/फॉर्मूलेशनों के मूल्य निर्धारण के संबंध में संगत अध्ययन करना और/अथवा प्रायोजित करना।
- औषधियों की उपलब्धता की निगरानी करना, कमियों, यदि कोई हों, का पता लगाना, और सुधारात्मक उपाय करना।
- बल्क औषधियों और फॉर्मूलेशनों के उत्पादन, निर्यात और आयात, अलग-अलग कंपनियों के बाजार शेयर, कंपनियों की लाभप्रदता इत्यादि से संबंधित आंकड़े एकत्र करना/उनका रख-रखाव करना।
- प्राधिकरण के निर्णयों से उत्पन्न होने वाले सभी कानूनी मामलों पर कार्रवाई करना।
- औषधि नीति परिवर्तन/संशोधन के संबंध में केंद्रीय सरकार को परामर्श देना।
- औषध मूल्य निर्धारण से संबंधित संसदीय मामलों में केंद्रीय सरकार की सहायता करना।

7.2 मूल्य निर्धारण

7.2.1 मूल्य निर्धारण:

(1) अधिकतम मूल्य

एनपीपीए, डीपीसीओ, 2013 की अनुसूची-I में सूचीबद्ध फॉर्मूलेशनों का अधिकतम मूल्य निर्धारित करता है। डीपीसीओ, 2013 के अंगीकृत बाजार आधारित दृष्टिकोण के अंतर्गत किसी अनुसूचित फॉर्मूलेशनों का अधिकतम मूल्य, पहले, उस विशिष्ट फार्मूलेशन के एक प्रतिशत या अधिक बाजार हिस्सेदारी वाले सभी ब्रांडेड-जेनरिक एवं जेनरिक रूपों के खुदरा विक्रेता को मिलने वाले मूल्य का (पीटीआर) सरल औसत निकाल कर और उसमें 16 प्रतिशत आनुमानिक खुदरा विक्रेता मार्जिन जोड़कर मूल्य निर्धारित किया जाता है। उस विशिष्ट औषध फॉर्मूलेशन का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी), अधिसूचित अधिकतम मूल्य तथा लागू करों के योग से अधिक नहीं होना चाहिए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिनांक 13.09.2022 को राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची (एनएलईएम) 2022 जारी की गई थी। इसके अतिरिक्त, औषध विभाग ने अधिसूचना एसओ 5249 (ई) दिनांक 11.11.2022 के माध्यम से इसे डीपीसीओ, 2013 की अनुसूची-I के रूप में अधिसूचित किया है। इसमें 34 दवाओं को जोड़ा गया है, जबकि पिछली सूची (एनएलईएम, 2015) से 26 दवाओं को हटा दिया गया है। एनपीपीए ने डीपीसीओ, 2013 के अधीन 31.03.2024 तक 923 फॉर्मूलेशन (एनएलईएम 2022 के अंतर्गत 733 फॉर्मूलेशन और पूर्व के एनएलईएमों के अंतर्गत 190 फॉर्मूलेशन) का अधिकतम मूल्य नियत किया है। विभिन्न चिकित्सीय श्रेणियों में दिनांक 31.03.2024 तक प्रभावी अधिकतम मूल्यों का विवरण तालिका 7क में दिया गया है:

तालिका 7क

(दवाओं की श्रेणियां जिनके अंतर्गत एनएलईएम, 2022 के अंतर्गत अधिकतम मूल्य नियत किए गए हैं)

	नियत कुल अधिकतम मूल्य		एनएलईएम, 2022 के अंतर्गत नियत अधिकतम मूल्य	
चिकित्सीय श्रेणी	औषधि	फॉर्मूलेशन	औषधि	फॉर्मूलेशन
संक्रमण-रोधी औषधियां	71	191	62	165
कैंसर-रोधी औषधियां	62	131	59	118
न्यूरोलॉजिकल विकार औषधियां	18	63	18	59
मनोरोग विकार औषधियां	14	42	14	41
हृदय संबंधी औषधियां	26	65	25	59
एचआईवी प्रबंधन दवाएं	21	29	20	23
एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, गैर-स्टेरायडल सूजनरोधी दवाएं (एनएसएआईडी)	12	35	11	24
मधुमेह-रोधी औषधियां	8	11	8	11

	नियत कुल अधिकतम मूल्य		एनएलईएम, 2022 के अंतर्गत नियत अधिकतम मूल्य	
चिकित्सीय श्रेणी	**औषधि**	**फॉर्मूलेशन**	**औषधि**	**फॉर्मूलेशन**
हार्मोन, अन्य अंतःस्रावी दवाएं और गर्भनिरोधक	18	37	16	33
अन्य	158	319	106	200
अनोखी औषधियां/फॉर्मूलेशन	**388***	**923**	**321***	**733**

* कुछ दवाइयों को विभिन्न अनुभागों में सूचीबद्ध किया जाता है। दवा को दोनों अनुभागों में गिना जाता है, लेकिन फॉर्मूलेशन को केवल एक अनुभाग में एक बार गिना जाता है।

विभिन्न राजपत्र अधिसूचनाओं के माध्यम से मूल्य अधिसूचित किए जाते हैं जो एनपीपीए की वेबसाइट www.nppaindia.nic.in पर भी अपलोड किए गए हैं। अधिकतम मूल्य उस तारीख से कार्यशील एवं विधिक रूप से प्रवर्तनीय होते हैं, जिस तारीख से मूल्य राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है।

(ख) खुदरा मूल्य

एनपीपीए विनिर्माण/विपणन कंपनियों से प्राप्त फॉर्म-I आवेदनों के आधार पर दवा के खुदरा मूल्य को निर्धारित करता है। अधिसूचित खुदरा मूल्य केवल आवेदक विनिर्माण/ विपणन कंपनियों के लिए लागू होते हैं। दवा का खुदरा मूल्य भी उसी पद्धति पर निर्धारित किया जाता हैं जिस पद्धति से अधिकतम मूल्य निर्धारित किया जाता है। एनपीपीए ने डीपीसीओ, 2013 के अंतर्गत दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार, लगभग 2799 'नई दवाओं' [डीपीसीओ, 2013 के पैरा 2(1)(प) के अनुसार 'नई दवाओं' के रूप में अर्हता प्राप्त] के खुदरा मूल्य को अधिसूचित किया। विवरण निम्नानुसार है-

तालिका 7ख

(डीपीसीओ, 2013 के अंतर्गत एनपीपीए द्वारा नियत खुदरा मूल्य)

चिकित्सीय समूह	नई औषधियों की संख्या जिनके लिए खुदरा मूल्य निर्धारित किया गया है
गैर-संचारी रोग	**1518**
मधुमेह-रोधी औषधियां	1003
हृदय संबंधी औषधियां	487
कैंसर रोधी औषधियां	28
अन्य	**1281**
कुल	**2799**

इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक हित में डीपीसीओ, 2013 के अंतर्गत असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 22 मधुमेह और 84 हृदय संबंधी दवाओं सहित 106 गैर-अनुसूचित दवाओं के फॉर्मूलेशन के एमआरपी को जुलाई,

2014 में नियंत्रित किया गया था। फरवरी, 2019 में प्रायोगिक आधार पर चयनित 42 कैंसर रोधी दवाओं के व्यापार मार्जिन पर 30% तक की सीमा लगाई गई थी।

ग. चिकित्सा उपकरणों का मूल्य निर्धारण:

➢ **कोरोनरी स्टेंट:**

कोरोनरी स्टेंट को दिसंबर 2016 में डीपीसीओ, 2013 की अनुसूची-1 में शामिल किया गया था और एनपीपीए ने डीपीसीओ, 2013 के पैरा 19 के अंतर्गत 13.02.2017 की अधिसूचना का.आ.412(अ) के अंतर्गत कोरोनरी स्टेंट के अधिकतम मूल्य को अधिसूचित किया था। वार्षिक थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अधिकतम मूल्यों में संशोधन किया गया। हाल ही में, एनपीपीए ने अधिसूचना का.आ.1551(अ) दिनांक 26.03.2024 के अंतर्गत डब्ल्यूपीआई @ 0.00551% पर विचार करते हुए अधिकतम मूल्यों में संशोधन किया है।

➢ **कंडोम:**

सरकार ने एनएलईएम, 2011 के अंतर्गत राजपत्र अधिसूचना संख्या 1791(अ) दिनांक 10.07.2014 द्वारा कंडोम के लिए अधिकतम मूल्य नियत किया था। कंडोम का वर्तमान अधिकतम मूल्य एनएलईएम, 2022 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एसओ 1549 (अ) दिनांक 26.03.2024 द्वारा अधिसूचित किया गया है।

➢ **इन्ट्रा यूटरीन उपकरण (आईयूडी):**

सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्या 1334(अ) दिनांक 27.04.2017 और 1668(अ) दिनांक 24.05.2017 द्वारा आईयूडी की विभिन्न श्रेणियों के लिए अधिकतम मूल्य नियत किए थे। आईयूडी का वर्तमान अधिकतम मूल्य एनएलईएम, 2022 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एसओ 1547(अ) दिनांक 26.03.2024 द्वारा अधिसूचित किया गया है।

➢ **घुटने के प्रतिस्थापन प्रणाली के लिए आर्थोपेडिक घुटना प्रत्यारोपण:**

एनपीपीए ने डीपीसीओ, 2013 के पैरा 19 के अंतर्गत अधिसूचना का.आ. 2668(अ) के अंतर्गत दिनांक 16.08.2017 को पहली बार आर्थोपेडिक घुटना प्रत्यारोपण, एक गैर-अनुसूचित चिकित्सा उपकरण का अधिकतम मूल्य निर्धारित किया और और बाद में अधिकतम मूल्यों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया। हाल ही में, एनपीपीए ने अधिसूचना का.आ. 4078 (अ) दिनांक 15.09.2023 के माध्यम से आर्थोपेडिक घुटना प्रत्यारोपण के अधिकतम मूल्यों की प्रयोज्यता को दिनांक 15.09.2024 तक बढ़ा दिया है।

7.3 चिकित्सा उपकरणों के व्यापार मार्जिन को युक्तिसंगत बनाना

नैदानिक उद्देश्यों के लिए आवश्यक चिकित्सा उपकरणों के मूल्यों को विनियमित करने के उद्देश्य से, सामान्य रूप से और विशेष रूप से कोविड-19 प्रबंधन के लिए, एनपीपीए ने नीति आयोग की वहनीय दवाओं और स्वास्थ्य उत्पादों पर स्थायी समिति (एससीएएमएचपी) की सिफारिश पर दिनांक 03.06.2021 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से वितरक को मूल्य (पीटीडी) स्तर पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के लिए व्यापार मार्जिन को 70% तक सीमित कर दिया। 252 उत्पादों में से 70 के मूल्यों में कमी देखी गई थी और खुदरा मूल्यों में 54% (54,337 रुपये तक) तक की कमी आई। एनपीपीए ने अधिसूचना का.आ. 1519 (अ) दिनांक 29.03.2023 द्वारा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के लिए व्यापार मार्जिन की सीमा को दिनांक 30.06.2023 तक बढ़ा दिया था।

इसी तरह, अधिसूचना का.आ.2808(अ) दिनांक 13.07.2021 द्वारा पल्स ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, नेब्युलाइज़र और डिजिटल थर्मामीटर पर व्यापार मार्जिन भी 70% पर नियंत्रित किया गया था। एनपीपीए ने अधिसूचना का.आ. 1518(अ) दिनांक 29.03.2023 के द्वारा इन पांच चिकित्सा उपकरणों के लिए व्यापार मार्जिन की सीमा को दिनांक 30.06.2023 तक बढ़ा दिया था। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त चिकित्सा उपकरणों

के लिए व्यापार मार्जिन की सीमा को बढ़ाया नहीं गया था क्योंकि स्थिति पूर्व-महामारी स्तर पर वापस चली गई है। तथापि, इनके मूल्यों की निगरानी डीपीसीओ, 2013 के वर्तमान प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है।

7.4 पुनरीक्षण आदेश

एनपीपीए के आदेशों से परेशान कोई भी कंपनी डीपीसीओ, 2013 के पैरा 31 के अंतर्गत औषध विभाग को पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है। सुनवाई के पश्चात औषध विभाग अपेक्षित पुनरीक्षण निदेश देता है और एनपीपीए पात्रता के आधार पर औषध विभाग के पुनरीक्षण निदेशों को लागू करता है। वर्ष 2023-24 (दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार) के दौरान, एक समीक्षा आदेश (समीक्षा आदेश संख्या 31015/75/2023-मूल्य निर्धारण (ई-24296) दिनांक 05.03.2024) एनपीपीए के पास कार्यान्वयन के लिए लंबित है, जिसके लिए मसौदा पत्र दिनांक 15.03.2024 को एनपीपीए की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

7.5 डीपीसीओ, 2013 के पैरा 32 के अंतर्गत दी गई छूट

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार, एनपीपीए ने डीपीसीओ, 2013 के पैरा 32 के अंतर्गत तीन कंपनियों को निम्नानुसार छूट प्रदान की है:

- **i.** पैरा 32(i) के अंतर्गत मेसर्स ट्रोइका फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को पैरासिटामोल इंजेक्शन (इंट्रामस्क्युलर) 250 मिलीग्राम/एमएल, 2 मिलीलीटर फॉर्मूलेशन के लिए छूट दी गई, जिसे सां.आ. 3561 (अ) दिनांक 08.08.2023 द्वारा अधिसूचित किया गया।
- **ii.** डीपीसीओ 2013 के पैरा 32(i) और (ii) के अंतर्गत मेसर्स कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को उनके उत्पाद कोलेकैल्सीफेरॉल एक्वियस इंजेक्शन 6,00,000 आईयू/2एमएल (विटामिन डी3 इंजेक्शन) के लिए छूट दी गई, जिसे सां.आ. 4662(ई) दिनांक 25.10.2023 द्वारा अधिसूचित किया गया।
- **iii.** डीपीसीओ 2013 के पैरा 32(i) के अंतर्गत मेसर्स पैनेसिया बायोटेक लिमिटेड को उनके उत्पाद इजीफोरपोल (डीटीडब्ल्यूपी-एचआईबी-आईपीवी) वैक्सीन के लिए छूट दी गई, जिसे सां.आ.4661 (अ) दिनांक 25.10.2023 द्वारा अधिसूचित किया गया।

7.6 एनएलईएम, 2022 के अंतर्गत कैंसर रोधी दवाओं के मूल्य में संशोधन

दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार, 131 कैंसर-रोधी फॉर्मूलेशन (उपशामक देखभाल सहित) के अधिकतम मूल्य प्रभावी हैं। एनएलईएम, 2022 के अंतर्गत 118 कैंसर-रोधी फॉर्मूलेशन (प्रशामक देखभाल सहित) का अधिकतम मूल्य नियत किया गया है। इसके अतिरिक्त, एनएलईएम, 2015 के अंतर्गत निर्धारित 13 फॉर्मूलेशन का अधिकतम मूल्य भी प्रभावी है। एनएलईएम, 2022 के अंतर्गत कैंसर रोधी फॉर्मूलेशन का अधिकतम मूल्य नियत करने के कारण लगभग 294.24 करोड़ रुपये की अनुमानित वार्षिक बचत हुई है।

7.7 उपभोक्ताओं को बचत

एनएलईएम 2022 (संशोधित अनुसूची-I) में सूचीबद्ध अनुसूचित फॉर्मूलेशनों की अधिकतम मूल्यों के निर्धारण से उपभोक्ताओं को 3732 करोड़ रुपये (दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार) की बचत हुई है, इसके अतिरिक्त कोरोनरी स्टेंट के मूल्य निर्धारण के कारण उपभोक्ताओं को वार्षिक रूप से 11,633 करोड़ रुपये की बचत हुई है। जिसका विवरण ग्राफ 7क में नीचे दर्शाया गया है। हालांकि, गणना की गई कुल बचत अतिरिक्त बचत की प्रकृति की है क्योंकि कई अनुसूचित दवाओं का मूल्य ऐतिहासिक रूप से मूल्य नियंत्रण के अधीन हैं। उपरोक्त अनुमानित

बचत में केवल एनएलईएम 2011, एनएलईएम 2015, एनएलईएम 2022 के अंतर्गत उच्चतम मूल्य निर्धारण और कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन युक्तिकरण, एंटी-डायबिटिक/हृदय रोग के मूल्य निर्धारण, स्टेंट के अधिकतम मूल्य निर्धारण और घुटने के प्रत्यारोपण के मूल्य निर्धारण जैसे अन्य विशिष्ट उपाय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, गैर-अनुसूचित दवाओं के एमआरपी में वार्षिक वृद्धि पर 10% की सीमा के कारण भी उपभोक्ताओं को लाभ होता है। इसलिए, डीपीसीओ, 2013 के अंतर्गत मूल्य विनियमन के कारण कुल बचत उपरोक्त अनुमान से कहीं अधिक होने की संभावना है

ग्राफ 7क

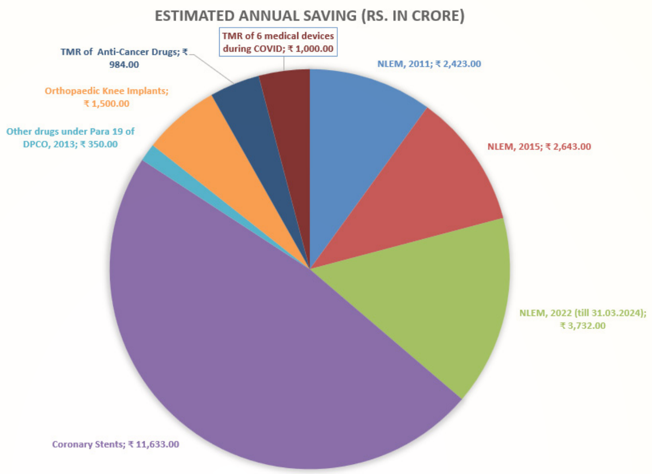

7.8 5 वर्षों में चिकित्सीय क्षेत्रों में वृद्धि

भारतीय औषध उद्योग के प्रमुख क्षेत्रों में जेनेरिक औषधियां, काउंटर के ऊपर (ओटीसी) दवाएं, बल्क औषधि, टीके, अनुबंध अनुसंधान और विनिर्माण, बायोसिमिलर और बायोलॉजिक्स शामिल हैं। पिछले पांच वर्षों 2019-20 से 2023-24 के दौरान, हृदय, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, मधुमेह-रोधी और संक्रमण-रोधी चिकित्सीय श्रेणी की औषधियों ने क्रमशः 7.33%, 7.89%, 4.85% और 4.76% (तालिका 7ग) की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) के साथ उच्च बिक्री दर्ज की है। सेक्स स्टिम्यलेन्ट, रिजुविनेटर और स्टामाटोलॉजिकल करने वाली दवाओं के लिए बिक्री का डाटा निरपेक्ष रूप से बहुत अधिक नहीं था, लेकिन औषधियों के इस वर्ग ने क्रमशः 11.43% और 11.09% की उच्चतम वृद्धि दिखाई।

तालिका 7ग

(पिछले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न चिकित्सीय खंडों में वृद्धि)

श्रेणी	बिक्री 2019-20 (रुपए करोड़ में)	बिक्री 2023-24 (रुपए करोड़ में)	सीएजीआर %
मधुमेह-रोधी	14137.90	17919.02	**4.85%**
मलेरिया-रोधी	577.46	579.24	**0.06%**
एंटी-इन्फेक्टिव्स	19788.13	24964.52	**4.76%**
एंटी-नियोप्लास्टिक्स	3013.28	4484.62	**8.28%**
रक्त संबंधी	4404.81	5932.81	**6.14%**

हृदय संबंधी	18284.21	26041.80	**7.33%**
त्वचा संबंधी	9724.53	13082.04	**6.11%**
गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल	15828.65	23142.83	**7.89%**
स्त्री रोग संबंधी	4536.94	6502.38	**7.46%**
हार्मोन	2549.69	3357.62	**5.66%**
न्यूरो/सीएनएस	8778.67	12149.54	**6.72%**
नेत्र/ऑटोलॉजिकल्स	2589.18	3539.05	**6.45%**
अन्य	1153.93	1505.80	**5.47%**
दर्द/दर्दनाशक	9621.29	14084.89	**7.92%**
श्वसन	11132.77	16009.22	**7.54%**
सेक्स स्टिम्यूलेन्ट/रिजुविनेटर	794.14	1364.05	**11.43%**
स्टोमेटोलोजिकल्स	782.30	1323.30	**11.09%**
यूरोलॉजी	1944.00	2930.44	**8.55%**
टीके#	2225.40	1733.60	**-4.87%**
विटामिन/खनिज/पोषक तत्व	12645.53	17329.46	**6.50%**
कुल योग	**144512.80**	**197976.22**	**6.50%**

स्रोतः फार्माट्रैक मार्केट डाटाबेस (मार्च, 2024)

#टीकों की आपूर्ति ज्यादातर संस्थानों को की जाती है और इसलिए 4.87% का नकारात्मक सीएजीआर दिखाने वाले टीके सही तस्वीर को प्रतिबिंबित नहीं कर सकते हैं क्योंकि फार्माट्रैक बाजार डेटाबेस संस्थागत बिक्री को दर्ज नहीं करता है।

वित्त वर्ष 2023-24 के बिक्री आंकड़ों के आधार पर, यह देखा गया है कि सभी श्रेणियों में बड़ी, मध्यम और छोटी कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी क्रमशः 79%, 18% और 3% थी **(तालिका 7घ)**। संक्रमण-रोधी, **मलेरिया-रोधी, मधुमेह-रोधी**, कार्डियक, श्वसन एवं न्यूरो कैटेगरी में बड़ी कंपनियों की हिस्सेदारी ज्यादा है (85% से अधिक) जबकि दर्द/दर्दनाशक, स्त्री रोग संबंधी एवं नियोप्लास्टिक्स-रोधी में बड़ी कंपनियों की हिस्सेदारी करीब 65% थी।

तालिका 7घ

(वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान औषधियों के समूह और कंपनी के आकार के अनुसार बाजार हिस्सेदारी)

श्रेणी	**बिक्री (रुपए करोड़ में)**	**कंपनियों के % में बाजार हिस्सेदारी**		
		बड़ी	**मध्यम**	**छोटी**
मधुमेह-रोधी	17919.02	85%	13%	2%
मलेरिया-रोधी	579.24	88%	6%	6%
एंटी-इन्फेक्टिव्स	24964.52	89%	9%	2%

एंटी-नियोप्लास्टिक्स	4484.62	69%	28%	2%
रक्त संबंधी	5932.81	73%	23%	4%
हृदय संबंधी	26041.80	86%	13%	1%
त्वचा संबंधी	13082.04	74%	20%	6%
गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल	23142.83	80%	16%	4%
स्त्री रोग संबंधी	6502.38	67%	29%	3%
हार्मोन	3357.62	87%	11%	2%
न्यूरो/सीएनएस	12149.54	87%	9%	4%
नेत्र/ऑटोलॉजिकल्स	3539.05	58%	34%	8%
अन्य	1505.80	59%	32%	9%
दर्द/दर्दनाशक	14084.89	68%	28%	4%
श्वसन	16009.22	86%	11%	3%
सेक्स रिस्टम्यूलेन्ट रिजुविनेटर	1364.05	91%	7%	2%
स्टोमेटोलोजिकल्स	1323.30	58%	35%	7%
यूरोलॉजी	2930.44	85%	13%	2%
टीके#	1733.60	59%	31%	9%
विटामिन/खनिज/पोषक तत्व	17329.46	61%	34%	5%
कुल योग	197976.22	79%	18%	3%

स्रोत: फार्माट्रैक मार्केट डाटाबेस (मार्च, 2024)

नोट: कंपनियों को 1,000 करोड़ रूपये और उससे अधिक के घरेलू कारोबार के आधार पर क्रमशः 100 करोड़ रूपये से 1,000 करोड़ रूपये और 100 करोड़ रूपये तक के हिसाब से बड़े, मध्यम और छोटे के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

7.9 साप्ताहिक सर्वेक्षण के माध्यम से औषधि की उपलब्धता की निगरानी

देश भर में विभिन्न स्थानों पर केमिस्ट की दुकानों पर मूल्य निगरानी संसाधन इकाइयों (पीएमआरयू) द्वारा अपने संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में किए गए नियमित सर्वेक्षणों के माध्यम से प्रमुख दवाओं की उपलब्धता की निगरानी की जा रही है।

7.10 मूल्य निगरानी एवं प्रवर्तन गतिविधियां

दवाइयों की उपलब्धता एवं वहनीयता की निगरानी

सरकार डीपीसीओ, 2013 के अंतर्गत अनुसूचित और गैर-अनुसूचित दवाओं के मूल्यों की प्रभावी रूप से निगरानी कर रही है और विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त संदर्भों/शिकायतों के आधार पर उपभोक्ताओं से अधिक मूल्य प्रभारित करने वाली कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई करती है।

चार्ट 7ख

फार्मेट्रैक डाटा और प्राप्त व्यक्तिगत शिकायतों के आधार पर, स्वीकार्य सीमा से अधिक फार्मूलेशन के मूल्य में वृद्धि की निगरानी भी की जाती है।

जब कभी भी कंपनियां एनपीपीए द्वारा अधिसूचित मूल्य से अधिक मूल्य पर अनुसूचित फॉर्मूलेशन की बिक्री करती पायी जाती हैं, तो डीपीसीओ, 2013 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और अधिप्रभारित राशि, ब्याज सहित कंपनी से वसूली जाती है। जब कभी यह पाया जाता है कि कंपनियों ने डीपीसीओ, 2013 के अंतर्गत अनुमेय से अधिक मूल्य में वृद्धि की है, तो कार्रवाई भी की जाती है। इसी प्रकार, गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों को ऐसे मूल्य पर बिक्री करने वाली कंपनियां, जो उस औषधि के लिए पिछले बारह महीनों में एमआरपी से अधिक होती हैं और अनुसूचित फार्मूलेशनों के मामले में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) से अधिक वृद्धि करने वाली कंपनियों के मामले में डीपीसीओ, 2013 के संगत प्रावधानों के अधीन अधिप्रभार के लिए कार्रवाई हेतु उत्तरदायी हैं।

एनपीपीए औषधियों की उपलब्धता की निगरानी करता है, कमियां, यदि कोई हैं, की पहचान करता है, और उपभोक्ताओ को औषधियां उपलब्ध करवाने के लिए उपचारात्मक कदम उठाता है। जब और ज्यों किसी विशिष्ट औषध (औषधियों) की देश के किसी भी भाग में कमी की सूचना प्राप्त होती है, संबंधित कंपनी को प्रभावित क्षेत्रों में उन औषधियों को उपलब्ध करवाने के लिए स्टॉक भेजने के लिए कहा जाता है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि रोगियों को अधिसूचित मूल्यों पर दवाएं उपलब्ध हों, एनपीपीए प्रवर्तन गतिविधियों के लिए राज्य औषध नियंत्रकों के साथ मिलकर काम करता है। खुले बाजार से नियमित रूप से दवाओं के नमूने लिए जाते हैं और उनका विश्लेषण किया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि मरीजों को दवाएं किस मूल्य पर बिक्री की जाती हैं। वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक की प्रवर्तन गतिविधियाँ तालिका-7ङ में दर्शायी गई हैं:

तालिका-7ङ

(संग्रहीत नमूनों तथा उल्लंघनों की संख्या)

वर्ष	संग्रहीत नमूनों की संख्या	प्रथम दृष्टीय संसूचित उल्लंघन
2014-2015	3898	1020
2015-2016	2534	613
2016-2017	1817	930

2017-2018	2418	1032
2018-2019	1391	324
2019-2020	938	350
2020-2021	1073#	537#
2021-2022	907#	391#
2022-2023	1081#	455#
2023-2024	2284#	888#

नोट: # राज्य औषध नियंत्रकों और पीएमआरयू से संदर्भित अधिप्रभारन के मामले 'संग्रहीत नमूने' के अंतर्गत शामिल किए गए हैं।

7.11 अधिप्रभारित राशि की वसूली:

अधिप्रभारित की गई राशि को दवा कंपनी से ब्याज और जुर्माने के साथ डीपीसीओ के प्रावधानों के अनुसार वसूल किया जाता है। ऐसी कंपनियां जो इन मांग नोटिसों का पालन नहीं करती हैं उनके मामलों को अधिप्रभारित राशि भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने के लिए जिला कलेक्टरों को भेज दिया जाता है और वे आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसी अधिनियम), 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजन का भागी भी हो सकती हैं।

दिनांक 30.09.2023 तक की स्थिति के अनुसार, एनपीपीए के पास अधिप्रभारन के करीब 2433 मामले हैं तथा डीपीसीओ 1979, डीपीसीओ 1987, डीपीसीओ 1995 एवं डीपीसीओ 2013 के अंतर्गत औषध कम्पनियों से 1371.9/- करोड़ रूपये (लगभग) की राशि वसूल की गई है। अधिप्रभारित धनराशि और उस पर लगे ब्याज की वसूली करने हेतु कार्रवाई करना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। एनपीपीए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के साथ पठनीय डीपीसीओ 1979, डीपीसीओ 1987, डीपीसीओ 1995 एवं डीपीसीओ 2013 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करता है।

7.12 ई-पहल

एनपीपीए ने आम जनता की शिकायतों के बेहतर निपटान के लिए निम्नलिखित ई-पहल भी की हैं:

क. फार्मा सही दाम और फार्मा जन समाधान ऐप

फार्मा जन समाधान (पीजेएस) औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत ई-गवर्नेंस टूल के रूप में कार्य करता है जिसका उद्देश्य दवाओं की उपलब्धता, दवाओं के अधिप्रभारण, पूर्व मूल्य अनुमोदन (डब्ल्यूपीए) के बिना 'नई दवाओं' की बिक्री, और दवाओं की आपूर्ति या बिक्री से इनकार के संबंध में एक त्वरित और प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करना है। शिकायतें एनपीपीए की वेबसाइट अर्थात www.nppaindia.nic.in पर उपलब्ध पीजेएस लिंक के अंतर्गत या फार्मा सही दाम ऐप पर और टोल फ्री नंबर 1800111255 और ईमेल- monitoring-nppa@gov.in पर भी दर्ज की जा सकती हैं।

पीजेएस के माध्यम से कोई भी व्यक्ति या उपभोक्ता संगठन या स्टॉकएस्ट/वितरक/विक्रेता/रिटेलर या राज्य औषधि नियंत्रक एनपीपीए को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पीजेएस के माध्यम से प्राप्त शिकायत पर पूरी जानकारी के साथ एनपीपीए द्वारा 48 घंटे के भीतर कार्रवाई शुरू की जाती है।

फार्मा सही दाम ऐप 2.0 में दवाओं के मूल्यों (ब्रांड के अनुसार या फॉर्मूलेशन के अनुसार) के साथ-साथ अनुसूचित दवाओं के नवीनतम अधिकतम मूल्यों आदि की खोज करने जैसी विशेषताएं हैं। उपयोगकर्ता एक ही

फार्मूलेशन के विभिन्न ब्रांडों के मूल्यों की तुलना कर सकते हैं; और मैसेज आदि पर मूल्य विवरण साझा कर सकते हैं। ऐप या सर्च मेडिसिन सुविधा उपकरण उपभोक्ताओं को यह सत्यापित करने की सुविधा प्रदान करता है कि क्या दवाएं अनुमोदित मूल्य सीमा के भीतर बिक्री की जा रही हैं और साथ ही यह औषध कंपनी/केमिस्ट द्वारा अतिप्रभारन के मामले का पता लगाना सुगम करता है।

उपयोगकर्ता शिकायत दर्ज कर सकते हैं या शिकायत की स्थिति देख सकते हैं, जो पहले दर्ज की गई थी (ओटीपी प्रमाणीकरण)। यदि अधिकतम मूल्य सीमा का कोई उल्लंघन होता है, तो खरीददार फार्मा जन समाधान/फार्मा सही दाम (http://www.nppaindia.nic.in/redressal.html) के माध्यम से कंपनी/केमिस्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज कर पाएगा।

ख. एकीकृत औषध डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली (आईपीडीएमएस)

एकीकृत औषध डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली को वर्ष 2015 में एनपीपीए द्वारा शुरू किया गया था जिसे बाद में और अधिक गतिशील, क्लाउड-आधारित संस्करण, आईपीडीएमएस 2.0 के रूप में उन्नत किया गया था तथा दिनांक 29.08.2022 को शुरू किया गया था। यह देश में दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता और सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के मूल्यों की निगरानी और विनियमन के लिए ऑनलाइन सूचना संग्रह, प्रसंस्करण और संचार पोर्टल के लिए एक प्रणाली है। ग्राफ 7ग मार्च, 2017 से मार्च, 2024 तक आईपीडीएमएस में पंजीकृत कंपनियों की संख्या दर्शाता है:

ग्राफ-7ग

(आईपीडीएमएस में पंजीकृत कंपनियों की संख्या)

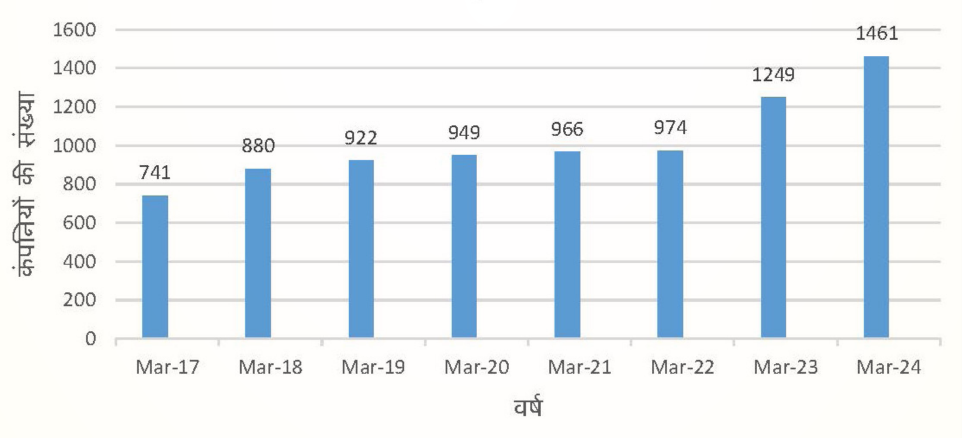

7.13 उपभोक्ता जागरूकता, प्रचार और मूल्य निगरानी (सीएपीपीएम) का कार्यान्वयन

एनपीपीए की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना उपभोक्ता जागरूकता और प्रचार और मूल्य निगरानी (सीएपीपीएम) के दो घटक हैं, अर्थात राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाइयों (पीएमआरयू) की स्थापना के लिए सहायता, और सीएपीपीएम हेतु विज्ञापन और प्रचार। पीएमआरयू सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटियां हैं जिनका अपना संस्थापन प्रलेख/उपनियम है और वे एनपीपीए की पहुंच बढ़ाने के लिए संबंधित राज्य औषधि नियंत्रकों की प्रत्यक्ष देखरेख में कार्य करते हैं। इस योजना के अंतर्गत पीएमआरयू को उनके आवर्तक और अनावर्ती व्यय के लिए 100% निधियां प्रदान की जाती है।

एनपीपीए सभी 36 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाइयों (पीएमआरयू) की स्थापना करने की प्रक्रिया में है। दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार, 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों नामतः

केरल, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, चण्डीगढ़, असम, दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव और लक्षद्वीप में पीएमआरयू स्थापित किए गए हैं। शेष राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पीएमआरयू की स्थापना प्रगति के विभिन्न चरणों में है।

सीएपीपीएम के लिए विज्ञापन और प्रचार के अंतर्गत-एनपीपीए और पीएमआरयू दोनों उपभोक्ता जागरूकता के संबंध में विभिन्न हितधारकों के साथ प्रशिक्षण, सेमिनार, प्रचार, वेबिनार, अभियानों जैसी आईईसी गतिविधियों का संचालन करते हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, एनपीपीए ने ग्यारह ऑनलाइन वेबिनार और चार जागरूकता अभियान आयोजित किए हैं। इन वेबिनार/अभियानों का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित/गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्य परिवर्तनों की निगरानी, साप्ताहिक सर्वेक्षण, दवाओं के परीक्षण नमूनों का संग्रह/खरीद, आईपीडीएमएस के माध्यम से संभावित उल्लंघन मामलों की रिपोर्टिंग, पीएफएमएस के माध्यम से व्यय वहन करने के बारे में मार्गदर्शन, तथा अभिलेखों/सहायक दस्तावेजों का रखरखाव और स्थिर और गतिशील रिपोर्ट सहित मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बारे में जागरूकता पैदा करना और मार्गदर्शन प्रदान करना था।

7.14 'आजादी का अमृत महोत्सव' के अंतर्गत एनपीपीए द्वारा की गई गतिविधियां:

(i) चिकित्सा उपकरण क्षेत्र पर इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023 कार्यक्रम 17 से 19 अगस्त 2023 तक हेलीपैड प्रदर्शनी केंद्र, गांधीनगर, गुजरात में आयोजित।

भारत सरकार के औषध विभाग ने गुजरात के गांधीनगर में हेलीपैड प्रदर्शनी केंद्र में 17 से 19 अगस्त 2023 तक चिकित्सा उपकरण क्षेत्र पर एक बड़े स्तर के कार्यक्रम 'इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023' का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में भारत की यात्रा और अवसरों को प्रदर्शित करना था। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य फार्मा क्षेत्र को आगे की विकास यात्रा पर ले जाने के लिए उद्योग, शिक्षा, अनुसंधान संस्थानों, निवेशकों, राज्य सरकारों, मेडटेक पार्कों और सरकारी अधिकारियों को एक साथ लाना था।

दिनांक 17 अगस्त 2023 को आयोजित उद्घाटन समारोह में माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया और गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्रभाई पटेल उपस्थित थे। नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी.के. पॉल, औषध सचिव सुश्री एस. अपर्णा, एनपीपीए के अध्यक्ष श्री के.के. पंत और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। गणमान्य व्यक्तियों ने कॉफी टेबल बुक का भी अनावरण किया जिसका शीर्षक था:

मानवता की सेवा: भारतीय औषध क्षेत्र

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः

कॉफी टेबल पुस्तक का अनावरण करते हुए

कॉफी टेबल बुक भारत के "दुनिया की फार्मेसी" बनने की प्रेरक कहानी को दर्शाती है। यह अतीत के उन दूरदर्शी लोगों पर प्रकाश डालती है जिनके सामूहिक प्रयासों ने जेनेरिक दवा उद्योग को आधुनिक स्वास्थ्य सेवा के एक महत्वपूर्ण आधारशिला में बदल दिया है। यह पुस्तक उन अनगिनत व्यक्तियों के अथक प्रयासों और अटूट समर्पण का प्रमाण है जिन्होंने इस क्षेत्र के विकास, पहुँच और सफलता में योगदान दिया है।

इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023 में एनपीपीए द्वारा जागरूकता अभियान

एनपीपीए ने पीएमआरयू गुजरात के अधिकारियों के साथ मिलकर दिनांक 17.08.2023 से 19.08.2023 तक गांधी नगर, गुजरात में 'इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023' में तीन दिवसीय जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें रचनात्मक प्रदर्शित किए गए, एलईडी स्क्रीन पर टीवीसी चलाए गए, ब्रोशर वितरित किए गए और लोगों के साथ बातचीत/चर्चा के माध्यम से जानकारी प्रदान की गई। अभियान के दौरान डॉक्टरों, सरकारी अधिकारियों, फार्मास्युटिकल/चिकित्सा उपकरण विनिर्माता/विपणक, फार्मा छात्रों, स्टार्ट-अप और आम लोगों को औषध मूल्य निर्धारण, एनपीपीए के कार्यों, फार्मा सही दाम मोबाइल ऐप और आईपीडीएमएस 2.0 के बारे में जागरूक किया गया। अभियान के दौरान 250 से अधिक लोगों को कवर किया गया।

(ii) अवसान/अवसान के नजदीक दवाओं के प्रबंधन पर वेबिनार

भारत @ 75, 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के उपलक्ष्य में, एनपीपीए ने दिनांक 14.08.2023 को पीएमआरयू के साथ 'अवसान तिथि के नजदीक या पहले से ही अवसान हो चुकी दवाओं को कैसे संभालना है' विषय पर एक वेबिनार आयोजित किया। वेबिनार का मुख्य उद्देश्य अवसान/अवसान के नजदीक दवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से निपटान को सुनिश्चित करने के लिए पीएमआरयू के साथ मार्गदर्शन और ज्ञान साझा करना था। वेबिनार में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल के फार्माकोलॉजी विभाग के निदेशक, प्रोफेसर और प्रमुख डॉ. एच.एस. रेहान ने निम्नलिखित के बारे में जानकारी दी:

- अवसान हो चुकी दवाओं के उच्च प्रचलन में योगदान देने वाले कारक
- फार्मास्युटिकल अपशिष्ट के प्रकार
- अप्रयुक्त/अवसान दवाओं के खतरे
- अवसान/अवसान के नजदीक दवाओं को संभालने में चुनौतियाँ
- दवाओं की बर्बादी को कम करने की रणनीतियाँ
- दवाओं के सुरक्षित निपटान के तरीके

राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के पीएमआरयू ने वेबिनार में सक्रिय रूप से भाग लिया है।

(iii) पीएमआरयू द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम/सेमिनार

भारत @75 'आजादी का अमृत महोत्सव' के उपलक्ष्य में, दिनांक 17.11.2023 की स्थिति के अनुसार, पीएमआरयू द्वारा अपने-अपने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, मिजोरम, पंजाब, लद्दाख, कर्नाटक, झारखंड, नागालैंड, हरियाणा और गोवा में विभिन्न विषयों पर 51 राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इन आयोजनों का उद्देश्य एनएलईएम 2022 के तहत अधिकतम मूल्य निर्धारण और स्वास्थ्य सेवा में इसके महत्व, डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के तहत दवा मूल्य विनियमन, दवाओं को वहनीय और सभी के लिए उपलब्ध कराने में एनपीपीए की भूमिका, पीएमआरयू के कार्य, फार्मा सही दाम मोबाइल ऐप और आईपीडीएमएस 2.0 के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना था।

आरोग्य, औषध विषयक राज्यस्तरीय कार्यक्रमास प्रतिसाद

दवाओं के मूल्य को लेकर मरीजों को किया जागरूक

कोरबा

बिलासपुर • रविवार • 01.10.2023

दवाओं के मूल्य को लेकर ग्रामवासियों को किया जागरूक

खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़

के तत्वाधान में

छत्तीसगढ़ मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई

जन-जागरूकता कार्यक्रम

सस्ती कीमतों पर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

“दवा वही दाम सही”

आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम

7.15 राजभाषा कार्यान्वयन

एनपीपीए में राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) एनपीपीए के अध्यक्ष की अध्यक्षता में काम करती है और एनपीपीए के सभी अन्य अधिकारी इस समिति के सदस्य होते हैं। समिति एनपीपीए के कार्यालय में आयोजित अपनी तिमाही बैठकों में दैनिक सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग की समीक्षा करती है। समिति के सदस्य अपने-अपने प्रभागों में प्रगति के बारे में चर्चा करते हैं और सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बेहतर बनाने के लिए सुझाव भी देते हैं।

दिनांक 30.05.2023 को आयोजित रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में एनपीपीए को राजभाषा हिंदी में उल्लेखनीय प्रगति के लिए शील्ड प्रदान की गई।

राजभाषा मे उल्लेखनीय प्रगति के लिए अध्यक्ष ,एनपीपीए को शील्ड प्रदान करते हुए माननीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री

7.16 राजभाषा प्रोत्साहन पखवाड़ा 2023

एनपीपीए में दिनांक 18.09.2023 से 29.09.2023 तक हिंदी प्रोत्साहन पखवाड़ा 2023 का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने दैनिक कार्यालयीन कार्य में हिंदी के प्रयोग को उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा विभाग में हिंदी के प्रयोग के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में सहायता करना है। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें नियमित के साथ-साथ संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को दिनांक 19.10.2023 को एनपीपीए के अध्यक्ष द्वारा नकद पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसी कार्यक्रम में हिंदी प्रोत्साहन योजना एवं स्वच्छता पखवाड़ा प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी पुरस्कार प्रदान किए गए।

हिन्दी पखवाड़े के दौरान आयोजित कार्यक्रम

7.17 सतर्कता जागरूकता सप्ताह

एनपीपीए में दिनांक 30.10.2023 से 05.11.2023 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। सीवीसी के निर्देश को एनपीपीए के अधिकारियों के बीच प्रसारित किया गया, जिसमें उनसे ईमानदारी की शपथ लेने का आग्रह किया गया।

7.18 राष्ट्रीय एकता दिवस

एनपीपीए के कार्यालय में दिनांक 31.10.2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया।

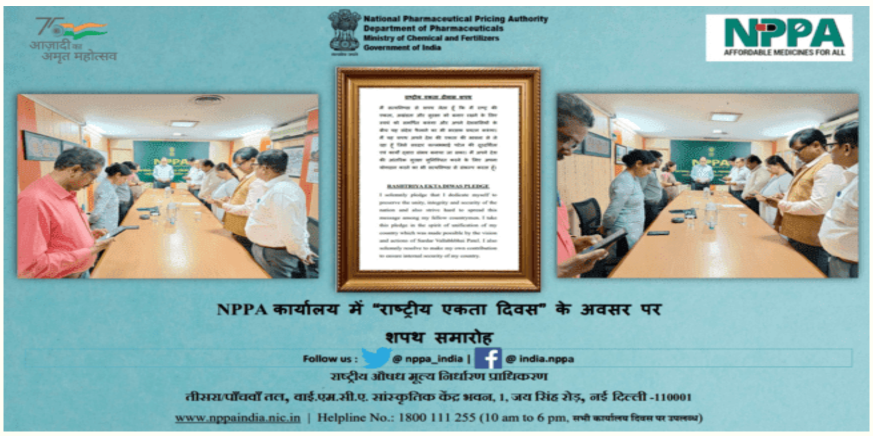

7.19 स्वच्छता पखवाड़ा, स्वच्छता ही सेवा और विशेष अभियान 3.0

(i) स्वच्छता पखवाड़ा:

एनपीपीए ने दिनांक 01.09.2023 से 15.09.2023 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया। स्वच्छता पखवाड़ा 2023 के अवसर पर माननीय मंत्री का संदेश एनपीपीए के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच प्रसारित किया गया ताकि उन्हें स्वच्छता पखवाड़ा-2023 की सफलता में और अधिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

इस अवधि के दौरान कर्मचारियों और अधिकारियों को स्वच्छता पखवाड़ा-2023 के बारे में जागरूक किया गया ताकि व्यक्तिगत बैठने की जगह और आसपास के क्षेत्र सहित कार्यालय परिसर की सफाई बनाए रखी जा सके। पखवाड़े के दौरान प्रक्रिया के अनुसार निपटान के लिए पुराने और अनुपयोगी फर्नीचर, स्क्रैप आइटम और ई-कचरे की पहचान की गई। एक हजार फाइलों की पहचान की गई और उनकी समीक्षा की गई।

स्वच्छता की आदत डालने और एनपीपीए के अधिकारियों को प्रेरित करने के लिए स्वरचित कविता पाठ और स्वच्छता पर वाद-विवाद/चर्चा प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं और प्रत्येक श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ तीन को पुरस्कृत किया गया। प्रतियोगिताएं 11 और 12 सितंबर 2023 को आयोजित की गईं।

(ii) स्वच्छता ही सेवा अभियान:

भारत सरकार के 'स्वच्छता ही सेवा' (एसएचएस) अभियान की अनुक्रिया में, एनपीपीए ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पीएमआरयू के साथ समन्वय में स्वच्छता और सफाई के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 15 सितंबर से 1 अक्टूबर 2023 तक 'स्वच्छता ही सेवा' (एसएचएस) अर्थात प्रारंभिक चरण अभियान चलाया। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पीएमआरयू द्वारा कार्यालय परिसरों के साथ-साथ सार्वजनिक स्थानों पर बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाए गए, जैसा कि एसएचएस द्वारा परिकल्पित किया गया था। स्वच्छता गतिविधियों का विवरण गतिविधि से पूर्व/गतिविधि के पश्चात की तस्वीरों, भाग लेने वाले लोगों की संख्या और स्थान (भवन/परिसर का नाम) के साथ एसएचएस पोर्टल https://swachhbharatmission.gov.in/ पर अपलोड किया गया। पीएमआरयू ने कार्यालयों, सरकारी कॉलेजों, अस्पतालों के आस-पास के स्थानों, आस-पास के उद्यानों, आवासीय परिसरों आदि में स्वच्छता गतिविधियों को निष्पादित करने के लिए 373 घंटे श्रमदान किया।

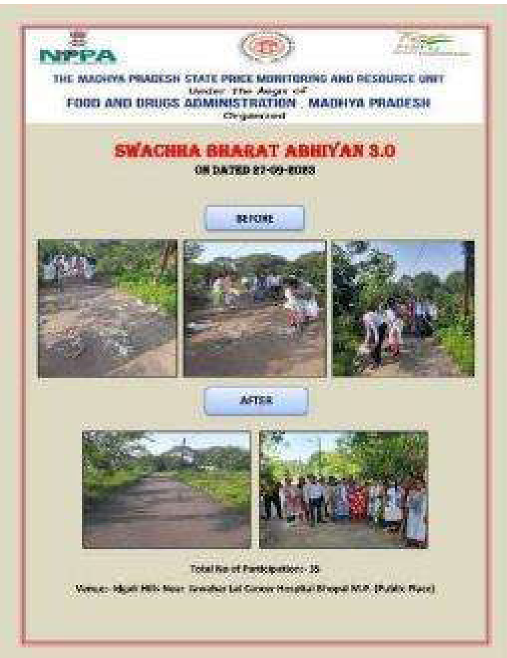

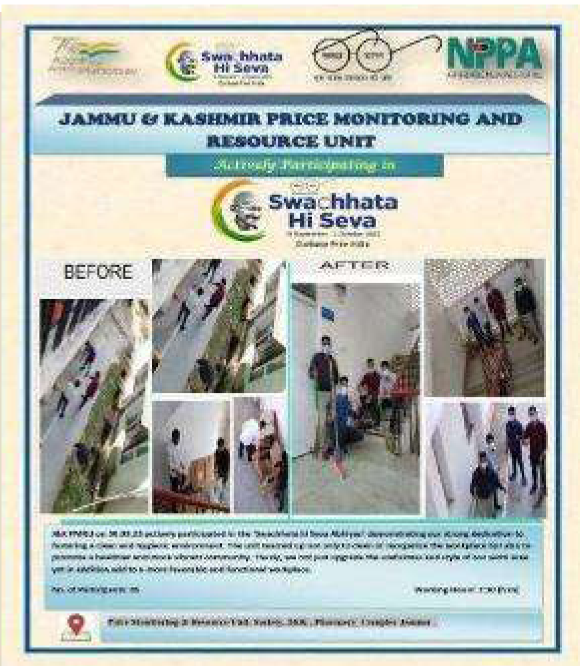

स्वच्छता ही सेवा अभियान के दौरान पीएमआरयू द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम

iii) विशेष अभियान 3.0:

(क) अक्टूबर, 2023 के दौरान विशेष अभियान 3.0 के अंतर्गत, एनपीपीए ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पीएमआरयू के साथ समन्वय में दिनांक 02.10.2023 से 31.10.2023 तक **'स्वच्छता विशेष अभियान 3.0'** चलाया। अभियान के फोकस क्षेत्रों में स्थान प्रबंधन, स्क्रैप/अपशिष्ट पदार्थों का निपटान, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, कीटाणुशोधन, सार्वजनिक स्थानों का सौंदर्यीकरण शामिल थे।

02 से 31 अक्टूबर 2023 तक अभियान अवधि के दौरान, 68 विभिन्न गतिविधियां अर्थात स्वच्छता अभियान, पेड़ों का वृक्षारोपण, सौंदर्यीकरण और विभिन्न सार्वजनिक स्थानों जैसे कॉलेजों/स्कूलों, पार्कों, जल टैंकों, सड़कों, औषधि नियंत्रण कार्यालयों, परीक्षण और अनुसंधान प्रयोगशालाओं आदि में जन भागीदारी (803 व्यक्ति), स्वच्छता और श्रमदान (1341 समर्पित मानव घंटे) पर जोर देने के साथ टीम के प्रयासों के महत्व का उदाहरण देने के लिए अन्य नवीन गतिविधियां निष्पादित की गई।

विशेष अभियान 3.0 के दौरान किए गए सफाई कार्यकलाप

(ख) इस अवधि के दौरान, विशेष अभियान 3.0 के अंतर्गत, एनपीपीए ने निम्नलिखित दो सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाया:

(i) बची हुई/अवसान/अवसान होने वाली दवाओं के सुरक्षित और उचित निपटान को सुनिश्चित करने और हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज/अस्पताल के परामर्श से एनपीपीए द्वारा **"दवाओं के भंडारण और निपटान पर दिशानिर्देश"** तैयार किए गए और उपयोग के लिए एसडीसी और पीएमआरयू को प्रसारित किए गए। ये दिशानिर्देश पीएमआरयू को अवसान/अवसान होने वाली दवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार निपटान को सुनिश्चित करने और पर्यावरण की रक्षा करने में मदद करेंगे।

(ii) अवसान/अप्रयुक्त दवाओं के उचित निपटान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (एलएचएमसी)/अस्पताल, दिल्ली और मेडिफ्लो के सहयोग से वाईएमसीए, सांस्कृतिक केंद्र भवन में एनपीपीए के कार्यालय परिसर में अवसान/अप्रयुक्त दवाओं के संग्रह और उनके पश्चात के उचित निपटान के लिए एक बॉक्स रखने की पहल की। इस संबंध में एनपीपीए द्वारा दिनांक 18.10.2023 को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें श्री कमलेश कुमार पंत, अध्यक्ष, एनपीपीए, डॉ. विनोद कोतवाल, सदस्य सचिव, एनपीपीए, श्री संजय कुमार, सलाहकार, एनपीपीए, सुश्री गायत्री नायर, आर्थिक सलाहकार, औषध विभाग, श्री जी.एल. गुप्ता निदेशक (प्रशासन और एम एवं ई), एनपीपीए, एलएचएमसी, प्रो. एच.एस. रेहान, प्रोफेसर और प्रमुख, फार्माकोलॉजी दिल्ली और एनपीपीए

के अन्य अधिकारी तथा वाईएमसीए के प्रतिनिधि शामिल हुए।

अध्यक्ष, एनपीपीए ने एनपीपीए के कर्मचारियों और भवन में आने वाले अन्य लोगों को इस अवसर पर आगे आने और अवसान/अप्रयुक्त दवाओं को डालने के लिए बॉक्स का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रो. रेहान ने आगे बताया कि एकत्रित दवाओं को समय-समय पर अलग किया जाएगा और उनकी उपयोगिता का आकलन करने के बाद लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और मेडिफ्लो द्वारा आगे के निपटान के लिए अलग किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि विशेष रूप से नियंत्रित पदार्थों के दुरुपयोग और दुरुपयोग की रोकथाम और बायोडिग्रेडेबल एंटीबायोटिक्स, एंटी-नियोप्लास्टिक्स (कैंसर-रोधी) आदि से पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान में कमी सहित विभिन्न कारणों से अवसान/अप्रयुक्त दवाओं का उचित निपटान क्यों महत्वपूर्ण है।

अवसान/ अप्रयुक्त दवाइयों हेतु बॉक्स रखने के लिए उठाई गई पहल

7.20 एनपीपीए का ई-समाचार पत्र : औषध संदेश

वर्ष के दौरान ई-समाचार पत्र के छह अंक जारी किए गए। इसमें भारत के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर औषध क्षेत्र में नवीनतम विकास के बारे में जानकारी शामिल है, जिसमें एनपीपीए की विनियामक गतिविधियाँ भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, फार्मा विशेषज्ञ द्वारा लिखे गए लेख भी इन अंकों में शामिल किए गए हैं और इन पाँच अंकों में निम्नलिखित विशेषज्ञ लेख प्रकाशित किए गए हैं:

तालिका-7च

माह	लेख का विषय
अप्रैल, 2023	भारत में स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन: औषधियों और उपकरणों के लिए मूल्य-आधारित मूल्य निर्धारण के निहितार्थ
जून, 2023	बायोसिमिलर-भारतीय फार्मा क्षेत्र के लिए उभरती लहर
अगस्त, 2023	एमएसएमई और नवाचार
अक्टूबर, 2023	रोग प्रोफ़ाइल में परिवर्तन–रोगी जागरूकता और कार्रवाई
दिसंबर, 2023	प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना-वहनीय दवाओं के लिए भारत की पहल
फरवरी, 2024	डब्ल्यूएचओ एडब्ल्यूएआरई वर्गीकरण के अनुसार एंटीबायोटिक्स के उपयोग का विश्लेषण

7.21 डीपीसीओ, 2013 और एनपीपीपी, 2012 के कामकाज की समीक्षा पर कार्यशाला

एनपीपीए ने औषध विभाग के साथ मिलकर दिनांक 16.05.2023 को डॉ. वी.के. पॉल, सदस्य (स्वास्थ्य), नीति आयोग की अध्यक्षता में औषध एवं चिकित्सा उपकरण एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ "डीपीसीओ, 2013 और एनपीपीपी, 2012 के कामकाज की समीक्षा" पर एक संवादात्मक कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला में लगभग 100 उद्योग हितधारकों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्देश्य डीपीसीओ 2013 में संशोधनों के बारे में उद्योग की प्रतिक्रिया, जहाँ भी आवश्यक हो, प्राप्त करना था।

डीपीसीओ, 2013 और एनपीपीपी, 2012 के कामकाज की समीक्षा

अध्याय 8

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना

8.1 संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की बैठकें

8.2 औषध विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर कार्यशालाएं/सम्मेलन/गोलमेज सम्मेलन का आयोजन

8.3 औषध विभाग के प्रतिनिधिमंडल की अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों/बैठकों में भागीदारी

8.4 औषध विभाग द्वारा आयोजित विदेशी प्रतिनिधिमंडलों का भारत दौरा / औषध विभाग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बैठकें

8.5 वाणिज्य विभाग के नेतृत्व में व्यापार समझौतों की वार्ता में भागीदारी

8.6 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नेतृत्व में विश्व स्वास्थ्य संगठन की वार्ता में भागीदारी

8.7 औषध (फार्मास्यूटिकल) सहयोग के क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए वाणिज्य विभाग/उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग/स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के नेतृत्व में संयुक्त कार्य समूह/व्यापार समितियों की बैठकों में विभाग की भागीदारी

8.8 विभाग के जी20 कार्यक्रम

8.9 औषध विभाग द्वारा जी-20 प्रेसीडेंसी 2023 के आयोजनों/बैठकों में द्विपक्षीय बैठकें

अध्याय 8

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना

औषध विभाग (डीओपी) का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रभाग औषध और चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय के साथ-साथ बहुपक्षीय सहयोग से संबंधित मामलों को देखता है। द्विपक्षीय सहयोग में मुख्य रूप से नाईपर के माध्यम से संस्थागत सहयोग को सुविधाजनक बनाना, बाजार पहुंच के मुद्दों का समाधान ढूंढना और द्विपक्षीय निवेश के लिए वेबिनार शामिल हैं। इन्हें औषध विभाग (डीओपी) के नेतृत्व में औषध पर संयुक्त कार्य समूहों (जेडब्ल्यूजी) के साथ-साथ जेडब्ल्यूजी से स्वतंत्र आयोजित अन्य द्विपक्षीय बैठकों; और अंतर-मंत्रालयी द्विपक्षीय जैसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के नेतृत्व में जेडब्ल्यूजी, वाणिज्य विभाग (डीओसी) के नेतृत्व में संयुक्त व्यापार समितियां/कार्य समूह, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के नेतृत्व में निवेश समितियां और विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित बैठकें में उठाया जाता है। जी20, ब्रिक्स, क्वाड, विश्व आर्थिक मंच के साथ-साथ डब्ल्यूएचओ और डब्ल्यूटीओ से संबंधित मामलों को भी प्रभाग द्वारा देखा जाता है

8.1 संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की बैठकें:

औषध पर भारत-बेलारूस संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) : औषध पर भारत-बेलारूस संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक दिनांक 4 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित की गई थी। बेलारूस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री एंड्रोस्युक बी.एन, स्वास्थ्य उप मंत्री, बेलारूस गणराज्य द्वारा किया गया था और भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सुश्री गायत्री नायर, आर्थिक सलाहकार, औषध विभाग द्वारा किया गया था। बैठक में, दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार की समीक्षा की, विनियमन के पहलुओं और क्षमता विनिर्माण एवं अनुसंधान, आयुर्वेद फार्माकोपिया और निवेश में संभावित सहयोग पर चर्चा की।

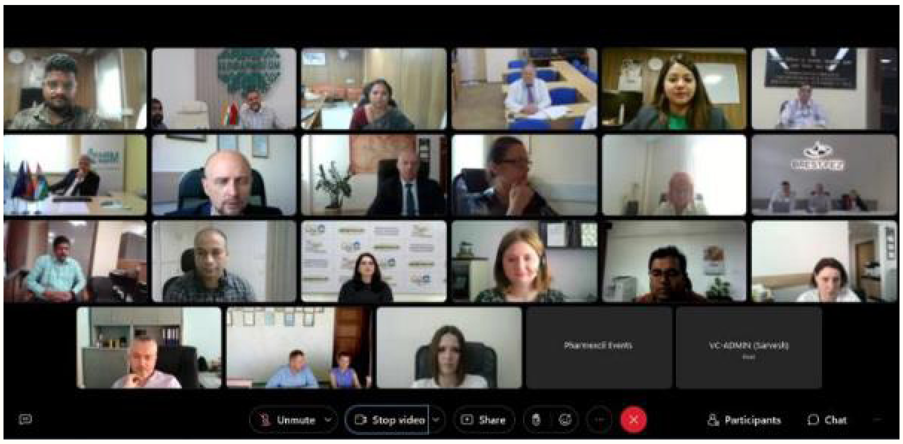

औषध पर भारत-बेलारूस संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक में भारतीय और बेलारूस के हितधारकों सहित भारतीय पक्ष और बेलारूस पक्ष के अधिकारी

8.2 औषध विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर कार्यशालाएं/सम्मेलन/गोलमेज सम्मेलन का आयोजन

i. औषध विभाग और विदेश मंत्रालय द्वारा दिनांक 24.02.2023 को एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के चुनिंदा निवासी मिशनों के साथ एक कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) मॉडल को एक सर्वोत्तम पद्धति के रूप में प्रदर्शित करना था, जिसका अनुकरण अन्य सरकारें अपने नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ प्रदान करने के लिए कर सकती हैं,

साथ ही सरकारी खजाने मे पर्याप्त राशि बचा सकती हैं। कार्यशाला की सह-अध्यक्षता डॉ. मनसुख मांडविया, माननीय रसायन एवं उर्वरक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा डॉ. एस. जयशंकर, माननीय विदेश मंत्री ने की थी।

डॉ. मनसुख मांडविया, माननीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री दिल्ली में मिशन प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए

ii. औषध विभाग ने दिनांक 2 मई 2023 को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों, पर्यवेक्षकों और संवाद भागीदारों के साथ ***"लागत प्रभावी निदान और चिकित्सा के विकास और विनिर्माण में सहयोग"*** विषय पर एक वर्चुअल सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में एससीओ सदस्यों द्वारा लागत प्रभावी निदान और चिकित्सा पर भारत में किए गए कार्यों का लाभ उठाने के बारे में विचार-विमर्श किया गया और साथ ही प्रभावी पहुँच और उपलब्धता के संवर्धन के लिए वहनीय चिकित्सा प्रत्युपाय सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता श्री अवधेश कुमार चौधरी, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, औषध विभाग द्वारा की गई थी। सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर)-कोलकाता, भारतीय फार्मास्यूटिकल एलायंस (आईपीए), भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), फाउंडेशन फॉर इनोवेटिव न्यू डायग्नोस्टिक्स (एफआईएनडी), एसोसिएशन ऑफ डायग्नोस्टिक मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया (एडीएमआई), ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप (जीएआरडीपी), और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) जैसे विभिन्न संगठनों के विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत प्रस्तुतियां दी गईं।

श्री अवधेश कुमार चौधरी, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, औषध विभाग द्वारा एससीओ बैठक में उद्घाटन भाषण।

iii. औषध विभाग (डीओपी) ने इन्वेस्ट इंडिया के सहयोग से दिनांक 27 फरवरी 2024 को "भारत-स्वीडन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस राउंडटेबल" की अध्यक्षता की, जिसमें भारत में स्वीडन के दूतावास, स्वीडिश चैंबर ऑफ

कॉमर्स इंडिया, बिजनेस स्वीडन के साथ-साथ स्वीडन उद्योग के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। औषध और चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार संवर्धन (पीआरआईपी) योजना, बल्क औषधि पार्क और चिकित्सा उपकरण पार्क में सहयोग के अवसरों को प्रदर्शित किया गया, जिसके उपरांत इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन किया गया।

"भारत-स्वीडन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस राउंडटेबल" में औषध विभाग के अधिकारी, भारत में स्वीडन के दूतावास, स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडिया, बिजनेस स्वीडन के साथ-साथ स्वीडन उद्‌योग के प्रतिनिधि

8.3 औषध विभाग के प्रतिनिधिमंडल की अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों/बैठकों में भागीदारी

i. श्री अवधेश कुमार चौधरी, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, औषध विभाग ने दिनांक 27 फरवरी से 1 मार्च 2023 के दौरान सचिव, डीपीआईआईटी के नेतृत्व में टोक्यो और ओसाका, जापान में इन्वेस्टमेंट रोड शो में भाग लिया। वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार ने भारतीय औषध और चिकित्सा उपकरण सेक्टर में अवसरों को प्रदर्शित करने हेतु मेक इन इंडिया सेमिनार में भी भाग लिया। इसके अतिरिक्त, भारत में निवेश की संभावनाओं को दर्शाने और भारत में विस्तार के संबंध में जापानी कंपनियों की किसी भी योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जापानी कंपनियों के साथ चिकित्सा उपकरण में एक समर्पित गोलमेज बैठक आयोजित की गई।

ii. श्री वेंकट हरिहरन आशा, उप निदेशक, औषध विभाग ने दिनांक 19-20 जुलाई, 2023 को वाशिंगटन डी.सी यू.एस.ए में भारत-अमेरिका काउंटर नारकोटिक वर्किंग ग्रुप (सीएनडब्ल्यूजी) की चौथी बैठक में भाग लिया, जिसमें द्विपक्षीय ड्रग पॉलिसी फ्रेमवर्क के संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन पर चर्चा की गई।

वाशिंगटन डी.सी. यू.एस.ए में भारत-अमेरिका काउंटर नारकोटिक वर्किंग ग्रुप (सीएनडब्ल्यूजी) की चौथी बैठक के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल।

iii. डॉ. ऋचा पांडे, उप सचिव, औषध विभाग ने दिनांक 10 से 13 अक्तूबर 2023 के बीच अमेरिका, वाशिंगटन डीसी में 5वें भारत-अमेरिका स्वास्थ्य संवाद में भाग लिया और बैठक के सत्र में महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया (लचीली आपूर्ति श्रृंखला और चिकित्सा उत्पादों तक पहुंच) के साथ-साथ स्वास्थ्य बचाव एवं सुरक्षा और नियामक प्रणाली के सुदृढ़ीकरण और सामंजस्य से संबंधित प्रस्तुतीकरण दिया।

वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में 5वें भारत-अमेरिका स्वास्थ्य संवाद के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल।

iv. श्री अवधेश कुमार चौधरी, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, औषध विभाग ने दिनांक 25-26 अक्टूबर, 2023 को बाकू, अजरबैजान में अज़रबैजान गणराज्य और भारत गणराज्य के बीच वाणिज्यिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए अंतर-सरकार आयोग (आईजीसी) की छठी बैठक में भाग लिया। अज़रबैजान-भारत आईजीसी की सह-अध्यक्षता अज़रबैजान गणराज्य की सरकार की ओर से श्री मुख्तार बाबायेव, इकोलॉजी और नेचुरल रिसोर्सेज मंत्री और भारत सरकार की ओर से श्रीमती अनुप्रिया पटेल, वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री द्वारा की गई थी, जिसमें राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों (नाईपर) के माध्यम से औषध क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की गई थी।

v. सुश्री गायत्री नायर, आर्थिक सलाहकार, औषध विभाग ने दिनांक 6 से 8 नवंबर, 2023 तक हेग, नीदरलैंड में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आयोजित दूसरे वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम (डब्ल्यूएलपीएफ) में "क्षेत्रीय उत्पादन की बाधाओं से निपटना" शीर्षक वाले सत्र में एक पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया। उनकी प्रस्तुति ने एक सफल क्षेत्रीय उत्पादन पहल के लिए आवश्यक तत्वों और विचार-विमर्श से लेकर व्यावसायीकरण तक उत्पाद विकास के सभी चरणों का समर्थन करने में भारत सरकार, विशेष रूप से औषध विभाग द्वारा किए गए प्रमुख प्रयासों पर प्रकाश डाला।

द्वितीय वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम (डब्ल्यूएलपीएफ) हेग, नीदरलैंड में भागीदारी।

vi. सुश्री दिव्या कादयान, अनुभाग अधिकारी (आईसी अनुभाग), औषध विभाग ने दिनांक 12-13 जनवरी, 2024 को काठमांडू, नेपाल में भारत और नेपाल के बीच अनधिकृत व्यापार को नियंत्रित करने के लिए व्यापार, पारगमन और सहयोग पर अंतर-सरकारी उप-समिति (आईजीएससी) की बैठक में भाग लिया, जिसमें औषध की बाजार पहुंच के मुद्दों पर चर्चा की गई ।

काठमांडू, नेपाल में आईजीएससी की बैठक।

8.4 औषध विभाग द्वारा आयोजित विदेशी प्रतिनिधिमंडलों का भारत दौरा / औषध विभाग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बैठकें :

i. सचिव, औषध की अध्यक्षता में दिनांक 13 फरवरी 2023 को महामहिम डॉ. अमीन अल अमीरी, सहायक अवर सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय, यूएई और यूएई प्रतिनिधिमंडल के साथ एक बैठक हुई थी, जिसमें बल्क औषधि पार्कों और चिकित्सा उपकरण पार्कों में निवेश के अवसरों, भारत-यूएई सीईपीए के अंतर्गत समयबद्ध विपणन प्राधिकरण प्राप्त करने में यूएई को निर्यात करने वाली भारतीय कंपनियों की चुनौतियों, नाईपर के साथ संभावित सहयोग और यूएई में औषध और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में निवेश के अवसरों पर चर्चा की गई थी।

महामहिम डॉ. अमीन अल अमीरी, सहायक अवर सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय, संयुक्त अरब अमीरात, के साथ बैठक।

ii. इक्वाडोर द्वारा भारत से और अधिक दवाइयाँ प्राप्त करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए 20 मार्च 2023 को नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से इक्वाडोर के राजदूत श्री टेओडोरो माल्डोनाडो के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में इक्वाडोर में प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना को अपनाने के बारे में चर्चा की गई।

iii. श्री लामा ए. अलबदुइवाहाब, आर्गेनाइजेशन्स एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंडस्ट्री एंड मिनरल रिसोर्सेस मंत्रालय, सऊदी अरब साम्राज्य के साथ बैठक दिनांक 22 मार्च 2023 को भारतीय पक्ष से संयुक्त सचिव, औषध विभाग की अध्यक्षता में नई दिल्ली द्वारा वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित की गई थी, जिसमें दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय निवेश में संभावित सहयोग का पता लगाया गया था।

iv. प्रोफेसर पद्मश्री गेल संपत, अध्यक्ष अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक (एएफडीबी) के वरिष्ठ सलाहकार के साथ दिनांक 13 जून 2023 को बैठक हुई थी, जिसमें अफ्रीकी फार्मास्युटिकल टेक्नोलॉजी फाउंडेशन (एपीटीएफ), अफ्रीका रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (सीडीसी) और अफ्रीकी वैक्सीन विनिर्माण के लिए साझेदारी (पीएवीएम) की भागीदारी के साथ अफ्रीका में संभावित निवेश अवसरों की पहचान करने के लिए एएफडीबी के साथ सहयोग पर चर्चा की गई।

v. सचिव, औषध विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 21 जून 2023 को फार्मास्यूटिकल अफेयर्स एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी विभाग, हेल्थ, वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स मंत्रालय, नीदरलैंड के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें नीदरलैंड में फार्मास्युटिकल उत्पादों की इक्विटी और सामर्थ्य संवर्धन के लिए भारत-नीदरलैंड के बीच सहयोग, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में लचीलापन सुदृढ़ करने के लिए सीमा पार निवेश और साझेदारी, नाईपर और नीदरलैंड में संबंधित समकक्ष संस्थानों के बीच उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के विकास सहित नाईपर के साथ सहयोग पर चर्चा की गई।

vi. बेल्जियम द्वारा भारत से और अधिक दवाइयों की आपूर्ति के संबंध में संभावनाओं का पता लगाने तथा विशिष्ट उत्पादों पर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के बारे में चर्चा करने के लिए दिनांक 10.07.2023 को भारत में बेल्जियम के राजदूत महामहिम श्री डिडिएर वांडरहासेल्ट के साथ सचिव, औषध विभाग की बैठक हुई थी।

vii. सचिव, औषध विभाग ने दिनांक 07.08.2023 को सेशेल्स के उच्चायुक्त के साथ बैठक की, जिसमें दोनों देशों के बीच फार्मा सहयोग और सेशेल्स द्वारा भारत से दवाओं की अधिक आपूर्ति पर चर्चा की गई।

viii. महामहिम श्री एलेजांद्रो सिमंकास मेरिन, क्यूबा गणराज्य के राजदूत ने दिनांक 28.08.2023 को सचिव, औषध विभाग से मुलाकात की और भारतीय फार्माकोपिया की मान्यता, विनियामकों के बीच द्विपक्षीय आदान-प्रदान और भारत से अधिक चिकित्सा आपूर्ति प्राप्त करने सहित फार्मा में सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा की।

ix. भारतीय दूतावास, मास्को की सहायता से यूरेशियन आर्थिक आयोग के साथ दिनांक 04.09.2023 को बैठक

आयोजित की गई थी, जिसमें यूरेशियन आर्थिक संघ के सदस्य देशों में उत्तम विनिर्माण पद्धति (जीएमपी) प्रमाणन और नैदानिक परीक्षणों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई थी, ताकि भारत से यूरेशियन आर्थिक संघ को औषध के निर्यात के संवर्धन और वहां वहनीय चिकित्सा उपचार प्रदान किया जा सके।

x. सुश्री लुईस सेवेल, स्वास्थ्य सलाहकार डेनमार्क दूतावास ने दिल्ली में दिनांक 14 सितंबर 2023 को आर्थिक सलाहकार, औषध विभाग से मुलाकात की और भारत और डेनमार्क में औषधीय उद्योग के बारे में जानकारी साझा की। इसके अतिरिक्त, नाईपर के साथ उत्कृष्टता केंद्र के सह-विकास की संभावना सहित सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर भी चर्चा की गई थी।

दिल्ली में सुश्री लुईस सेवेल, स्वास्थ्य सलाहकार, डेनमार्क दूतावास के साथ बैठक।

xi. औषध विभाग ने दिनांक 20 सितंबर, 2023 को माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री के साथ श्रीमती हेलेन बुडलिगर, स्विस स्टेट सेक्रेटरी इकनोमिक अफेयर्स और डॉ सेवेरिन श्वान रोश, अध्यक्ष, निदेशक मंडल होल्डिंग लिमिटेड के बीच बैठक में भाग लिया, जिसमें फार्मास्युटिकल पेटेंट से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई थी।

xii. डॉ. रॉबर्ट कैलिफ़, कमीश्नर, यू.एस फ़ूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने दिनांक 22.09.2023 को सचिव, औषध विभाग से मुलाकात की। आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन; औषधि की कमी की निगरानी और आपूर्ति श्रृंखला की निरंतरता का आश्वासन; गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र का पोषण; और भविष्य में नैदानिक परीक्षणों के केंद्र के रूप में भारत की क्षमता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई थी।

डॉ. रॉबर्ट कैलिफ़, कमीश्नर, यू.एस फ़ूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठक

xiii. दिनांक 11 अक्टूबर 2023 को औषध विभाग के सचिव की अध्यक्षता में श्री सेल्बी पिल्ले, राजदूत, फॉरेन अफेयर्स विभाग,सेशेल्स; सीईओ, हेल्थ केयर एजेंसी; मुख्य फार्मासिस्ट और प्रोक्योरमेंट अधिकारी,

फार्मास्युटिकल आपूर्ति, सेशेल्स; महानिदेशक, फार्मेक्सिल और विदेश मंत्रालय (एमईए) और सेशेल्स उच्चायोग के अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई गई, जिसमें सेशेल्स द्वारा भारत से दवाओं की अधिक स्त्रोतों की संभावना पर चर्चा की गई थी।

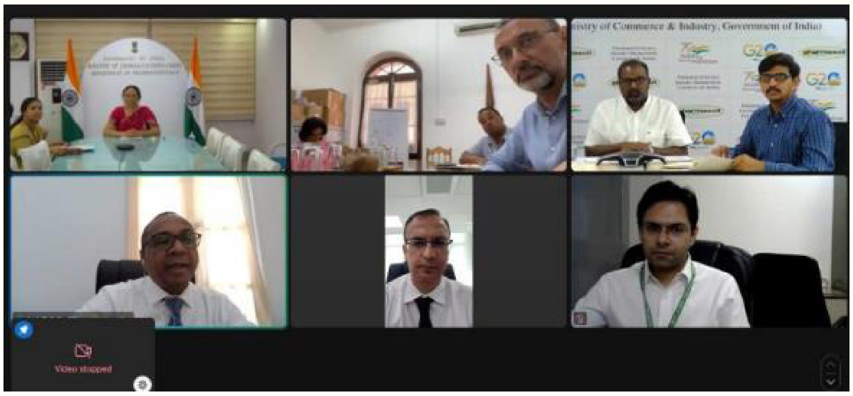

श्री सेल्बी पिल्ले, राजदूत, फॉरेन अफेयर्स विभाग,सेशेल्स के साथ बैठक

xiv. दिनांक 27.10.2023 को सचिव, औषध विभाग की अध्यक्षता में महामहिम एना तबान, भारत गणराज्य में मोल्दोवा गणराज्य की राजदूत के साथ एक बैठक हुई जिसमें मोल्दोवा और भारत के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई थी।

xv. डॉ. राहुल गुप्ता, निदेशक, यूएस ऑफिस ऑफ नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी (ओएनडीसीपी); श्री जॉन ठंगर विशेष सलाहकार; और श्री गैरी एप्पलगार्थ, प्रथम सचिव, यूएस दूतावास, और विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने दिनांक 20 नवंबर, 2023 को सचिव, औषध से मुलाकात की जिसमें नशीली दवाओं के दुरुपयोग को कम करने और अवैध रसायनों/दवाओं के उपयोग के रोकथाम के लिए चल रहे कार्यों पर चर्चा की गई थी।

xvi. श्री बार्ट ओइजेन, काउंसेलर, हेल्थ, वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स और सुश्री रवलीन पाल, उप प्रमुख, आर्थिक अनुभाग, नीदरलैंड दूतावास ने दिनांक 28 नवंबर 2023 को आर्थिक सलाहकार, औषध विभाग से मुलाकात की, जिसमें द्विपक्षीय निवेश में संभावित सहयोग, नाईपर के साथ क्षमता विनिर्माण और भारत और नीदरलैंड के बीच दवा आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने पर चर्चा की गई थी।

xvii. डॉ. मोहम्मद पेकनपुर, माननीय महानिदेशक, स्वास्थ्य मंत्रालय, आई.आर ईरान, श्री मोहम्मदरेजा अबेदी, उप महानिदेशक, स्वास्थ्य मंत्रालय, आई.आर ईरान और आई.आर ईरान के दूतावास अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ दिनांक 30 नवंबर, 2023 को आर्थिक सलाहकार, औषध विभाग से मुलाकात की, जिसमें नाईपर के साथ संभावित सहयोग और फार्मा और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में निवेश के अवसरों पर चर्चा की गई थी।

डॉ. मोहम्मद पेकनपुर, माननीय महानिदेशक, स्वास्थ्य मंत्रालय, आई.आर ईरान, श्री मोहम्मदरेजा अबेदी, उप महानिदेशक, स्वास्थ्य मंत्रालय, आई.आर ईरान और ईरान के दूतावास अधिकारियों के साथ बैठक।

xviii. श्री युता यामाशिता, प्रथम सचिव, भारत में जापान दूतावास और जापान मेडिकल डिवाइस एसोसिएशन इन इंडिया (जेएमडीएआई) और जापानी फार्मास्युटिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (जेपीएआई) के प्रतिनिधियों ने दिनांक 8 दिसंबर 2023 को आर्थिक सलाहकार, औषध विभाग से मुलाकात की, जिसमें द्विपक्षीय निवेश, नियामक मुद्दों और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर संभावित सहयोग पर चर्चा की गई थी।

श्री युता यामाशिता, प्रथम सचिव और भारत में जापान मेडिकल डिवाइस एसोसिएशन (जेएमडीएआई) और भारतीय जापानी फार्मास्युटिकल एसोसिएशन (जेपीएआई) के प्रतिनिधियों के साथ बैठक।

xix. सचिव, औषध विभाग ने दिनांक 21 दिसंबर 2023 को ग्वाटेमाला में भारत के राजदूत डॉ. मनोज कुमार महापात्रा से मुलाकात की, जिसमें औषध में द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की गई थी।

xx. आर्थिक सलाहकार, औषध विभाग ने 11 मार्च 2024 को सुश्री रवलीन पाल, उप प्रमुख, आर्थिक अनुभाग, नीदरलैंड दूतावास से मुलाकात की, जिसमें औषध विभाग तथा औषध और चिकित्सा उपकरण, डच मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन की मसौदा अवधारणा पर चर्चा की गई थी।

8.5 वाणिज्य विभाग के नेतृत्व में व्यापार समझौतों की वार्ता में भागीदारी

(i) औषध विभाग ने दिनांक 11 अगस्त, 2023 और 29 अगस्त, 2023 को वाणिज्य भवन, नई दिल्ली में क्रमशः मूल नियमों पर भारत-ऑस्ट्रेलिया सीईसीए वार्ता के चौथे और पांचवें दौर में भाग लिया।

(ii) औषध विभाग ने दिनांक 10 अक्टूबर 2023 को भारत-यूके एफटीए वार्ता के 13वें दौर में भाग लिया, जिसमें भारत और यूके के बीच माल बाजार पहुंच पर चर्चा की गई थी। औषध विभाग ने दिनांक 6 मार्च, 2024 और 14 मार्च, 2024 को प्रस्तावित एफटीए के अंतर्गत फार्मा एनेक्स पर वार्ता में भी भाग लिया।

(iii) भारत-ईएफटीए व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते पर दिनांक 10 मार्च 2024 को हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके अनुसार स्विटजरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड समझौते के लागू होने पर भारत से इन देशों द्वारा आयातित दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के लिए आयात शुल्क के समान प्रभाव वाले सभी आयात शुल्क और अन्य शुल्क समाप्त कर देंगे। इसमें बौद्धिक संपदा के संरक्षण पर एक एनेक्स भी शामिल है जिसमें ट्रिप्स समझौते के अनुरूप अघोषित जानकारी की सुरक्षा शामिल है। औषध विभाग ने समझौते में औषध और चिकित्सा उपकरणों से संबंधित पहलुओं पर वाणिज्य विभाग द्वारा आयोजित आंतरिक चर्चा में भाग लिया।

8.6 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नेतृत्व में विश्व स्वास्थ्य संगठन की वार्ता में भागीदारी

औषध विभाग के अधिकारियों ने दिनांक 18 मार्च - 28 मार्च 2024 तक डब्ल्यूएचओ द्वारा आयोजित अंतर-सरकारी वार्ता निकाय (आईएनबी9) की नौवीं बैठक में वर्चुअल रूप से भाग लिया, जिसमें महामारी साधन/समझौते/अनुबंध के मूलपाठ प्रारूप पर गहन विचार-विमर्श किया गया था।

8.7 औषध सहयोग के क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए वाणिज्य विभाग/उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग/स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के नेतृत्व में संयुक्त कार्य समूह/व्यापार समितियों की बैठकों में विभाग की भागीदारी:

i. औषध विभाग ने दिनांक 12.01.2023 को आयोजित मोरक्को साम्राज्य और भारत गणराज्य के बीच चिकित्सा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक में वर्चुअल रूप से भाग लिया, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, औषध में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा की गई थी।

ii. औषध विभाग ने दिनांक 16.02.2023 को वर्चुअल मोड के माध्यम से वैक्सीन और स्वास्थ्य सुरक्षा पर भारत गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच क्वाड स्वास्थ्य सुरक्षा साझेदारी बैठक में भाग लिया था।

iii. औषध विभाग ने दिनांक 24.02.2023 को नई दिल्ली में आयोजित स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य और ओमान के बीच पहली संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) बैठक में भाग लिया, जिसमें औषध में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा की गई।

iv. औषध विभाग ने दिनांक 11.03.2023 को माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित 18वीं भारत-ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग (जेएमसी) बैठक में भाग लिया।

v. औषध विभाग ने दिनांक 6 मार्च, 2023 को भारत की ओर से विदेश मंत्री की सह-अध्यक्षता में व्यापार और आर्थिक सहयोग पर भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग (आईआरआईजीसी-टीईसी) की समीक्षा बैठक में भाग लिया। इसके बाद, सचिव, औषध विभाग ने सचिव, वाणिज्य के नेतृत्व में दिनांक 24 मार्च, 2023 को आयोजित व्यापार और आर्थिक सहयोग पर 24वें भारत-रूस कार्य समूह(डब्ल्यूजी-टीईसी) की बैठक में भी भाग लिया, जिसमें दोनों पक्षों ने दिनांक 21.12.2022 को औषध पर दूसरे जेडब्ल्यूजी की बैठक में हुई चर्चाओं को स्वीकार किया और इस संबंध में आगे कदम उठाने पर सहमति दी।

vi. औषध विभाग ने दिनांक 13 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में भारत-स्पेन संयुक्त आर्थिक सहयोग आयोग(जेसीईसी) की 12वीं बैठक में भाग लिया, जिसकी सह-अध्यक्षता भारत की ओर से सचिव, वाणिज्य ने की। दोनों पक्षों ने एपीआई आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने सहित आपसी सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा की।

vii. भारतीय पक्ष से महामहिम डॉ. एस. जयशंकर, विदेश मंत्री के नेतृत्व में दिनांक 18 अप्रैल, 2023 को व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग के 24वें सत्र में औषध विभाग ने भाग लिया। दोनों पक्षों ने दिनांक 21.12.2022 को औषध पर दूसरे जेडब्ल्यूजी की बैठक में हुई चर्चाओं को स्वीकार किया और इस संबंध में आगे कदम उठाने पर सहमति दी।

viii. औषध विभाग ने 12 जून, 2023 को वियना में आयोजित भारत-ऑस्ट्रिया संयुक्त आर्थिक आयोग (जेईसी) के 16वें सत्र में वर्चुअल मोड के माध्यम से भाग लिया और 14 जून, 2023 को भारत-स्लोवाक संयुक्त आर्थिक समिति (जेईसी) के 11वें सत्र में वर्चुअल मोड के माध्यम से भाग लिया। भारत की ओर से दोनों जेईसी सत्रों के लिए बैठक की सह-अध्यक्षता सुश्री निधि मणि त्रिपाठी, संयुक्त सचिव, डीओसी द्वारा की गई थी।

ix. औषध विभाग ने 12 जून 2023 को भारत और किर्गिस्तान के बीच पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक में वर्चुअल मोड के माध्यम से भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता भारत की ओर से श्री लव अग्रवाल, अतिरिक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई थी।

x. औषध विभाग ने औद्योगिक सहयोग कार्य समूह (आईसीडब्ल्यूजी) और संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की द्विपक्षीय बैठकों में 15 जून, 2023 को ताइवान के साथ वर्चुअल मोड के माध्यम से भाग लिया। भारत की ओर से बैठक की सह-अध्यक्षता सुश्री मनमीत के. नंदा, संयुक्त सचिव, डीपीआईआईटी द्वारा की गई थी। दोनों पक्षों ने औषध में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा की।

xi. औषध विभाग ने 28 जून, 2023 को नई दिल्ली में भारत और डेनमार्क के बीच तीसरी संयुक्त कार्य समूह

(जेडबल्यूजी) बैठक में भाग लिया, जिसकी सह-अध्यक्षता भारत की ओर से श्री लव अग्रवाल, अतिरिक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और डेनमार्क की ओर से सुश्री डोर्टे बेच विज़ार्ड, उप स्थायी सचिव, रोगी सुरक्षा, दवाएं और वैश्विक स्वास्थ्य, आंतरिक और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा की गई। दोनों पक्षों ने औषध, चिकित्सा उपकरण और डायग्नोस्टिक्स में सहयोग को मजबूत करने के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा की।

xii. औषध विभाग ने स्वास्थ्य सहयोग पर भारत और मालदीव के बीच 5 जुलाई 2023 को आयोजित संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक में भाग लिया, जिसकी सह-अध्यक्षता भारत की ओर से श्री लव अग्रवाल, अतिरिक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई। "भारत में औषध और चिकित्सा उपकरण सेक्टर" पर एक प्रस्तुति दी गई।

xiii. औषध विभाग ने दिनांक 25 जुलाई 2023 को भारत के माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और संयुक्त गणराज्य तंजानिया के माननीय स्वास्थ्य मंत्री के बीच द्विपक्षीय बैठक में भाग लिया, जिसमें औषध में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और औषध क्षेत्र में संभावित सहयोग का पता लगाने के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा की गई थी।

xiv. औषध विभाग ने दिनांक 24 नवंबर 2023 को जिनेवा में भारत-स्विट्ज़रलैंड संयुक्त आर्थिक आयोग (जेईसी) के 19वें सत्र में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया, जिसमें नाईपर के साथ संभावित सहयोग और फार्मा और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में निवेश के अवसरों पर चर्चा की गई थी।

xv. भारत और कंबोडिया के बीच स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक में औषध विभाग ने भाग लिया, भारत की ओर से जिसकी सह-अध्यक्षता डॉ. मनस्वी कुमार, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई। इस बैठक में "भारत में औषध और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र" पर एक प्रस्तुति दी गई थी।

xvi. औषध विभाग ने 13 फरवरी, 2024 को भारत और जर्मनी के बीच स्वास्थ्य सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक में भाग लिया, भारत की ओर से जिसकी सह-अध्यक्षता स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की, जिसमें औषध और चिकित्सा उपकरणों में सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा की गई थी।

xvii. औषध विभाग ने दिनांक 15 फरवरी, 2024 को भारत और नीदरलैंड के बीच स्वास्थ्य सहयोग पर पांचवे संयुक्त कार्य समूह की बैठक में भाग लिया भारत की ओर से जिसकी सह-अध्यक्षता स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की, जिसमें नाईपर के साथ संभावित सहयोग और नीदरलैंड में फार्मा और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में निवेश के अवसरों पर चर्चा की गई थी।

xviii. औषध विभाग ने 20 मार्च 2024 को भारतीय दूतावास, डबलिन द्वारा वर्चुअल मोड के माध्यम से भारत और आयरलैंड की फार्मा कंपनियों के लिए क्रेता-विक्रेता बैठक में प्रतिभागियों को संबोधित किया और भारतीय फार्मा और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के साथ अवलोकन, ताकत, सरकारी पहल और सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर प्रस्तुति दी।

xix. आर्थिक सलाहकार, औषध विभाग दिनांक 29 मार्च 2024 को भारत-यूक्रेन अंतर सरकारी आयोग की गतिविधियों की समीक्षा के लिए विदेश मंत्री के नेतृत्व में उनके यूक्रेनी समकक्ष के साथ प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे और उन्होंने फार्मा क्षेत्र में अपडेट और संभावित सहयोग के संबंध में हस्तक्षेप किया।

प्रशिक्षण एवं क्षमता विनिर्माण

i. औषध विभाग के अधिकारियों ने 13-15 मार्च, 2023 को वाणिज्य भवन, नई दिल्ली में डब्ल्यूटीओ टीबीटी समझौते को लागू करने के लिए भारतीय अधिकारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए टीबीटी समझौते पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लिया। कार्यशाला का आयोजन वाणिज्य विभाग ने विश्व व्यापार संगठन और डब्ल्यूटीओ अध्ययन केंद्र (सीडब्ल्यूटीओएस) और व्यापार एवं निवेश कानून केंद्र (सीटीआईएल) के सहयोग से किया था।

ii. औषध विभाग ने 24 अप्रैल 2023 को स्वीडन के दूतावास में 'एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध के लिए एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण: पर्यावरण और विनिर्माण उद्योग' पर भारत में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल और स्वीडन के दूतावास द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित हितधारक कार्यशाला में भाग लिया। कार्यशाला का लक्ष्य स्थिति की समीक्षा करना, एक उत्पादक चर्चा शुरू करना और आगे के सहयोग के लिए क्षेत्रों की पहचान करना, इस उभरती समस्या के लिए एक स्थायी और प्रभावी समाधान का मार्ग प्रशस्त करना था, जिसका लक्ष्य पर्यावरण में एंटीबायोटिक दवाओं के प्रभाव को कम करना और एएमआर के प्रसार पर अंकुश लगाना था।

iii. औषध विभाग के अधिकारियों ने 21 और 22 सितंबर 2023 को वाणिज्य भवन, नई दिल्ली में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा आयोजित "अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निवेश प्रतिबद्धताओं" पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लिया।

iv. औषध विभाग के अधिकारियों ने 6 नवंबर, 2023 को वाणिज्य विभाग द्वारा आयोजित "विकास के लिए व्यापार को खोलना", "भविष्य के कार्य की तैयारी" और "वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना" विषय पर सेमिनार में भाग लिया।

8.8 विभाग के जी20 कार्यक्रम

जी-20 भारतीय अध्यक्षता के हेल्थ ट्रैक के दौरान, औषध विभाग (डीओपी) ने भौतिक और वर्चुअल दोनों माध्यमों में आयोजित प्रभावशाली कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के आयोजन और नेतृत्व का कार्यभार संभाला। दिनांक 24 मार्च, 2023 को, विभाग ने बिजनेस-20 (बी-20) के भागीदार के रूप में "चिकित्सा विज्ञान पर सहयोगात्मक अनुसंधान" विषय पर एक वेबिनार आयोजित किया, इसके बाद 16 अप्रैल को गोवा में दूसरे एचडब्ल्यूजी (स्वास्थ्य कार्य समूह) के हिस्से के रूप में "डायग्नोस्टिक्स के लिए क्षेत्रीय विनिर्माण क्षमता का विस्तार" विषय पर फाइंड-यूनिटएड के साथ एक सह-ब्रांडेड कार्यक्रम आयोजित किया। इसके अतिरिक्त, 18 अप्रैल, 2023 को आईएनएसए के सहयोग से विज्ञान-20 (एस20) पर एक वर्चुअल वेबिनार भी आयोजित किया गया।

इसके अतिरिक्त, तीसरे एचडब्ल्यूजी में विभाग ने 3 जून को "भविष्य की स्वास्थ्य आपात स्थितियों की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए आम सहमति का विनिर्माण" विषय पर पीएटीएच के साथ एक सह-ब्रांडेड कार्यक्रम सहित कई कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की, और 5 जून को "एमसीएम (डायग्नोस्टिक्स, वैक्सीन और थेरेप्यूटिक्स) में अनुसंधान और विकास पर वैश्विक सहयोग को मजबूत करना" पर एक साइड इवेंट आयोजित किया, जिसमें अन्य के साथ-साथ 19 जी20 सदस्य देशों, 10 आमंत्रित राज्यों और 22 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया। भारतीय औषध उद्योग की अभिनव ताकत और लचीली विनिर्माण क्षमताओं को दर्शाने के लिए हैदराबाद के जीनोम वैली में आईसीएमआर-एनएआरएफबीआर और भारत बायोटेक में जी 20 प्रतिनिधियों के लिए कई क्षेत्रीय दौरों की एक श्रृंखला की योजना बनाई गई थी तथा इसके साथ-साथ स्वास्थ एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और सीआईआई के साथ संयुक्त रूप से एक औद्योगिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमें उद्योग एवं शिक्षा दोनों क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व वाले 40 से अधिक प्रदर्शक शामिल हुए।

चौथी एचडब्ल्यूजी डिप्टी एवं मंत्रियों की बैठक में, विभाग ने गुजरात और दिल्ली में मंत्रियों की बैठक के दौरान 14 देशों और संगठनों के साथ द्विपक्षीय बैठकों में भाग लिया, और साथ ही अहमदाबाद में ज़ाइडस एसईजेड और टोरंट आरएंडडी सेंटर का रणनीतिक क्षेत्रीय दौरा किया और माननीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री द्वारा पीएमबीजेके केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसके अतिरिक्त, औषध विभाग ने फिक्की के साथ मिलकर एक सह-ब्रांडेड कार्यक्रम-मेड-टेक एक्सपो का आयोजन किया, जिसमें भारत में विकसित हो रही चिकित्सा तकनीकों को प्रदर्शित किया गया, जिसका मुख्य विषय था 'भारत: अगला मेडटेक ग्लोबल हब - डिवाइस, डायग्नोस्टिक्स और डिजिटल का भविष्य' जिसका उद्घाटन माननीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री ने किया था और इसमें इंडोनेशियाई प्रतिनिधिमंडल के साथ उद्योग बातचीत की मेजबानी के अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया, जापान, मॉरीशस के स्वास्थ्य मंत्रियों सहित जी20 प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। इन आयोजनों की सफलता को नई दिल्ली के नेताओं के घोषणापत्र और मोदी-बाइडेन संयुक्त वक्तव्य दोनों में रेखांकित किया गया, जहाँ दवा आपूर्ति को सुरक्षित, संकट-मुक्त और मजबूत करने के लिए गहन सहयोग के अवसरों को स्वीकार किया गया।

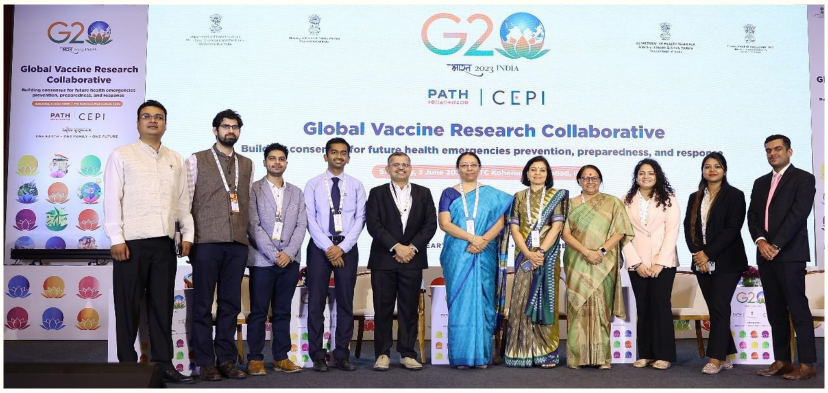

3 जून 2023 को जी20 सह-ब्रांडेड कार्यक्रम में डीपी पाथ और सीईपीआई के अधिकारी

4 से 6 जून 2023 तक हैदराबाद में तीसरे स्वास्थ्य कार्य समूह में औषध विभाग, आईसीएमआर और आयुष मंत्रालय के अधिकारी

8.9 जी-20 प्रेसीडेंसी 2023 आयोजनों में औषध विभाग द्वारा द्विपक्षीय बैठकें

i. सचिव, औषध विभाग ने 15 अगस्त 2023 से 21 अगस्त 2023 के दौरान दिल्ली और गांधीनगर में भारतीय जी20 प्रेसीडेंसी के अंतर्गत 4वें स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक के दौरान नीदरलैंड, यूके, जर्मनी, जापान, डब्ल्यूएचओ, इंडोनेशिया, मिस्र, ईयू, सऊदी अरब, श्रीलंका, यूएसए, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और नेपाल के साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में समर्पित द्विपक्षीय बैठकों में औषध सहयोग से संबंधित चर्चाओं का नेतृत्व किया। फार्मा सहयोग के जिन प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की गई, उनमें आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना और निवेश संवर्धन; दुनिया के लिए भारत में विनिर्माण; अनुसंधान एवं विकास, कौशल और क्षमता विनिर्माण; औषध, टीकों और चिकित्सा उपकरणों में वैश्विक वहनीय स्वास्थ्य सेवा संवर्धन शामिल था।

महामहिम जेवियर बेसेरा, हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस, सचिव अमेरिका के साथ बैठक

महामहिम स्टीव बार्कले, सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट फॉर हेल्थ एंड सोशल केयर, यूके के साथ बैठक।

डॉ. टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयसस, महानिदेशक, विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ बैठक

महामहिम फहाद बिन अब्दुर्रहमान अल- जलाजेल, स्वास्थ्य मंत्री, सऊदी अरब के साथ बैठक

महामहिम अर्नस्ट कुइपर्स, हेल्थ, वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स मंत्री, नीदरलैंड के साथ बैठक।

महामहिम कार्ल लॉटरबाक, फ़ेडरल मिनिस्टर ऑफ़ हेल्थ, जर्मनी के साथ बैठक।

सुश्री सैंड्रा गैलिना, डायरेक्टरेट-जनरल फॉर हेल्थ एंड फ़ूड सेफ्टी, यूरोपीयन कमीशन के साथ बैठक

श्री केहेलिया राम्बुकवेल्ला, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, श्रीलंका के साथ बैठक

महामहिम खालिद अब्देल गफ्फार, कार्यवाहक मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड पापुलेशन, मिस्र के साथ बैठक

महामहिम कात्सुनोबु काटो, मिनिस्टर ऑफ़ हेल्थ, लेबर एंड वेलफेयर, जापान के साथ बैठक

महामहिम ओंग ये कुंग, हेल्थ मिनिस्टर, सिंगापुर के साथ बैठक

महामहिम बुदी जी. सदीकिन, हेल्थ मिनिस्टर, इंडोनेशिया के साथ बैठक

महामहिम मोहन बहादुर बस्नेत, मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड पापुलेशन नेपाल के साथ बैठक।

जी-20 के चौथे स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक में आईसी प्रभाग के अधिकारी

ii. औषध विभाग ने भारतीय फार्मास्युटिकल एसोसिएशन (आईपीए) के सहयोग से 4वें स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक के अवसर पर 20 अगस्त, 2023 को गांधीनगर में एक समर्पित उद्योग संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति रही, जिनमें डॉ. मनसुख मांडविया, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, श्री बुदी गुनादी सादिकिन, हेल्थ मिनिस्टर इंडोनेशिया, डॉ. अन्र्स्ट कुइपर्स, हेल्थ, वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स मंत्री, नीदरलैंड, सुश्री एस अपर्णा, सचिव औषध विभाग, श्री सुदर्शन जैन, महासचिव, आईपीए और डॉ. विरंची शाह, अध्यक्ष, आईडीएमए शामिल थे। इसके अतिरिक्त, इस कार्यक्रम में इंडोनेशियाई प्रतिनिधियों, कई भारतीय दवा कंपनियों, विभिन्न संघों के साथ-साथ विभाग, आईपीए और भारतीय औषधि निर्माता संघ (आईडीएमए) के अधिकारियों ने भी भाग लिया।

जी-20 स्वास्थ्य कार्य समूह के प्रतिनिधियों के साथ भारतीय उद्योग परिचर्चा में माननीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री का उद्घाटन भाषण।

उद्योग संपर्क सत्र में भाग लेने वाले प्रतिभागी

iii. विभाग ने जी20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों सहित जी20 प्रतिनिधियों के लिए कई क्षेत्रीय और निर्देशित दौरे आयोजित किए, जिनका उद्देश्य भारत के संपन्न फार्मास्युटिकल क्षेत्र और अग्रणी फार्मास्युटिकल फर्मों की अनुसंधान एवं विकास और विनिर्माण सुविधाओं को उजागर करना था। इन निर्देशित दौरों में इंडोनेशिया की अग्रणी फार्मास्युटिकल कंपनियों के वरिष्ठ उद्योग नेताओं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों (विश्व बैंक, वेलकम ट्रस्ट, ग्लोबल फंड आदि), ओमान, मॉरीशस, इंडोनेशिया के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ क्रमशः मॉरीशस और इंडोनेशिया के माननीय स्वास्थ्य मंत्री सहित अन्य लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और दोनों देशों में विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त सहयोग और निवेश के अवसरों पर उन्नत और प्रत्यक्ष चर्चा का मार्ग प्रशस्त किया।

अध्याय 9

राजभाषा का कार्यान्वयन

9.1 सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग
9.2 राजभाषा कार्यान्वयन समिति
9.3 हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन पखवाड़ा, 2023
9.4 विभाग के अधीन कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग की समीक्षा
9.5 हिंदी सलाहकार समिति

अध्याय 9

राजभाषा का कार्यान्वयन

9.1 सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग

राजभाषा अधिनियम, 1963 के साथ-साथ राजभाषा (संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग) नियम, 1976 और उसके तहत जारी आदेशों सहित भारत संघ की राजभाषा नीति के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए हर संभव प्रयास किया गया था। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उप धारा (3) में उल्लिखित सभी दस्तावेज द्विभाषी रूप से अर्थात हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी में भी जारी किए गए थे। हिंदी में प्राप्त पत्रों और हिंदी में हस्ताक्षरित अभ्यावेदनों आदि का उत्तर राजभाषा (संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग) नियम, 1976 (1987 में यथासंशोधित) के नियम 5 और नियम 7(2) के प्रावधानों के अनुसार हिंदी में दिया गया था।

9.2 राजभाषा कार्यान्वयन समिति

संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति समय-समय पर सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगतिशील उपयोग की समीक्षा करती है और सरकारी कामकाज में हिंदी के उपयोग को बढ़ाने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव देती है। इसकी बैठकें नियमित अंतराल पर आयोजित की गईं तथा संघ का सरकारी कामकाज हिंदी में करने के लिए गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी वर्ष 2023-24 के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गई।

9.3 हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन पखवाड़ा, 2023

विभाग में 14 से 29 सितम्बर, 2023 तक हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन पखवाड़ा मनाया गया, जिसका उद्देश्य विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा विभाग में हिंदी के प्रयोग के लिए अनुकूल माहौल बनाने में सहायता करना था।

सचिव (औषध) द्वारा सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग करने की प्रतिबद्धता जताने के लिए जारी संदेश के अलावा, पखवाड़े के दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। विजेताओं को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

9.4 विभाग के अधीन कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग की समीक्षा

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2023-24 के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुपालन में विभाग के अधीन कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग की आवधिक समीक्षा उनके द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक रिपोर्टों के माध्यम से की गई। इस वर्ष के दौरान वार्षिक राजभाषा कार्यक्रम 2023-24 में निर्धारित लक्ष्य (कम से कम 25% कार्यालयों का निरीक्षण) को प्राप्त करने के लिए, औषध विभाग के तीन अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण किया गया।

9.5 हिंदी सलाहकार समिति

माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री की अध्यक्षता में रसायन और उर्वरक मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 30.05.2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

अध्याय 10

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

10.1 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

अध्याय 10

10.1 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार, विभाग के समन्वय प्रभाग में एक आरटीआई सेल की स्थापना की गई है जो विभाग के सभी आरटीआई से संबंधित मामलों के लिए नोडल सेल के रूप में कार्य करता है। आरटीआई आवेदन/अपील आरटीआई प्रकोष्ठ द्वारा संबंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) को हस्तांतरित की जाती है। यह प्रकोष्ठ केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) से प्राप्त अपीलों/आदेशों पर अनुवर्ती कार्रवाई का भी समन्वय करता है और रिटर्न जमा करता है। विभाग में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) और अपीलीय अधिकारियों की सूची विभाग की वेबसाइट अर्थात् **http://pharmaceuticals.gov.in** पर नियमित रूप से अपडेट की जाती है। विभाग की वेबसाइट पर स्वत: प्रकटीकरण के लिए आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के तहत पारदर्शिता के लिए सक्रिय कार्रवाई की जाती है। आरटीआई अधिनियम के तहत सक्रिय प्रकटीकरण की ऑडिट रिपोर्ट भी विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है।

विभाग ने आरटीआई अधिनियम के अनुपालन में निम्नलिखित उपाय किए हैं।

1) अवर सचिव/अनुभाग अधिकारी स्तर के अधिकारियों को उनके द्वारा संभाले जा रहे विषयों के अनुसार, आरटीआई अधिनियम की धारा 5(1) के तहत केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के रूप में नामित किया गया है।

2) निदेशक/उप सचिव स्तर के अधिकारियों को उनके तहत सीपीआईओ के रूप में काम करने वाले अवर सचिवों/अनुभाग अधिकारियों के संबंध में आरटीआई अधिनियम की धारा 19(1) के अनुसार अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

3) आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत आवेदनों की प्राप्ति की सुविधा के लिए, विभाग के केंद्रीय रजिस्ट्री सेल में आवेदन प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार प्राप्त आवेदनों को आरटीआई सेल द्वारा संबंधित सीपीआईओ/सार्वजनिक प्राधिकरणों को अग्रेषित किया जाता है।

4) विभाग ने सीआईसी की वेबसाइट (**http://rti.gov.in**) पर उपलब्ध प्रबंधन सूचना प्रणाली (आरटीआई एमआईएस) सॉफ्टवेयर पर आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदन और अपील का पंजीकरण प्राप्त करना शुरू कर दिया है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अर्थात दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक, इस विभाग में कुल 355 आरटीआई आवेदन और 10 आरटीआई प्रथम याचिकाएं प्राप्त हुई थी। आवेदकों को जानकारी प्रदान करने के लिए इन्हें तुरंत संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणों/सीपीआईओ को हस्तांतरित/अग्रेषित किया गया।

अध्याय 11

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी

11.1 लोकल एरिया नेटवर्क (लैन)
11.2 वेबसाइट और सोशल मीडिया
11.3 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
11.4 वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) सुविधा
11.5 कार्यप्रवाह स्वचालन
11.6 ई-गवर्नेंस
11.7 विभाग में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता पहल

अध्याय 11

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी

डिजिटल भारत कार्यक्रम के अंतर्गत, औषध विभाग ने सूचना और सेवाएं ऑनलाइन प्रदान करने के लिए ई-गवर्नेंस को अपनाने की दिशा में विभिन्न पहल की हैं। इससे पारदर्शिता, सेवाओं की आसान पहुंच, आंतरिक प्रक्रियाओं में सुधार और निर्णय लेने में सहायता प्रणाली के संदर्भ में लाभ हुआ है।

विभाग में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा स्थापित आईटी-आधारित कंप्यूटर केन्द्र कार्यरत है और विभाग को विभिन्न आईटी-संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए नवीनतम क्लाइंट मशीनों से सुसज्जित है। एनआईसी तकनीकी परामर्श, नेटवर्किंग, अनुप्रयोग विकास और कार्यान्वयन, इंटरनेट और ई-मेल, डाटा आधार प्रबंधन और प्रशिक्षण जैसी मूल्यवान प्रमुख सेवाएं प्रदान कर रहा है। एनआईसी की उपस्थिति और विशेषज्ञता के साथ, विभाग आईटी/ई-गवर्नेंस पहल का पालन करने में सक्षम था। वितरण और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, वेब एप्लिकेशन को क्लाउड पर्यावरण में स्थानांतरित कर दिया गया है।

11.1 स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (एलएएन)

विभाग में सभी कार्यस्थल लोकल एरिया नेटवर्क (एलएएन) से जुड़े हुए हैं जो पहले से ही आईपीवी6 के अनुरूप है और ये ई-मेल, इंट्रानेट/इंटरनेट और डेटाबेस एक्सेस परिचालनों के लिए चौबीसों घंटे सुविधाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। आईपीवी6 के अनुरूप आईसीटी हार्डवेयर सभी अधिकारियों/डिवीजनों/अनुभागों को उनके डेस्कटॉप पर उपयोग के लिए उपलब्ध है। डब्ल्यूएएन से शास्त्री भवन के दो लिंक हैं अर्थात 10जी के पीजीसीआईएल और 1जी के एमटीएनएल से एक और लिंक।

11.2 वेबसाइट और सोशल मीडिया

विभाग की द्विभाषी वेबसाइट http://pharmaceuticals.gov.in को एनआईसी क्लाउड में रखा गया है ताकि सुरक्षा और नागरिकों को सूचना की अधिकतम पहुंच सुनिश्चित हो सके। यह वेबसाइट एनआईसी द्वारा सामग्री प्रबंधन ढांचे का उपयोग करके विकसित की गई है और भारत सरकार की वेबसाइटों के दिशानिर्देशों (जीआईजीडब्ल्यू) का अनुपालन करती है। यह विभाग की संघटनात्मक व्यवस्था, इसके कार्य, अधीनस्थ कार्यालयों, नीतियों, प्रकाशनों और कार्यशील मानदंडों के बारे में सांख्यिकी आंकड़े/सूचना का ब्यौरा प्रदान करती है। मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणपत्र (एसटीक्यूसी) प्रमाणन पूरा हो गया है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के निर्देशों का पालन करने के उद्देश्य से कि वेबसाइट जीआईजीडब्ल्यू 3.0 के अनुरूप होनी चाहिए, जो साइबर सुरक्षा के मामले में और अधिक उन्नत हो और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ हो, औषध विभाग ने वेबसाइट को अपग्रेड करने के लिए एक व्यवसायिक एजेंसी को शामिल करने के लिए कदम उठाए हैं।

सोशल मीडिया के पास लोगों तक पहुंचने की काफी क्षमता है। विभाग ने जागरूकता पैदा करने के लिए फेसबुक और ट्विटर (अब 'एक्स') खोल दिया है। विभाग द्वारा किए गए कार्यकलापों और निर्णयों के बारे में जागरूकता पैदा करने से संबंधित पोस्टों को इस विभाग के फेसबुक और ट्विटर ('एक्स') पेजों पर पोस्ट किया जाता है।

11.3 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

विभाग के सभी अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और नाईपरों ने भी अपने-अपने कार्यालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं स्थापित की हैं। इस सुविधा से दूरस्थ

समीक्षाओं और बैठकों के अलावा, विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के भाग के रूप में सेमिनार और बातचीत आयोजित करने में भी मदद मिली है। प्रधानमंत्री कार्यालय के निगरानी उपकरण प्रगति की बैठक हर महीने आयोजित की जाती है और माननीय प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लंबे समय से लंबित मुद्दों का निपटान करने के लिए सभी सचिवों और राज्य के मुख्य सचिवों के साथ बातचीत करते हैं।

विभाग ने एनआईसी नेटवर्क/सुविधाओं से रहित उद्योग संघों और संगठनों के साथ सम्मेलन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित करने के लिए वेबएक्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर खरीदा है।

11.4 वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) सुविधा

कोविड महामारी के दौरान अधिकारियों को घर से काम करने और सरकारी काम को सुचारू रूप से करने की सुविधा देने के लिए प्रदान की गई वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) सुविधा को कार्यालय के बाहर जरूरी सरकारी मामलों के निपटान की सुविधा के लिए जारी रखा गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, इस विभाग ने इस सुविधा को 104 खातों तक बढ़ा दिया है, जिनमें से 38 चालू वित्त वर्ष में प्रदान किए गए थे।

11.5 कार्यप्रवाह स्वचालन

विभाग द्वारा डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए की गई एक अन्य पहल विभाग के अंदर कार्यप्रवाह के स्वचालन का कार्यान्वयन है। ई-ऑफिस एक मानक उत्पाद है जिसमें इस समय ई-फाइल, ई-यात्रा, ज्ञान प्रबंधन प्रणाली (केएमएस) और व्यक्तिगत सूचना प्रबंधन प्रणाली (पीआईएमएस), कॉलेबोरेशन एंड मेसेजिंग सर्विस (सीएएमएस) शामिल हैं तथा इसका उद्देश्य कार्यप्रवाह, नियम आधारित फाइल की रूटिंग, फाइलों एवं कार्यालय आदेशों का शीघ्र पता लगाना एवं इसकी पुन: प्राप्ति, प्रमाणीकरण के लिए डिजिटल हस्ताक्षर, फॉर्म और रिपोर्टिंग घटकों के प्रयोग को बढ़ाना है। ई-ऑफिस का उपयोग कार्य के दोहराव को कम करने तथा पारदर्शिता एवं दक्षता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। भौतिक फाइलों के डिजिटलीकरण पर ध्यान केंद्रित करके विशेष स्वच्छता अभियान के दौरान संतोषजनक काम किया गया है, क्योंकि फाइल प्रबंधन प्रणाली भौतिक फाइलों को ई-फाइलों में परिवर्तित करने के लिए विशेष अभियान का एक महत्वपूर्ण भाग था। नवंबर, 2022 में विभाग में ई-ऑफिस प्रणाली को ई-फाइल वर्जन 7.2.5 में अपग्रेड किया गया है। यह विभाग स्वयं और इसके संबद्ध कार्यालय एनपीपीए दोनों के लिए ई-ऑफिस उपयोगकर्ता अकाउंट्स (ई-ऑफिस लाइट) की संख्या को 93 से बढ़ाकर 175 करने पर काम कर रहा है (जिसे आगे 250 तक बढ़ाया जा सकता है)। यह कार्यान्वयन के उन्नत चरण में है।

11.6 ई-अभिशासन

नवीनतम आईसीटी अनुरूप उपकरणों का लाभ उठाते हुए एनआईसी की सहायता से औषध विभाग ने सर्वोत्तम संव्यवहारों को अपनाने के लिए पहल की हैं। सूचना तक आसान और तीव्र पहुंच सुनिश्चित करके निर्णय लेने की प्रक्रिया को मजबूत बनाने, निगरानी करने और उसमें तेजी लाने के लिए एनआईसी के माध्यम से विभिन्न एप्लीकेशनों का विकास और कार्यान्वयन किया गया है।

- **स्पैरो** - स्मार्ट परफॉर्मेंस एप्रेजल रिपोर्ट रिकार्डिंग ऑनलाईन विंडो (स्पैरो) एप्लिकेशन, जो आईएएस, अन्य केंद्रीय सेवाओं और सीएसएस/सीएसएसएस कैडर अधिकारियों के एपीएआर को ऑनलाइन जमा करने की अनुमति देता है, सफलतापूर्वक लागू किया गया है।
- **आगंतुक प्रबंधन प्रणाली**- ई-विजिटर प्रणाली विजिटर प्रबंधन के लिए एक वेब आधारित साधन है। इससे नागरिकों को अपने दौरों के लिए अनुरोधों के ऑनलाइन पंजीकरण, प्रमाणित आगंतुकों को अनुमोदन और गेट पास जारी करने की सुविधा मिलती है।
- **विधिक सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (लिम्बस)** - एलआईएमबीएस (लिम्बस) विधिक कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा सरकार के विभिन्न न्यायालय मामलों की मानीटरिंग एवं हैंडलिंग के लिए विकसित एक वेब आधारित पोर्टल है। माननीय उच्च न्यायालय एवं ट्रिब्यूनलों से संबंधित मामलों को

संबंधित विभागों द्वारा अपलोड किया जा रहा है। यह अधिकारियों को उपयोगी रिपोर्ट तैयार करने की सुविधा प्रदान करता है।

- **ऑनलाइन आरटीआई-एमआईएस**- आरटीआई आवेदनों को कुशलता से निपटाने और उनकी निगरानी करने के लिए विभाग ने ऑनलाइन आरटीआई-एमआईएस का प्रयोग करने की पहल की है। आरटीआई-एमआईएस का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने के लिए संबधित कर्मचारियों और अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया था।

- **केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण मॉनीटरिंग व्यवस्था (सीपीजीआरएएमएस)** - सीपीजीआरएएमएस को विभाग और सभी संबद्ध कार्यालयों में समयबद्ध तरीके से ऑनलाइन प्राप्त लोक शिकायतों का निपटान करने के लिए लागू किया जाता है।

- **निविदाओं का ई-प्रकाशन**- निविदाओं का ई-प्रकाशन केन्द्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल/सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पर निविदाएं अपलोड करके कार्यान्वित किया जाता है। इससे निविदाओं की पहुंच में सुधार हुआ है।

- **इलेक्ट्रॉनिक-मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (ई-एचआरएमएस)** औषध विभाग में कार्यान्वित एक वेब आधारित मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली **(https://ehrms.gov.in/)** है। सभी कर्मचारियों के कार्मिक डेटा अपलोड कर दिए गए हैं। माड्यूल सेवा पुस्तिका विवरण, छुट्टी और एलटीसी प्रचालन में है। इस विभाग ने ई-एचआरएमएस 2.0 को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है।

- **https://supremo.nic.in/** एक वेब पोर्टल है जिसका भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा रख-रखाव किया जा रहा है। यह भारत सरकार के कार्मिकों से संबंधित सिंगल यूजर प्लेटफार्म है। मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति (एसीसी) के अंतर्गत कार्मिक की सूचना वेबसाइट पर अपलोड की जा रही है।

- **ई-समीक्षा-** ई-समीक्षा सूचना के आसान, तत्काल और सुरक्षित आदान-प्रदान के लिए एक डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है। यह भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों, राज्य सरकारों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि जैसी विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के लंबित कार्रवाई-बिंदुओं/प्रस्तावों/मुद्दों/परियोजनाओं/योजनाओं/ लक्ष्यों आदि के अनुपालन में तेजी लाने के लिए विकसित एक ऑनलाइन निगरानी और अनुपालन तंत्र है।

विभाग में ई-शासन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित पहल की गई हैं:

(i) योजनागत स्कीम ''औषध और चिकित्सा उपकरण संवर्धन एवं विकास योजना (पीएमपीडीएस)'' के अंतर्गत सहायता अनुदान के लिए एक सॉफ्टवेयर का विकास। पीएमपीडीएस का उद्देश्य विकास, निर्यात की सुविधा देने और क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए संगोष्ठियों, सम्मेलनों, प्रदर्शनियों के आयोजन, निर्यात के साथ-साथ निवेश को बढ़ावा देने हेतु भारत से प्रतिनिधिमंडल को भेजने, अध्ययन/परामर्श आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके औषध और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र का संवर्धन और विकास करना है। पीएमपीडीएस पोर्टल **http://ngogrant.pharmaceuticals.gov.in/** विकसित और कार्यान्वित किया गया है।

(ii) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की विभिन्न गतिविधियों की निगरानी के लिए एक एमआईएस विकसित किया गया है और इसे एनआईसी क्लाउड **(http://nipermis.pharmaceuticals.gov.in/)** पर होस्ट किया गया है।

(iii) अनुसंधान पोर्टल **(https://research.pharmaceuticals.gov.in/)** विकसित किया गया है और एनआईसी द्वारा लागू किया गया है। इस पोर्टल को एप्लिकेशन के आगे के विकास और रखरखाव के लिए नाईपर हैदराबाद को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया चल रही है। यह पोर्टल औषध और चिकित्सा उपकरण के क्षेत्र में नाईपरों द्वारा किए गए शोध से लाभान्वित होने के लिए शिक्षाविदों और उद्योग के बीच एक लिंक प्रदान

करता है।

(iv) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश **(http://fdi.pharmaceuticals.gov.in/)** पोर्टल को लाइव बनाया गया है और उपयोगकर्ता सहायता प्रक्रियाधीन है। एफडीआई के अंतर्गत कंपनियां पोर्टल में पंजीकरण कर सकती हैं। इक्विटी हस्तांतरण, उत्पादन, निर्यात, अनुसंधान और विकास की निगरानी की जा रही है।

(v) स्टेशनरी एमआईएस **(http://10.21.81.76/store)** भौतिक पत्रों की आवश्यकता से मुक्त होने वाले अधिकारियों/अनुभागों की ओर से अनुरोध संबंधी एमआईएस है। स्टेशनरी वस्तुओं का स्टॉक रखा जाता है और इस पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं का निर्गम गतिशील रूप से दर्शित होता है।

(vi) राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति रणनीति निगरानी पोर्टल **(https://nmdp.pharmaceuticals.gov.in)** विकसित किया गया है और इसे कार्यान्वित किया जा रहा है। यह पोर्टल राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए रणनीतियों की कार्यान्वयन अनुसूची की निगरानी में सहयोग करता है।

11.7 औषध विभाग में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता पहल

औषध विभाग ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति पर अधिकारियों को सुग्राही बनाने के लिए एमएचए (आई4सी), एमईआईटीवाई और अन्य एजेंसियों द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों के वैबीनार लिंकों को अपने संबद्ध कार्यालय, स्वायत्त निकायों और पीएसयू के कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों को साझा करने के माध्यम से राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा पर अपने प्रयास जारी रखे। साइबर सुरक्षा ऑडिट की ओर प्रयासों के भाग के रूप में, इस विभाग की एनआईसी आंतरिक टीम ने सभी कंप्यूटरों में संस्थापित एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की प्रभावकारिता पर कंप्यूटर अवसंरचना की समीक्षा की।

अध्याय 12

विभाग के अन्य कार्यकलाप

12.1 लंबित मामलों के निपटान पर विशेष अभियान (एससीडीपीएम) और स्वच्छता पखवाड़ा

12.2 आजादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) का समापन

12.3 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह

12.4 आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्षमता विनिर्माण

12.5 राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह

12.6 संविधान दिवस समारोह

अध्याय 12

विभाग के अन्य कार्यकलाप

12.1 लंबित मामलों के निपटान पर विशेष अभियान (एससीडीपीएम) और स्वच्छता पखवाड़ा

12.1.1 लंबित मामलों के निपटान पर विशेष अभियान (एससीडीपीएम) 3.0

भारत सरकार ने 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2023 तक विशेष अभियान 3.0 की घोषणा की, जिसमें स्वच्छता और सरकार में लंबित मामलों को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। विशेष अभियान 3.0 मंत्रालयों/विभागों और उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के अलावा क्षेत्रीय/बाहरी कार्यालयों पर अधिक केंद्रित था। इसका उद्देश्य मंत्रालयों/विभागों में लंबित मामलों को कम करना और निर्णय लेने में दक्षता बढ़ाना था। अभियान में निम्नलिखित क्षेत्रों पर बल दिया गया था।

1. पहचान किए गए लंबित संदर्भों का निपटान जैसे **(i)** सांसदों से संदर्भ **(ii)** संसदीय आश्वासन **(iii)** आईएमसी संदर्भ (मंत्रिमंडल प्रस्ताव) **(iv)** राज्य सरकार के संदर्भ **(v)** लोक शिकायत **(vi)** लोक शिकायत अपील और **(vii)** पीएमओ संदर्भ
2. रिकॉर्ड प्रबंधन, जिसमें शामिल हैं, **(i)** भौतिक फाइलें (अभियान अवधि के दौरान समीक्षा की गई/एनएआई को हस्तांतरित की गई/छंटाई के लिए पहचानी गई/छंटाई कर दी गई) और **(ii)** समीक्षा/बंद करने के लिए रखी गई ई-फाइलें
3. स्वच्छता अभियान
4. स्थान खाली किया गया
5. कार्यालय स्क्रैप निपटान और उसके द्वारा अर्जित राजस्व
6. नियमों/प्रक्रियाओं को आसान बनाना
7. लोक शिकायत अपील
8. सर्वोत्तम पद्धतियों की रिपोर्ट दी गई।
9. सोशल मीडिया अभियान
10. पीआईबी वक्तव्य जारी किए गए।

विशेष अभियान 3.0 का फोकस क्षेत्रीय/बाहरी कार्यालयों जैसे कि संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर था, ताकि पुराने रिकॉर्ड/फाइलों, स्क्रैप और अनुपयोगी उपकरणों/मशीनों, प्लास्टिक और अन्य कचरे को हटाने, आम जनता में अपने आस-पड़ोस को स्वच्छ और हरा-भरा रखने की आवश्यकता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए सार्वजनिक स्थानों की सफाई करने में सफलता हासिल की जा सके। तदनुसार, शास्त्री भवन, जनपथ भवन और उद्योग भवन में विभाग के कार्यालयों के अलावा; राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए), अहमदाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, मोहाली, हाजीपुर, कोलकाता और रायबरेली में राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर), हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे, कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, बेंगलुरु, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता और भारतीय औषध एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई) ने विशेष अभियान में भाग लिया।

विभाग अभियान के दौरान प्रमुख मील के पत्थर हासिल करने में सक्षम था जैसे (क) साफ की गई अभियान साइटों की रिकॉर्ड संख्या (9648 साइट), (ख) 5823 भौतिक फाइलों की समीक्षा और 1400 भौतिक फाइलों को नष्ट करना, (ग) अभियान के दौरान लागू / शुरू की गई आठ सर्वोत्तम प्रणालियां, (घ) स्क्रैप का निपटान और 3,41,387/-रुपए की धनराशि का राजस्व अर्जन (ङ) 62 लोक शिकायतों का निपटान करना और लोक शिकायत

अपील को शून्य बनाए रखना।

औषध विभाग में आयोजित अभियान साइटों और सफाई अभियान की तस्वीरों का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 12क

विशेष अभियान 3.0 के दौरान औषध विभाग के स्वच्छता अभियान स्थलों की सूची

क्र. सं.	**संगठन/संस्थान का नाम**	**स्वच्छता अभियान स्थलों की संख्या**
1.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर)	16
2.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	07
3.	राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) और उनकी मूल्य निगरानी एवं अनुसंधान इकाइयां	25
4.	भारतीय औषध और चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई) अपने 9600 पीएमबीजेपी केंद्रों के सहयोग से	9600
	कुल:	**9648**

12.1.2 विशेष अभियान 3.0 कार्यकलाप

अनावश्यक सामग्रियों के निपटान के लिए दिनांक 22/09/2023 को विभाग के नोडल अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया।

योजना अनुभाग, शास्त्री भवन दूसरी मंजिल

प्रशासन अनुभाग, कमरा सं. 218क, शास्त्री भवन

स्टोर रूम, जनपथ भवन (पहले)

अधिकारी के केबिन के रूप में परिवर्तित (बाद में)

नाईपर-हैदराबाद में सफाई अभियान।

नाईपर-कोलकाता में सफाई अभियान

नाईपर-गुवाहाटी में सफाई अभियान

एचएएल, पुणे द्वारा सफाई अभियान

12.1.3 1 से 15 सितंबर, 2023 तक स्वच्छता पखवाड़ा:

औषध विभाग ने विभाग के सभी अनुभागों, इसके संबद्ध कार्यालय (एनपीपीए), सोसायटी (पीएमबीआई), स्वायत्त निकायों - सभी नाईपर और पीएसयू में 1-15 सितंबर, 2023 के दौरान स्वच्छता पखवाड़ा मनाया। इसके बाद, 'स्वच्छता ही सेवा' के तहत इस अभियान को 15 सितंबर से 30 सितंबर, 2023 तक बढ़ा दिया गया था और 1 अक्टूबर, 2023 को, सभी कार्यालयों ने एक घंटे के सफाई कार्यकलाप का आयोजन करके 'स्वच्छता ही सेवा दिवस' मनाया गया।

सचिव ने स्वच्छता पखवाड़ा पर शपथ ली।

12.2 आज़ादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) का समापन

हर घर तिरंगा कार्यक्रम:

आज़ादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) के समापन के एक भाग के रूप में, औषध विभाग ने 13 से 15 अगस्त, 2023 तक "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम मनाया। इस कार्यक्रम में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को वापस करने योग्य आधार पर, ध्वज संहिता की मुख्य विशेषताओं के साथ खादी में राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध कराया गया था। कर्मचारियों ने सेल्फी ली और इसे **`www.harghartiranga.com'** पर पोस्ट किया।

12.3 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह:

योग के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए अन्य मंत्रालयों / विभागों के साथ औषध विभाग द्वारा 21 जून, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई 2023) मनाया गया। सम्बद्ध कार्यालय (एनपीपीए), स्वायत्त निकाय (नाईपरों), पीएसयू (एचएएल, केएपीएल, बीसीपीएल) और पीएमबीआई ने इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया।

12.4 आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्षमता विनिर्माण:

औषध विभाग ने प्रभावी और कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए विभिन्न कौशल, नीतियों, कार्यक्रमों और नियमों में अपने कर्मचारियों की क्षमता विनिर्माण के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इसके लिए, विभाग ने एक आंतरिक क्षमता विनिर्माण इकाई (सीबीयू) की स्थापना की है, एक क्षमता विनिर्माण योजना को अंतिम रूप दिया है और 81 प्रयोक्ताओं ने आईजीओटी प्लेटफॉर्म पर नामांकन किया है। सूचीबद्ध प्रयोक्ताओं द्वारा कुल पाठ्यक्रम नामांकन 144 है और प्रयोक्ताओं द्वारा अब तक 65 पाठ्यक्रम पूरे कर लिए गए हैं।

12.5 राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह:

विभाग ने 30 अक्टूबर, 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया था और सभी अधिकारियों/कर्मचारियों ने सचिव के नेतृत्व में शपथ ली।

12.6 संविधान दिवस समारोह:

औषध विभाग ने 24 नवंबर, 2023 को 73वां संविधान दिवस मनाया। विभाग के सभी अधिकारियों ने संविधान की प्रस्तावना का पठन किया। अधिकारियों/कर्मचारियों ने **MyGov.in** पोर्टल पर प्रस्तावना के ऑनलाइन पठन में भी भाग लिया।

अध्याय 13

अनुलग्नक

अनुलग्नक – I नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा टिप्पणियां
अनुलग्नक – II [क] पीएसयू की सूची
अनुलग्नक – II [ख] पीएसयू के अध्यक्षों का पता और नाम
अनुलग्नक – II [ग] दायित्व केंद्रों और अधीनस्थ संगठनों की सूची
अनुलग्नक – III एनपीपीए का संगठनात्मक चार्ट

अध्याय 13

अनुलग्नक

अनुलग्नक-I

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा टिप्पणियां

औषध विभाग के संबंध में कोई सीएजी पैरा लंबित नहीं है।

अनुलग्नक II [क]

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सूची

(i) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल), डुंडाहेरा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, डुंडाहेरा, गुड़गांव, हरियाणा।

(ii) हिंदुस्तान एंटीबायोटिकस लिमिटेड (एचएएल), पिंपरी, पुणे, महाराष्ट्र।

(iii) कर्नाटक एंटीबायोटिकस एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल), बैंगलोर।

(iv) बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल), कोलकाता, पश्चिम बंगाल।

(v) राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल), रोड नं. 12, वीकेआई एरिया, जयपुर।

अनुलग्नक II [ख]

औषध विभाग के अधीन पीएसयू के अध्यक्षों के नाम और पता:-

(तालिका 13क)

(औषध विभाग के अधीन पीएसयू के अध्यक्षों का नाम और पता)

क्र. सं.	संगठन और उसका पता	नाम	पदनाम
1.	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल), गुड़गांव – 122016	सुश्री विनोद कोतवाल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
2.	हिंदुस्तान एंटीबायोटिकस लिमिटेड (एचएएल), पिंपरी, पुणे, महाराष्ट्र – 411018	सुश्री नीरजा सराफ	प्रबंध निदेशक
3.	राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल), जयपुर, राजस्थान -302013	सुश्री नीरजा सराफ	प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
4.	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल), कोलकाता, पश्चिम बंगाल – 700013	सुश्री नीरजा सराफ	प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
5.	कर्नाटक एंटीबायोटिकस एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल) बंगलौर, कर्नाटक - 560010	सुश्री नीरजा सराफ	प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)

अनुलग्नक - II [ग]

(तालिका 13ख)

क्र. सं.	नाईपर का निदेशक	कार्यालय दूरभाष	ईमेल	मोबाइल नं.	पता
1	डॉ. शैलेंद्र सराफ नाईपर-अहमदाबाद	079-66745555	director@niperahm.ac.in	9826150327	पलाज, एयरफोर्स स्टेशन मुख्यालय के सामने, गांधीनगर-382355, गुजरात
2	डॉ यूएसएन मूर्ति - नाईपर गुवाहाटी	0361-2132751	director@niperguwahati.ac.in	9127060998	सिला कटमूर (हलुगुरिसुक) पी.ओ.: चांगसारी, जिला: कामरूप, असम, पिन: 781101, असम, भारत
3	डॉ. वी. रविचंद्रन (अतिरिक्त प्रभार), नाईपर हाजीपुर	0612-2631565	director@niperhajipur.ac.in	9443963481	ई.पी.आई.पी. कैम्पस, इंडस्ट्रियल एरिया, हाजीपुर-844102, बिहार
4	डॉ. शुभिनी सराफ, नाईपर- रायबरेली	0535-2700851	director@niperraebareli.edu.in	9628176500	बिजनौर - सिसेंदी रोड, सरोजनी नगर, सीआरपीएफ बेस कैंप के नजदीक, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) – 226002
5	डॉ. वी. रविचंद्रन - नाईपर कोलकाता	033-24995803 033-23200086	director@niperkolkata.edu.in	9443963481	चुन्नीलाल भवन, 168, मानिकतला मेन रोड, कोलकाता-700054, पश्चिम बंगाल
6	डॉ. शैलेंद्र सराफ (अतिरिक्त प्रभार), नाईपर हैदराबाद	040-23073741	director.niperhyd@gov.in	9826150327	नाईपर, हैदराबाद आईडीपीएल टाउनशिप, बालानगर, हैदराबाद-500007
7	प्रो. दुलाल पांडा, नाईपर मोहाली	0172-2214690 0172-2214697	director@niper.ac.in	9820391591	एसएएस नगर, नाईपर मोहाली, पंजाब - 160062

अनुलग्नक - III एनपीपीए का संगठनात्मक चार्ट

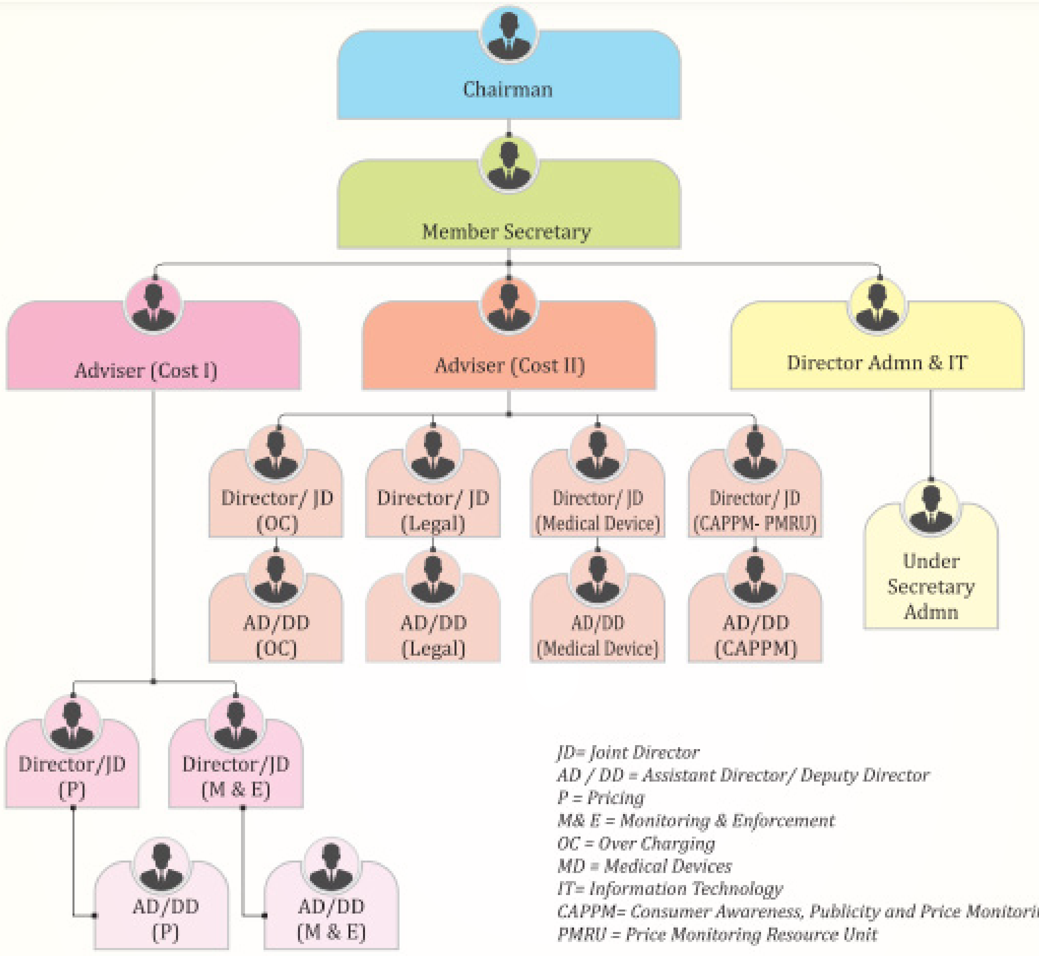

JD= Joint Director
AD / DD = Assistant Director/ Deputy Director
P = Pricing
M& E = Monitoring & Enforcement
OC = Over Charging
MD = Medical Devices
IT= Information Technology
CAPPM= Consumer Awareness, Publicity and Price Monitoring
PMRU = Price Monitoring Resource Unit

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग